आरतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

डिजिटल भारत का बैंक

वार्षिक रिपोर्ट | 2014 - 15

विषय सूची

सूचना 01

डिजिटल भारत का बैंक 02

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा 08

हमारी विरासत और विज़न 09

एसबीआई समूह संरचना 10

निष्पादन संकेतक 12

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन 14

रेटिंग्स 15

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड 16

बोर्ड की समितियां/स्थानीय बोर्ड के सदस्य/
केन्द्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य/बैंक के लेखा-परीक्षक 18

अध्यक्ष की कलम से 21

निदेशकों की रिपोर्ट

(I) आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश 27

(II) वित्तीय निष्पादन 30

(III) प्रमुख परिचालन 31

1. देशीय परिचालन 31

(क) राष्ट्रीय बैंकिंग समूह 31

1. वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय इकाई 32
2. ग्रामीण व्यवसाय इकाई 34
3. स्थावर संपदा, निवास एवं आवास विकास 36
4. लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई 37
5. सरकारी व्यवसाय 39
6. विपणन एवं परस्पर विक्रय 39
7. ग्राहक सेवा 40

(ख) कारपोरेट बैंकिंग समूह 41

1. कारपोरेट लेखा समूह 41
2. लेनदेन बैंकिंग इकाई 41
3. प्रोजेक्ट फाइनैंस एवं लीजिंग एसबीयू 42

(ग) मध्य कारपोरेट समूह 43

(घ) कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय 43

(ङ) तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन 47

2. अंतरराष्ट्रीय परिचालन 50

3. राजकोषीय परिचालन 54

(IV). सहायक एवं नियंत्रण परिचालन 56

1. मानव संसाधन 56
2. कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई 58
3. जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण 60
4. सूचना प्रौद्योगिकी 64
5. व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्संरचना 70
6. सतर्कता 70
7. राजभाषा 71
8. कारपोरेट सामाजिक दायित्व 71

(V) सहयोगी एवं अनुषंगियां 74

कारपोरेट अभिशासन 80

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 100

वित्तीय विवरण

तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक (एकल) 107

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 167

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 212

ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण हेतु
संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण 238

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक
**(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,
1955 के अंतर्गत गठित)**

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 60 वीं वार्षिक महासभा “वाई.बी. चव्हाण ऑडिटोरियम”, वाई.बी. चव्हाण केन्द्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 (महाराष्ट्र) में गुरुवार, 02 जुलाई 2015 को अपराह्न 3.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी :

“स्टेट बैंक का 31 मार्च 2015 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की स्टेट बैंक की कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।”

कारपोरेट केन्द्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

दिनांक : 19.05.2015

महत्त्वपूर्ण सूचना

घोषित लाभांश :	₹ 3.50 रुपए प्रति शेयर
लाभांश भुगतान की तारीख :	18.06.2015
बहीबंदी की अवधि :	30.05.2015 से 03.06.2015
रिकॉर्ड-तारीख :	29.05.2015

डिजिटल भारत का बैंक

भारत के सबसे बड़े बैंक के रूप में हम हजारों वाणिज्यिक इकाइयों और करोड़ों लोगों के जीवन से एकाकार हैं। नई चुनौतियों से निपटने और ग्राहकों के रुझान के अनुसार कार्य करने के लिए हमने सदा स्वयं को समय के अनुरूप बदला है। हम मानते हैं कि अगर हमने ग्राहकों की आवश्यकताएँ पूरी की तो वे हमारे साथ बने रहेंगे।

सभी पीढ़ियों के लोग अपने बैंकिंग कामकाज के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन का अधिकाधिक उपयोग करने लगे हैं। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया चैनल का अत्यधिक उपयोग करते हैं। वे कई प्रकार की जानकारी के लिए खोज करते हैं और फिर उस जानकारी तक पहुँचते हैं। उनकी अपेक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे उपभोक्ता अपने मोबाइल, आई पैड या पी.सी. के माध्यम से बैंकिंग करते समय चाहते हैं कि उन्हें शुरू से आखिर तक की सारी सुविधाएँ बिना किसी रुकावट के मिलें।

भारतीय स्टेट बैंक जानता है कि ग्राहक के आसपास बने रहने की कला ही बैंकिंग है। हमें पता है कि आधुनिक बैंकिंग का मतलब है - लोगों को उनका धन इतनी शीघ्रता, त्रुटिहीनता और दक्षता के साथ मिले, जितना पहले कभी नहीं मिलता था। हमारे वर्तमान और संभावित ग्राहक जो चाहते हैं, उसी पर हमारा पूरा ध्यान है और उसी के अनुरूप डिजिटल बिजनेस मॉडल को अपनाने तथा विकसित करने के मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं। हमारे तैयार किए डिजिटल प्लेटफॉर्मों से हमारे ग्राहक सदा जुड़े रह सकते हैं, सदा हमसे रिश्ता बनाए रखते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक भारत के कारपोरेट एवं संस्थात्मक निकायों का सच्चा मित्र रहा है। कई वर्षों से वे हमारे ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफार्मों के प्रयोक्ता रहे हैं, जिन्हें उनकी बढ़ती जरूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा रहा है। आज वे अपने दैनिक लेनदेनों के लिए बैंक के मजबूत ऑनलाइन समाधान पर विश्वास करते हैं। यह आज की डिजिटल टेक्नॉलजी के अनुरूप अपने आपको ढालने का ही परिणाम है।

हम यह भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम अपने कार्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एक प्रमुख कार्य है कामकाज के तरीकों की दक्षता बढ़ाने और सेवा का स्तर उठाने में 'विशाल डेटा' का उपयोग। हमारा बैंक भारत का पहला बैंक है, जो विशाल डेटा का उपयोग किसी खजाने को खोलने की तरह यानी ग्राहक की वैयक्तिक जरूरतों को जानने के लिए कर रहा है। उन्नत श्रेणी के विश्लेषण द्वारा इस जानकारी का उपयोग ग्राहक की इच्छानुसार प्रस्तुत करने में और अपने कामकाज का तरीका निर्धारित करने में किया जाता है। किसी अन्य उपाय से यह संभव नहीं होता।

हमारी यात्रा टेक्नोलॉजी अपनाने पर ही नहीं रुक जाती। हम जानते हैं कि हमारे बहुत-से ग्राहकों को यह बताने की आवश्यकता है कि वे हमारे डिजिटल प्लेटफार्मों का पूरे भरोसे के साथ किस प्रकार उपयोग करें। हमारे सैंकड़ों लर्निंग सेंटर केंद्र पूरे देश में इस कार्य में लगे हुए हैं और हजारों लोगों को अपने प्रयासों से जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम और आगे बढ़कर डिजिटल भारत का पसंदीदा बैंक बनना चाहेंगे।

बैंकिंग आपके हाथों में

बैंकिंग आपके हाथों में

स्मार्ट फोन ने हमारे कामकाज और सामाजिक व्यवहार को बिलकुल बदल कर रख दिया है। भारत में स्मार्ट फोन रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब हर आयु समूह का व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग अपनाने का इच्छुक दिखाई दे रहा है, ताकि वह अपने बैंकों से पहले से ज्यादा व्यापकता के साथ जुड़ा रहे।

भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को यह ताकत प्रदान करने पर पूरा ध्यान दे रहा है, ताकि उन्हें अधिक सुविधाएँ मिलें, उनके-हमारे संबंध और सुदृढ़ हों, लागत में कमी आए और हमारा ब्रांड मजबूत बनता जाए। मार्च 2014 में स्मार्ट फोन के लिए शुरू किया गया हमारा ऐप्प "स्टेट बैंक एनीव्हेअर" तत्काल अति लोकप्रिय हो गया। इस समय मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक भारत में बाजार में सबसे आगे है। इसके प्रयोक्ताओं की संख्या 1.35 करोड़ है और लेनदेन की संख्या के आधार पर इसका बाजार अंश 46% है (स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक)।

हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं, जहाँ नकदी का प्रयोग कम होता जा रहा है। चाहे हम आस-पास की दुकान पर किराना सामान खरीद रहे हों या आमोद-प्रमोद अथवा व्यवसाय के लिए दुनिया की सैर पर निकले हों, सभी प्रकार के भुगतान कार्डों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने इस बदलाव को पहले ही पहचान लिया था। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान कार्य संपन्न करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम करने में बैंक सबसे आगे रहा। आज इसके पास कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने का देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है। पूरे देश में लगाए गए 2 लाख से भी ज्यादा टर्मिनलों की बदौलत हम भारत में 4 शीर्ष लेनदेन प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। साथ ही, सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध (मर्चेन्ट रिलेशनशिप) हमारे ही हैं।

अपने ग्राहकों को कार्ड जारी करने के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं हैं। हमारे संयुक्त उद्यम एसबीआईसीपीएसएल के माध्यम से स्टेट बैंक समूह क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पास 31 लाख प्रयोक्ताओं का आधार है और कार्ड के माध्यम से व्यय में इसका बाजार अंश 11% है (स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक)। मोबाइल बैंकिंग और कार्ड की मिली-जुली ताकत हमारे ग्राहकों के लिए स्वतंत्रता और सुविधा प्राप्त करने का शक्तिशाली और अपरिहार्य साधन है।

डिजिटल भारत का बैंक

युवा पीढ़ी के साथ जुड़ाव

युवा पीढ़ी के साथ जुड़ाव

20 से 30 वर्ष की उम्र की शुरुआत में युवा पीढ़ी उम्मीद करती है कि दुनिया उनके चाहे अनुसार झुके। जहाँ तक उनकी जीवनशैली की बात है, वे तेजी से विचार करते हैं, कई काम एक साथ करते हैं और बहुत तेजी से चीजें बदलते हैं। टेक्नोलॉजी के वे अच्छे जानकार होते हैं और सोच भी नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी के बगैर जीवन कैसा होगा। बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्पादों एवं सेवाओं को बनाने की परंपरा का पालन करते हुए,

भारतीय स्टेट बैंक में हम उन लोगों से यथाशीघ्र जुड़ने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। इसका सीधा रास्ता यही है कि हम अपने बैंक को वैसा बनाएँ, जैसा बैंक वे इस दुनिया में चाहते हैं। इसी प्रतिबद्धता के चलते हमने नए प्रकार की बैंकिंग का अनुभव कराने के लिए वर्तमान स्थितियों का लाभ उठाया है। छह शहरों में "एसबीआई इनटच" की शुरुआत करके हमने समाज के सभी वर्गों से जुड़े रहने के मजबूत इरादे के साथ कदम उठाया है।

'एसबीआई इनटच' हमारे इस स्वप्न को साकार करता है कि बैंक का विशाल नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म करीब आ जाएँ, जिससे हमारे ग्राहक विश्वस्तरीय बैंकिंग का अनुभव कर सकें। इन सुविधाओं के लिए उत्कृष्ट उपकरण लगाए गए हैं, जिनसे ग्राहक अपना लेनदेन स्वयं पूरा कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें शाखा में या ऑनलाइन सहायता भी मिल सकती है। वे कई चैनलों पर निर्बाध रूप से अपना लेनदेन कर सकते हैं। इनमें लेनदेन स्वयं पूरा करने के उपकरण (स्व-सेवा स्थल), सूचना प्राप्ति और वार्तालाप उपकरण, परामर्श कक्ष और व्यवसाय कक्ष शामिल हैं।

यहाँ हमारे ग्राहक खाता खुलवाने का एक अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उनका खाता खुलने के साथ ही उनके नाम और फोटो सहित डेबिट कार्ड केवल 15 मिनट में प्राप्त हो सकता है। इसके लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत होगी। इन केंद्रों पर बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी शीघ्रता से पूरे किए जा सकते हैं। नकदी और चेक तत्काल जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर उपस्थित विशेषज्ञ से वीडियो के जरिए किसी जटिल वित्तीय विषय पर सलाह भी ली जा सकती है।

आगे के लिए हमारा लक्ष्य है कि वर्तमान परिवेश में बदलाव करके और वर्तमान नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए परिपूर्ण डिजिटल व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनें। डिजिटल और मोबाइल प्लेटफार्मों को एकीकृत करें, ताकि ग्राहकों को उसका लाभ मिले और हमें भी।

डिजिटल भारत
का बैंक

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

नं 1 — देश का सबसे बड़ा बैंक (जमाराशियां, अग्रिम, लाभ, शाखाएं और कर्मचारी)

20.50 करोड़+ — स्टेट बैंक समूह डेबिट कार्ड धारक

27.32 करोड़+ — सक्रिय ग्राहक आधार

2.20 करोड़+ — इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ता

29 लाख करोड़+ — व्यवसाय आकार

1.35 करोड़+ — मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ता

1.28 लाख+ — संपर्क स्थल

2.00 लाख+ — पीओएस मशीनें

54,560 — देश भर में एटीएम

1.19 करोड़+ — ग्रीन रेमिट कार्ड

57,575 — व्यवसाय प्रतिनिधि और ग्राहक सेवा केन्द्र

84,036 — समस्त भारत में गांवों को सेवा

6.40 करोड़+ — कोर बैंकिंग लेनदेन (दैनिक औसत लेनदेन)

2.97 करोड़+ — रुपे डेबिट कार्ड

99.95 लाख+ — प्रति दिन औसत एटीएम लेनदेन

3.3 करोड़+ — प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते

हमारी विरासत और विज़न

वर्ष 1806 में अपने प्रादुर्भाव के साथ बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित भारत का सबसे पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। 200 वर्षों से अधिक की समृद्ध परंपरा वाला यह भारतीय उप-महाद्वीप का पहला वाणिज्यिक बैंक राष्ट्र की हजार खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण और इसकी विशाल जनसंख्या की आकांक्षाओं की पूर्ति में निरंतर सेवारत है।

भारतीय स्टेट बैंक परिसंपत्तियों, जमाराशियों, लाभ, शाखा, ग्राहक और कर्मचारी संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। यह करोड़ों ग्राहकों के निरंतर विश्वास के साथ आज हर भारतीय का बैंक है।

विज़न

- मेरा भारतीय स्टेट बैंक।
- मेरा ग्राहक सर्वोपरि।
- मेरा एसबीआईः ग्राहक संतुष्टि में प्रथम।

मिशन

- हम अपने ग्राहकों के प्रति तत्पर, विनम्र एवं संवेदनशील रहेंगे।
- हम युवा भारत की भाषा बोलेंगे।
- हम ऐसी सेवाएँ बनाएंगे जो हमारे ग्राहकों के सपनों को पूरा कर सकें।
- हम कर्तव्य से आगे जाकर अपने ग्राहकों को यह एहसास कराएंगे कि वे महत्वपूर्ण हैं।
- हम देश के सुदूर भागों में भी सेवाएं प्रदान करेंगे।
- विदेश-स्थित लोगों को भी हम वैसी ही सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदान करेंगे, जैसी भारतवासियों को प्रदान करते हैं।
- उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाएंगे।

मूल्य

- हम सदा ईमानदार, निश्छल और नीतिप्रिय रहेंगे।
- हम अपने ग्राहकों एवं सहकर्मियों का सम्मान करेंगे।
- ज्ञान हमारा मार्गदर्शक होगा।
- हम सीखने की प्रक्रिया जारी रखेंगे और प्राप्त ज्ञान का प्रसार करेंगे।
- हम कभी सुविधावादी मार्ग नहीं अपनाएंगे।
- जिस समाज में हम कार्य करते हैं, उसके उत्थान हेतु हम हर संभव प्रयास करेंगे।
- हम भारत में गर्व का विकास करेंगे।

एसबीआई समूह संरचना 31 मार्च 2015 को

एसबीआई

देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

- 75.07% स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
- 100% स्टेट बैंक हैदराबाद
- 90.00% स्टेट बैंक मैसूर
- 100% स्टेट बैंक पटियाला
- 78.91% स्टेट बैंक त्रावणकोर

गैर- बैंकिंग अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम

- 100% एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
  - एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
  - एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
  - एसबीआई कैप (यू के) लि.
  - एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लि.
  - एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.)
- 63.78% एसबीआई डीएफएचआई लि.
- 100% एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
- 100% एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 86.18% एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
- 60% एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
- 63% एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
  - एसबीआई फंडस मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि .
- 60% एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.

(स्वामित्व अंश %)

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम

74% एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

65% एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज्ञ प्रा. लि.

74% एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि .

49% सी- एज टेक्नोलोजीज लि.

40% जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमैंट सर्विसेज प्रा. लि.

45% मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्रा. लि.

मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.

45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.

45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.

50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्ट्मेंट फंड मैनेजमैंट कंपनी प्रा. लि.

50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)

100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)

60% कामर्शियल इंडो बैंक एल एल सी.

96.60% एसबीआई (मॉरिशस) लि.

99% बैंक एसबीआई इंडोनेशिया

55.10% नेपाल एसबीआई बैंक लि.

100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.

20% बैंक ऑफ भूटान लि.

निष्पादन संकेतक

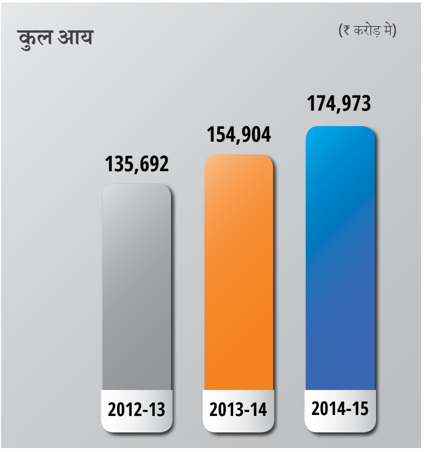
कुल आय
(₹ करोड़ में)
135,692
154,904
174,973
2012-13
2013-14
2014-15

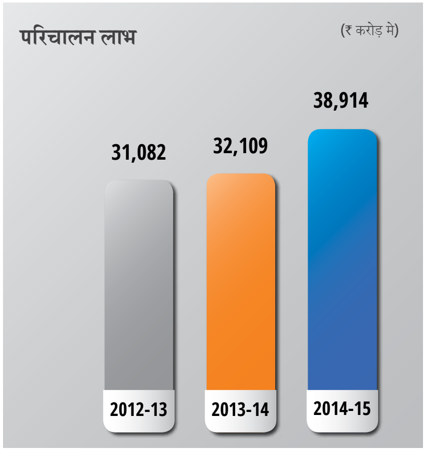
परिचालन लाभ
(₹ करोड़ में)
31,082
32,109
38,914
2012-13
2013-14
2014-15

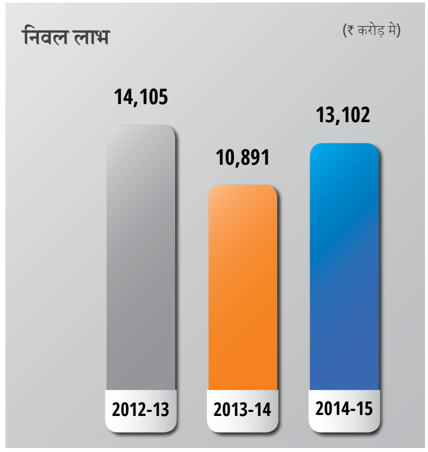
निवल लाभ
(₹ करोड़ में)
14,105
10,891
13,102
2012-13
2013-14
2014-15

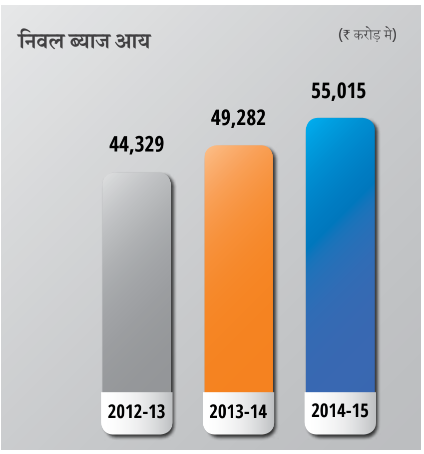
निवल ब्याज आय
(₹ करोड़ में)
44,329
49,282
55,015
2012-13
2013-14
2014-15

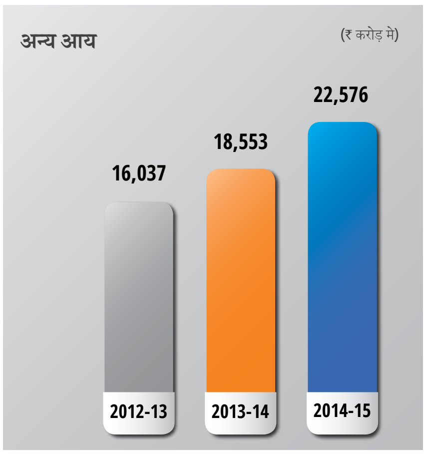
अन्य आय
(₹ करोड़ में)
16,037
18,553
22,576
2012-13
2013-14
2014-15

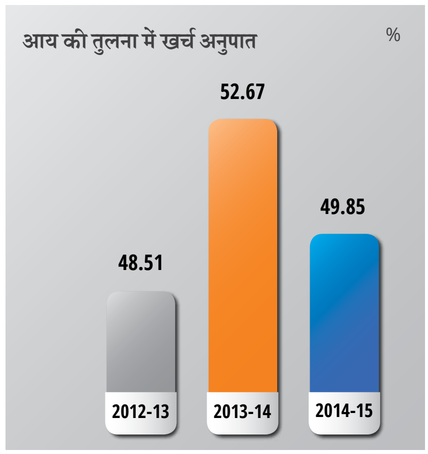
आय की तुलना में खर्च अनुपात
%
48.51
52.67
49.85
2012-13
2013-14
2014-15

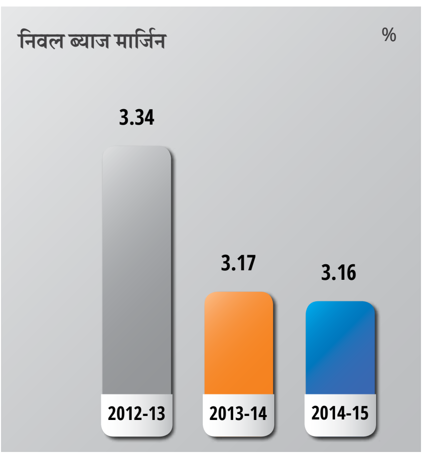
निवल ब्याज मार्जिन
%
3.34
3.17
3.16
2012-13
2013-14
2014-15

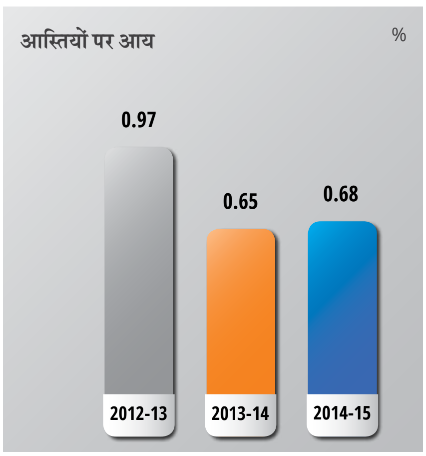
आस्तियों पर आय
%
0.97
0.65
0.68
2012-13
2013-14
2014-15

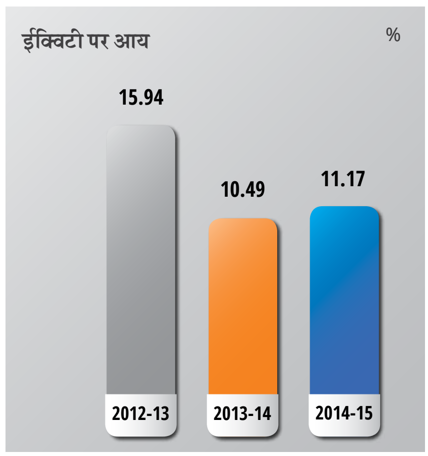
ईक्विटी पर आय
%
15.94
10.49
11.17
2012-13
2013-14
2014-15

प्रति शेयर आय*

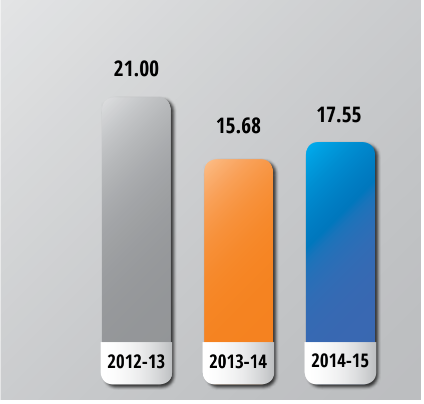

सकल एनपीए अनुपात

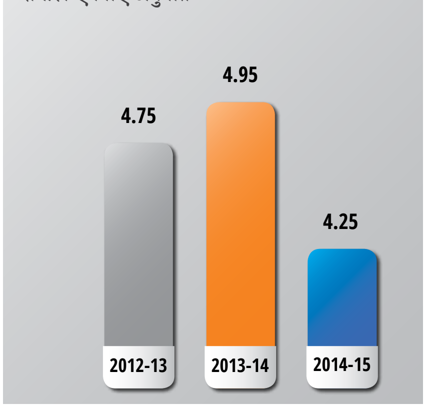

निवल एनपीए अनुपात

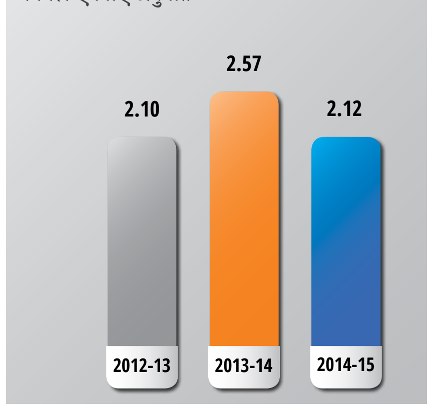

जमाराशियां और अग्रिम

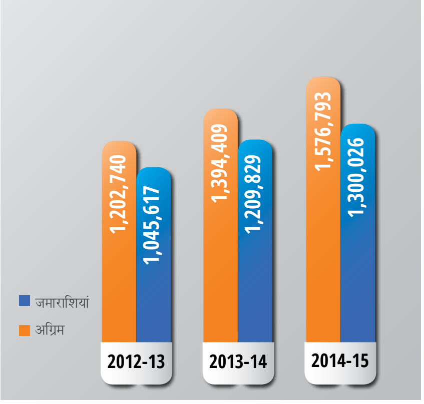

प्रति शेयर बही मूल्य*

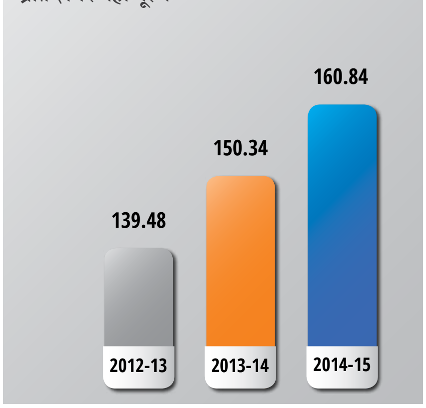

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

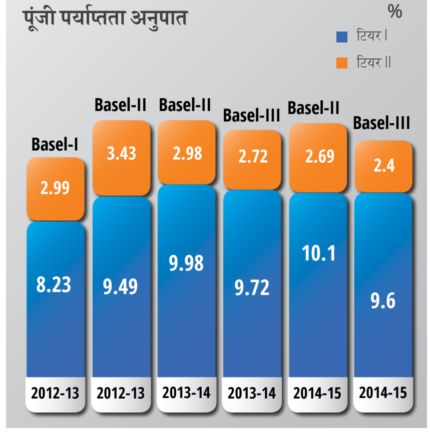

वित्त वर्ष 2014-15 में अर्जन

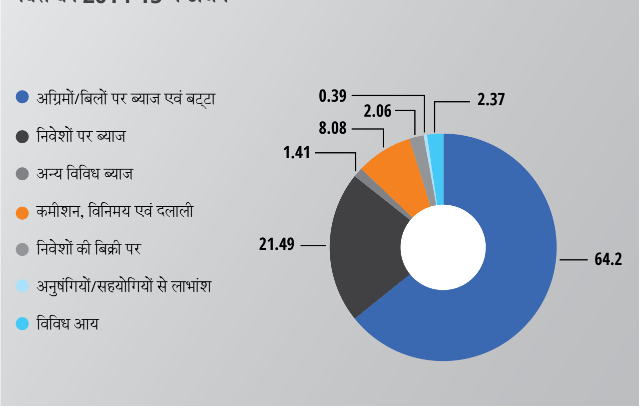

वित्त वर्ष 2014-15 में खर्च

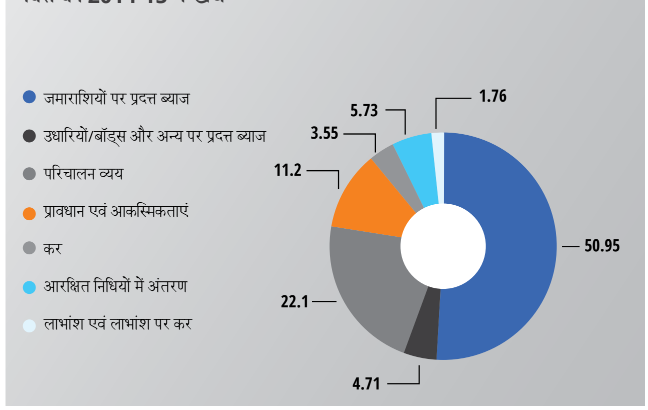

बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को 10 रुपए प्रति शेयर से 1 रुपए प्रति शेयर किया गया। प्रत्येक अवधि के लिए प्रस्तुत सभी सूचना पर इसका असर रहा।

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
देयताएं										
पूंजी (करोड़ ₹)	526	526	631	635	635	635	671	684	747	747
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (करोड़ ₹)	27,118	30,772	48,401	57,313	65,314	64,351	83,280	98,200	1,17,536	1,27,692
जमाराशियां (करोड़ ₹)	3,80,046	4,35,521	5,37,404	7,42,073	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,740	13,94,409	15,76,793
उधारियां (करोड़ ₹)	30,642	39,704	51,728	53,713	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183	1,83,131	2,05,150
अन्य (करोड़ ₹)	55,538	60,042	83,362	1,10,698	80,337	1,05,248	80,915	95,404	96,927	1,37,698
कुल (करोड़ ₹)	**493,870**	**5,66,565**	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**
आस्तियां										
निवेश (करोड़ ₹)	1,62,534	1,49,149	1,89,501	2,75,954	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,878	3,98,800	4,95,027
अग्रिम (करोड़ ₹)	2,61,642	3,37,337	4,16,768	5,42,503	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,617	12,09,829	13,00,026
अन्य आस्तियां (करोड़ ₹)	69,694	80,079	1,15,257	1,45,975	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,716	1,84,119	2,53,027
कुल (करोड़ ₹)	**4,93,870**	**5,66,565**	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**
निवल ब्याज आय (करोड़ ₹)	15,589	15,058	17,021	20,873	23,671	32,526	43,291	44,329	49,282	55,015
एनपीए के लिए प्रावधान (करोड़ ₹)	148	1,429	2,001	2,475	5,148	8,792	11,546	11,368	14,224	17,284
परिचालन परिणाम (करोड़ ₹)	11,299	10,000	13,108	17,915	18,321	25,336	31,574	31,082	32,109	38,914
कर-पूर्व निवल लाभ (करोड़ ₹)	6,906	7,625	10,439	14,181	13,926	14,954	18,483	19,951	16,174	19,314
निवल लाभ (करोड़ ₹)	4,407	4,541	6729	9121	9,166	8,265	11,707	14,105	10,891	13,102
औसत आस्तियों से आय (%)	0.89	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88	0.97	0.65	0.68
ईक्विटी से आय (%)	15.47	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36	15.94	10.49	11.17
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	58.7	54.18	49.03	46.62	52.59	47.6	45.23	48.51	52.67	49.85
प्रति कर्मचारी लाभ (000 ₹)	217	237	373	474	446	385	531	645	485	602
प्रति शेयर आय (₹)	83.73	86.1	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31	210.06	156.76	17.55
प्रति शेयर लाभांश (₹)	14	14	21.5	29	30	30	35	41.5	30	3.5
एसबीआई शेयर (एनएससी में मूल्य) (₹)	968.5	994.45	1,600.25	1,067.10	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75	1,917.70	267.05
लाभांश भुगतान अनुपात %(₹)	16.72	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06	20.12	20.56	20.21
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बासेल-II (₹ करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A.	85,393	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362	1,45,845	1,54,491
बासेल-II (%)				14.25	13.39	11.98	13.86	12.92	12.96	12.79
टियर I (₹ करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A.	56,257	64,177	63,901	82,125	94,947	1,12,333	1,22,025
टियर I (%)				9.38	9.45	7.77	9.79	9.49	9.98	10.1
टियर II (₹ करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A.	29,136	26,798	34,629	34,200	34,415	33,512	32,466
टियर II (%)				4.87	3.94	4.21	4.07	3.43	2.98	2.69
बासेल-III (₹ करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1,40,151	1,46,519
बासेल-III (%)									12.44	12
टियर I (₹ करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1,09,547	1,17,157
टियर I (%)									9.72	9.6
टियर II (₹ करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	30,604	29,362
टियर II (%)									2.72	2.4
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.88	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82	2.1	2.57	2.12
देश में शाखाओं की संख्या	9,177	9,231	10,186	11,448	12,496	13,542	14,097	14,816	15,869	16,333
विदेश-स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	70	83	84	92	142	156	173	186	190	191

*22 नवंबर 2014 से (रेकार्ड तिथि 21.11.2014) बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को 10 रुपए प्रति शेयर से 1 रुपया प्रति शेयर किया गया। आँकड़ें वर्ष 2014-15 के लिए 1 रुपए प्रति शेयर और शेष वर्ष के लिए 10 रुपए प्रति शेयर रहा।

रेटिंग्स 31 मार्च, 2015 को

लिखत	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	बीएए3/पी3/स्टेबल (एम)/डी+	मूडीस
	बीबीबी-/ स्टेबल/ए-3	एस एण्ड पी
	बीबीबी-/एफ़ 3/ स्टेबल	फिच
लिखित रेटिंग नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत	एएए/ स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
उच्चतर टियर II गौण ऋण	एएए/ स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
न्यूनतर टियर II गौण ऋण	एएए/ स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
	एएए(आईसीआरए)	आईसीआरए
बेसल II टियर 2	एएए/ स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
	एएए (आईसीआरए)	आईसीआरए

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
आईसीआरए : आईसीआरए लिमिटेड
क्रिसिल : क्रिसिल लिमिटेड
एस एंड पी : स्टेंडर्ड एण्ड पुअर

केंद्रीय निदेशक बोर्ड 22 मई 2015 को

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री पी प्रदीप कुमार
प्रबंध निदेशक

श्री बी श्रीराम
प्रबंध निदेशक

श्री वी जी कन्नन
प्रबंध निदेशक

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक (26-5-2015 से)

श्री संजीव मल्होत्रा
स्वतंत्र निदेशक

श्री सुनील मेहता
स्वतंत्र निदेशक

श्री एम डी माल्या
स्वतंत्र निदेशक

श्री दीपक आई अमिन
स्वतंत्र निदेशक

श्री एस के मुखर्जी
अधिकारी कर्मचारी निदेशक

डॉ राजीव कुमार
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. हसमुख अढ़िया
सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ ऊर्जित आर. पटेल
उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

प्रबंध निदेशक
श्री पी प्रदीप कुमार
श्री बी श्रीराम,
श्री वी जी कन्नन
श्री रजनीश कुमार (26-5-2015 से)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम डी माल्या
श्री सुनील मेहता
श्री दीपक आई अमिन

कार्यकाल: 3 वर्ष तथा 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र

अधिकतम कार्यकाल: लगातार 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (गख) के अंतर्गत निदेशक
श्री एस के मुखर्जी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत निदेशक
डॉ राजीव कुमार
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

कार्यकाल: 3 वर्ष तथा पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन हेतु पात्र, परंतु अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. हसमुख अढ़िया

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत निदेशक
डॉ ऊर्जित आर. पटेल

बोर्ड की समितियां दिनांक 22 मई 2015 की स्थिति के अनुसार

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

अध्यक्ष
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

प्रबंधक निदेशक

श्री पी प्रदीप कुमार,
श्री बी श्रीराम एवं श्री वी जी कन्नन

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती), अर्थात डॉ. ऊर्जित आर.पटेल और भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित सभी या अन्य कोई निदेशक।

बोर्डकी लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)

श्री सुनील मेहता, निदेशक-समिति के अध्यक्ष (22-4-2015 से)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
डॉ राजीव कुमार, निदेशक-सदस्य
डॉ हसमुख अढ़िया, भारत सरकार के नामिती-सदस्य
डॉ ऊर्जित आर.पटेल, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती- सदस्य
श्री पी प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)
श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री पी प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)- समिति के अध्यक्ष
श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
डॉ राजीव कुमार, निदेशक-सदस्य
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी, निदेशक-सदस्य

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

श्री एम डी माल्या, निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
डॉ राजीव कुमार, निदेशक-सदस्य
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, निदेशक-सदस्य
श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)- सदस्य (पदेन)
श्री वी जी कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री पी प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (वाणिज्यिक बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, निदेशक-सदस्य
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री वी जी कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपलक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य (पदेन)
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
श्री एस के मुखर्जी, निदेशक-सदस्य
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

श्री दीपक आई. अमिन, सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री पी प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)
श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

डॉ हसमुख अढ़िया, भारत सरकार के नामिती-सदस्य (पदेन)
डॉ ऊर्जित आर.पटेल, आरबीआई नामिती- सदस्य (पदेन)
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई.अमिन, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य - अध्यक्ष
श्री पी प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)-सदस्य
श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य
श्री वी जी कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य
डॉ हसमुख अढ़िया, भारत सरकार के नामिती-समिति (पदेन)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)

श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री वी जी कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, निदेशक-सदस्य

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) को छोड़कर- स्थानीय बोर्डों के सदस्य-भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 (1) (क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित 22 मई 2015 की स्थिति के अनुसार

अहमदाबाद
श्री ए.एन.अप्पय्या
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बंगलूर
श्रीमती रजनी मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्रीमती सुजया दिनेश अल्वा

भोपाल
श्री रितेन घोष
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री अनिल गर्ग

भुवनेश्वर
श्री कृष्ण मोहन त्रिवेदी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री शरत चंद्र भद्र

चंडीगढ़
श्री लिंगराज महापात्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्रीमती रवींदर कौर
श्री अनिल अरोड़ा

चेन्नई
श्री पी एस प्रकाश राव
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

हैदराबाद
श्री सी आर शशिकुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री एम वी रंगनाथ

कोलकाता
श्री प्रशांत कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ
श्री करणम शेखर
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह*
श्री मुनीश कुमार जैन

मुंबई
श्री सुधीर दूबे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा*
श्री एम डी माल्या*
श्री सुनील मेहता*
श्री दीपक आई.अमिन*

दिल्ली
श्री पल्लव महापात्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
डॉ. राजीव कुमार*
श्री टी.एन.चतुर्वेदी*
श्री दिनेश कुमार

उत्तर-पूर्व
श्री संजय कुमार मगू
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

पटना
श्री अजित सूद
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री संजय मंडल

केरल
श्री बादल चंद्र दास
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री फिलिप मैथ्यू
श्री ए. गोपालकृष्णन

*भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य

दिनांक 22 मई 2015 की स्थिति के अनुसार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री पी प्रदीप कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(कारपोरेट बैंकिंग)

श्री बी श्रीराम
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री वी जी कन्नन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

श्री वी मुरली
उप प्रबंधक निदेशक
(निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखापरीक्षा)

श्री एन कृष्णामाचारी
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(मध्य कारपोरेट)

श्री प्रवीण कुमार मल्होत्रा
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन)

श्री अश्विनी मेहरा
उप प्रबंध निदेशक एवं कारपोरेट विकास अधिकारी

श्री पी के गुप्ता
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री सुनील श्रीवास्तव
उप प्रबंध निदेशक
(कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय)

श्रीमती वर्षा पुरंदरे
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी

डॉ. एम जी वैद्यन
उप प्रबंध निदेशक
(रीटेल कार्यनीति) राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

श्री सिद्धार्थ सेनगुप्ता
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

श्रीमती अंशुला कांत
उप प्रबंध निदेशक
(परिचालन), राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

डॉ. एम एस शास्त्री
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री मृत्युंजय महापात्रा
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी

बैंक के लेखा-परीक्षक

1. **मेसर्स एस. वेंकटराम एण्ड कंपनी,**
चेन्नई, एससीए चेन्नई मंडल
2. **मेसर्स वी. पी. आदित्य एण्ड कंपनी,**
कानपुर, एससीए लखनऊ मंडल
3. **मेसर्स एस. एन. नंदा एण्ड कंपनी,**
नई दिल्ली, एससीए पटना मंडल
4. **मेसर्स एस. जयकिशन,**
कोलकाता, एससीए बंगाल मंडल
5. **मेसर्स धमीजा सुखीजा एण्ड कंपनी,**
श्रीनगर, एससीए दिल्ली मंडल
6. **मेसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी,**
विशाखापटनम, एससीए हैदराबाद मंडल
7. **मेसर्स प्रकाश एण्ड संतोष,**
कानपुर, एससीए भोपाल मंडल
8. **मेसर्स टी. आर. चड्ढा एण्ड कंपनी,**
नई दिल्ली, एससीए मुंबई मंडल
9. **मेसर्स के. बी. शर्मा एण्ड कंपनी,**
जम्मू, एससीए चंडीगढ़ मंडल

10 **मेसर्स मेहरा गोयल एंड कं.,**
नई दिल्ली, एससीए बंगलूर मंडल

11 **मेसर्स एस आर आर के शर्मा एसोसिएट्स**
बंगलूर, एससीए केरल मंडल

12 **मेसर्स बी छावछरिया एंड कं.,**
कोलकाता, एससीए भुवनेश्वर मंडल

13 **मेसर्स एस. एन. मुखर्जी एंड कं.,**
कोलकाता, एससीए उत्तर पूर्वी मंडल

14 **मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कं.,**
मुंबई, एससीए अहमदाबाद मंडल

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय शेयरधारको,

आपके बैंक के वित्त वर्ष 2014-15 के प्रदर्शन की प्रमुख बातों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आपके बैंक की उपलब्धियों और नए प्रयासों की विस्तृत जानकारी वर्ष 2014-15 की संलग्न वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मध्यम गति से आगे बढ़ी और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में इस गति में बहुत अंतर रहा, किंतु हाल ही में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई भारी गिरावट से आर्थिक परिवेश बेहतर होता जान पड़ता है, क्योंकि तेल की कीमतों में गिरावट से विश्व की सकल मांग में वृद्धि होने और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होने की आशा है। यूरो क्षेत्र की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 0.4% की संवृद्धि विश्व की कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच मजबूती का संकेत है। इससे वैश्विक वृद्धि को और वेग मिलने की आशा है। अमेरिका में रोजगार में बढ़त जारी है, जिससे स्पष्ट होता है कि अमेरिकी श्रम बाजार सुदृढ़ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमान के अनुसार, 2015 में विश्व अर्थव्यवस्था में 3.5% की वृद्धि अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की 3.4% की वृद्धि से कुछ अधिक है। जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2015 और 2016 में 2.4% की संवृद्धि का अनुमान है, वहीं उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में (वर्ष 2014 में 4.6% से) 2015 में 4.3% और 2016 में 4.7% की मध्यम संवृद्धि का अनुमान है। यद्यपि आर्थिक गतिविधियों में लगातार भिन्नता बनी रहेगी।

संवृद्धि के नए पैमाने के अनुसार, भारत के लिए सकल मूल्य संयोजन (जीवीए) वित्त वर्ष 15 की अंतिम तिमाही में कम होकर 6.1% पर आ गया, जबकि दूसरी तिमाही में यह 8.4% था और पूरे वर्ष के लिए यह 7.2% रहा। परंतु बाजार कीमतों पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद के पैमाने से वित्त वर्ष 15 की चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 15 में यह 7.3% रही)। चौथी तिमाही की जीडीपी और जीवीए में 1.4 प्रतिशत बिंदु के इस भारी अंतर के कारण हैं - विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारक क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं में जबर्दस्त बढ़त।

औद्योगिक उत्पादन में गति आने के साथ भारत धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है, किंतु स्फीतिकारी दबावों में कमी से घरेलू मांग को बढ़ाने में मौद्रिक स्थिति प्रोत्साहक रहने की आशा है। अच्छी बात यह है कि जून 2015 में पर्याप्त से अधिक वर्षा होने से कम मानसून की जोखिम दूर होती हुई दिखाई देती है। विदेश व्यापार में, वित्त वर्ष 15 में स्थिति निराशाजनक (वित्त वर्ष 14 में 4.7% की वृद्धि की तुलना में -1.2%) रही है। कमजोर वैश्विक मांग की पृष्ठभूमि में ऐसा हुआ। पर, तेल की कमजोर कीमतों के कारण आयात बिल में हुई कमी चालू खाते के घाटे (सीएडी) को वित्त वर्ष 15 में वित्त वर्ष 14 के 1.7% से 1.3% तक कम रखने में सहायक होगी। आगे के लिए अनुमान है कि विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार होने से निर्यातों में वृद्धि होने और सरकार की विभिन्न पहलों से घरेलू निवेश परिवेश में सुधार होने से आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल स्थितियाँ रहेंगी।

आपके बैंक का प्रदर्शन

जमाराशियाँ

वर्ष 2014-15 में सकल जमाराशियाँ 13.08% बढ़कर ₹15,76,793 करोड़ के स्तर पर पहुँच गईं, जो पिछले वर्ष ₹13,94,409 करोड़ थीं। उद्योग के औसत की तुलना में अधिक वृद्धि के कारण समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में आपके बैंक का बाजार अंश मार्च 2015 में 43 आधार बिंदु बढ़कर 17.00% हो गया।

अध्यक्ष की कलम से

इसमें भी विशेष बात यह है कि इस वृद्धि में बड़ा योगदान खुदरा जमाराशियों का रहा। वित्त वर्ष 15 में खुदरा मीयादी जमाराशियाँ बढ़कर 49.06% हो गईं, जो पिछले वित्त वर्ष में 45.47% रही थीं। बैंक में कासा जमाराशियाँ लगातार 42.88% के उत्तम स्तर पर बनी हुई हैं और मार्च 2015 में देशीय जमाराशियों में कासा तथा खुदरा जमाराशियों का अनुपात बढ़कर 91.9% हो गया है, जो पिछले वर्ष 89.89% रहा था। इसी दौरान, बचत बैंक जमाराशियाँ 9.5% बढ़कर ₹5,13,905 करोड़ हो गईं और चालू खाता जमाराशियों में 11.65% की वृद्धि हुई।

अग्रिम

आपके बैंक के अग्रिम ₹13,00,000 करोड़ के चिह्न को पार कर 7.3% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2015 में ₹13,35,424 करोड़ के स्तर पर पहुँच गए। वर्ष 2014-15 में आपका बैंक मध्य कारपोरेट और एसएमई क्षेत्रों को ऋण देने में सतर्क रहा (इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि समान है)। इसी दौरान, बड़े कारपोरेट ऋण में 12% की वृद्धि हुई। पुनर्वित्त अवसरों का उपयोग और कुछ रुकी हुई परियोजनाओं को संवितरण इस वृद्धि के प्रमुख कारक रहे। उद्योगवार देखा जाए तो आधारिक संरचना क्षेत्र (21%) और लौह तथा इस्पात (16%) सबसे बड़े लाभार्थी बने रहे।

इसके अतिरिक्त, 15% की जबर्दस्त वृद्धि के साथ देशीय खुदरा ऋण क्षेत्र ऋण-संवितरण में हुई समग्र वृद्धि में सबसे प्रभावी योगदान करने वाला क्षेत्र बना रहा। खुदरा क्षेत्र में वाहन ऋण 15% की उत्तम वृद्धि के साथ ₹32,149 करोड़ रहे, जो मार्च 2014 में ₹27,925 करोड़ थे। इसके अतिरिक्त ₹1,59,237 करोड़ (+13%) के आवास ऋणों और समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 25.24% के बाजार अंश के साथ आपके बैंक ने देश के सबसे बड़े आवास ऋण प्रदाता का स्थान बरकरार रखा। शिक्षा ऋणो में वर्ष 2014-15 में ₹724 करोड़ की वृद्धि हुई और यहाँ भी भारतीय स्टेट बैंक 24.39% बाजार अंश के साथ समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अग्रणी रहा। अंत में कृषि क्षेत्र में आपके बैंक ने इस बार भी सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित ₹84,500 करोड़ के लक्ष्य से अधिक ₹86,193 करोड़ के ऋण दिए।

शाखा-विस्तार

मार्च 2015 में आपके बैंक का शाखा नेटवर्क 16,333 पर पहुँच गया। इनमें से 66% शाखाएँ ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। विवेकशील अनिवासी भारतीय ग्राहकों को सर्वोत्तम परिवेश और कार्यकुशल तथा समर्पित अधिकारियों की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए, आपके बैंक ने भारत में 81 अनिवासी भारतीय शाखाएँ खोली हैं, जो केवल अनिवासी भारतीयों के लिए कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, लगभग 100 शाखाएँ ऐसी हैं, जहाँ अनिवासी भारतीयों का बाहुल्य है। सब मिलाकर 16 लाख अनिवासी भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान की जा रही है।

परिचालन संरचना में विभिन्नता विभिन्न बाजारों में बैंक की विस्तार गतिविधियों का आधार है। बैंक के 191 विदेशी कार्यालय 36 देशों में फैले हुए हैं। इन कार्यालयों में 69 शाखाएँ हैं, 8 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के 110 कार्यालय हैं और 4 अन्य कार्यालय हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, आपके बैंक ने म्याँमार में एक नया प्रतिनिधि कार्यालय और धनमोंडि, बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन प्राप्ति केंद्र खोला।

प्रौद्योगिकी

नए युग की बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग है, क्योंकि हर पीढ़ी के लोगों में इंटरनेट, सोशल मीडिया और अपने स्मार्ट फोन का बैंकिंग के लिए उपयोग बढ़ता जा रहा है। भारत के सबसे बड़े बैंक के रूप में आपका बैंक हजारों वाणिज्यिक संस्थानों और करोड़ों लोगों के जीवन से एकाकार है। नई चुनौतियों का सामना करने और उपभोक्ता रुझानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक समय के साथ स्वयं को बदलता रहा है।

आपका बैंक जानता है कि आधुनिक बैंकिंग का तात्पर्य है कि लोग अपने धन तक पहले से अधिक शीघ्रता, त्रुटिहीनता और निपुणता से पहुँच सकें। बैंक अपने विद्यमान और संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दे रहा है और अपने डिजिटल व्यापार मॉडल को अपनाने तथा विकसित करने में अन्यों से आगे है।

वर्ष 2014-15 में **एसबीआई इनटच** इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बैंक के विशाल नेटवर्क और डिजिटल/मोबाइल प्लेटफार्मों को साथ लाकर ग्राहकों को वैश्विक श्रेणी की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने का आपके बैंक का स्वप्न इसके माध्यम से साकार हुआ है। छह शहरों में प्रारंभ किए गए ये केंद्र उत्कृष्ट उपकरणों और यंत्रों से सुसज्जित हैं, जहाँ ग्राहक स्व-सेवा पद्धति से लेनदेन कर सकता है और वहीं पर या अन्यत्र उपस्थित विशेषज्ञ से सेवा सहायता भी प्राप्त कर सकता है। ये केंद्र विभिन्न चैनलों की सेवा अविरत उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों में लेनदेन संसाधन केंद्र (स्वयं सेवा क्षेत्र), सूचना और संवाद केंद्र, परामर्श कक्ष और व्यवसाय कक्ष सभी का समावेश होता है।

इसके साथ ही आपका बैंक नकदी जमा मशीने लगाने पर भी तेजी से कार्य कर रहा है, ताकि ग्राहक इन मशीनों के माध्यम से नकदी जमा करा सकें। मार्च 2015 तक 1,849 मशीनें लगाई जा चुकी थीं, जबकि मार्च 2013 में इनकी संख्या 698 थी। ये मशीनें ग्राहकों को 24x7 उपलब्ध रहती हैं।

आपके बैंक ने नवंबर 2014 में **स्वयं** बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग प्रारंभ की थी। उस समय 2,500 पासबुक प्रिंटिंग किओस्क लगाने का लक्ष्य था। इस प्रकार के किओस्क में ग्राहक अपनी पासबुक स्वयं प्रिंट कर सकते हैं। मार्च 2015 तक इस प्रकार के 1500 से अधिक किओस्क लगाए जा चुके हैं, जिनमें प्रतिदिन 2,50,000 लेनदेन दर्ज हो रहे हैं। केवल 4 माह की अल्प अवधि में 1 करोड़ लेनदेनों की पासबुक प्रिंटिंग स्वयं के माध्यम से हुई है।

मार्च 2015 को आपके बैंक और सहयोगी बैंकों के मिलाकर कुल 54 हजार एटीएम से ज्यादा का नेटवर्क है, जो विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। इसमें किओस्क और नकदी जमा मशीनें भी शामिल हैं। आपके बैंक ने 20 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए हैं। एटीएम बैस 24 स्विच को हाल ही में अपग्रेड किया गया है। अब यह 50,000 एटीएम संभाल सकता है। यह इलेक्ट्रा स्विच के अतिरिक्त है।

आपके बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म खुदरा और कारपोरेट ग्राहकों को सुदृढ़ और ग्राहक-अनुकूल नेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है। कारपोरेट ग्राहकों में सरकारी उपक्रम और सरकारी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। इस किफायती चैनल के माध्यम से वर्ष 2014-15 के दौरान 86 करोड़ लेनदेन हुए, जो पिछले वर्ष से 39% अधिक हैं। हमारे सुदृढ़ खुदरा इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को दृष्टिबाधित ग्राहकों के उपयोग लायक भी बनाया गया है।

मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में आपका बैंक लेनदेन की मात्रा के आधार पर 41% बाजार अंश के साथ बाजार-अग्रणी है। **स्टेट बैंक फ्रीडम** नाम से उपलब्ध आपके बैंक की किफायती मोबाइल बैंकिंग सेवा चौबीसों घंटे तत्क्षण उपलब्ध रहती है। इसमें सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आपके बैंक ने बचत खाते खोलने, आवास ऋण और वाहन ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति देने तथा एसएमई ऋणों के लिए मंजूरी पूर्व सर्वेक्षण को रिकॉर्ड करने के लिए टैब बैंकिंग सेवाएँ प्रारंभ की हैं।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष 15 में उपभोक्ता मांग में गिरावट के कारण जमाराशियों में वृद्धि अग्रिमों की तुलना में कुछ ज्यादा रही। इस कारण वर्ष के दौरान लाभप्रदता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना रहा। इसके बावजूद, वित्त वर्ष 15 में बैंक का स्टेंडअलोन निवल लाभ 20.3% बढ़कर ₹13,102 करोड़ हो गया। लाभ में इतनी वृद्धि दो उपायों से हुई। पहला यह कि बैंक ने उपलब्ध अपनी निधियों को कुशलतापूर्वक पूंजी बाजार में लगाया, जिससे वित्त वर्ष 15 में 'अन्य आय' में ₹4,023 करोड़ की वृद्धि हुई। दूसरा, ब्याज आय के क्षरण रोकने के लिए बैंक ने अपनी ऋण बहियों की सख्त निगरानी की। इससे वित्त वर्ष 15 में 'निवल ब्याज आय' घटक में 11.63% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 14 में 11.17% थी। बैंक का निवल ब्याज मार्जिन 3.54% के स्तर पर अच्छा बना रहा, जो पिछले वर्ष से 05 आधार बिन्दु अधिक है।

बैंक का समूह लाभ भी वित्त वर्ष 15 में 19.9% बढ़कर ₹16,994 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 14 में ₹14,174 करोड़ रहा था। बैंक के बैंक-अनुषंगियों के निवल लाभ में 15.23% और गैर-बैंक अनुषंगियों के निवल लाभ में 12.70% की अच्छी वृद्धि हुई।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाई के दौरान सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए। इसका अनुकूल प्रभाव आस्ति गुणवत्ता पर हुआ, जिसमें वित्त वर्ष के दौरान सुधार आया। वित्त वर्ष 15 में सकल अनर्जक आस्तियों में 70 आधार बिंदु और निवल अनर्जक आस्तियों में 45 आधार बिंदु की कमी आई। आँकड़ों की दृष्टि से निवल अनर्जक आस्तियाँ मार्च 2015 में ₹3,505 करोड़ कम होकर ₹27,591 करोड़ रह गई। अनर्जक आस्ति खातों में वसूली में 32.33% की वृद्धि हुई और यह ₹4,485 करोड़ रही। अपलिखित खातों में वसूली में 35.51% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रावधान सुरक्षा अनुपात भी मार्च 2015 में 69.13% के स्तर पर अच्छी स्थिति में रहा।

पूंजी संरचना

आगामी वर्षों में आर्थिक गतिविधियों में और गति आने से बैंक को अपनी पूंजी नियोजन प्रक्रिया सुधारनी तथा सुदृढ़ करनी होगी, ताकि भावी व्यवसाय वृद्धि को संबल मिल सके। इसके अतिरिक्त, बासेल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयनों को देखते हुए, भारत में बासेल III पूंजी विनियमों के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संक्रमण अवधि पिछले वित्त वर्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही बढ़ाकर

31 मार्च, 2019 कर दी है। दिसंबर 2014 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार बासेल III के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए सरकारी बैंक सरकारी धारिता को चरणबद्ध रूप से कम करते हुए 52% तक ला सकते हैं। इस अनुमति से संक्रमण अवधि के दौरान अपने पूंजी नियोजन का सक्षम प्रबंधन करने के लिए बैंकों को अतिरिक्त लोच मिल गई है।

बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2015 में बैंक ने पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लिए हैं। बासेल III की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आपके बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। आपके बैंक का टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मार्च 2015 में 9.60% रहा, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 7% है। न्यूनतम साझा ईक्विटी टियर 1 सीएआर 9.31% रहा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आदेशित 5.5% से काफी अधिक है। वित्त वर्ष 15 की समाप्ति पर बैंक का समग्र सीएआर 12% रहा, जो वित्त वर्ष 14 के स्तर से लगभग अपरिवर्तित रहा।

लाभांश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹1 अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर ₹3.50 का लाभांश घोषित किया है।

नए प्रयास

वर्ष 2014-15 में आपके बैंक ने आवास ऋण, वाहन ऋण, एसएमई, ग्रामीण व्यवसाय आदि हर व्यवसाय क्षेत्र में कई नई-नई व्यावसायिक पहलें शुरू की।

- कम लागत वाली कासा जमाराशियों के लिए आपका बैंक कारपोरेट, रक्षा, अर्ध सैनिक, रेल्वे, केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को ग्राहक केंद्रित विशेष पैकेज देता है, जिससे संकेंद्रित विपणन दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिलती है।
- खुदरा व्यवसाय में, बचत बैंक खाता रखने वालों को व्यक्तिगत दुर्घटना/स्वास्थ्य बीमा जैसी नई सुविधाएँ देकर बैंक ने पूरे देश में बैंकिंग में नए मानदंड बनाए हैं। साथ ही, आपके बैंक ने अवयस्कों (10 वर्ष और अधिक) के लिए "पहला कदम" और "पहली उड़ान" नाम के नए बचत बैंक उत्पाद प्रारंभ किए हैं।
- बैंक ग्रामीणों को नए, प्रौद्योगिकी समर्थित चैनलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने पर लगातार ध्यान देता रहा। आपके बैंक ने आधार समर्थित भुगतान प्रणालियाँ (एईपीएस), स्वचालित ई-केवाईसी, एम पी एस, माइक्रो एटीएम, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बचत बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा और डीबीटी/डीबीटीएल भुगतानों जैसे अनेक कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ किए। यह कहते हुए भी गर्व होता है कि एल पी जी सब्सिडी (डीबीटीएल) के अंतर्गत लाभ के अंतरण के लिए आपका बैंक एकमात्र प्रायोजक बैंक है और 15 नवंबर 14 से 31 मार्च 15 तक की अल्प अवधि में 29 करोड़ से अधिक डीबीटीएल लेनदेन कर चुका है।
- ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए आपके बैंक ने एक नई कारपोरेट वेबसाइट प्रारंभ की है। बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने और शाखा परिसर में ग्राहकों की संख्या कम करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 'एस बी आई क्विक-मिस्ड कॉल बैंकिंग' प्रारंभ की है, जो मोबाइल फोन पर खाते का शेष या मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने का सरल और द्रुत साधन है। बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट/ कैश-क्रेडिट खातों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है।
- बड़ी राशि के आवास ऋण लेने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपके बैंक ने एक समान ब्याज दर संरचना प्रारंभ की है, चाहे ऋण सीमा कितनी भी हो। इसके अतिरिक्त, ऋण देने में आने वाले अवरोधों को दूर करने और सेवा के समग्र उन्नयन के लिए आपके बैंक ने आवास ऋण सोर्सिंग तथा सुपुर्दगी प्रक्रिया की समीक्षा की। बैंक के समूह नेटवर्क के उपयोग के लिए आपके बैंक ने सार्वभौम वितरण नेटवर्क के अंतर्गत एसबीआईकैप सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के साथ मार्केटिंग सिनर्जी स्थापित की। साथ ही, स्टाफ सदस्यों के लिए 'गृहतारा' के नाम से एक अभियान शुरू किया गया है, ताकि आवास ऋणों के विपणन में सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
- एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर (एपीएस) मॉडल के माध्यम से नेशनल फाइनेंशल स्विच (एनएफएस) के अंतर्गत एटीएम सेवाओं के लिए सहकारी बैंकों को प्रायोजित करने की एक नई पहल शुरू की गई हैं। सहकारी बैंकों के साथ की गई इस व्यवस्था से पूरे भारत में फैले सहकारी बैंकों के चालू खाते खोलने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे चालू खाता जमाराशियों में वृद्धि होगी।
- एसएमई के लिए आपके बैंक ने "प्रोजेक्ट विजय" के अंतर्गत सुपुर्दगी प्लेटफॉर्म अर्थात एसएमईसीसीसी को पूरी तरह बदल दिया है, ताकि इस व्यवसाय में वृद्धि हो और अनर्जक आस्ति स्तरों में कमी आए।
- ऑनलाइन भुगतान और निपटान में तेजी लाने के लिए, आपके बैंक ने ई-पे को, जो भारत में किसी भी बैंक की पहली और एकमात्र भुगतान समूहक सेवाएँ हैं, सरकार की "क्लीन गंगा" और "स्वच्छ भारत" जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ समन्वित किया है, जिससे इन योजनाओं के लिए पूरे विश्व से निधियाँ/दान प्राप्त किए जा सकते हैं।

- वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अनर्जक आस्तियों को बढ़ने से रोकने के लिए अनेक उपाय किए। इनमें से कुछ ये हैं: (i) वेब आधारित एसेट ट्रेकिंग एंड मॉनिटरिंग; (ii) खुदरा क्षेत्र और स्थावर संपदा क्षेत्र के दबावग्रस्त खातों को नियमित फोन, ताकि उनकी श्रेणी अवनत न हो, और (iii) मंडल स्तर पर एसेट ट्रेकिंग केंद्र। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कई समितियाँ गठित की हैं, जो दबावग्रस्त आस्तियों की आवधिक समीक्षा करती हैं और समाधान तथा कायापलट के उपाय सुझाती हैं।
- अपने सभी प्रयासों की गुणवत्ता बढ़ाने और उनमें पेशेवराना अंदाज लाने के लिए आपके बैंक ने "आरोहण" प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किया, जिसमें 2,08,019 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- बैंक ने प्रोजेक्ट 'सक्षम' नाम से एक नई कॅरिअर विकास प्रणाली और जनशक्ति नियोजन प्रारंभ किया है। बैंक में सभी स्तरों पर निष्पादन के मूल्यांकन तथा संसाधन नियोजन के लिए वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। नए सीडीएस को पदोन्नति, प्रोत्साहन और पुरस्कार के लिए प्रभावी साधन बनाने की योजना है।
- आपके बैंक ने ऋण खातों की समीक्षा के लिए नई डाइनेमिक क्रेडिट रैटिंग प्रारंभ की है, ताकि ऋण गुणवत्ता में कमी को तत्परतापूर्वक रोका जा सके और सुधार की कार्रवाई शुरू कर जोखिम का सही निर्धारण किया जा सके।
- 'एसबीआई यूथ फॉर इंडिया' एक अनूठा भारतीय ग्रामीण अधिवृत्ति कार्यक्रम है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से प्रारंभ किया है। इसके लिए धन बैंक देता है और इसका प्रबंधन भी बैंक ही करता है। इसके माध्यम से भारत के प्रतिभाशाली युवा ग्रामीणों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, उनके संघर्ष को अनुभव कर सकते हैं और उनकी आकांक्षाओं के साथ जुड़ सकते हैं।

सहयोगी एवं अनुषंगी

आपके बैंक की सहयोगी और अनुषंगी संस्थाओं ने वर्ष 2014-15 में अच्छा प्रदर्शन किया। पाँच सहयोगी बैंकों का निवल लाभ 15.2% बढ़कर ₹3,201 करोड़ हो गया और उनका बाजार अंश जमाराशियों में 5.22% तथा ऋणों में 5.66% रहा। सभी सहयोगी बैंक 11.44% (औसत) पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं।

गैर-बैंकिंग अनुषंगियों में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ने ₹820 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया और अपने बाजार अंश को बढ़ाकर 4.9% किया, जो पहले 4.2% था। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. ने ₹338 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 28% अधिक है। ब्लूमबर्ग, थॉमसन रयूटर्स, डीलॉजिक आदि एजेंसियों द्वारा प्रकाशित विभिन्न श्रेणीकरणों में इसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ। एसबीआई कार्ड्स् एंड पेमेंट सर्विसेस (प्रा.) लि. ने ₹267 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹293 करोड़ से थोड़ा ही कम है। प्रचलित कार्डों की संख्या की दृष्टि से यह इस उद्योग में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 31.58 लाख कार्ड आधार के साथ इसका बाजार अंश 15% रहा है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने ₹163 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। "प्रबंधन अधीन आस्ति" औसत के अनुसार यह छठा सबसे बड़ा फंड हाउस है और चार मिलियन से अधिक निवेशकों के साथ यह बाजार में अग्रणी स्थिति में है। एसबीआई डीएफएचआई लि. ने पिछले वर्ष के ₹61 करोड़ के निवल लाभ को इस वर्ष 52% बढ़ाते हुए ₹93 करोड़ पर पहुँचाया। सभी स्टेंडअलोन प्राइमरी डीलरों में इसका बाजार अंश 16% रहा है।

सम्मान और पुरस्कार

आपके बैंक को प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों के बारे में बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ल्ड ब्राडिंग फोरम का वर्ष 2015 का प्रतिष्ठित ब्रांड ऑफ द ईयर भारतीय स्टेट बैंक को प्राप्त हुआ। ब्रांड्ज़् टॉप 50 द्वारा मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड्स् 2014 का पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुआ। बी एफएसआई द्वारा इसे बेस्ट बैंक - पब्लिक सेक्टर अवार्ड दिया गया।

आपका बैंक समाज के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील बैंकों में से एक है। यह स्पष्ट होता है बैंक को कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) क्षेत्र के लिए प्राप्त अनेकानेक पुरस्कारों से। इनमें से कुछ हैं: समाज के प्रति संवेदनशील बैंक के रूप में बिजनेस वर्ल्ड मैगज़ीन का - मैग्ना अवार्ड्स 2015, सीएसआर में उत्कृष्टता एवं नेतृत्व के लिए - विश्व सीएसआर दिवस द्वारा गोल्डन ग्लोब टाइगर्स अवार्ड, सीएसआर में नवाचार के लिए विश्व सीएसआर दिवस द्वारा गोल्डन ग्लोब टाइगर्स अवार्ड, इंस्टिट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स, नई दिल्ली द्वारा सामुदायिक सेवा के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, बीएफएस आई मैगज़ीन द्वारा इनवाइरन्मन्ट सस्टेनिबिलिटि अवार्ड 2014, वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस द्वारा एशिया सस्टेनिबिलिटि एक्सिलेंस अवार्ड 2014, सीएमओ एशिया का बेस्ट इन क्लास कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटि प्रेक्टिसेस अवार्ड 2014।

बैंक के सहयोगियों और अनुषंगियों को भी पूरे वर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त होते रहे।

- **स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर** को एसोचेम का सरकारी बैंकों की श्रेणी का "सोशल बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड:2014" प्राप्त हुआ। **स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद** को एबीपी न्यूज़ द्वारा स्थापित "बेस्ट बैंक (पब्लिक सेक्टर) अवार्ड" प्राप्त हुआ। **स्टेट बैंक ऑफ मैसूर** को चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नई

अध्यक्ष की कलम से

दिल्ली का बेस्ट बैंक फॉर टेक सेवि पुरस्कार प्राप्त हुआ। **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला** चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नई दिल्ली का "बेस्ट बैंक अवार्ड फॉर न्यू इनिशिएटिव - रनर अप" पुरस्कार प्राप्त हुआ।

अनुषंगियों में

- **एसबीआई कार्ड्स** ने रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड सर्वे 2015 में छठी बार 'गोल्ड' जीता। **एसबीआई कैपिटल मार्केट** को बेस्ट हाई यील्ड बॉन्ड के लिए दो पुरस्कार प्राप्त हुए। आईएफआर एशिया रीजनल अवार्ड्स हाई यील्ड बॉन्ड और एशिया मनी - रीजनल कैपिटल मार्केट्स अवार्ड्स - बेस्ट हाई यील्ड बॉन्ड। **एसबीआईकैप सिक्युरिटीज़ लि.** को 2014 में नए ग्राहक बनाने और गोल्ड ईटीएफ संग्रहण में शीर्ष प्रदर्शक के रूप में एनएसई की ओर से सराहना प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। **एसबीआई एमएफ** ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और म्यूचुअल फंड्स् श्रेणी में रीडर्स डाइजेस्ट का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड 2014-गोल्ड पुरस्कार जीता। **एसबीआई** लाइफ को 2014-15 के दौरान 15 पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें से कुछ हैं - **बीएफएस** आई का इंस्पायरिंग वर्क प्लेस अवार्ड 2014, बीएफएसआई 2014 के पुरस्कारों में मोस्ट एडमायर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर, ईकनॉमिक टाइम्स और नेल्सन सर्वे में लगातार चौथे वर्ष मोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड। **एसबीआई** जनरल ने 2014 में इंटर कंपनी मार्केटिंग ग्रुप (आईसीएमजी) का एक्सिलेंस अवार्ड फॉर एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर जीता और आईएआईडीक्यू डेटा क्वालिटी एशिया पेसिफिक अवार्ड: 2014 में रनर अप रहा।

भविष्य के लिए कदम

अक्तूबर, 2013 में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करते समय मैंने भारतीय स्टेट बैंक के लिए छह कार्यनीतिक लक्ष्य तय किए थे। ये लक्ष्य थे: एनपीए में कमी, जोखिम प्रबंधन, लागत नियंत्रण, सुपुर्दगी मानकों में सुधार, गैर ब्याज आय बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब पीछे मुड़कर देखने पर इन छहों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद, एनपीए जोखिम को बढ़ने से रोका गया है। बैंक ने बासेल III संक्रमण में प्रगति की है और जोखिम प्रबंधन के उन्नत दृष्टिकोण पर माइग्रेशन निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है। भावी संवृद्धि से कोई समझौता किए बिना बैंक लागत नियंत्रण के प्रयास कर रहा है। हमारे सभी कर्मचारियों में गुणवत्ता और पेशेवराना अंदाज लाने के लिए, बैंक ने 'आरोहण-लक्ष्य.. आकांक्षा.. उपलब्धि..' नामक कार्यक्रम संचालित किया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-ब्याज आय में बैंक का प्रदर्शन संतोषजनक रहा और आय के स्रोतों का विविधीकरण आगे भी जारी रहेगा। प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर मुझे इस बात का पूरा संतोष है कि हमारे सभी कार्य समय पर पूरे हुए हैं और उन्हें ग्राहकों ने बहुत पसंद किया है। इस उत्साहवर्द्धक शुरुआत की बुनियाद पर हम आने वाले वर्ष में अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे।

वित्त वर्ष 2016 पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा संभावना भरा होने की आशा है। इसका प्रमुख कारण है 2014 के आम चुनावों ने विकास की प्रतिबद्धता के आधार पर राजनैतिक वातावरण में स्थिरता ला दी है। संघीय राज्य व्यवस्था बेहतर सहयोग के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार के वातावरण से उत्साह का संचार होगा और अनुकूल आर्थिक परिवेश से इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे।

मैं अपने सभी शेयरधारकों का हमारी ताकत एवं क्षमताओं में उनके निरंतर विश्वास, ग्राहकों का उनके महत्वपूर्ण सहयोग एवं विश्वास और अपने कर्मचारियों का हमारे लक्ष्य हासिल करने में उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद करती हूँ।

स्वामी विवेकानंद के इस कथन के साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी

"क्या कोई महान कार्य आसानी से पूरा हुआ है? इसके लिए समय, धैर्य और अदम्य इच्छाशक्ति अनिवार्य है।"

हार्दिक मंगलकामनाओं के साथ,
आपकी शुभचिंतक,

अरुंधति भट्टाचार्य

निदेशकों की रिपोर्ट

जिसमें प्रबंधन द्वारा किए गए विचार-विमर्श और विश्लेषण भी शामिल हैं

I. आर्थिक पृष्ठभूमि और बैंकिंग परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

परिवेश सर्वत्र उत्साहवर्धक है। यूरो क्षेत्र की पहली तिमाही की जीडीपी संवृद्धि दर के 0.4% बढ़ने के साथ वैश्विक संवृद्धि दर के बढ़ने की बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जो विश्व की कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच आशा की एक किरण है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने अनुमान को बरकरार रखते हुए वर्ष 2015 में वैश्विक उत्पादन की संवृद्धि दर के 3.5% बढ़ने की उम्मीद जताई है, जो वर्ष 2014 के 3.4% से कुछ अधिक है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने कुछ सुधार दिखाया है पर विकसित और उभरते हुए देशों की अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि दर के बीच पर्याप्त अंतर बना हुआ है। उभरते हुए बाजार और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं का वर्ष 2014 में वैश्विक संवृद्धि दर में तीन चौथाई अंश रहा और लगता नहीं कि यह रुझान निकट भविष्य में विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में होगा।

जहाँ तक यूरो क्षेत्र का संबंध था, केवल जर्मनी का कमजोर निष्पादन बहुत आश्चर्यजनक रहा। हालाँकि यह कमजोरी निर्यात में ही ज्यादा रही। घरेलू मांग मजबूत बनी रही। इसके विपरीत, घरेलू उपभोग की मजबूती से स्पेन, फ्रांस और इटली की संवृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई। (यह सही है कि ऊर्जा की खपत बढ़ने से ऐसा हुआ)। इससे लगातार कमजोर चल रहे विनिर्माण पीएमआई से प्राप्त हो रहे निराशाजनक संदेश गलत सिद्ध हुए।

यद्यपि पहली तिमाही के संवृद्धि दर के आँकड़ों से यूरो क्षेत्र की संवृद्धि दर के बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती, तथापि हमें विश्वास है कि आर्थिक गतिविधियों के बुनियादी तौर पर आगे बढ़ने की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। परंतु यदि संवृद्धि दर निरंतर मजबूती से बढ़ती रही, तो ग्रीक की पिछले दिनों की घटनाएं भविष्य में शेष यूरोप की संवृद्धि दर को कोई बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगी।

अन्य देशों में 2015 ऐसा वर्ष होगा जब इन देशों के लोगों की आयु वृद्धि जैसी जटिलताओं और भविष्य में संवृद्धि दर में गिरावट, तेल की गिरी हुई कीमतों से विश्व अर्थव्यवस्था को मिलने वाले झटकों और देश-विशेष या क्षेत्र-विशेष से संबंधित अनेक कारणों जैसे विरासत में मिलने वाले संकटों और मौद्रिक नीतियों में वास्तव में होने वाले या अनपेक्षित परिवर्तनों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनागत परिवर्तन दिखाई देंगे। चीन की सामान्यीकरण की नई नीति को कई लोग ऐसा ही एक बड़ा संरचनागत परिवर्तन मानते हैं, जिसका असर पूरे विश्व पर होगा। अगले पाँच-दस वर्षों में सामान्यीकरण की नई नीति से घरेलू उपभोग द्वारा चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था में पुनः सुधार हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में निवेश के अंश में कमी आएगी और इन दोनों कारणों से इसके भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होगा, जिससे पूंजी और वस्तुओं की मांग में परिवर्तन आएगा।

पूरे विश्व की स्थिति में सुधार तो नहीं हुआ है यानी संवृद्धि दर घटने के पहले का वृद्धि का स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु वित्तीय और मौद्रिक नीतियों को सामान्य बनाना पूरे विश्व की सरकारों की कार्यसूची में निरंतर शामिल रहा है। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे विश्व के लोगों में यह समझ बढ़ी है कि आर्थिक संतुलन अब अर्थव्यवस्थाओं को पहले की तरह प्रभावित नहीं करता और संस्थाओं की मदद करने का भी कोई बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ है। यह समझ उस समय स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जब ब्रिक्स (BRICS) देशों ने नया विकास बैंक बनाने की घोषणा की और मौजूदा संस्थाओं की असमर्थता से उत्पन्न शून्य को भरने के लिए चीन के नेतृत्व में बने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वस्टमेंट बैंक में अनेक देश शामिल हुए।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

भारत की अर्थव्यवस्था अब उत्तरोत्तर सुधार की ओर अग्रसर है। नए मापदंडों पर आधारित जीडीपी के वित्त वर्ष 2015 में 7.3% बढ़ने की आशा है, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह 6.9% और वित्त वर्ष 2013 में 5.1% बढ़ा था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ ने संवृद्धि दर की घोषणा का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) का एक नया मापदंड लागू किया है, जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है। जीवीए के आधार पर वित्त वर्ष 2015 में अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 7.5% तक रहने का अनुमान है। यह अनुमान सेवा क्षेत्र की अच्छी खासी संवृद्धि दर (10.5%) और उद्योग की संवृद्धि दर (5.6%) पर आधारित है।

इस वर्ष सामान्य से कम मानसून होने का पूर्वानुमान चिंता का विषय है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि मार्च 2015 के शुरुआती दिनों में देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओले तथा पाले ने रबी की फसल पर बुरा असर डाला है। इस कारण फसल वर्ष (जुलाई-जून) 2015 में देश का अनाज उत्पादन 3.2% गिरकर 257 मिलियन टन रह जाने का अनुमान है, जबकि 2014 में यह अब तक का सर्वाधिक 265 मिलियन टन रहा था। तथापि अच्छी बात यह रही कि मानसून के पहले चरण मे बारिश सामान्य से 12% ज्यादा थी.

हाल ही में औद्योगिक संवृद्धि दर में अवश्य तेजी आई है। वित्त वर्ष 2015 में इसमें 2.8% की वृद्धि हुई (1 अप्रैल 2015 में 4.1%), जबकि पिछले वित्त वर्ष में 0.1% की कमी आई थी। खनन और विनिर्माण उप-क्षेत्रों में 1-2% के बीच वृद्धि हुई, पर विद्युत उप क्षेत्र ने औद्योगिक परिवेश में इस बार भी आशा जगाए रखी। हालाँकि यह वृद्धि अन्य क्षेत्रों की कमजोरी को दूर करने में अपर्याप्त रही।

मुद्रास्फीति दर (थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों) वित्त वर्ष 2015 के उत्तरार्ध में मामूली रही। वित्त वर्ष 2015 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक 2.1% (औसत) रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 6% रहा था। ईंधन की कीमतों में तेजी से आई नरमी से थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई। नए मापदंड पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति भी पिछले वित्त वर्ष के 9.6% से कम होकर 6% रही।

विदेशी मोर्चे पर चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2015 में कम होकर 1.3% रहा, जो वित्त वर्ष 2014 में 1.7% था। वित्त वर्ष 2015 के दौरान संपूर्ण वर्ष का निर्यात 1.23% कम होकर 310.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। ऐसा प्रमुख व्यापार भागीदारों में आर्थिक बहाली मंद गति से होने के कारण हुआ। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2015 में पूरे वर्ष का आयात 447.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि वित्त वर्ष 2015 में यह 450.2 बिलियन डॉलर था। यानी पिछले वर्ष की समान अवधि में इसमें 0.59% की कमी आई। पण्य व्यापार घाटा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 137 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। कच्चे तेल के आयात में कम खर्च के बावजूद यह स्थिति रही।

चालू खाता घाटे का वित्तीयन अर्थव्यवस्था के लिए अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2015 में निवेशों में पूंजी की निवल आवक (एफआईआई) में पिछले वर्ष की तुलना में 415% की जबर्दस्त वृद्धि हुई और यह 45.7 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वित्त वर्ष 2015 में 34.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पूंजी आवक से 61.2% अधिक है। निवल विदेशी संस्थागत निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पूंजी की आवक मिलाकर कुल पूंजी आवक वित्त वर्ष 2015 में 80.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रही, जो वित्त वर्ष 1991 से अब तक की सबसे बड़ी आवक है। उल्लेखनीय है कि स्थिर पूंजी आवक (कुल आरक्षितियों के अनुपात में संविभाग ईक्विटी और प्रत्यक्ष निवेश) अब 15.6% है, जो 5 वर्ष में सबसे अधिक है। यह आवक 9 माह से अधिक अवधि के आयात हेतु आवश्यक विदेशी मुद्रा के बराबर है तथा 4 वर्षों में उच्चतम है।

बैंकिंग परिवेश

अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव बैंकिंग व्यवसाय पर हुआ है। वर्ष 2015 में (20 मार्च 2015 को समाप्त पखवाड़े में) समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में 9% की वृद्धि हुई, जबकि 2014 में (21 मार्च 2014) 13.9% की वृद्धि हुई थी। ऋणों में इतनी अधिक कमी इन कारणों से आई - विगत उच्च आधार प्रभाव, कारपोरेटों द्वारा बैंक ऋणों की मांग में कमी, क्यूआईपी और बाहरी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) जैसे बैंकेतर स्रोतों से वित्त की प्राप्ति। इसी दौरान जमाराशियों में 10.7% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष 14.1% की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों में कम वृद्धि विगत उच्च आधार प्रभाव के कारण हुई, क्योंकि बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) के माध्यम से जमाराशि संगृहीत करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2013 में दी गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुख्य ब्याज दरें 15 जनवरी 2015 तक अपरिवर्तित रखीं, किंतु इसके बाद तीन बार में 75 आधार बिंदु (हर बार 25 आधार बिंदु) की कमी की, ताकि बैंकिंग प्रणाली से ऋण लेने की मात्रा बढ़े। इसके अतिरिक्त, चलनिधि पर दबाव कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) दो बार में 100 आधार बिंदु, हर बार 50 आधार बिंदु, कम कर 21.5% कर दिया। तथापि, मौद्रिक परिवर्तन के कारण प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के लिए जमाराशि की ब्याज दर में नरमी आई। यह दर वित्त वर्ष 2014 में 8.00% से 9.25% तक थी, जो वित्त वर्ष 2015 में 8.00% से 8.75% रही। प्रमुख बैंकों की आधार दर पूरे वर्ष 10.00% से 10.25% पर स्थिर बनी रही। खुदरा ऋणों की मात्रा बढ़ाने के लिए कई बैंकों ने अपनी आधार दर में कमी किए बगैर आवास, वाहन आदि जैसे कुछ व्यवसाय क्षेत्रों में ऋणान्वयन की दरें कम कीं। संवृद्धि दर में कमी से कारपोरेट लाभप्रदता पर प्रभाव और अनर्जक आस्तियों का प्रणालीगत निर्धारण प्रारंभ करने से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बना रहा। अनेक आंतरिक और बाह्य कारणों से ऐसा हुआ।

स्थूल मुद्रा (एम 3) में तीसरी और चौथी तिमाही में वृद्धि निम्न रही। ऋण और जमाराशि में वृद्धि की गति लगभग एक जैसी रहने के कारण बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की स्थिति निरंतर बनी रही। कभी-कभी विगत स्थिति के कारण कुछ समय के लिए चलनिधि में असंतुलन की स्थिति बनी।

देश के प्रत्येक परिवार को 26 जनवरी 2015 तक बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 28 अगस्त 2014 को 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के नाम से एक नया राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के जरिए यह लक्ष्य तय किया गया कि जिन गरीबों की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच नहीं है, उन्हें ये सेवाएँ पहुँचाई जाएँ, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच से देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सब्सिडी और केंद्र/राज्य/नगर पालिका आदि की जनकल्याण योजनाओं की गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। कुल 7.5 करोड़ खाते खोलने के लक्ष्य को बैंकों ने पहले चरण में ही भारी अंतर के साथ पूरा कर 12.5 करोड़ खाते खोले।

एक नई बात यह हुई है कि भारतीय रिज़र्व बैंक वित्त वर्ष 2016 के दौरान 'लघु वित्त बैंकों (एसएफबी)' और 'भुगतान बैंकों' को नए बैंक लाइसेंस दे सकता है। इससे वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा, किंतु मध्यावधि में बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बैंकों को यह अनुमति दे दी है कि वे बासेल-3 के अंतर्गत अपनी पूंजी संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए सरकारी अंश को कम कर 51% तक ला सकते हैं।

भावी परिदृश्य

आने वाले वर्षों में भारत की संवृद्धि दर बढ़ने की संभावना काफी उत्साहवर्धक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी कई संस्थाएं भारत की संवृद्धि दर के बढ़ने के प्रति काफी विश्वस्त हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार तो 2016 में भारत की संवृद्धि दर चीन से अधिक हो जाएगी। 'मेक इन इंडिया' और 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' जैसे उपायों और आर्थिक सुधार के अन्य अनेक कार्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति नई आशा और विश्वास का उदय हुआ है।

हाल ही में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान किया है। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की संवृद्धि दर बढ़ने, अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में व्यापक चर्चा छिड़ गई है और वर्तमान वित्त वर्ष में खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है। मानसून 2015 की आगे की स्थिति जो भी रहे, इस समय सूखे का भय निराधार है।

निवेश का माहौल सुधरने और परियोजनाओं की मंजूरी में कम समय लगने से कारपोरेटों और उद्योगपतियों में नई आशाओं का संचार हुआ है। रोकी/छोड़ी गई परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी रही है, वहीं दूसरी ओर नई परियोजनाओं की घोषणा/शुरुआत बढ़ती जा रही है।

वित्त वर्ष 2015 निर्यात की अधूरी लक्ष्य प्राप्ति के साथ समाप्त हुआ। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार से आशा है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इससे जुड़ी चिंता दूर होगी। वित्त वर्ष 2016 में चालू व्यापार घाटा और कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% रह जाने की आशा है। घरेलू जीडीपी आधार में परिवर्तन और बाहरी मांग में सुधार से निर्यात और बढ़ने की आशा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, धातु और पण्यों की कीमत में कमी से व्यापार घाटा और कम हो सकता है।

सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2015 को घोषित बहुप्रतीक्षित विदेश व्यापार नीति 2015-20 सामान और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा देश में इनकी गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आवश्यक ढांचा तैयार कर दिया है, जो प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' परिदृष्टि के अनुरूप है। नई विदेश व्यापार नीति में फोकस इस बात पर है कि विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को आलंब प्राप्त हो। इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि व्यापारिक सामान और सेवा दोनों के विदेश व्यापार के लिए स्थिर और सदा बनी रह सकने वाली नीति उपलब्ध कराई जाए, जिससे व्यवसाय अधिक आसानी से हो सके। नई विदेश व्यापार नीति में वर्ष 2020 तक सामान और सेवाओं के निर्यात के लिए रखा गया 900 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य वर्तमान स्तर का लगभग दुगुना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्यात सामान्यतया डॉलर के अनुरूप प्रति वर्ष लगभग 15% की दर से यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर से कुछ अधिक बढ़ना चाहिए। इस लक्ष्य की वास्तविक निष्पादन से तुलना करने पर लगता है कि यह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

II. वित्तीय निष्पादन

लाभ

वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत होने लगी। औद्योगिक क्षेत्र और विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में तेजी दिखने लगी। इस पृष्ठभूमि में 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक का वित्तीय निष्पादन संतोषजनक रहा। बैंक द्वारा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान परिचालन लाभ में अच्छी संवृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2015 में 38,913.50 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2014 के 32,109.24 करोड़ रुपए से 21.19 प्रतिशत अधिक है। बैंक द्वारा उच्चतर राशि के प्रावधान के बावजूद वर्ष 2015 के लिए 13,101.57 करोड़ रुपए का निवल लाभ दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2014 के 10,891.17 करोड़ रुपए की तुलना में 20.30 प्रतिशत अधिक है।

निवल ब्याज आय

अग्रिमों और निवेशों में उच्चतर संवृद्धि के कारण वर्ष के दौरान वैश्विक परिचालनों से सकल ब्याज आय ₹1,36,350.80 करोड़ से बढ़कर ₹1,52,397.07 करोड़ हो गई और इस प्रकार इसमें 11.77% की संवृद्धि दर्ज हुई।

इसी प्रकार बैंक की निवल ब्याज आय में भी 11.63% की संवृद्धि दर्ज हुई और वित्त वर्ष 2015 में यह बढ़कर ₹55,015.25 करोड़ हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह ₹49,282.17 करोड़ रही थी ।

भारत में अग्रिमों से ब्याज आय वित्त वर्ष 2014 के 97,674.91 करोड़ रुपए से 9.58 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 1,07,034.30 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यह वृद्धि अग्रिमों की उच्चतर मात्रा के कारण हुई। तथापि, भारत में अग्रिमों से औसत आय वित्त वर्ष 2014 के 10.47 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 10.58 प्रतिशत हो गई।

भारत में कोष परिचालनों में निविष्ट संसाधनों से आय में 14.97 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतया औसतन उच्चतर संसाधन निविष्ट किए जाने के कारण हुई। औसत आय वित्त वर्ष 2015 के दौरान बढ़कर 7.98 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2014 में 7.65 प्रतिशत थी।

वैश्विक परिचालनों पर दिए गए कुल ब्याज की राशि वित्त वर्ष 2014 के 87,068.63 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 97,381.82 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वित्त वर्ष 2015 में भारत में जमाराशियों पर दिए गए ब्याज में पिछले वर्ष की तुलना में 14.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमाराशियों की औसत लागत (दैनिक औसत पर आधारित) वित्त वर्ष 2014 के 6.27 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 6.34 प्रतिशत हो गई, जबकि भारत में जमाराशियों का औसत स्तर 12.67 प्रतिशत बढ़ा।

ब्याज इतर आय

ब्याज इतर आय वित्त वर्ष 2015 में 21.68 प्रतिशत बढ़कर 22,575.89 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2014 में 18,552.92 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान बैंक को 677.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष की 496.86 करोड़ रुपए की तुलना में) की आय भारत और विदेश में सहयोगी बैंकों/अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में तथा 3,618.05 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष की 2,279.41 करोड़ रुपए की तुलना में) निवेश की बिक्री पर लाभ के रूप में प्राप्त हुई।

परिचालन खर्च

स्टाफ खर्च वित्त वर्ष 2014 के 22,504.28 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 23,537.07 करोड़ रुपए हो गया। अन्य परिचालन खर्च में 14.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मूलतया किराये, कर, बिजली, मरम्मत व अनुरक्षण तथा विविध खर्च के कारण हुई।

प्रावधान एवं आकस्मिक खर्च

वित्त वर्ष 2015 में मुख्यतया निम्नलिखित प्रावधान किए गए :
अनर्जक आस्तियों के लिए 17,284.28 करोड़ रुपए (प्रतिलेखन घटाकर) (वित्त वर्ष 2014 में 14,223.57 करोड़ रुपए)। मानक आस्तियों पर 2,435.37 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2014 में 1,260.69 करोड़ रुपए)। वित्त वर्ष 2015 में कर के लिए प्रावधान 6,212.39 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2014 में 5,282.71 करोड़ रुपए)। निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए 590.07 करोड़ रुपए का प्रतिलेखन किया गया (वित्त वर्ष 2014 में निवेश पर मूल्यह्रास के लिए 563.25 करोड़ रुपए का प्रतिलेखन)।

आरक्षित निधियां और अधिशेष

4,029.08 करोड़ रुपए की राशि सांविधिक आरक्षितियों में अंतरित की गई (वित्त वर्ष 2014 में 3,339.62 करोड़ रुपए)। 105.50 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरित की गई (वित्त वर्ष 2014 में 216.75 करोड़ रुपए)। 5,889.06 करोड़ रुपए की राशि अन्य आरक्षितियों में अंतरित की गई (वित्त वर्ष 2014 में 4,796.63 करोड़ रुपए)।

आस्तियां

बैंक की कुल आस्तियों में 14.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये मार्च 2014 के अंत के 17,92,748.29 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2015 में 20,48,079.80 करोड़ रुपए हो गई। इस अवधि के दौरान ऋणों में 7.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 12,09,828.72 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,00,026.39 करोड़ रुपए हो गई। निवेशों में 24.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 3,98,799.57 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2015 के अंत तक 4,95,027.40 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। निवेश का एक बड़ा भाग देशीय बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में निविष्ट किया गया।

देयताएं

बैंक की कुल देयताएं (पूंजी एवं आरक्षितियों को छोड़कर) 14.64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2014 के 16,74,466.04 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 31 मार्च 2015 को 19,19,641.57 करोड़ रुपए हो गई। देयताओं में यह वृद्धि मुख्यतया जमाराशि और उधार राशियों में वृद्धि होने के कारण हुई। 31 मार्च 2015 को वैश्विक जमाराशियां 15,76,793.25 करोड़ रुपए रही, जबकि 31 मार्च 2014 को ये 13,94,408.50 करोड़ रुपए थीं। इस प्रकार इसमें 13.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उधार राशियों में 12.02 प्रतिशत वृद्धि हुई, जिससे ये मार्च 2014 की समाप्ति के 1,83,130.88 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2015 की समाप्ति पर 2,05,150.29 करोड़ रुपए हो गईं।

III. प्रमुख परिचालन

व्यवसाय समूह

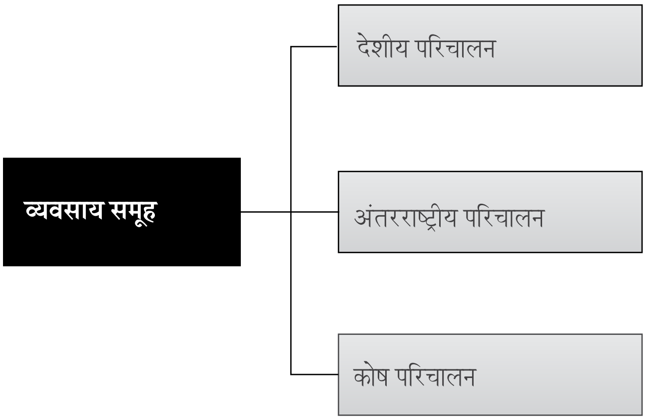

1. देशीय परिचालन

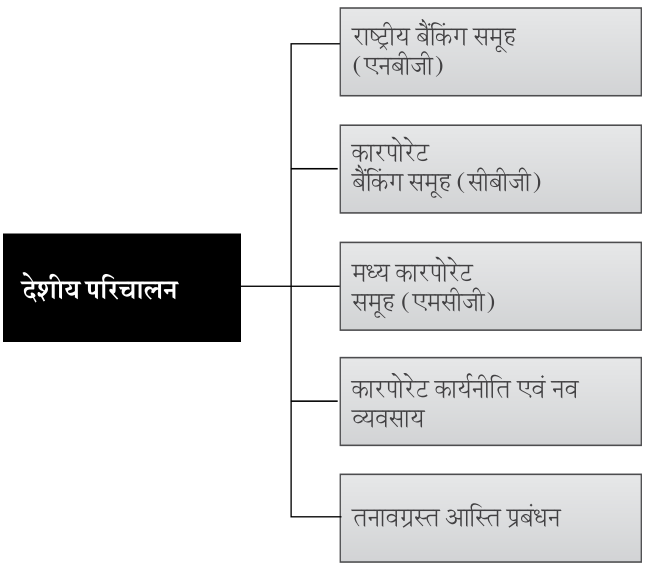

(क) राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एनबीजी) बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है, जिसका 31 मार्च 2015 को देश में कुल जमाराशियों में 95.38% और देश में कुल अग्रिमों में 53.88% भाग है। शाखा नेटवर्क और मानव संसाधन के अनुसार भी एनबीजी सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है।

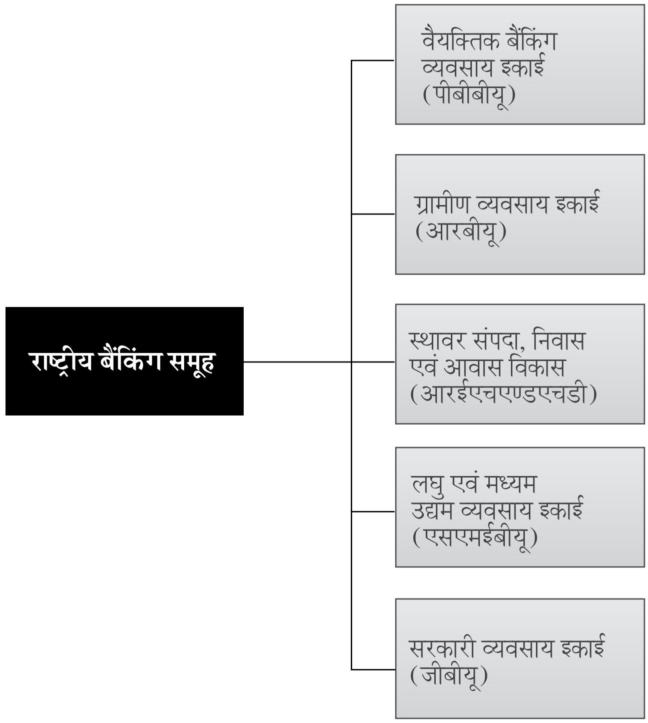

इस समूह में वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय इकाई (पीबीबीयू), ग्रामीण व्यवसाय इकाई (आरबीयू), स्थावर संपदा, निवास एवं आवास विकास (आरईएचएण्डएचडी), लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई (एसएमईबीयू) और सरकारी व्यवसाय इकाई (जीबीयू) सहित पांच कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयां हैं।

प्रदर्श 01: शाखा विस्तार (भारत)

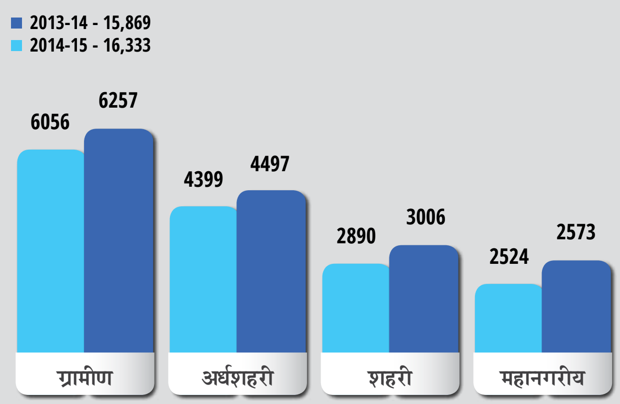

प्रदर्श 02: शाखाओं की विस्तार प्रवृत्ति

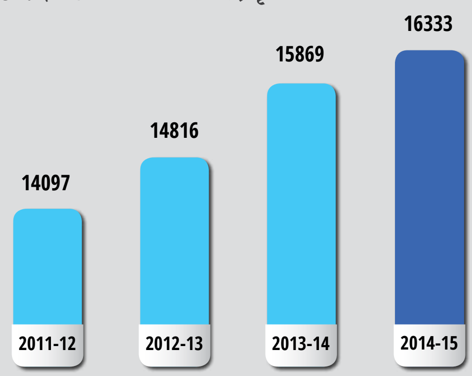

1. वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय इकाई (पीबीबीयू)

देशीय व्यवसाय

प्रदर्श 03: वित्त वर्ष 2015 के दौरान जमाराशियों एवं अग्रिमों में संवृद्धि (₹ करोड़ में)

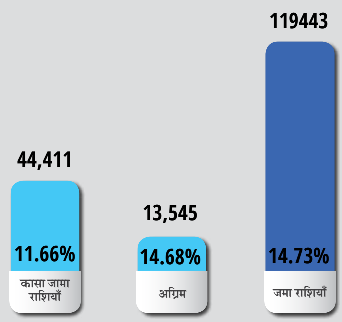

ग्राहक से जुड़ने के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयास

- हमने अपने ग्राहकों को आसान एवं सुविधाजनक रूप से कहीं से भी ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान की है। वर्ष के दौरान खोले गए कुल 2.03 करोड़ बचत बैंक नियमित खातों में से 29 प्रतिशत खाते बैंक द्वारा इस चैनल के अंतर्गत खोले गए।
- 10 लाख रुपए एवं 20 लाख रुपए के दो नए बीमा कवर स्लैब जोड़कर वैयक्तिक दुर्घटना बीमा बढ़ाई गई।
- अवयस्कों के लिए दो नए बचत बैंक उत्पाद यथा "पहला कदम" एवं "पहली उड़ान" सितंबर 2014 में शुरू किए गए।
- नियमित बचत बैंक खाते को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए नियमित बचत बैंक खाते में ऑटो स्वीप की सुविधा जोड़ दी गई।
- टैब बैंकिंग सुविधा अप्रैल 2014 में शुरू की गई। इसके तहत बैंक का अधिकारी टैब के साथ ग्राहक के स्थान पर जाकर आवेदन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करता है।
- बचत बैंक खाता धारकों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू की गई।

अनिवासी भारतीय व्यवसाय

प्रदर्श 04: अनिवासी भारतीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में) प्रदर्श 05: अनिवासी भारतीय अग्रिम

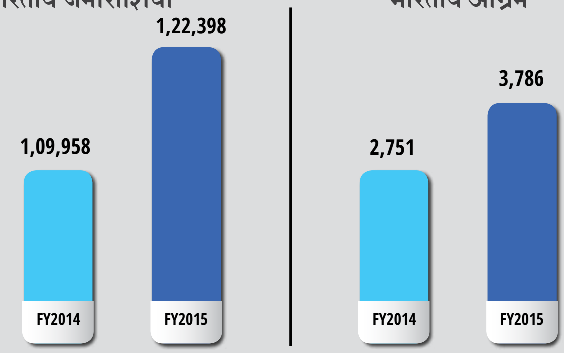

एनआरआई आवास ऋणो में 877 करोड़ रुपए की बढ़त हुई। हम 16 लाख विशिष्ट अनिवासी भारतीयों को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं और इन सभी ग्राहकों ने मार्च 2015 तक हमारी 81 विशिष्ट एवं समर्पित अनिवासी शाखाओं और 100 एनआरआई सघन व्यवसाय वाली शाखाओं से सेवा प्राप्त करके खुशी का अनुभव किया।

हमारे अनिवासी भारतीयों को अपने वित्तीय लेनदेन आसान, सुविधाजनक रूप से और त्वरित गति से करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक डिजिटल साधन उपलब्ध कराने की हमारी कार्यनीति रही है। वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग के

जरिए निम्नलिखित तरीकों से सुपुर्दगी प्रक्रिया को मजबूत करने पर हमारा ध्यान रहा, जिससे आसान, सुविधाजनक रूप से और त्वरित गति से सेवा दी जा सके।

- तत्काल एनआरई/एनआरओ खाता सुविधा 9 देशों के विदेश स्थित कार्यालयों में शुरू की गई, जिससे अनिवासी भारतीयों को खाता संख्या एवं इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किट की तुरंत सुपुर्दगी होती है।
- अब ग्राहक ऑनलाइन चैनल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए स्वयं पंजीकरण करा सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जावक धन-प्रेषण के अनुरोध प्राप्त करना तथा आवक धन-प्रेषणों का अपेक्षित निपटान शुरू किया गया।
- साउदी अरब के ओमान, कतार के लिए अंतरराष्ट्रीय टोल फ्री नंबर सुविधा शुरू की गई।
- हमारे द्वारा अनिवासी भारतीय फैमिली कार्ड जो कि भारत में उपयोग हेतु प्री-पेड कार्ड है, शुरू किया गया है। यह अनिवासी भारतीय के खाते के साथ जुड़ा होता है और ग्राहक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग खाते के जरिए किसी भी समय किसी भी जगह से टॉपअप किया जा सकता है। इससे भारत के सगे-संबंधियों की भुगतान संबंधी जरूरतों की पूर्ति में मदद मिलती है।
- हमने अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया को और भी कारगार बनाया है।

कारपोरेट एवं संस्थागत गठ-जोड़

प्रमुख बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक से बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक ने अब रक्षा, अर्धसैनिक बलों, रेल्वे, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार उनके लिए विशेष सैलरी पैकेज तैयार किए हैं। विभिन्न सैलरी पैकेजों को एक साथ मिलाने से वित्त वर्ष 2015 में कुल सैलरी खाताधारकों की कुल संख्या 79.05 लाख हो गई।

प्रदर्श 06: सीएंडआईटीयू व्यवसाय (₹ करोड़ में)

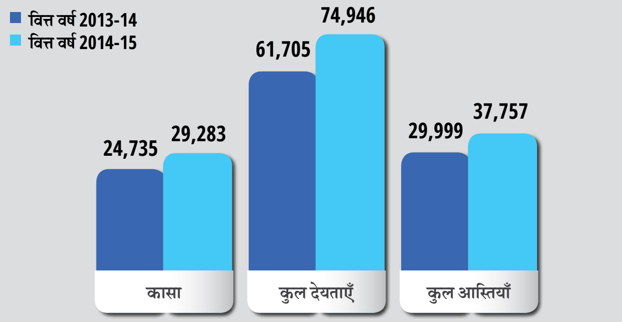

ऑटो ऋण

प्रदर्श 07: ऑटो ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़ में)

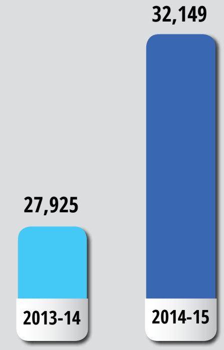

हम अपनी वर्तमान कार ऋण योजना के जरिए अपने ग्राहकों को निम्नलिखित बेहतर सेवा प्रदान करते हैं

- "ऑन रोड़ प्राइस" पर कार ऋण
- 7 वर्षों की सबसे लंबी भुगतान अवधि
- समय-पूर्व चुकौती करने पर कोई दंड नहीं
- कोई प्रतिबंध शुल्क नहीं
- कोई अग्रिम समान मासिक किस्त नहीं
- किफायती ब्याज दरें

ग्राहकों के लिए इस सेवा को और आकर्षक बनाने हेतु पूरे भारत में ऑनलाइन कार ऋण आवेदन प्रणाली को कारगर बनाया गया है। उच्च मूल्य के सूपर बाइक ऋणों के वित्तपोषण के लिए सूपर बाइक योजना और युवाओं को टाटा नैनो कारों के वित्तपोषण के लिए एसबीआई नैनो यूथ कार ऋण योजना के जरिए हम "युवाओं की साधिकारिता" पर जोर दे रहे हैं। हमने अपने वर्तमान आवास ऋण के ऋणियों के लिए लॉयल्टी कार ऋण योजना भी शुरू की है।

शिक्षा ऋण

वर्ष के दौरान शिक्षा ऋण में 724 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। मार्च 2015 में एसबीआई का कुल एक्सपोजर 15,464 करोड़ रुपए है।

31 मार्च 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से शिक्षा ऋणों में बैंक का बाजार हिस्सा 24.4% रहा।

वैयक्तिक ऋण

वैयक्तिक ऋण जिसमें एक्सप्रेस क्रेडिट, वैयक्तिक ऋण (गैर-प्रतिभूत), संपत्ति पर ऋण और वैयक्तिक स्वर्ण ऋण शामिल है, में इस वर्ष भारी वृद्धि हुई और ये एक नई सीमा तक पहुँचे।

प्रदर्श 08 :वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़ में)

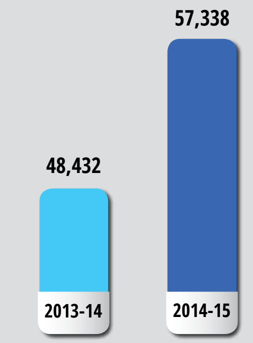

हमने शेयरों पर ऋण की आवेदन प्रक्रिया में भी सुधार किया है, जिससे हमारा बैंक ग्राहक को भारत में कहीं से भी ऑनलाइन से पूरी सुविधा देने वाला एक मात्र बैंक हो गया है। यूज़र इंटरफेस की पूरी रीडिजाइन की गई, जिससे ग्राहक शाखा में जाए बगैर ऋण प्राप्त कर सकता है।

संवर्धित मूल्यनिर्धारण, उच्चतम ऋण सीमा एवं घटाई गई मार्जिन राशि के कारण वैयक्तिक स्वर्ण ऋण अब ग्राहकों के लिए और भी बेहतर बन गया है।

2. ग्रामीण व्यवसाय इकाई (आरबीयू)

भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि खंड में 1.11 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों को ऋण देकर ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है। स्थानीय शाखा प्रबंधक ग्रामीण ग्राहकों के लिए न केवल बैंकर है, बल्कि वह उनका दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी है। वह बैंकिंग और अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों से जनता की सेवा भी करता है। समाधान के लिए कृषि समस्याओं को भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष रखने में भारतीय स्टेट बैंक सबसे आगे रहा।

क. कृषि व्यवसाय

किसानों की ऋण संबंधी सभी जरूरतें पूरी करना:

चाहे अल्पावधि उत्पादन ऋण जरूरत हो अथवा निवेश ऋण जरूरत, दोनों के लिए बैंक के पास कई उत्पाद हैं और वह नवोन्मेषी योजनाएँ शुरू करता रहा है, जैसे कि:

स्त्री शक्ति ट्रैक्टर ऋण योजना :

जून 2014 में यह योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आकर्षक ब्याज दरों पर महिलाओं को सह ऋणी के रूप में बंधक रहित ट्रैक्टर ऋण दिए जाते हैं।

प्रीमियम किसान गोल्ड कार्ड :

हाईटेक कृषि एवं सहायक गतिविधियों से जुड़े कृषि व्यवसाय उद्यमकर्ताओं को ऋण देना इसका उद्देश्य है। अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ मंडलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई इस योजना को पूरे बैंक में वित्त वर्ष 2016 में शुरू किया जाएगा।

किसान उत्पादक कंपनियों को ऋण:

किसान उत्पादक कंपनियों को ज्यादा ऋण देने की दृष्टि से, ब्याज दरों में रियायत और वित्तीय मानदंडों में छूट के साथ फरवरी 2015 में नई योजना शुरू की गई।

कारपोरेट गठजोड़:

कृषि वित्तपोषण को और अधिक वहनयोग्य बनाने तथा पोर्टफोलियो की जोखिम कम करने की दृष्टि से बैंक गठजाड़ के जरिए सप्लाई चेन पर ध्यान दे रहा है। संपूर्ण कृषि-सप्लाई चेन को शामिल करने के लिए कृषि आधारित कंपनियों के साथ 44 कारपोरेट गठजोड़ किए गए।

प्रौद्योगिकी उत्पाद:

सुगमता और परिचालन सुविधा के लिए वित्त वर्ष 2015 तक 9.63 लाख से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उधारकर्ताओं को किसान क्रेडिट कार्ड रुपे कार्ड जारी किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड रुपे कार्ड एटीएमों और प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनों पर उपयोग करने के अनुरूप होते हैं।

उपलब्धियाँ:

देश की प्राथमिकताओं की पूर्ति करने के मामले में हमेशा आगे रहते हुए बैंक ने विगत की तरह ही वित्त वर्ष 2015 के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार किया।

प्रदर्श 09: कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह (₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	संवितरण	उपलब्धि %
2011-12	51,000	53,214	104%
2012-13	60,000	63,936	106%
2013-14	73,500	74,970	102%
2014-15	84,500	86,193	102%

बिजनेस करेस्पांडेंट नेटवर्क के साथ हब एंड स्पोक मॉडल:

दूर-दराज के बैंकिंग सुविधा से वंचित इलाकों में रहने वाले ग्राहकों से ऋण खातों में जमा स्वीकार करने के लिए बैंक ने 75,116 गाँवों को 41,145 ग्रामीण ग्राहक सेवा केंद्रों के साथ जोड़ दिया है। इन ग्राहक सेवा केन्द्रों को निकट की किसी शाखा से जोड़ा गया है, जो इन एजेंटों के लिए सहायता एवं निगरानी बिन्दु के रूप में कार्य करती है।

ग्रामीण युवा को साधिकार बनाना:

बैंक द्वारा 117 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा के साथ निःशुल्क, विशेष एवं व्यापक गहन अल्पावधि आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें पूरे देश भर में क्षमता निर्माण/स्वरोजगार, ग्रामीण नौजवानों को अधिकार देने के लिए तैयार किया गया है। इन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 10,013 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके अंतर्गत 2,65,688 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 1,34,317 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लाभप्रद रोजगार शुरू किया गया।

प्रदर्श 10: ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान- प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या

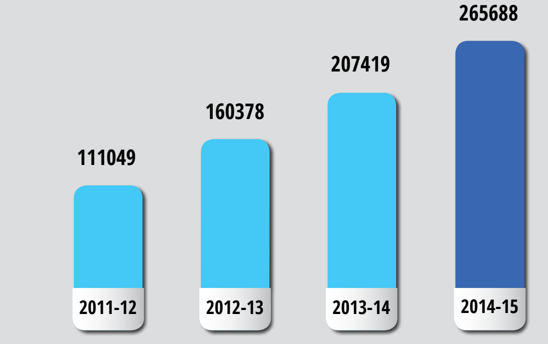

ऋण वसूली एजेंटों का प्रशिक्षण:

वर्तमान 92 बिजनेस करेस्पांडेंटों के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा तीन प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे कि वे ऋण वसूली एजेंट प्रमाणीकरण के लिए पात्र हो सकें तथा अगले वित्तीय वर्ष में और अधिक ग्राहक सेवा केंद्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता प्रदान करना

वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और आम आदमी के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुगम बनाने के मूल उद्देश्य से, भारतीय स्टेट बैंक ने 212 वित्तीय साक्षरता केंद्रों का गठन किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान इन वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा देश भर के गांवो में कुल 20,966 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया।

प्रदर्श 11: वित्तीय साक्षरता केंद्र - बाहर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या

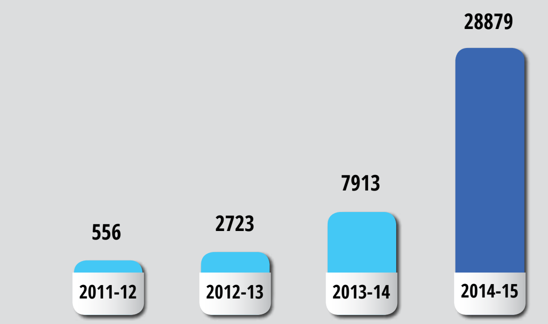

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है, जो 15 राज्यों के 155 जिलों में फैले हैं और जिनके पास 3869 शाखाओं का नेटवर्क है। 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक की शेयरधारिता 470 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान पचासी नई शाखाएं खोली गई। 334 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया गया।

किसानों के साथ जुड़ाव

एसबीआई का अपना गाँव योजना:

संपूर्ण वित्तीय समावेशन, किसानों की ऋण जरूरतों की पूर्ति करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर गाँव को आदर्श गाँव बनाने के प्रयोजन से यह योजना वित्त वर्ष 2008 से कार्यान्वित की जा रही है। एक क्षेत्र के एक गाँव के लक्ष्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया। अब तक कुल 1,426 गाँवों को उनके समग्र विकास के लिए दत्तक लिया गया है।

दत्तक लिए गए गाँवों में सामुदायिक सेवा गतिविधि के रूप में की जाने वाली गतिविधियों की सूची में ये भी शामिल हैं:

1. स्वच्छ गाँव अवधारणा के तहत सामुदायिक वेर्मि-कंपोस्ट इकाई का गठन, जिसकी देखभाल या तो स्वयं सहायता समूहों अथवा किसान क्लबों द्वारा की जाएगी।
2. उपयुक्त शैचालय बनाना
3. गाँवों में सौर ऊर्जा से रौशनी
4. मेला/प्रदर्शनियों आदि के जरिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

किसान क्लब:

कृषि समुदाय के साथ निरंतर संबंध बढ़ाने के लिए नए किसान क्लबों का गठन किया गया, जिससे इनकी कुल संख्या 10,719 हो गई।

ख. वित्तीय समावेशन (एफआई)

भारतीय स्टेट बैंक देश में वित्तीय समावेशन प्रयासों में सबसे आगे रहा है। बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल में भी अग्रगामी है। विशेष रूप से शहरी गरीबों और ग्रामीण ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह एक वैकल्पिक चैनल और यह एक ऐसा खण्ड है, जिसे अभी भी लघु राशि वाले लेनदेनों के रूप में जाना जाता है। 57,575 से अधिक ग्राहक सेवा केन्द्रों के साथ देश में फैला हुआ यह मॉडल बचत, सावधि जमा, सूक्ष्म ऋण, धन-प्रेषण, ऋण अदायगी, सूक्ष्म पेंशन आदि जैसे विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है। इंटरनेट आधारित कियोस्क बैंकिंग, कार्ड आधारित एवं सेल फोन मेसैजिंग चैनलों की शुरुआत करके बैंक वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाने में सफल रहा है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की सफलता ने हमारे प्रयासों में एक और आयाम जोड़ दिया है, क्योंकि हमने 31 मार्च 2015 तक 3.3 करोड़ खाते खोले हैं और पात्र ग्राहकों को 2.97 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं, जो देश के दुर्गम क्षेत्रों की एक बड़ी संख्या है। यह इस क्षेत्र के विकास में और विकास के बाद इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले भावी व्यवसाय के लिए हमारा निवेश भी है। यह हमारी आईटी क्षमताओं और देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सेवा करने के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रमाण है। बीएसबीडी/लघु खातों की संख्या भी मार्च 15 में बढ़कर 7.29 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 14 में यह

3.53 करोड़ थी। व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से निपटाए गए लेनदेनों की राशि में 73% की वृद्धि हुई और मार्च 2015 में इनकि राशि ₹38,973 करोड़ रही, जबकि मार्च 14 में यह राशि ₹22,525 करोड़ रही थी।

वर्ष 1992 की शुरुआत से ही बैंक ने एसएचजी-बैंक क्रेडिट संयोजन कार्यक्रम में सक्रियता से भाग लिया है। 31 मार्च, 2015 को बैंक 0.39 मिलियन एसएचजियों को ₹4,586 करोड़ की राशि के ऋण संवितरण करके एसएचजी वित्तपोषण में बाजार प्रमुख रहा है, जिनमें 91% महिला एसएचजी हैं।

ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी वाले चैनलों को तैयार करने के निरंतर प्रयासों से हमने अनेक नई पहलों की सफलतापूर्वक शुरुआत की है, जैसे आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली (एईपीएस), स्वचालित ई-केवाईसी, आईएमपीएस, माइक्रो एटीएम रोलआउट, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत एसबी-ओडी सुविधा और डीबीटी/डीबीटीएल भुगतान। बैंक एलपीजी सब्सिडी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटीएल) के लिए एक प्रमुख प्रायोजक बैंक भी है और इसने 15 नवंबर, 2014 से 31 मार्च 2015 की अल्पावधि में 29 करोड़ से अधिक डीबीटीएल लेनदेनों का निपटान किया है।

यद्यपि इस प्रकार से प्राप्त किए गए वित्तीय समावेशन वाले ग्राहक खातों में लघु राशि रखते हैं, फिर भी सही प्रौद्योगिकी और बीसी आधारिक संरचना से, हमें आशा है कि भविष्य में यह व्यवसाय कम लागत वाली निधियों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की परस्पर बिक्री और डीबीटी प्रबंधन कमीशन के रूप में हमारे लाभ में योगदान करेगा। आने वाले वर्षों में इन सभी से एक नकदी रहित समाज/ अत्यधिक सामाजिक लाभ वाली ईको प्रणाली की शुरुआत होगी

3. स्थावर संपदा, निवास एवं आवास विकास (आरईएचएंडएचडी)

वित्त वर्ष 2015 में बैंक ने आवास एवं आवास से संबंधित ऋण खंड में 21,178 करोड़ रुपए की संवृद्धि दर्ज की। इनमें से आवास ऋण का योगदान 18,499 करोड़ रुपए रहा। आवास ऋण में मार्च, 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच 25.24 प्रतिशत बाजार हिस्से के साथ हमने देश के सबसे बड़े आवास ऋणप्रदाता की स्थिति बनाए रखी।

प्रदर्श 12: आवास एवं आवास संबंधी ऋण संविभाग पर एक नजर (₹ करोड़ में)

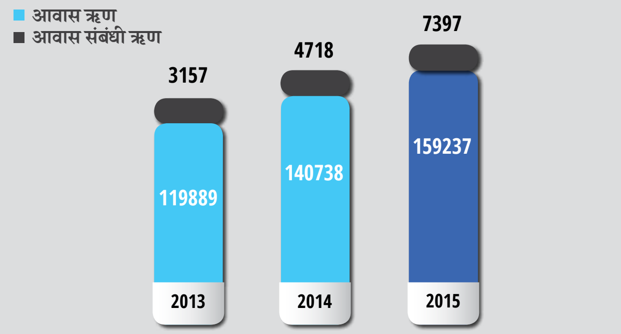

वित्त वर्ष 2014 के दौरान हासिल की गई संवृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2015 के दौरान आवास ऋण संविभाग में संवृद्धि कम रही। वित्त वर्ष 2015 की प्रथम तिमाही में आवास ऋणों की मांग कम होने के कारण संवृद्धि दर कम रही। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान लिए गए कई उपायों के कारण इस संविभाग में उच्चतर संवृद्धि दर बनाए रखने में सहायता मिली। वित्त वर्ष 2015 में हासिल की गई कुल वाईटीडी संवृद्धि का लगभग 34% भाग चौथी तिमाही में प्राप्त किया गया।

अपने आवास ऋण फोर्टफोलियो की संमृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:

- उच्च निवल मालियत के आवास ऋण ग्राहकों के लिए चाहे ऋण सीमा कितनी भी क्यों न हो, समान ब्याज दर संरचना शुरू की गई।
- सुपुर्दगी प्रक्रिया की बाधाओं को दूर करने तथा समग्र सेवा गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने की दृष्टि से आवास ऋण के सोर्सिंग एवं सुपुर्दगी प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा की गई।
- स्टेट बैंक समूह की सहक्रिया का लाभ उठाते हुए वैश्विक संवितरण नेटवर्क के अंतर्गत एसबीआई कैप्स सिक्युरिटीज लिमिटेड के साथ विपणन व्यवस्था।

4. लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) व्यवसाय इकाई

लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय समूह के पास 31 मार्च 2015 को लगभग 1,81,474 करोड़ रुपए का पोर्टफोलिया था, जो बैंक के कुल अग्रिमों के 13.59 प्रतिशत के बराबर है। लगभग 9 लाख लघु एवं मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं के साथ बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण के मामले में अग्रणी और बाजार प्रमुख रहा।

लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय समूह के भीतर कम जोखिम वाला उत्पाद पोर्टफोलियो जिसमें सप्लाई चेन वित्तपोषण, बिल बट्टाकरण सुविधा, आस्ति समर्थित ऋण, प्रतिभूति पर ओवरड्रॉफ्ट ऋण आदि शामिल हैं, में 28.14 प्रतिशत की दर से संवृदधि हुई। शुरू किया गया नया ऋण-आस्ति समर्थित ऋण काफी लोकप्रिय रहा और संविभाग के तहत यह एक वर्ष के भीतर ही लगभग शून्य आधार से बढ़कर 6,813 करोड़ रुपए तक पहुँचा। पिछले वित्त वर्ष में इन सभी उत्पादों का निष्पादन काफी अच्छा रहा और हम अपेक्षा करते हैं कि वर्तमान वित्त वर्ष में भी इनका निष्पादन अच्छा होगा। नीचे दिए गए चित्र से तुलनपत्र वित्तपोषण और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास गारंटी योजना की तुलना में हमारे कम जोखिम वाले संविभाग के निष्पादन का पता चलता है:

प्रदर्श 13: (₹ करोड़ में)

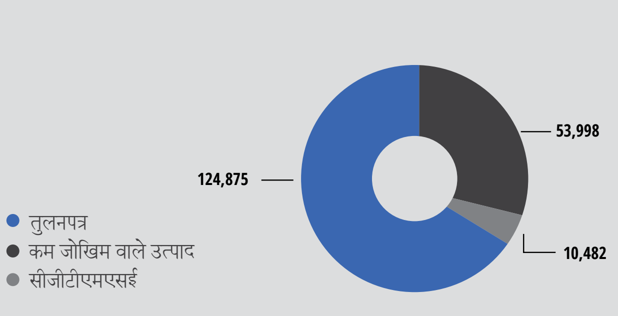

हाल ही में हमारे बैंक द्वारा परिवहन प्रचालकों के लिए फ्लीट फाइनैंस योजना, नए निर्माण उपकरणों के निधीयन हेतु निर्माण उपकरण ऋण (खनन, मेटीरियल हैंडलिंग, एर्थ मूविंग आदि) जैसे कुछ और कम जोखिम वाले उत्पाद शुरू किए गए। साथ ही बैंक ने खंड विशिष्ट पैकेज बनाना शुरू किया, जिससे शीर्षस्थ ग्राहकों को किफायती दर पर उत्पाद उपलब्ध कराया जा सकें। वित्त वर्ष 2015 के दौरान निम्नलिखित खंड विशिष्ट पैकेज शुरू किए गए:

योजना का नाम	प्रयोजन
ऑटो एंग्जिलरी यूनिटों के लिए खंड विशिष्ट पैकेज	इस योजना के जरिए ऑटो कंपोनेंट एसएमई को बढ़ावा देना।
सेरामिक क्लस्टरों के लिए खंड विशिष्ट पैकेज	"स्वच्छ भारत अभियान" के अनुरूप सेरामिक यूनिटों को वित्त देना।

वित्त वर्ष 2016 के दौरान भी अधिक से अधिक खंड विशिष्ट पैकेज शुरू करने की हमारी योजना है।

सप्लाई चेन वित्तपोषण

अपनी अत्याधुनिक प्रौदयोगिकी का उपयोग करते हुए आपका बैंक कारपोरेट्स के सप्लाई चेन भागीदारों का वित्तपोषण कर कारपोरेट जगत के साथ अपने संबंध अधिक सुदृढ़ करने पर बल दे रहा है।

बैंक ने ई-डीएफएस के अंतर्गत ऑटो, तेल, इस्पात, बिजली, उर्वरक, एमएमसीजी और वस्त्र जैसे विभिन्न 96 बड़े उद्योगों के साथ गठजोड़ किया है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान सप्लाई चेन वित्तपोषण के अंतर्गत 26 नए गठजोड़ एवं 4,803 डीलरों को शामिल किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनैंस स्कीम के तहत सप्लाई चेन वित्त के निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

प्रदर्श 14: ई-डीएफएस निष्पादन (₹ करोड़ में)

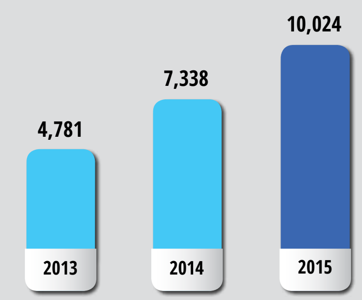

बैंक अपने ई-डीएफएस संविभाग में इस्पात, तेल, पेट्रोलियम, वस्त्र, एफएमसीजी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के और अधिक कारपोरेट को जोड़ने पर ध्यान दे रहा हैं।

प्रदर्श 15: ई-डीएफएस उद्योग-वार एक्सपोज़र

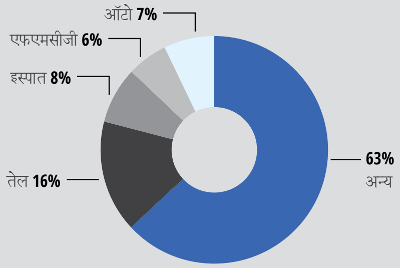

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रवाह :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता देने के मामले में आपका बैंक अग्रणी रहा है और वह सीजीटीएमएसई गारंटी के अंतर्गत एसएमई क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए की राशि तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत निष्पादन निम्नानुसार रहा :

प्रदर्श 16: बकाया (₹ करोड़ में)

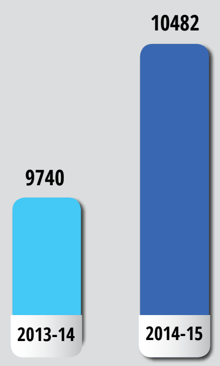

प्रदर्श 17: ग्राहकों की संख्या

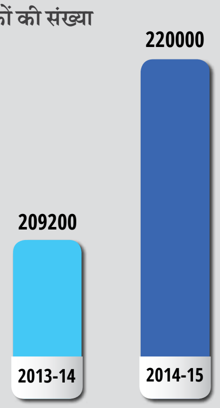

लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई ने निम्नलिखित एनेब्लर्स के साथ सुपुर्दगी मॉडल को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया है:

संबंध प्रबंधक

- इनकी संख्या 1000 को पार हो गई।
- 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के ऋणों की प्रोसेसिंग को संबंध प्रबंधक के अंतर्गत रखा गया है।

विशेषीकृत लघु एवं मध्यम उद्यम शाखाएँ

- लगभग 600 विशेषीकृत लघु एवं मध्यम उद्यम शाखाएँ उन क्षेत्रों में खोली गईं हैं, जहाँ लघु एवं मध्यम उद्यम गतिविधि की संभावना अत्यधिक है।
- ये एसएमई ऋण सुपुर्दगी के उत्कृष्टता केंद्र है।
- ये शाखाएँ विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाई जाती है। एसएमई ग्राहकों का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है।

एलओएस एवं एलएलएमएस

- ऋण पोर्टफोलियो की संस्वीकृति-पूर्व प्रक्रिया पूरी करना
- ऋण संवितरण की गुणवत्ता और एकसमान मानक सुनिश्चित करना
- अभिलेख एवं सूचना पुनः प्राप्त करने की सुदृढ़ प्रणाली

विजयपथ

- व्यवसाय संकेतों एवं संबंध प्रबंधकों के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी के लिए एसएमई ऋण प्रक्रिया और प्रणाली को दुरुस्त किया गया।
- संवितरण के मामले में आठ मंडलों में 53 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है।
- फरवरी 2015 को एसएमई में विजयपथ टूल के लिए हमारे बैंक को वर्ष 2014-15 का आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलाजी पुरस्कार दिया गया।

हाल ही की घटनाएँ

आस्ति समर्थित प्रतिभूतिकरण: समनुदेशित/प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ति समर्थित प्रतिभूतिकरण नामक नया उत्पाद शुरू किया गया।

ओला कैब्स के साथ नया गठजोड़ :

ओला कैब्स के साथ नए गठजोड़ को अंतिम रूप दिया गया और इसके तहत वित्तपोषण प्रायोगिक आधार पर 5 केंद्रों में वित्तपोषण शुरू किया गया। इस गठजोड़ के तहत ओला कैब परिचालकों को किराए पर देने हेतु नई यात्री कार खरीदने के लिए ऋण दिया जाएगा। इस गठजोड़ के तहत इन ऋणों की चुकौती ओला कैब्स द्वारा की जाएगी।

नैशनल फाइनैंशियल स्विच (एनएफएस) उप-सदस्यता (एएसपी मॉडल) के तहत सहकारी बैंकों का प्रायोजन :

इससे पूरे भारत में फैले सहकारी बैंकों के चालू खाते खोलने का उत्कृष्ट अवसर मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप, चालू खाता जमाराशियाँ बढ़ गई हैं। इसके अलावा सभी गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों को हमारे बैंक की चालू खाता जमाराशियों के जरिए अपने नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की अनुमति दी जाती है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमकर्ताओं के लिए स्थान विशिष्ट योजनाएँ :

- बुटिक फाइनैंस योजना (कोलकाता के लिए)
- महिलाओं (गृहिणियों) में उद्यमकारिता विकसित करना और संस्थात्मक ऋण तक आसान, समय पर एवं सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित करना।
- एसएमई के लिए "नवकलेवर विशेष योजना" (भुवनेश्वर, पुरी एवं कटक के लिए)
- होटल/लॉज/यात्री निवास/अतिथि-गृह के मरम्मत/नवीनीकरण/ बढ़ोतरी/बदलाव के लिए ऋण देना

भारत सरकार की सकारात्मक विकास योजनाओं के चलते अर्थव्यवस्था में संवृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का चयन मुख्य क्षेत्र के रूप में किया गया है। इस कारण से हम अपेक्षा करते हैं कि लघु एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध रहेगा।

लघु एवं मध्यम उद्यम-व्यवसाय इकाई की संवृद्धि को संचालित करने वाले उत्प्रेरकों को नीचे दिया गया है :

- एसएमई इकाइयों की नियमित कार्यशील पूँजी और परियोजना संबंधी जरूरतों के लिए सप्लाई चेन वित्त, पण्य मालगोदाम रसीद पर ऋण, फुड प्रोसेसिंग, बिलों पर ऋण, नकदी ऋण एवं मीयादी ऋण
- आस्ति समर्थित ऋण, फ्लीट फाइनैंसिंग स्कीम, निर्माण उपकरण ऋण, चिकित्सा उपकरण ऋण एवं खंड विशिष्ट पैकेज जैसे संकेंद्रित उत्पाद
- ई-टेलरों और अर्थव्यवस्था के अन्य नए व्यवसायों के साथ नए गठजोड़

5. सरकारी व्यवसाय

केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों तथा अधिकांश राज्य सरकारों के विश्वसनीय बैंकर होने के नाते बैंक ने सरकारी व्यवसाय में बाजार अग्रणी की अपनी स्थिति बनाए रखी। अपनी सेवा परम्परा को जारी रखते हुए, आपका बैंक भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए ग्राहक सुविधानुसार ई-सोल्यूशन तैयार करने में अग्रणी रहा, जिससे कि केन्द्र/राज्य सरकारें अपने लेनदेनों को ऑन-लाइन मोड में हस्तांतरित कर सके और प्रणाली में अत्यधिक कार्य-क्षमता तथा पारदर्शिता लाई जा सके। 57 प्रतिशत से अधिक बैंक के सरकारी व्यवसाय को ई-मोड में हस्तांतरित कर दिया गया है, जिससे औसत निपटान समय में काफी कमी आई है तथा नकदी लेनदेनों में भी कमी हुई है।

निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ

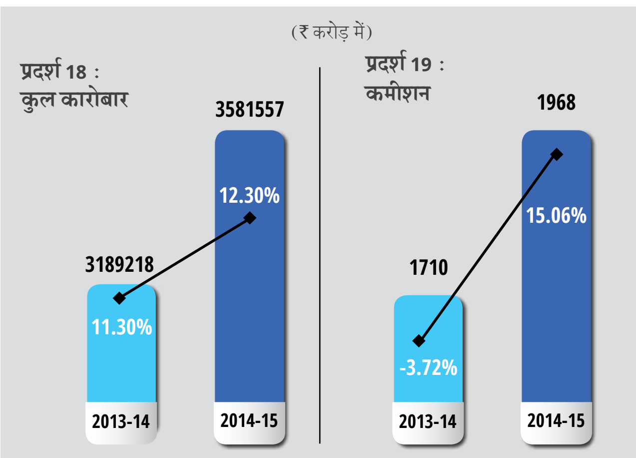

निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ नई परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

- एसबीआई ई-पे के साथ जोड़कर राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के प्रवेश शुल्क वसूल करने की सुविधा शुरू की गई, जो भारत के किसी भी बैंक द्वारा शुरू की गई एकमात्र शुल्क उगाही सुविधा सेवा है।
- निधियों/दान की वसूली करने के लिए "क्लीन गंगा फंड" और "स्वच्छ भारत" जो कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, के खाते खोले गए। क्लीन गंगा फंड को हमारे एसबीआई ई-पे पेमेंट गेटवे के साथ जोड़ दिया गया, जिससे पूरे विश्व से दान प्राप्त करने में सुविधा हुई।
- गृह मंत्रालय द्वारा 44 देशों के लिए शुरू की गई ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा को एसबीआई ई-पे के साथ जोड़ दिया गया, जिससे यात्री ऑनलाइन से वीजा शुल्क का भुगतान कर पाएंगे। इस सुविधा को भारी सफलता मिली।
- हमारे पेमेंट गेटवे के जरिए नामी शैक्षिक संस्थानों/भर्ती बोर्डों के शुल्क का भुगतान करने की सुविधाएं प्रदान की गईं।
- विभिन्न राज्य सरकारों के लेनदेनों को ई-मोड में बदलने के लिए साइबर ट्रेजरी के अंतर्गत 27 ई-पहल परियोजनाएँ शुरू की गई।
- बैंक अपने 14 सीपीपीसी के जरिए 39 लाख पेंशनरों को पेंशन का भुगतान कर रहा है। वित्त वर्ष 2014 में खोले गए 1.90 लाख खातों की तुलना में इस वर्ष 2.5 लाख से भी अधिक नए पेंशन खाते खोले गए।
- वित्त वर्ष 2014 में खोले गए 3 लाख खातों की तुलना में इस वर्ष व्यापक विपणन के जरिए 5 लाख से भी अधिक नए पीपीएफ खाते खोले गए। इस समय आपके बैंक के पास 51.42 लाख पीपीएफ खाते हैं।

6. विपणन एवं परस्पर विक्रय

भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई लाइफ, एसबीआई जनरल, एसबीआई कार्डस, एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि. और एसबीआईएमएफ का कारपोरेट वितरक है। बैंक यूटीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेंपलिटन म्यूचुअल फंड एवं एलएंडटी म्यूचुअल फंड के उत्पादों का वितरण भी करता है।

क) बैंक की परस्पर विक्रय आय में 65.35 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे यह मार्च 2014 के 234.83 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2015 में 388.28 करोड़ रुपए हुई।

ख) एसबीआई लाइफ की आय पिछले वर्ष की समरूप अवधि की 159.51 करोड़ रुपए से बढ़कर 244.62 करोड़ रुपए हो गई।

ग) एसबीआई म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय 28.12 करोड़ रुपए से बढ़कर 69.99 करोड़ रुपए हुई।

घ) हमने एसबीआई जनरल की 1.60 करोड़ वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पॉलिसियां और 2.69 लाख स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां अपने ग्राहकों को बेची।

ङ) विपणन प्रयासों के कारण स्टेट बैंक कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2015 तक कुल 2.69 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए गए (82.93 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष वृद्धि)।

च) मार्च 2014 तक खोले गए 1.20 लाख डीमैट खातों की तुलना में 31 मार्च 2015 तक 2.68 लाख डीमैट खाते खोले गए।

7. ग्राहक सेवा

भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 10 जनवरी 2015 को 'एसबीआई क्विक' सेवा शुरू की, जिससे मोबाइल फोन पर बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट खातों की शेष राशि की जानकारी अथवा मिनी स्टेटमेंट सरलता और शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एसएमएस के जरिए एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद खाते की शेष राशि जानने अथवा पिछले पांच लेनदेनों का मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए ग्राहक को मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजना होता है अथवा मिस कॉल देना होता है। बैंक द्वारा एसएमएस के जरिए सूचना दी जाती है।

विभिन्न सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर एवं कीवर्ड जानने हेतु ग्राहक को 09223588888 नंबर पर एसएमएस के जरिए HELP भेजना होगा।

भारतीय स्टेट बैंक ने इस सेवा के लिए गूगल प्ले स्टोर पर 'एसबीआई क्विक' ऐप्प दिया है।

संपर्क केंद्र

एसबीआई का संपर्क केंद्र दो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यथा 1800 11 2211 एवं 1800 425 3800 के जरिए सातों दिन चौबीसों घंटें ग्राहकों की जरूरतें पूरी करता है। इस समय इसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख ग्राहकों के कॉल प्राप्त होते हैं, उनमें से 1 लाख से भी अधिक कॉलों का जवाब ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा तथा शेष का जवाब इंटरएक्टिव रेस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) द्वारा दिया जाता है। आईवीआरएस द्वारा ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं दी जा रही हैं:

- खाते की जानकारी (शेष राशि की जानकारी, पिछले पांच लेनदेन और अन्य)।
- डेबिट कार्ड का हॉटलिस्टिंग एवं डेबिट कार्ड का स्टेटस जानना, एटीएम पिन री-जनरेट करने का अनुरोध करना।
- उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी एवं लीड रजिस्ट्रेशन
- शिकायतों का रजिस्ट्रेशन।
- पेंशन ब्योरा (बेसिक पेंशन, महंगाई भत्ता, जीवन प्रमाणपत्र की स्थिति आदि)।
- मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबि-कैश के लिए ऑनलाइन ट्रबल शूटिंग।
- एनईएफटी/आरटीजीएस एवं एसबीआई एक्सप्रेस धन-प्रेषणों की स्थिति ।

उपर्युक्त के अलावा, फोन बैंकिंग के लिए पंजीकृत ग्राहक भी निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2015 के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाएं शुरू की गईं:

- एसबीआई के खातों में पैसा ट्रांस्फ़र करना
- चेकों का भुगतान रोकना
- खाता विवरण
- सावधि जमाराशियां जारी करना

प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधी प्रश्नों के लिए संपर्क केंद्र में अलग से टोल फ्री नंबर है। उसके पास 19 अंतरराष्ट्रीय टोल फ्री नंबर भी हैं, जिनके जरिए 20 देशों को सेवा प्रदान की जा रही है।

एसबीआई के कारपोरेट मेल आईडी यथा contactcentre@sbi.co.in एवं customercare.homeloans@sbi.co.in पर प्राप्त ई-मेल का जवाब भी संपर्क केंद्र द्वारा दिया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में 'हुदहुद' चक्रवात के दौरान प्रभावित लोगों की सेवा

आंध्र प्रदेश के काफी क्षेत्रों में चक्रवात आने के कुछ ही समय बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने काफी परेशानी उठाकर 225 शाखाओं में से 209 शाखाओं और विशाखापटनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में प्रभावित हुए अनेक एटीएमों में सामान्य परिचालन बहाल किए।

प्राकृतिक आपदा जैसे समय में लोगों के लिए लेनदेन करने या पैसा निकालने की सुविधा उपलब्ध कराना एसबीआई समूह की सर्वोच्च प्राथमिकता रही थी। नकदी संचालित अर्थव्यवस्था में हाथ में पैसा नहीं रहने से जीवन में निराशा बढ़ सकती है। सामान्य स्थिति को तुरंत बहाल करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया जिससे कि प्रभावित नागरिक जीवित रहने के लिए मूलभूत वस्तुएं खरीदना शुरू कर सके। शाखाओं में कारोबार शीघ्रता से बहाल करने के अलावा, बैंक कर्मचारी अनेक क्षेत्रों में मलबा साफ करने, पीड़ित व्यक्तियों को भोजन पैकेट और कम्बल वितरित करने के कार्य से भी जुड़े रहे।

(ख) कारपोरेट बैंकिंग समूह

- कारपोरेट बैंकिंग समूह
  - कारपोरेट लेखा समूह
  - लेनदेन बैंकिंग इकाई
  - प्रोजेक्ट फाइनैंस एवं लीजिंग एसबीयू

1. कारपोरेट लेखा समूह (सीएजी)

कारपोरेट लेखा समूह (सीएजी) बैंक की बड़ी राशि के ऋण पोर्टफोलियो के संचालन के लिए स्वतंत्र एसबीयू है। इस एसबीयू के 6 क्षेत्रीय केंद्रों, अर्थात मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद में 8 कार्यालय हैं। सीएजी का व्यवसाय मॉडल संपर्क प्रबंधन अवधारणामूलक है और प्रत्येक ग्राहक एक संपर्क प्रबंधक को सौंप दिया जाता है, जो विभिन्न कार्यों से संबंधित ग्राहक सेवा समूह का प्रमुख होता है। स्ट्रक्चर्ड उत्पादों के जरिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर समन्वित एवं व्यापक समाधान प्रस्तुत करने हेतु संपर्क कार्यनीति तैयार की जाती है। एसबीआई शीर्ष कारपोरेट्स का पसंदीदा बैंक हो, यह इस कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य है।

प्रदर्श 20 : कारपोरेट लेखा समूह का व्यवसाय निष्पादन

(₹ राशि करोड़ में)

सुविधा	मार्च 2014	मार्च 2015	वर्षानुवर्ष संवृद्धि
निधि आधारित+गैर-निधि आधारित	4,35,675	4,56,138	5%

सीएजी की निधि आधारित बकाया राशि बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का 24 प्रतिशत है, इसके अलावा सीएजी द्वारा बैंक के देशीय विदेशी मुद्रा व्यवसाय का लगभग 58 प्रतिशत व्यवसाय भी संचालित किया जाता है। वर्ष के दौरान, सीएजी ने एनटीपीसी, बीएसएनएल, सेल, जीएसपीसी जैसे बड़े ग्राहकों के बड़ी राशि के सौदों के लेनदेन संचालित किए हैं।

वर्ष के दौरान, यद्यपि तेल खंड से व्यवसाय में गिरावट रही, फिर भी गैर-तेल खंड से काफी व्यवसाय उत्पन्न किया गया। सीएजी के लगभग 87 प्रतिशत ऋण निवेश श्रेणी और उससे ऊपर की श्रेणी की कंपनियों को दिए गए हैं तथा सभी क्षेत्रों को संतुलित रूप से इनका संवितरण किया गया। सीएजी के लगभग 47 प्रतिशत ऋण इंफ्रा क्षेत्र से संबंधित हैं।

2. लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू)

लेनदेन बैंकिंग इकाई द्वारा कारपोरेटों, सरकारी विभागों एवं वित्तीय संस्थानों को कई प्रकार के उत्पाद दिए जाते हैं, जिनमें अन्य के साथ साथ नकदी प्रबंधन उत्पाद, व्यापार वित्त एवं सप्लाई चेन (डीलर/वेंडर)वित्त शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों में इकाई के व्यवसाय में भारी वृद्धि हुई है।

नकदी प्रबंधन उत्पाद (सीएमपी)

संग्रहण, भुगतान एवं नकदी प्रबंधन सहित नकदी प्रबंधन सेवाओं की पूरी श्रृंखला चेक एवं नकदी संग्रहण (द्वार पर बैंकिंग सहित) के जरिए, सार्वजनिक निर्गम का संग्रह (आईपीओ/बांड), ई-संग्रह, ई-भुगतान, उत्तर दिनांकित चेकों एवं अधिदेशों का प्रबंधन, नैच आधारित डेबिट तथा लाभांश वारंट, रीफंड और ब्याज वारंट, मल्टी सिटी चेक एवं अंतर कार्यालय लिखत जैसे कागजी लिखत के जरिए उपलब्ध की जाती है। प्रौद्योगिकी से संचालित पलैटफार्म से पूरे देश में लगभग 1,600 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से कारपोरेट ग्राहकों को एसबीआई फास्ट (फंडस एवेलैबल इन शॉटेस्ट टाइम) वसूली सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 16,300 से भी अधिक शाखाओं के नेटवर्क के जरिए ईजी कलेक्ट, पॉवर ज्याति-प्री अपलोड आदि जैसे कतिपय प्रीमियम उत्पादों से बड़ी कंपनियों, मध्य कारपोरेटों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की वसूली संबंधी जरूरतों की पूर्ति की जाती है। विशेषीकृत पोर्टलों एवं होस्ट टू होस्ट सुविधा की सुरक्षित प्रक्रिया के जरिए बैंक कई ई-भुगतान उत्पाद उपलब्ध कराता है। यह व्यवसाय पिछले तीन वर्षों में काफी बढ़ा है।

प्रदर्श 21: सीएमपी की कुल शुल्क आय (₹ करोड़ में)

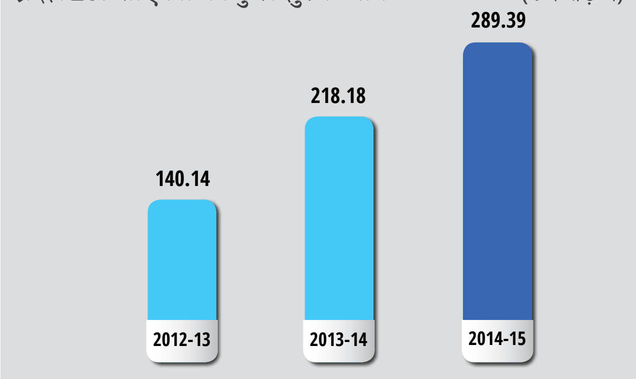

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के लिए के लिए सीएमपी अकेला रिफंड बैंकर है। बैंक के कोर बैंकिंग इनफ्रास्टक्चर के साथ सीएमपी केंद्र ने रक्षा लेखा महानियंत्रक, यूएमईए के अधीन सिविल मंत्रालयों और कुछ राज्य सरकारों की भुगतान प्रणाली का एकीकरण किया है। इसके माध्यम से केंद्रीकृत ई-भुगतान समाधान उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे सरकारी विभाग राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना (एनईजीपी) के अंतर्गत अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

व्यापार वित्त

ई-ट्रेड एसबीआई

एसबीआई ने अपने ट्रेड फाइनैंस व्यवसाय ई-ट्रेड एसबीआई हेतु उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी एवं परिचालन संबंधी आधारभूत सुविधाएँ स्थापित कर ली है। मार्च 2011 में हमारे बैंक द्वारा वेब आधारित पोर्टल के रूप में शुरू किए गए ई-ट्रेड एसबीआई में निरंतर सुधार किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा हो और उन्हें ट्रेड फाइनैंस सेवाएँ त्वरित गति और प्रभावी ढंग से प्राप्त हो सकें तथा वे विश्व में कहीं से भी साख-पत्र, बैंक गारंटी और बिल संग्रहण/परक्रामण संबंधी अपनी आवश्यकताओं को ऑनलाइन से प्रस्तुत कर सकें। 31 मार्च 2015 तक ई-ट्रेड एसबीआई के अंतर्गत लगभग 1900 कारपोरेटों द्वारा पंजीकरण किया गया।

प्रदर्श 22: ई-व्यापार लेनदेनों में वृद्धि (संख्या)

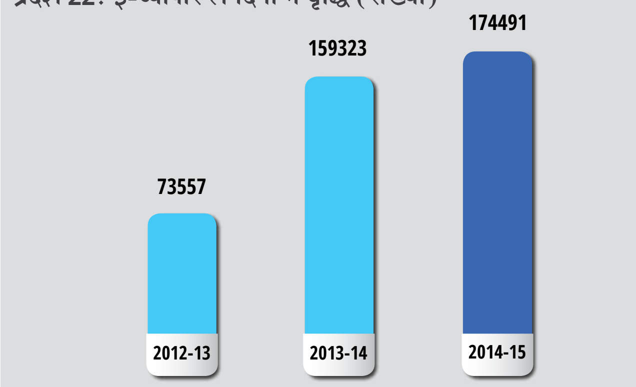

ई-वीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक वेंडर फाइनैंसिंग स्कीम) एवं ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनैंसिंग स्कीम)

उपर्युक्त दो उत्पादों के माध्यम से सप्लाई चेन भागीदारों के वित्तपोषण के कारण कारपोरेट जगत के साथ हमारे संबंध अधिक सुदृढ़ हुए हैं। ये दोनों उत्पाद ऑटोमेटेड, सुरक्षित और सुदृढ़ हैं तथा इन्हें इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जिससे व्यवसाय भागीदारों के कार्यशील पूंजी चक्र का प्रभावी ढंग से प्रबंधन, निर्बाध संवृद्धि और लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके। 31 मार्च 2015 तक 2,000 वेंडरों और 7,900 डीलरों के साथ 130 से भी अधिक बड़े उद्योगों (आईएम) को ई-वीएफएस/ई-डीएफएस प्लैटफार्म के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के साथ जोड़ा गया है, जो कि क्रमशः 98 एवं 157 प्रतिशत है

वित्तीय संस्थात्मक व्यवसाय इकाई (एफआईबीयू)

बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, दलाली संस्थाओं एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संभावित व्यवसाय अवसरों का दोहन करने हेतु वित्तीय संस्थात्मक व्यवसाय इकाई नामक एक अलग इकाई की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान म्यूचुअल फंडों के लिए विभिन्न वसूली एवं भुगतान उत्पाद उपलब्ध कराकर नकदी प्रबंधन को सुगम बना देने के अलावा, उनके लिए “इंट्रा-डे सीमा” की सुविधा भी शुरू की गई।

पूंजी बाजार व्यवसाय ग्राहकों एवं दलालों को सेवा देने के लिए मुंबई में पूंजी बाजार शाखा कार्य कर रही है, जो कि एक विशेषीकृत शाखा है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान पूंजी बाजार शाखा, मुंबई को लगातार चौथे वर्ष मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वित्त वर्ष 2014 के प्राथमिक बाजार खंड-ऋण सार्वजनिक-बैंक में 3 सर्वोत्तम निष्पादनकर्ता में से एक का पुरस्कार दिया गया।

3. प्रोजेक्ट फाइनैंस एवं लीजिंग एसबीयू (पीएफएसबीयू)

प्रदर्श 23: पीएफएसबीयू का व्यवसाय निष्पादन (₹ करोड़ में)

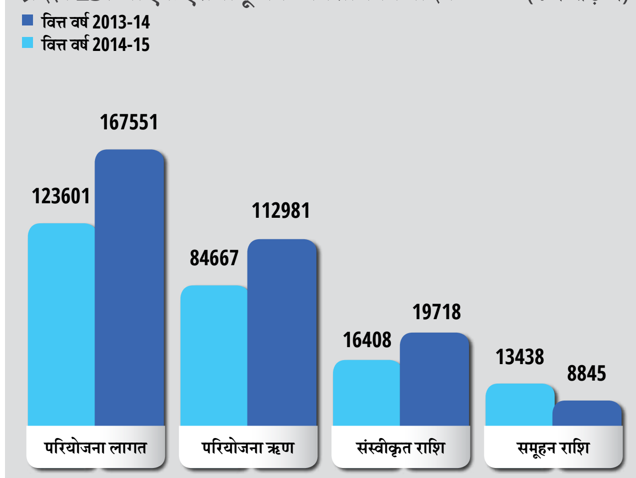

पीएफएसबीयू बिजली, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह जैसी आधारभूत ढांचे की बड़ी योजनाओं तथा मेटल, सीमेंट, तेल और गैस आदि जैसी गैर-आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं, जिनकी न्यूनतम प्रारंभिक परियोजना लागत निर्धारित होती है, की निधियों के अनुमोदन और उनकी व्यवस्था का कार्य करती है। आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण हेतु नीतिगत/विनियामक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग, आरबीआई आदि को इनपुट्स भी दिए जाते हैं।

31 मार्च 2015 को पीएफएसबीयू के कार्यान्वयन और नियंत्रणाधीन आधारभूत ढांचा परियोजना पोर्टफोलियो का विवरण इस प्रकार हैः कुल 50,566 मेगावॉट क्षमता वाली पॉवर परियोजनाएँ, 190 मिलियन ग्राहकों को सेवा देने वाली टेलिकॉम परियोजनाएँ, 5,000 किमी कवर करने वाली सड़क परियोजनाएँ, 45 एमटीपीए बहु-उद्देश्यीय कार्गो और कंटेनर क्षमता की 1.2 मिलियन टीईयू, हैदराबाद में मेट्रो परियोजना तथा इनके अलावा अनेक स्टील, सीमेंट, शहरी इन्फ्रा आदि परियोजनाएँ। वित्त वर्ष 2015 के दौरान इन परियोजनाओं को (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) कुल 12,090 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2014 के दौरान 9,691 करोड़ रुपए) के ऋण दिए गए।

पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बिजली उत्पादन हेतु नवीकरणीय क्षेत्र पर जोर देते हुए बैंक ने पवन/सौर क्षेत्र की 4 परियोजनाओं को कुल 770 करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत किया है।

(ग) मध्य कारपोरेट समूह (एमसीजी)

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, मध्य कारपोरेट समूह (एमसीजी) के अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई (2), हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता (2), मुंबई (2), नई दिल्ली (2) और पुणे में कुल 14 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 57 शाखाएं हैं।

प्रदर्श 24: मध्य कारपोरेट समूह : मार्च 2015 को उद्योग-वार एक्सपोज़र

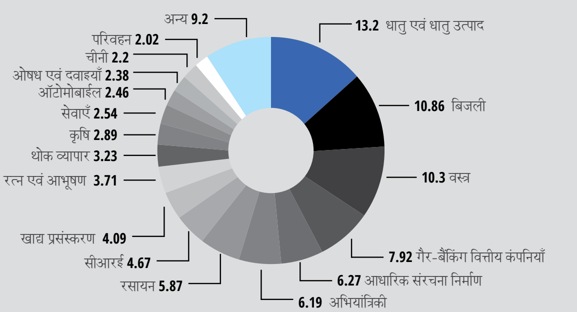

अर्थव्यवस्था में मंदी आने के कारण भारत में मध्य कारपोरेट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए, समूह ने मूल्यांकन, संस्वीकृति, अनुवर्तन और पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹8,747 करोड़ के तनावग्रस्त खातों की बिक्री की गई।

मासिक समीक्षा बैठकों के अलावा, समूह के पोर्टफोलियो तथा उससे संबंधित समस्याओं एवं प्रवृत्तियों की बेहतर समझ के लिए मध्य कारपोरेट समूह द्वारा आवधिक स्ट्रक्चर्ड बैठकें आयोजित करने का दृष्टिकोण अपनाया गया, जो कि अनिवार्य ब्रेन-स्ट्रामिंग सत्र के समान रहे। इन बातचीतों में शीर्ष कार्यपालकों एवं निचले स्तर पर कार्य करने वाले परिचालन अधिकारियों के बीच किया गया विचारों का आदान-प्रदान व्यवसाय संवृद्धि और आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन हेतु समूह की आयोजना के संदर्भ में काफी उपयोगी रहा।

समूह भारत में अपने ग्राहकों की गतिविधियों का विस्तार कर उनकी प्रगति के मामले में सहभागी रहा और वह विदेश स्थित अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों (लेटर ऑफ कंफर्ट अथवा स्टैंड बाई साख-पत्रों दवारा समर्थित) को आस्तियों/विदेश स्थित कंपनियों के अधिग्रहण हेतु सहायता प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान अग्रिमों पर आय में 25 आधार बिन्दुओं की वृद्धि हुई (9.71% से 9.96%) और उपरि व्ययों में भी 13% (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी आई ।

(घ) कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय (सीएसएण्डएनबी)

बैंकिंग प्रणाली अपने परम्परागत व्यवसाय कार्यक्षेत्र में नई डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के रूप में नई चुनौतियों का सामना कर रही है। काफी दिनों से, स्मार्ट फोनों का प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ने और ई-कामर्स के आने तथा काफी संख्या में नवोन्मेषी उत्पाद/मोबाइल ऐप्प की शुरुआत होने के कारण बैंकिंग व्यवसाय में पैमेंट सिस्टम की मांग ने काफी जोर पकड़ा है। पैमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक विचाराधीन हैं। प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में काफी सघनता रहेगी और तेजी से बदलाव आएंगे।

उभरते हुए परिदृश्य का सामना करने और इस दौड़ में सबसे आगे रखने के लिए, आपके बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय के अंतर्गत कुछ उपाय शुरू किए हैं।

प्रमुख कार्यक्षेत्र :

क) डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत करना, जिससे उप-ब्रांड एसबीआई इनटच के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके।

ख) हमारी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि करना।

ग) मर्चेण्ट अधिग्रहण व्यवसाय को बढ़ाना और नवोन्मेषी उपायों के माध्यम से लेनदेनों को आसान बनाना।

घ) एग्रीग्रेशन व्यवसाय को सुदृढ़ बनाने के लिए और अधिक बैंकों तथा मर्चेण्टों को आगे लाना।

ङ) कार्ड के क्षेत्र में ग्राहक अनुभव बढ़ाना।

च) आंतरिक शाखा ग्राहक अनुभव को बढ़ाना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन ने मुंबई में "एसबीआई इनटच" शाखा का दौरा किया।

डिजिटल बैंकिंग परियोजना : "sbiINTOUCH"

नए युवा और स्मार्ट प्रभावशाली लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, आपके बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान अत्यधिक विश्वास के साथ सेवा सुपुर्दगी की डिजिटल सेवाएं शुरू की है। 10 से 15 मिनट के अंदर खाता खोलना (इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तथा व्यक्ति द्वारा स्वयं डेबिट कार्डों को तुरंत जारी करने जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने सहित); सुदूर विशेषज्ञ सलाह, बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाओं, जिनमें एसबीआई की अनुषंगियों के उत्पाद एवं सेवाएं, अर्थात जीवन बीमा, साधारण बीमा, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड्स, एसबीआई कैप सिक्युरिटीज के माध्यम से ई-ट्रेड शामिल हैं, को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के रूप में शुरू किया गया है। डिजिटल बैंकिंग से ग्राहक अनुभव बढ़ाने, उत्पादों एवं सेवाओं को सरल बनाकर परेशानी रहित एवं पूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली और इस प्रकार बैंक को आने वाले दिनों में डिजिटल सेवा प्रदान करने वाले उच्च कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिली है।

इस उप-ब्रांड "sbiINTOUCH" के अंतर्गत सर्वप्रथम दिनांक 1 जुलाई 2014 को 7 डिजिटल बैंकिंग आउटलेटों की शुरुआत की गई। प्रारंभ में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में डिजिटल बैंकिंग आउटलेटों की शुरुआत की गई है।

"sbiINTOUCH" आउटलेट अति आधुनिक डिवाइसों/कियोस्कों से सुसज्जित हैं और शॉपिंग मॉलों में खोले गए हैं, जहां नए युवा और स्मार्ट प्रभावशाली लक्ष्य समूह के ग्राहक स्वयं सहायता मोड में लेनदेन करते हैं। यद्यपि ऑनसाइट और सुदूर दोनों तरफ हाई डिफिनेशन वीडियो कान्फ्रेंश के माध्यम से विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। ये आउटलेट बहुविध चैनलों पर सतत अनुभव और लेनदेन प्रक्रिया स्टेशन (सेल्फ सर्विस जोन), सूचना और इंटरएक्शन स्टेशन, सलाहकारी कक्ष उपलब्ध कराते हैं, जिससे शॉप में लक्ष्य समूह ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके।

इस डिजिटल बैंकिंग प्रोजेक्ट से काफी व्यवसाय उत्पन्न करने में मदद मिली है और व्यवसाय उत्पन्न होने में निरंतर वृद्धि हो रही है।

"sbiINTOUCH" शाखाओं में उपलब्ध उत्पाद और सेवाएं:

- खाता खोलने पर तुरंत व्यक्तिगत डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा
- कैश जमा करने/पैसा निकालने, पैसा ट्रांस्फर करने, खाते आदि की मशीनों पर बातचीत द्वारा जानकारी लेने की सुविधा
- शैक्षणिक संस्थाओं, आगामी आवास परियोजनाओं, ऑटोमोबाइल/कार डीलरों/मॉडलों/कीमत के साथ साथ बैंक ऋण पात्रता के बारे में इकट्ठी की गई जानकारी स्क्रीनों पर बातचीत करके प्राप्त की जा सकती है
- सेवा अनुरोध के आधार पर विशेषज्ञों से बातचीत करने के लिए हाई-डेफिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिन्ग
- सोशल मीडिया पर बातचीत
- अनुरोधों/व्यवसाय संभावनाओं की ऑनलाइन पूर्ति
- परस्पर विक्रय (क्रॉस सेलिंग): एसबीआई अनुषंगियों के उत्पाद/सेवाएं
  - एसबीआई लाइफ/जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड, आदि
  - एसबीआई कैप्स सिक्युरिटीज के जरिए ई-ट्रेड
  - विश्लेषण और आनुमानिक विश्लेषण

मोबाइल बैंकिंग सेवा

हमारा बैंक मोबाइल बैंकिंग लेनदेन की संख्या के मामले में बाजार में 46% हिस्सेदारी के साथ निरंतर सबसे आगे बना हुआ है। रीटेल इंटरनेट बैंकिंग आधारित स्टेट बैंक एनीवेर मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन शुरू किया गया। मोबाइल बैंकिंग में इसकी स्थिति अच्छी हो गई है और इसमें भारी वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान मोबाइल बैंकिंग प्लैटफार्म के माध्यम से ₹11,662 करोड़ राशि के 7.71 करोड़ लेनदेन किए गए। लेनदेन लागत काफी कम हो गई है और यह उद्योग के मामले के अनुरूप ही है। इन लेनदेन की राशि में वर्षानुवर्ष 170% की वृद्धि दर्ज की गई।

मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस (एमएबी)

मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस वर्टिकल की स्थापना कार्डों के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए देश में एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करने, मर्चेंट संबंध के द्वारा बैंक की प्रत्यक्ष उपस्थिति बढ़ाने तथा उसे अन्य फायदे देने के उद्देश्य से की गई है। हम बाजार में 2 लाख से अधिक टर्मिनलों के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी संस्था हैं। वित्त वर्ष 2015 के दौरान लेनदेनों की संख्या की दृष्टि से 104% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई। हमारी गिनती भारत में 4 शीर्ष एक्वायरर्स में होती है। हम कई प्रमुख संस्थाओं के साथ कॉरपोरेट गठजोड़ कर चुके हैं। इनमें शीर्ष शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल शामिल हैं। इससे हमें बाजार में बड़ी मात्रा में उपलब्ध संभावनाओं का निरंतर लाभ मिलता रहेगा। वर्ष के दौरान बैंक ने अखिल भारतीय आधार पर मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल शुरू किए हैं।

प्रदर्श 25: पीओएस टर्मिनलों की कुल संख्या

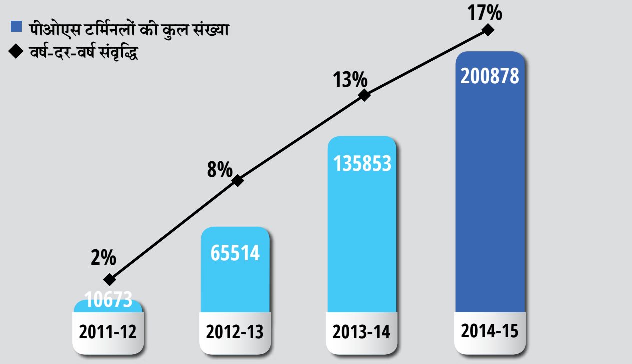

मर्चेंटों द्वारा कार्ड धारकों ₹1,000 तक कैश देने के लिए बैंक ने 1.05 लाख से अधिक पीओएस टर्मिनल भी शुरू किए हैं। चालू वित्त वर्ष में हमारे पीओएस टर्मिनलों पर 1,12,194 ऑफ-अस कैश@पीओएस लेनदेन किए गए हैं।

प्रदर्श 26: पीओएस लेनदेनों की राशि
पीओएस लेनदेनों की संख्या

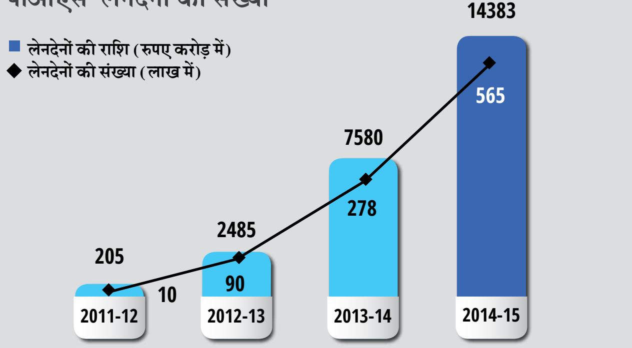

स्टेट बैंक एग्रीगेटर सेवा (SBIePay)

दि पैमेंट एग्रीगेटर सर्विस "SBIePay" के पास अपने भागीदारों के रूप में 40 से अधिक बैंक हैं और ई-कॉमर्स/एम-कॉमर्स लेनदेनों को आसान बनाने के लिए अब वह सेवाओं को पूरी तरह से प्रस्तावित करता है। "SBIePay" ने सिक्युरिटी सर्टिफिकेशन पीए-डीएसएस और ISO 27001:2013 भी प्राप्त किया है।

प्रमुख केन्द्रीय/राज्य सरकार वाले मर्चेण्टों को "SBIePay" से जोड़ा गया है, जिससे निम्नलिखित पैमेंट सेवाएं उपलब्ध करायी जा सके ;

- भारत सरकार का ई-वीजा प्रोजेक्ट
- गंगा की सफाई के राष्ट्रीय मिशन में योगदान करना
- राज्य सरकारों की C2G पहल
- शैक्षणिक संस्थाएं

दिनांक 27/11/2014 को 43 देशों में विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑन-लाइन वीजा सुविधा के अंतर्गत "SBIePay" ने 1,05,953 ई-ट्यूरिस्ट वीजा (राशि यूएस डॉलर 65,46,766) पर कार्रवाई की। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान (दिसंबर 2013 - मार्च 2014), लगभग 10,000 ट्यूरिस्ट वीजा जारी किए गए। ई-ट्यूरिस्ट वीजा जारी करने से ट्यूरिस्टों की संख्या बढ़कर 95,953 हुई और इस प्रकार मार्च 2015 की समाप्ति तक चार महीनों के दौरान 1055% वृद्धि हुई है। उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को देखते हुए यह सुविधा और अधिक देशों के लिए शुरू की जा रही है।

देश में एग्रीगेटर सर्विस वाला एकमात्र बैंक होने के कारण बढ़ते हुए ई-कॉमर्स बाजार और ई-कॉमर्स के संबंध में भारत सरकार की पहल का "SBIePay" द्वारा लाभ उठाया जा रहा है।

डेबिट कार्ड:

स्टेट बैंक समूह देश भर में डेबिट कार्ड जारी करने में लगातार सबसे आगे बना हुआ है। 31 मार्च 2015 को इसके द्वारा जारी डेबिट कार्डों की संख्या 23.90 करोड़ से भी अधिक रही। नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर जाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत आपका बैंक डेबिट कार्ड का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई

प्रोत्साहात्मक एवं कैश बैक अभियान चलाकर प्वाइंट ऑफ सेल/ई-कॉमर्स पर डेबिट कार्ड के उपयोग को बढ़ाने में सक्रिय रहा। इसके कारण डेबिट कार्ड के द्वारा स्टेट बैंक समूह के 'बिक्री केंद्रों' और 'ई-कॉमर्स' पर खरीदारी वित्त वर्ष 2015 में 38.80% वृद्धि के साथ ₹30,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। यह राशि समस्त उद्योग में कुल डेबिट कार्ड खरीदारी का लगभग 25% है, जैसा यहाँ नीचे ग्राफ में बताया गया है।

प्रदर्श 27: डेबिट कार्ड व्यय (₹ करोड़ में)

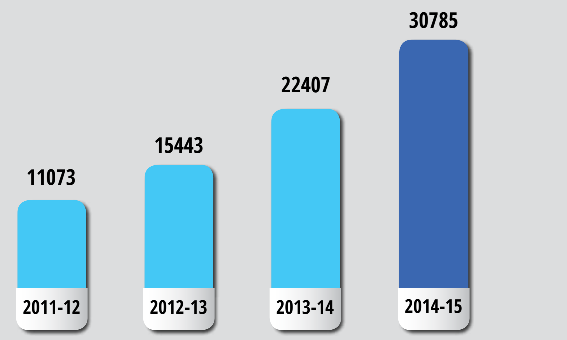

प्रीपेड कार्ड

नकदी - रहित समस्त लेनदेनों के लिए आपके बैंक के पास कई प्री-पेड कार्ड हैं। इनमें गिफ्ट कार्ड जैसे लोकप्रिय रुपया प्री-पेड कार्ड, ई जेड पे कार्ड जैसे सामान्य उपयोग वाले कार्ड तथा विदेशी यात्रा कार्ड शामिल हैं, जो ग्राहकों की भुगतान संबंधी कई जरूरतो की पूर्ति करते हैं।

विदेश यात्रा कार्ड

वित्त वर्ष 2015 के दौरान चार विदेशी मुद्राओं (यथा-यूएल डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो एवं एसजीडी) में बहु-मुद्रा विदेशी यात्रा कार्ड शुरू किए गए। विदेश यात्रा कार्ड (एफटीसी), चिप आधारित ईएमवी कार्ड आठ विदेशी मुद्राओं में, यूएस डॉलर (यूएसडी), ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (जीबीपी), यूरो, कैनेडियन डॉलर (सीएडी), आस्ट्रेलियन डॉलर (एयूडी), जापानी येन (जेपीवाई), साउदी रियाल (एसएआर) और सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) में उपलब्ध हैं, इनमें वीजा प्लैटफॉर्म पर विदेश यात्रा करने वालों की संरक्षा, सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। विदेश यात्रा कार्ड विभिन्न कारपोरेट विशेषताओं के साथ विदेश यात्रा करने वाले कारपोरेट कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2015 की बिक्री में वर्षानुवर्ष 41.89% दर्ज हुई।

ईजी-पे कार्ड

ईजी-पे कार्ड राज्य और केंद्र सरकार की अधिकांश सामाजिक योजनाओं के लाखों लाभार्थियों की सुविधा और उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। कारपोरेट इकाइयों के वेतन भुगतान भी इसके जरिए प्राप्त किए जा रहे हैं।

गिफ्ट कार्ड

गिफ्ट कार्ड अपने प्रियजनों को उनकी "पसंद का उपहार देने" में उपयोगकर्ताओं के बीच निरंतर पसंदीदा विकल्प रहा। ग्राहक गिफ्ट कार्ड ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। स्टेट बैंक अचीवर कार्ड प्रोत्साहनों/पुरस्कारों की राशि वितरित करने के लिए 10 वर्षीय वैधता अवधि वाला बार-बार राशि भरकर उपयोग करने योग्य कारपोरेट प्रोत्साहन कार्ड है। इसकी शुरुआत जनवरी 2014 के दौरान हुई।

स्मार्ट पेआउट कार्ड

स्मार्ट पेआउट कार्ड जो रुपया प्रीपेड कार्ड है और जिसमें बार बार राशि भरी जा सकती है, वित्त वर्ष 2014 के दौरान शुरू किया गया। यह कार्ड निम्न आय वर्ग के लोगों जैसे कामकाजी कार्मिकों/ठेका श्रमिकों आदि को लक्षित कर शुरू किया गया था। यह कार्ड वर्तमान बचत बैंक ग्राहकों को एक अतिरिक्त कार्ड ("Add-on Card") के तौर पर भी जारी किया जा सकता है।

एसबीआई स्मार्ट चेंज

यह कार्ड आरएफआईडी आधारित कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड है। यह कार्ड छोटे नोटों/सिक्कों की समस्याओं से बचने का एक पूर्ण विकल्प है। एक क्लोज्ड लूप कार्ड होने के कारण इसे जारी कराने के लिए किसी केवाईसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। यह कार्ड कॉन्टेक्टलेस मेट्रो कार्डों के समान ही है, जो तुरंत जारी हो जाता है और तत्काल उपयोग में लाया जा सकता है। यह कार्ड दिल्ली मदर डेरी और अमूल के सहयोग से को-ब्रांडिड कार्ड के रूप में उनके मिल्क/सफल बूथों पर उपयोग में लाने के लिए शुरू किया गया है। आवश्यकता होने पर इस कार्ड में मदर डेरी/अमूल केंद्रों से राशि भराई जा सकती है। ऐसा ही उत्पाद राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स के भीतर भी शुरू किया गया हैं।

स्वयं : बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क

बैंक द्वारा नवंबर 2014 में बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटर स्वयं की शुरुआत की गई। बैंक का 2,500 पासबुक किओस्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन किओस्क का उपयोग करके ग्राहक अपने आप अपनी पासबुक प्रिंट कर सकता है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 1,500 से अधिक ऐसे किओस्क स्थापित किए गए, जिनमें प्रतिदिन 2,50,000 से अधिक लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। 4 मास की अल्पावधि के दौरान 1 करोड़ से अधिक पासबुक प्रिंटिंग लेनदेन स्वयं के माध्यम से संपन्न किए गए।

ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी)

अपनी शाखाओं में मुख्यतः बड़ी संख्या में नकदी जमा करने संबंधी नॉन-होम लेनदेन के कार्य के लिए बैंक ने 2 जनवरी, 2012 को जीआरसी, धन-प्रेषण कार्ड प्रारंभ किया। कार्डधारक इस कार्ड को जीसीसी या नकदी जमा मशीन (सीडीएम) पर स्वाइप कर संबंधित पाने वाले को धन प्रेषित कर सकते हैं, जिनका खाता क्रमांक कार्ड में उल्लिखित हो। लेनदेन पूरा होते ही धन भेजने वाले और पाने वाले, दोनों को एसएमएस से पुष्टि की जाती है।

ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी)

ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी) कार्ड आधारित लेनदेन प्रक्रिया डिवाइस (टीपीडी) है, जो शाखा काउंटरों पर उपलब्ध है। इस डिवाइस के माध्यम से ग्राहक अपना लेनदेन ब्योरा प्रविष्ट करता है और अपने डेबिट कार्ड पिन का उपयोग करके स्वयं उसे प्राधिकृत करता है। ग्राहक द्वारा वाउचर भरने की आवश्यकता नहीं है और ग्राहक प्रति लेनदेन समय की बचत करता है तथा कागजरहित बैंकिंग का अनुभव करता है।

ग्रीन चैनल काउंटर सुविधा सभी रिटेल शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है। जीसीसी के माध्यम से औसतन प्रति दिन 5.22 लाख से अधिक लेनदेन हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2015 के दौरान, 12.84 करोड़ लेनदेन और 20% स्वीकार्य लेनदेन ग्रीन चैनल के माध्यम से हुए हैं। बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए 3,000 से अधिक शाखाओं में अलग से जीसीसी उपलब्ध कराए गए हैं, जो ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक पाए गए और काउंटरों पर ग्राहकों का कार्य पहले से कम समय में संपन्न होने लगा।

सेल्फ सर्विस किओस्क (एसएसके)

सेल्फ सर्विस किओस्क (एसएसके) डेबिट कार्ड आधारित गैर-नकदी लेनदेन किओस्क है। किओस्क में पासबुक प्रिंटिंग, युटिलिटी बिल भुगतान, चेक बुक अनुरोध आदि सहित 20 विभिन्न प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन उपलब्ध रहते हैं।

31 मार्च 2015 को, सेल्फ सर्विस किओस्क (एसएसके) उपलब्ध होने से 1,364 शाखाओं के ग्राहक विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन कर पा रहे हैं। औसतन, एसएसके पर प्रतिदिन 55,000 से अधिक लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं।

ङ तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

1. विहंगावलोकन

हालिया दिनों में समष्टिगत-आर्थिक परिवेश के दबाव में रहने के कारण सभी क्षेत्रों में ऋणों के मानक श्रेणी से नीचे की श्रेणी में आने का सिलसिला तेजी पर है, और आज एनपीए समाधान सभी बैंकों के समक्ष एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों पर निम्नलिखित कारणों से निरंतर दबाव बना हुआ है ;

- लगातार मंदी की प्रवृत्ति
- इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के रुकने/उनके शुरू होने में देरी
- खनन संबंधी समस्याएँ - कोयले का उपलब्ध होना
- बिजली, लौह और इस्पात, निर्यात आदि क्षेत्रों पर दबाव
- कपड़ा क्षेत्र अनेक कारणों, जैसे - कपास की कीमतों में वृद्धि, गिरावट/निर्यातों के रद्द होने, कम कीमत मिलने आदि से दबाव में है
- विमानन क्षेत्र पर दबाव
- प्राप्य राशियों की उगाही में देरी
- कानूनी कार्यवाही के द्वारा एनपीए समाधान में देरी।

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (एसएएमजी) अलग से गठित एक विशेष समूह है, जिसका नेतृत्व एक उप प्रबंध निदेशक संभालते हैं और इसका सृजन विशेष रूप से बड़ी राशि वाले एनपीए का कारगर समाधान करने के लिए किया गया है। अपने पांच क्षेत्रीय कार्यालयों जिनमें एक का नेतृत्व महाप्रबंधक, दो का मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किया जा रहा है और ये इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों पर नजर रखते हैं। एसएएमजी बैंक में एनपीए समाधान के लिए उत्कृष्टता के साथ प्रयास कर रहा है। 1 अप्रैल 2014 से एसएएमजी राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से लेकर 42 तनावग्रस्त आस्ति समाधान शाखाओं की जिम्मेदारी उठा रहा है और रिटेल एनपीए के समाधान पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस समय एसएएमजी की देश भर में 17 एसएएम शाखाएं और 42 एसएआर शाखाएं हैं। एसएएमजी वर्तमान में बैंक के एनपीए और वसूली अधीन खातों में से क्रमशः 23.4% और 62.60% की जिम्मेदारी उठा रहे है। एसएएमजी के वसूली प्रयासों में सभी समूहों के अग्रिम पंक्ति के परिचालन स्टाफ और देश भर में स्थित बैंक की शाखाओं द्वारा भी सहायता की जा रही है। विस्तारित कवरेज के लिए बैंक के वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदर्श 28: अनर्जक आस्ति प्रबंधन निष्पादन

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 11-12	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
सकल अनर्जक आस्तियाँ	39,676	51,189	61605	56,725
सकल अनर्जक आस्तियाँ %	4.44	4.75	4.95	4.25
निवल अनर्जक आस्तियाँ %	1.82	2.10	2.57	2.12
नई स्लिपेज	24,712	31,993	41,516	29,444
नकद वसूलियाँ / कोटि उन्नयत	9,618	14,885	17,924	13,011
बट्टे खाते	744	5,594	13,176	21,313
बट्टे खातों से वसूलियाँ	962	1,066	1,543	2,318

फिर भी, एनपीए कम करने के भरसक प्रयास करते समय बैंक को कानूनी कार्यवाही में प्रायः कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वसूली में विलंब हो जाता है। बैंक ने उन बाधाओं को दूर करने के लिए उचित स्तर पर संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क किया है। इन बाधाओं के बावजूद समाधान के लिए शुरू की गई समस्त कार्रवाइयों पर निरंतर अनुवर्तन किया जाता है और एनपीए के शीघ्र समाधान के लिए कार्यनीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बैंक वित्त वर्ष 2016 में जब अवधि समाप्ति का दबाव कम हो जाएगा, आस्ति गुणवत्ता की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

आस्ति-पुनर्संरचना

आस्तियों की कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना केवल ऐसे मामलों में की जा रही है जो तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं और जिनमें परियोजना में प्रवर्तक की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है। ऐसे मामलों में पुनर्संरचना तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बाद ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, पुनर्संरचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार भी की जाती है। वैश्विक मंदी, देश के बाजारों की धीमी वृद्धि दर और उद्योग स्तर पर गिरावट के कारण हालिया वर्षों में पुनर्संरचना पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसके अलावा, अर्थक्षम इकाइयों की पुनर्संरचना के चलते बैंक ऋणियों के पास फंसी राशि की वसूली कर पा रहे हैं, उद्योग को निरंतर कार्यक्षम रखने में सहायता कर पा रहे हैं और श्रमिकों को रोजगार देने में मदद कर पा रहे हैं।

एनपीए नियंत्रण

बैंक एनपीए में वृद्धि रोकने के लिए प्रयास कर रहा है और समाधान की कार्यनीतियों की निरंतर समीक्षा एवं पुनरीक्षण किया जा रहा है। अनियमित खातों की समस्याओं का समय पर पता लगाकर और उनका निदान करके, विशेष उल्लेख वाले खातों पर निगरानी रखकर उनकी समीक्षा करके, खातावार निगरानी आदि द्वारा एनपीए रोकने के उचित उपाय किए गए हैं। बैंक ने नए एनपीए होना रोकने और वर्तमान एनपीए के समाधान के लिए द्वि-स्तरीय कार्यनीति अपनाई है। .

एनपीए में नई वृद्धि पर नियंत्रण

- समस्याओं का समय रहते निदान और अनियमितता के कारणों का विश्लेषण करना, एनपीए श्रेणी में आने से रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई हेतु उचित कार्यनीतियां बनाना।
- जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उद्योगवार ऋण जोखिम सीमाओं का निर्धारण करना।
- ऋणों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है।
- ऋण खातों का एनपीए श्रेणी में आना रोकने के लिए खाता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- टेली-कॉलिंग/व्यक्तिगत संपर्क/एसएमएस अलर्ट/नोटिस भेजने आदि की व्यवस्था से खातों में अतिदेय किस्तों में चूक/अनियमितता के मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

एनपीए के समाधान में सुधार

- जिन मामलों में वसूली के समझौताकारी उपाय सफल नहीं हो पाते उनमें कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।
- ऋण वसूली अधिकरणों और अन्य न्यायालयों में देय राशियों की वसूली के लिए मुकदमे दायर करना।
- नोडल अधिकारी डीआरटी मामलों की प्रगति पर निगरानी रखते हैं और डीआरटी अधिकारियों के निरंतर संपर्क में रहते हैं। वकीलों के साथ बैठकें की जाती है और उनके कामकाज पर लगातार निगरानी रखकर डीआरटी की प्रक्रिया को तेज कराया जाता है।
- सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री करके देय राशियों की शीघ्रता से वसूली की कार्रवाई की जाती है।
- कंपनियों और प्रवर्तकों की इरादतन चूककर्ताओं के रूप में पहचान की जाती है और इनके नाम सिबिल जैसे ऋण सूचना कंपनियों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाती है। इन नामों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को भी दी जाती है।
- ऋण सह वसूली शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- बिजनेस कोरस्पोंडेंटों, बिजनेस फैसिलिटेटर्स और स्वयं सहायता समूह को कृषि एनपीए की वसूली में शामिल किया जाता है। लोक अदालत/ बैंक अदालत की व्यवस्था की जाती है।
- विभिन्न स्तरों पर एनपीए की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है।
- बीआईएफआर मामलों में निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- ई-ऑक्शन की शुरुआत जिससे बेहतर मूल्य की वसूली हो सके।
- चुनिंदा मामलों में एआरसी की बिक्री की संभावनाओं का भी पता लगाया जाता है।
- दबावग्रस्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण निवेशकों का पता लगाया जाता है और उन्हें निवेश प्रकिया में शामिल किया जाता है।
- ऋणियों के साथ एकबारगी समझौते किए जाते हैं।
- बैंक को बंधक की गई संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए समाधानकर्ता एजेंटों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है और उनकी नीलामी की व्यवस्था की जाती है।
- कुछ मामलों में कर्ज आस्ति अदला बदली पर विचार किया जाता है।
- प्रवर्तकों और गारंटीकर्ताओं की प्रभाररहित आस्तियों का पता लगाने के लिए अन्वेषण एजेंसियों की सेवाएं ली जाती हैं और इन संपत्तियों पर निर्णय आने के पूर्व कुर्की प्राप्त कर ली जाती है।
- जहां आवश्यक होता है चूककर्ताओं के फोटो समाचारपत्रों में प्रकाशित कराए जाते हैं।
- दबावग्रस्त ऋणों वाले बड़े कारपोरेट ऋणियों से आग्रह करके गैर-महत्वपूर्ण आस्तियों की बिक्री करने, अपनी शेयरधारिता कम करने और महत्वपूर्ण निवेशकों को लाकर अपने कर्ज को कम करने और अर्थक्षमता बढ़ाने के लिए कहा जाता है।
- वित्त वर्ष 2015 की चौथी तिमाही में। बैंक ने 'महानीलामी' का आयोजन किया, जिसमें सरफेसी अधिनियम के तहत उसी दिन 250 से अधिक संपत्तियों की नीलामी कर दी गई। नीलामी हेतु रखी गई संपत्तियाँ देश भर की थीं।
- तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह द्वारा बैंक को प्रभारित सभी अचल आस्तियों/संपत्तियों की केंद्रिकृत रिपॉजिटरी तैयार की जा रही है, जहाँ सभी प्रतिभूतियों के विवरण सहित चित्र और वीडियो उपलब्ध हैं। इससे आगे बढ़कर हम इस पोर्टल को सार्वजनिक डोमाईन पर उपलब्ध करना चाहते हैं, ताकि इन्हे आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों और अन्य इच्छुक क्रेता देख सकें।

- नीलामियों के लिए उपलब्ध संपत्तियों को 'प्रॉपर्टी मॉल' में भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए प्रमुख स्थानों पर स्थित मॉलों में स्थान ले लिया गया है, जिनमें नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्तियों के चित्र/वीडियो प्रदर्शित किए जाएंगे।

एनपीए कम करने के लिए की गई पहल

प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस): एनपीए को बढ़ने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के यथासमय प्रबंधन के लिए हम एक ऐसी व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कार्रवाई-योग्य अलर्टों के रूप में प्रारंभिक चेतावनी संकेत जारी किए जाएंगे। इससे बैंक को आस्तियों के दबावग्रस्त होने का शुरुआत में ही पता लगाने और उनके शुरू में ही समाधान करने में सुविधा होगी। समस्याग्रस्त ऋणों के स्पेशल मेंशन खाते की श्रेणी में आने के पूर्व ही समाधान करना इसका उद्देश्य है।

ऐसेट्स ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग (AT@M): वेब आधारित ऐसेट्स ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग (AT@M) सॉफ्टवेयर के द्वारा सभी हितधारक एक स्थान से समस्त जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और खाते का विश्लेषण कर पाएंगे। इसके द्वारा स्पेशल मेंशन खातों के साथ-साथ सब-स्टैंडर्ड खातों पर भी नजर रखी जा सकेगी।

बैंक ने रिटेल खंड और रियल इस्टेट क्षेत्र में दबावग्रस्त खातों (एसएमए) के संपर्क में रहने के लिए जीई कैपिटल के साथ गठजोड़ किया है, जिससे मानक ऋणों के एनपीए होना रोकने में मदद मिलेगी।

एसबीआई के मंडल स्तर पर ऐसेट्स ट्रैकिंग केंद्र हैं, जो एसएमई और कृषि खंडों में संभावित एनपीए खातों को ट्रैक और मॉनीटर करने के लिए ग्राहकों से संपर्क कर पाते हैं और वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर पाते हैं।

हमारी दबावग्रस्त आस्ति समाधान शाखाओं में वसूली प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए ऋणियों/गारंटीकर्ताओं से टेलीफोन पर संपर्क करने की शुरुआत की गई है। कॉल सेंटरों के कामकाज को सरल बनाने और उसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिससे कॉल सेंटर की कार्य प्रणाली पर कारगर निगरानी रखी जा सके।

बैंक द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की आवधिक समीक्षा करने और समाधान एवं सुधार कार्यनीतियां सुझाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई हैं।

2. पी-खंड के लिए आस्ति गुणवत्ता में सुधार के उपाय

वित्त वर्ष 2015 में पीबीबीयू आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। एनपीए कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई गई:

- ऋणियों को ईएमआई की देय तारीख से पहले और बाद में एसएमएस भेजना।
- पी-खंड के सभी उत्पादों के लिए बीपीआर केंद्रों पर एसबीआई कार्ड/जीई टेली-कॉलिंग द्वारा और गैर-बीपीआर केंद्र पर बैंक के संपर्क केंद्र द्वारा आसान वसूली।
- ऑटो ऋण वसूली के लिए 'आर या पार पैसा या कार' अभियान शुरू किया गया।
- ऋण सूचना कंपनियों के डाटाबेस में चूककर्ताओं के ब्योरों को अद्यतन करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
- बैंक के पास आडमानित/गिरवी रखे चूककर्ताओं के स्वर्णाभूषणों की नीलामी।
- ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण और एक्सप्रेस पोर्टफोलियो हेल्थ चेक और स्किप ट्रेसिंग।

3. कृषि ऋणों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के उपाय

- स्लिपेज को रोकने तथा उनके त्वरित समाधान के लिए कई उपाय और नवोन्मेषी अभियान शुरू किए गए, जिससे कृषि अनर्जक आस्ति के स्तर को 31 मार्च 2014 के स्तर से कम किया जा सका। किए गए पहल इस प्रकार हैं:
- 'आर1यू2 अभियान' (रिकवर वन एंड अपग्रेड टू) ऐसे एनपीए खातों को लक्षित कर शुरू किया गया है, जिनके कारण मानक खाते एक सीआईएफ मल्टीपल खाता मानदंड के तहत एनपीए हो गए। इस अभियान के द्वारा 214 करोड़ रुपए की राशि के एनपीए घटाए गए।
- 'प्रोजेक्ट जीरो अभियान' शुरू किया गया। इसका उद्देश्य एनपीए केसीसी/एसीसी खातों के लक्षित कर केवल एनपीए केसीसी/एसीसी का नवीकरण करना था। यह अभियान नवीकरण/खाताबंदी की एसएमएस आधारित दैनिक मॉनीटरिंग करने के लिए चलाया गया। दिनांक 31 मार्च 2015 तक 2.81 लाख केसीसी/एसीसी खाते नवीकृत/बंद किए गए।
- एसबीआई ने कृषि एनपीए घटाने के लिए कब्जे में लिए गए ट्रैक्टरों की नीलामी करने में शाखाओं की सहायता करने के लिए श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के साथ राष्ट्रीय स्तर का गठजोड़ किया गया।
- कृषि स्वर्ण ऋण में शून्य अनर्जक आस्ति की स्थिति ले आने के लिए हरेक महीने में निश्चित तारीख पर स्वर्ण ऋण की नीलामियाँ की जाती हैं।

4. कारपोरेट खातों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के उपाय

सीएजी की आस्ति गुणवत्ता नियंत्रणाधीन रही। कुल अग्रिमों में सकल एनपीए 0.44% रहे।

कमजोर एवं तनावग्रस्त खातों के प्रर्वतकों से नियमित संपर्क कर आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। उच्च राशि के सभी दवाबवाले खातों और डी श्रेणी के ऋणियों को महाप्रबंधक की विशेष निगरानी में रखा गया है, जिससे जोखिम में कमी हो सके। सभी पात्र दवाबवाले खातों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को आस्ति बिक्री करने के मामले की संवीक्षा की गई है। इन प्रयासों से मध्य कारपोरेट में एनपीए बनी हुई राशि घटकर मार्च 2015 में ₹14,775 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 2014 में यह राशि ₹17,250 करोड़ थी।

अंतरराष्ट्रीय परिचालन-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

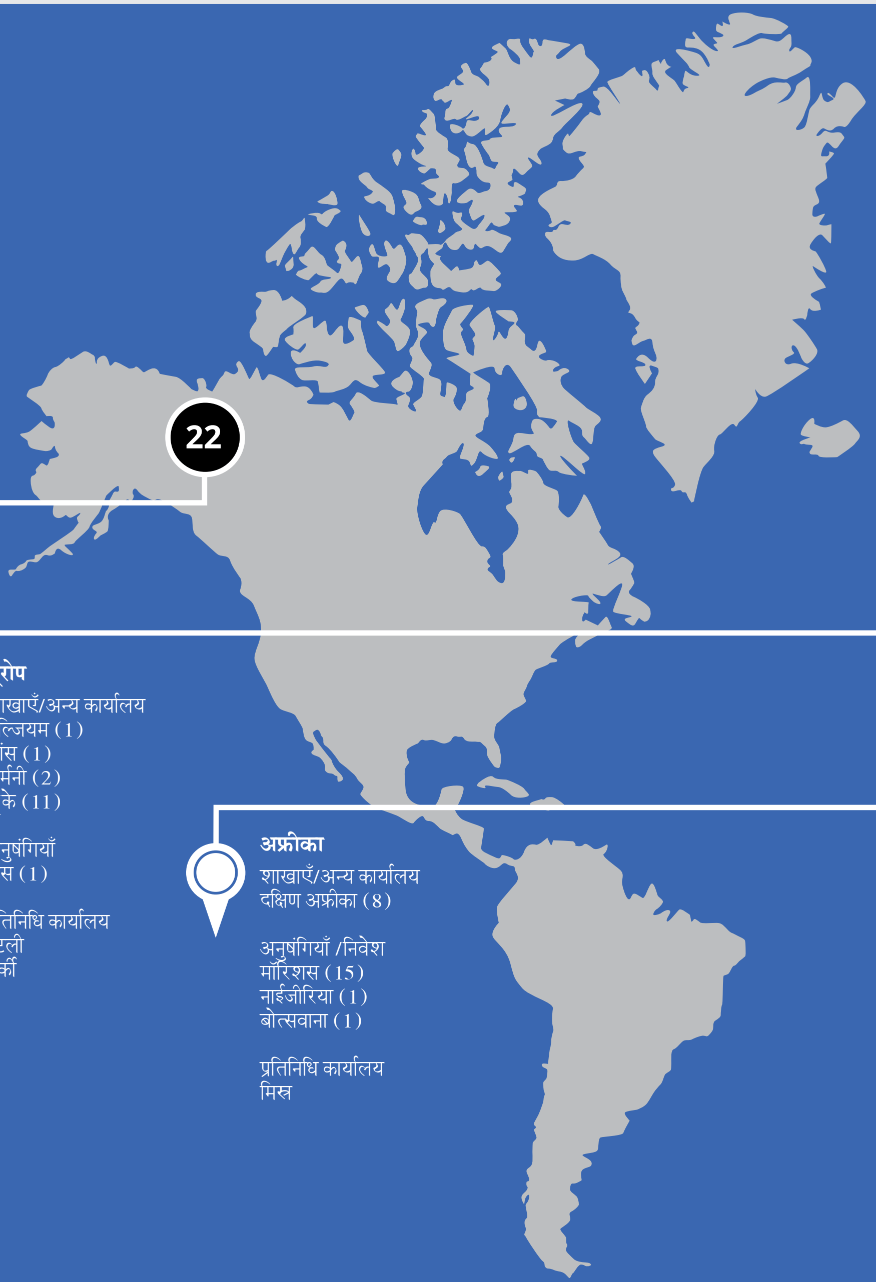

उत्तर अमरीका

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
बहामास (1)
यूएसए (3)

अनुषंगियाँ
कैलिफोर्निया (10)
कनाडा (7)

प्रतिनिधि कार्यालय
वाशिंगटन

यूरोप

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
बेल्जियम (1)
फ्रांस (1)
जर्मनी (2)
यू के (11)

अनुषंगियाँ
रूस (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
इटली
तुर्की

अफ्रीका

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
दक्षिण अफ्रीका (8)

अनुषंगियाँ /निवेश
मॉरिशस (15)
नाईजीरिया (1)
बोत्सवाना (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
मिस्र

36 देशों में स्थित 191 कार्यालयों के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क

2. अंतरराष्ट्रीय परिचालन

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी)

बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए ग्लोबल इंडियन कारपोरेट्स और भारतीय मूल के लोगों की सहायता करने वाले व्यापक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक वास्तविक रूप से एक अंतरराष्ट्रीय बैंक बनने के अपने विजन के अनुरूप स्थानीय लोगों को भी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके लिए, बैंक के पास एक अलग व्यवसाय इकाई - अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी) है, जिसके प्रमुख प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी) होते हैं और उनकी सहायता के लिए उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आईबी) होते हैं।

वैश्विक उपस्थिति

बैंक के विदेश स्थित कार्यालय 36 देशों में फैले हुए है और उनकी संख्या 191 है। परिचालन संरचनाओं में विविधता विभिन्न बाजारों में बैंक विस्तार कार्यकलाप का एक प्रमुख आधार है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान, बैंक ने म्यांमार में एक नया प्रतिनिधि कार्यालय और धनमंडी, बंगलादेश में इंडियन वीजा आवेदन प्राप्तकर्ता केन्द्र की शुरुआत की है।

प्रदर्श 29: विदेश स्थित कार्यालयों का ब्योरा (संख्या)

	वि.व. 2014	वर्ष के दौरान खोले गए नए कार्यालय	वि.व. 2015
शाखाएँ/उप-कार्यालय/ अन्य कार्यालय	68	1	69
अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम	(7)	0	(7)
अनुषंगियों के कार्यालय/संयुक्त उद्यम	110	0	110
प्रतिनिधि कार्यालय	8	1(1)*	8
सहयोगी/प्रबंधन अधीन विनिमय कंपनिया/निवेश	4	0	4
कुल	190	2(1)	191

*अंगोला के लुआंडा कार्यालय को बंद किया गया तथा म्यांमार के यनगाँव प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया।

बैंक के व्यापक अंतरराष्ट्रीय परिचालनों की सहायता के लिए समूह के पास ऋण एवं अनर्जक आस्ति प्रबंधन, अनुपालन, जोखिम, मानव संसाधन परिचालन, सामान्य बैंकिंग एवं कार्यनीति के लिए अलग-अलग विभाग हैं। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह अपने व्यवसाय कार्यों से प्रमुख हितधारकों की सहायता करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

कारपोरेट्स

मर्चेंट बैंकिंग

अन्य भारतीय और विदेशी बैंकों के साथ जुड़कर समूहन सौदों के माध्यम से, और द्विपक्षीय करारों के माध्यम से भी भारतीय कारपोरेटों को बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियों के रूप में विदेशी मुद्रा में ऋण जुटाने में सहायता पहुँचाता है।

विशेषताएं:

- वित्त वर्ष 2015 के दौरान प्रीमियर मैंडेटेड लीड एरेंजर एवं बुक रनर
- 7.057 बिलियन अमरीकी डॉलर के 10 समूहन
- द्विपक्षीय आधार पर भारतीय कंपनियों को 2.563 बिलियन अमरीकी डॉलर के 15 द्विपक्षीय ऋण

राजकोष प्रबंधन

बैंक की वैश्विक चलनिधि, चलनिधि प्रबंधन रूपरेखा और निवेश संविभाग में सहायता करने के अतिरिक्त, राजकोषीय प्रबंधन समूह भी कारपोरेटों के लिए विदेशी विनिमय और प्रतिरक्षा लेनदेन करता है। अप्रैल 2014 में हमने 1.25 बिलियन यूएस डालर मल्टी-ट्रांच बांड निर्गम को सफलतापूर्वक लाया, जो 144 ए/विनियामक एस पेशकश है। बांड निर्गम के अलावा विदेश स्थित कार्यालयों के चलनिधि के कुछ अन्य स्रोत इस प्रकार रहें:

क कोरिया एक्जिम बैंक ईआईबी, केएफडब्ल्यू इपेक्स बैंक जैसी बहु-पक्षीय एजेंसियों से विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति संवृद्धि हेतु दीर्घावधि द्विपक्षीय ऋण

ख. करेस्पांडेंट बैंकों से मध्यावधि मीयादी द्विपक्षीय ऋण

ग. मध्यावधि समूहन ऋण

घ. रेसिप्रोकल लाइंस

ङ पुनर्खरीद (रेपो) की व्यवस्था

च. बैंकरों की स्वीकृति पर

विशेषताएं:

- निवेश संविभाग 4487 मिलियन अमरीकी डॉलर
- निवेश से ब्याज आय 160 मिलियन अमरीकी डॉलर
- डाइवेस्टमेंट आय 36 मिलियन अमरीकी डॉलर
- प्रतिलेखित निवेश प्रावधान 94 मिलियन अमरीकी डॉलर

बैक ऑफिस केंद्रीकरण परियोजना

वित्त वर्ष 2015 के दौरान, बैंक आफिस केंद्रीकरण परियोजना विदेश स्थित कार्यालयों के बैक ऑफिस कार्यों को ग्लोबल मार्केट यूनिट, कोलकाता को सौंपने के उद्देश्य से शुरू की गई। 31 मार्च 2015 तक विदेश स्थित 10 कार्यालयों में अपने बैक ऑफिस कार्य उन्हें सौंप दिए हैं।

व्यक्तिगत ग्राहक

विशिष्ट धन-प्रेषण उत्पादों के माध्यम से, बैंक विश्व के विभिन्न कोनों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए 'विंडों टू इंडिया' बन सका है। कुछ ऐसे देशों में जहाँ भारतीय मूल के लोग पर्याप्त संख्या में है, बैंक भारतीय और स्थानीय ग्राहकों के लिए रीटेल ऋण गतिविधियां भी करता है।

वैश्विक संपर्क सेवाएं (जीएलएस)

वैश्विक संपर्क सेवाएं (जीएलएस), एक विशेषीकृत इकाई है, जो निर्यात बिल उगाही, चेक उगाही और ऑनलाइन आवक धनप्रेषण संबंधी लेनदेन के लिए सेवाएं प्रदान करती है। बैंक के जरिए धन प्रेषण हो, इसके लिए मध्य-पूर्व देशों के 30 विनिमय कंपनियों एवं सात बैंकों के साथ किए गठजोड से आवक धन प्रेषण व्यवसाय में बैंक का योगदान काफी रहा। वित्त वर्ष 2015 के दौरान, बैंक द्वारा एक नया ऑनलाइन तुरत धनप्रेषण उत्पाद 'रशिया टू इंडिया फ्लैश' रूस से भारत में धनप्रेषित करने के लिए शुरू किया गया।

प्रमुख विशेषताएं

- प्रबंध किए गए निर्यात विल (देशीय शाखाओं की ओरसे)-70,012
- विदेशी मुद्रा में सग्रहीत चेक - 47,116
- आनलाइन आवक धन प्रेषण- 89,02,307

वित्तीय संस्थान

यह समूह प्रतिनिधि बैंक, विदेशी विनियामक, इंटरनेशनल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय हितधारकों, के साथ सम्पूर्ण बैंक संयोजन को आसान बनाता है। इस प्रकार, आईबीजी और अन्य व्यवसाय शीर्षों जैसे मध्य कारपोरेट समूह, कारपोरेट बैंकिंग समूह और ग्लोबल मार्केट्स आदि के बीच काफी साहचर्य है।

विशेषताएँ:

- बैंक की 88 देशों में 346 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग व्यवस्थाएं
- सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फिनैंशल टेलीकम्यूनिकेशन (SWIFT) के साथ 1,617 रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन (RMA) व्यवस्थाएं
- 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल निधि एवं गैर-निधि के एक्सपोजर के साथ 32 बैंकों के साथ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेन्ट

विनियामक

बैंक अपने सभी विदेशी परिचालनों में विनियामक दिशा-निर्देशों के साथ गैर-अनुपालन की स्थिति को बिलकुल बर्दास्त नहीं करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। विनियामकों/लेखापरीक्षकों द्वारा बताई गई विनियामक चिंताओं का समाधान प्राथमिक आधार पर किया जाता है। सुधार संबंधी कार्रवाई की स्थिति बैंक की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

बैंक ने देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को शामिल करते हुए स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना को अपनाया है। आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति कार्यरत है। देश-वार और बैंक-वार जोखिम सीमाओं की निगरानी और नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। विदेशी परिचालनों के संबंध में ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम की प्रवृत्तियों की निगरानी की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा आवधिक रूप से बैंक के शीर्ष प्रबंधन और केन्द्रीय जोखिम प्रबंधन विभाग को सूचित किया जाता है।

कर्मचारी

बैंक उत्पादकता बढ़ाने और कर्मचारियों को रोककर रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बैठक करके कर्मचारी संतुष्टि को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक विदेश में अपने बहु-संस्कृति और बहु-देशीय कार्य-स्थलों में संप्रेषण एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करता है।

सामाजिक क्षेत्र

बैंक अनेक देशों में अपनी उपस्थिति के रूप में विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं में लगा हुआ है। बैंक अपनी दृष्टिगोचरता को बढ़ाने और भारत के सॉफ्ट पावर में और साथ ही साथ अपने भारतीय ब्रांड में वृद्धि करने के लिए स्थानीय और भारतीय त्योहारों को तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रायोजित करता है।

नेपाल स्टेट बैंक लि., भारतीय स्टेट बैंक का नेपाली अनुषंगी बैंक भूकम्प के बाद केवल 5 दिनों में अपनी शाखाओं में कुल बैंकिंग सेवाएं बहाल करने वाला नेपाल में एकमात्र बैंक था। इसके अतिरिक्त, आपदा क्षेत्र से यात्रियों को निकालने में मदद करने के लिए काठमांडू एयरपोर्ट पर सचल करेंसी एक्सचेंज काउंटर खोले गए। वित्तीय प्रणाली को सामान्य बनाने हेतु सेवाएं जुटाने में स्विफ्ट प्रतिसाद के अतिरिक्त, बैंक मानवतावादी प्रयासों में भी व्यापक रूप से लगा हुआ है।

प्रदर्श 30: विदेश स्थित कार्यालयों का व्यवसाय निष्पादन

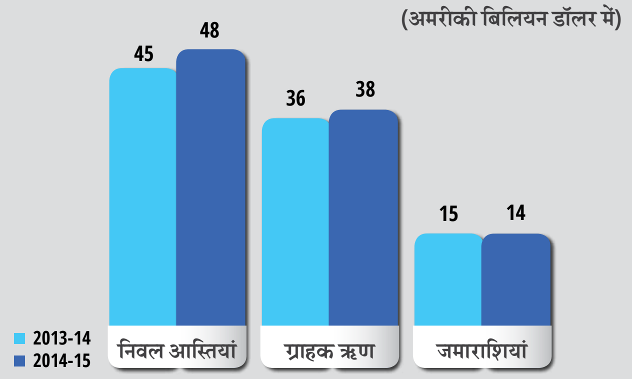

प्रदर्श 31: 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों से आय (%)

एसबीआई एण्ड जेबीआईसी द्वारा निर्यात ऋण सुविधा करार

निर्यात ऋण सुविधा स्थापित करने के लिए, सितंबर 2014 में, एसबीआई और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण बैंक ऑफ टोकियो-मितसुबिशी यूएफजे लि. (बीटीएमयू) के साथ सह-वित्तपोषित है, जो अपने साथ लगभग 13.5 बिलियन जापानी येन और 21 मिलियन यूएसडी साथ लेकर आएगा। इस ऋण सुविधा का उपयोग जापानी कंपनी से स्टीम टर्बाइन जेनरेटर उपकरण खरीदने के लिए मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एमयूएनपीएल) द्वारा और मेजा, उत्तरप्रदेश में एक सुपर क्रिटिकल प्रेसर कोल-फार्यड पॉवर प्लांट (660 एमडब्ल्यू x2 यूनिट) स्थापित करने के लिए भारत में उसकी अनुषंगी द्वारा किया जाएगा। एमयूएनपीएल एक संयुक्त उद्यम है और इसमें एनटीपीसी लि. और यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का बराबर का निवेश है।

3. राजकोषीय परिचालन

वैश्विक बाजार समूह, जो बैंक का कोष प्रबंध करता है, ने निवल ब्याज आय में 21% की वृद्धि, निवेशों की बिक्री पर लाभ में 85% की बढ़ोतरी तथा ₹4.9 लाख करोड़ पर बंद हुए संविभाग की आय में 33 आधार अंकों की वृद्धि के साथ इस वर्ष एक तुलनात्मक निष्पादन दिया है। समूह ने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा/प्रतिरक्षा उत्पाद, रिटायरमेंट फंड के लिए संविभाग प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने में और सीआरआर के रखरखाव में पूर्व-प्रमुख स्थिति को बनाए रखा है।

वित्त वर्ष 2015 भारतीय ऋण एवं शेयर बाजारों के लिए अनुकूल रहा, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर (नई सीरिज के साथ समायोजन किए जाने पर) मार्च 2014 के स्तर 8.24% से घटकर मार्च 2015 में 5.17% रह गई। स्थायी सरकार के गठन से भी सुधार हुआ और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश में भी वृद्धि हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंचमार्क रेपो दर 50 अंक घटाकर 7.5% की और एसएलआर 23% से घटाकर 21.5% कर दी।

बांड प्रतिफल वर्ष के दौरान 100 आधार अंक से अधिक गिरा, जबकि ईक्विटी बाजारों में भारी तेजी के चलते निफ्टी में 25% का उछाल आया। आपके बैंक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए निवेशों की बिक्री से ₹3,428 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लाभ अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 2014 के लाभ से 85% अधिक है। बेहतर कोष प्रबंधन द्वारा प्राप्त ब्याज में 15% की वृद्धि हुई। जबकि

देय ब्याज में 36% की गिरावट आई। इस कारण वैश्विक बाजारों की निवल ब्याज आय में लगभग 21% की वृद्धि हुई। सीआरआर प्रबंधन में हमने एक बार फिर अपने प्रतिस्पर्धियों को 195 आधार अंको से पछाड़ दिया, जिस कारण हमें लगभग ₹85 करोड़ कम ब्याज देना पड़ा।

ईक्विटी बाजारों में, वर्षानुवर्ष 132% अधिक लाभ अर्जित किया गया। ऐसा प्रतिभूतियों में विस्तार किए जाने और बाजार की अनुकूल स्थिति का लाभ उठाते हुए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के आकार में वृद्धि के कारण हुआ।

प्रदर्श 32: एनएसई निफ्टी

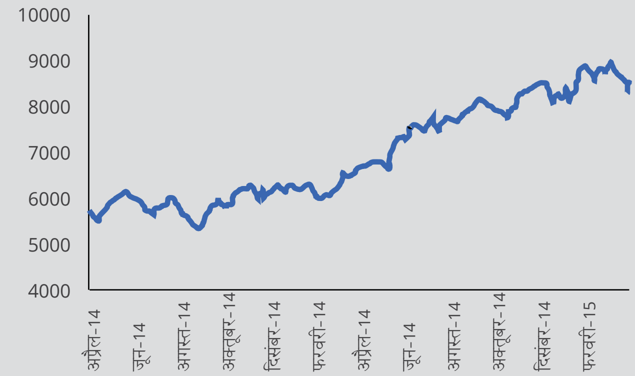

वैश्विक बाजार इकाई ग्राहकों को विदेशी विनिमय समाधान उपलब्ध कराते हैं। ये समाधान मुद्रा के लेनदेन का प्रबंध करने, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड और बुलियन सेवा के माध्यम से जोखिम से बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। हमारी कोष विपणन इकाइयां भी ग्राहकों को समय समय पर बाजार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर और उनकी आवश्यकतानुसार उत्पाद सुझाकर इसमें योगदान करती हैं। वैश्विक बाजार इकाई बैंक की एफसीएनआर (बी) मूल निधि (Corpus) का प्रबंध भी संभालती है और एफसीएनआर (बी) ऋणों और निर्यात वित्तीयन के लिए भारत में ग्राहकों को पीसीएफसी/ईबीआर जैसी सुविधाओं के लिए विदेशी मुद्रा में फंड उपलब्ध कराती है।

इस वर्ष फॉरेक्स और डेरीवेटिव्स से होने वाले लाभ लगभग 9% बढ़कर ₹1,600 करोड़ (अलेखापरीक्षित) पर पहुँच गए। ऐसा तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मात्रा में कमी आने के बावजूद हुआ ।

36 देशों में विदेश स्थित 191 कार्यालयों और देश में 675 देशीय शाखाओं वाले अपने वैश्विक फॉरेक्स कारोबार के सरलीकरण के लिए कोलकाता में एक समन्वित वैश्विक पश्च कार्यालय (बैक-ऑफिस) स्थापित किया गया है। इसके अलावा, हमने ट्रैंजेक्शन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट (टीएलएम) समाधान सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन करके विदेश स्थित शाखाओं/कॉरेस्पांडेंटों के साथ अपने नोस्ट्रो खातों में लेनदेन का पहले से काफी बेहतर समाधान होने लगा है।

हमने बैंक में ही अभिकल्पित और विकसित वेब आधारित जावक धनप्रेषण उत्पाद "फॉरेक्स-आउट" शुरू किया है, जिसका उपयोग ऐसी सभी शाखाओं मे किया जाएगा जिनमें ₹10 लाख तक की धनराशि देश के बाहर ट्रांस्फर की जा सकती है।

हम प्राइवेट ईक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड निवेश के क्षेत्र में निरंतर अवसर खोज रहे हैं। वित्त वर्ष 2015 के दौरान ₹ 495 करोड़ की राशि के पांच नए वीसीएफ निवेश के सौदे किए गए।

वर्ष 2008 में 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के भारत आधारित प्राइवेट ईक्विटी फंड का प्रबंध संभालने के लिए मैक्वेरी और आईएफसी के साथ स्थापित संयुक्त उद्यम के तहत कुल पूंजी सौदों का लगभग 96% निवेश किया गया। वर्ष 2010 में स्थापित ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड (OIJIF) के तहत फंड 1 में निवेश के लिए किए गए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के सौदे पूरे किए गए। भागीदारों ने 300 मिलियन अमरीकी डॉलर की मूल निधि (corpus) शुरू करने का निर्णय लिया। इसको अलावा, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्रित ₹660 करोड़ का लक्षित फंड वीसीएफ नीव फंड डीएफआईडी (यूके) और एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड संयुक्त रूप शुरू किया गया।

पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ने अपने वसूली अधीन अग्रिमों में वर्षानुवर्ष 13.65% वृद्धि की और ये वित्त वर्ष 2014-15 में ₹3,15,000 करोड़ पर पहुंच गए। इसके साथ ही इसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) फंड से प्रतिलाभ आर्जित करने में निजी क्षेत्र के समवर्ती प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया और CRISIL द्वारा लगातार तीसरे वर्ष इसे ईपीएफओ के सर्वश्रेष्ठ फंड मैनेजर का दर्जा दिया गया।

विशेषज्ञता के क्षेत्र में अपनी पूर्व-प्रमुख स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्लोबल मार्केट्स यूनिट अपने डीलरों की उद्योग विशेषज्ञों द्वारा संचालित प्रशिक्षण सत्रों और आईआईए तथा एनआईबीएम जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करके निपुणता बढ़ाने पर निरंतर निवेश करता है।

IV. सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

1. मानव संसाधन

बैंक मानव संसाधन प्रबंधन को संगठन की प्रभावकारिता का महत्वपूर्ण पहलू मानता है। शुभचिंतक एवं जिम्मेदार नियोक्ता की श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप तथा बैंकिंग उद्योग में "अपने बराबर के बैंकों के बीच प्रथम" होने के दर्जे को सार्थक बनाते हुए हमारा बैंक कार्यनीतिक व्यवसाय भागीदार के तौर पर मानव संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसके लिए बैंक अपने विश्वसनीय एवं समर्पित कर्मचारियों का पालन-पोषण कर रहा है, जिन्होंने वर्ष-दर-वर्ष बैंक के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान दिया।

इस प्रयोजन हेतु बैंक ने व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। बड़ी संख्या में युवा एवं योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती, विभिन्न समूह/हित के कर्मचारियों की कार्यपरक स्थितियों/सेवा शर्तों में सुधार, प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी कुशलता बढ़ाना, अपने निष्पादन को मापने हेतु वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण उपलब्ध कराकर कॅरिअर के विकास में कर्मचारियों की सहायता करना, उत्कृष्ट निष्पादन देने वालों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, महत्वपूर्ण पदों की कुशलता/क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित संरचना उपलब्ध कराना, कुशलता के प्रतिधारण के लिए विभिन्न उपाय करना आदि इन उपायों में शामिल हैं। अत्यंत संतोषप्रद कार्य माहौल बनाने में इन सभी उपायों का योगदान रहा है, जहां कर्मचारी अपने कार्य के संबंध में प्रसन्नता, संबदधता और उत्साह का अनुभव कर सकें तथा बैंक के व्यावसायिक हितों और ख्याति को बढ़ाने में सकारात्मक कार्य कर सकें।

हमारी ताकत:

प्रदर्श 33: विभिन्न श्रेणी के स्टाफ की संख्या

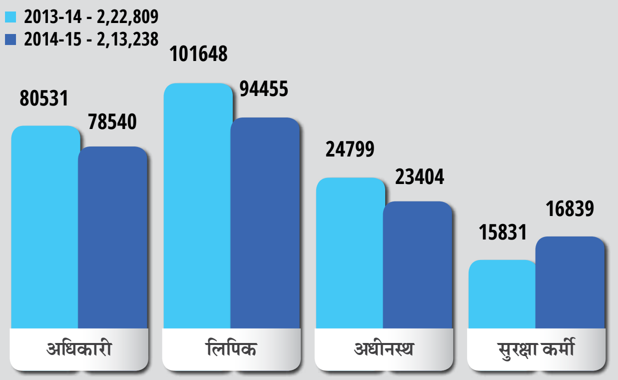

कर्मचारी की सहभागिता जो लाभ के साथ संवृदधि बनाए रखना बैंक के लिए जरूरी है, सुनिश्चित करने में सक्रिय रहने की प्रबंधन परंपरा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नेतृत्व द्वारा वर्ष 2015 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की गई है और इस परंपरा को और ऊंचाई पर ले जाया गया है:

पहल:

'सक्षम' परियोजना-कॅरिअर डेवलपमेंट सिस्टम (सीडीएस) एवं श्रमशक्ति आयोजन- तेजी से बदलते व्यवसाय परिवेश, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा और युवा एवं ज्यादा मांग करने वाले ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण उच्चतर उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा पर बैंक को अधिक जोर देना पड़ा और उन पर ज्यादा जिम्मेदारी भी आ गई। इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए बैंक बड़ी संख्या में युवा एवं योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव कर रहा है। सभी स्तरों के कर्मचारियों को साधिकारिता और अभिप्रेरणा देने के लिए सभी स्तरों पर निष्पादन मापने और संसाधन आयोजन हेतु वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के उददेश्य से बैंक में सक्षम नामक कॅरिअर डेवलपमेंट सिस्टम (सीडीएस) शुरू की गई है। नई कॅरिअर डेवलपमेंट सिस्टम (सीडीएस) के अंतर्गत उच्च स्तरीय पारदर्शिता उपलब्ध है और इसकी अभिकल्पना व्यक्ति को सुव्यस्थित, गतिशील एवं प्रगामी कॅरिअर आयोजना उपलब्ध कराने के लिए की गई है। संशोधित सीडीएस से यह अपेक्षा है कि ये पदोन्नति, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार का प्रभावी साधन बने।

वैज्ञानिक संसाधन/श्रमशक्ति आयोजन से कार्य की मात्रा और व्यवसाय की संभाव्यता के अनुरूप हमारी इकाइयों के पास पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित हो जाता है। साथ ही इससे स्टाफ की उत्पादकता बढ़ेगी और शाखा विस्तारण अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए स्टाफ की भूमिकाओं को युक्तिसंगत बनाना और उनका विलयन संभव हो सकेगा तथा स्टाफ का पुनः संवितरण हो सकेगा।

कुशलता प्रबंधन एवं कॅरिअर विकल्प-कुशलता प्रबंधन के अंतर्गत और कुशलता प्रतिधारण प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु युवा अधिकारियों के कॅरिअर के शुरुआती चरण में ही उन्हें मूल बैंकिंग से जोड़ने, उन्हें संवारने, प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला के जरिए क्षमता निर्माण/कुशलता बढ़ाने, शुरुआती चरणों में ही अनिवार्य एसाइनमेंट पूरा करने, विशेषीकृत कार्य के लिए अधिकारियों का चयन करने, ऋण/विदेशी मुद्रा परिचालन/कुछ समय के लिए विपणन जैसे महत्वपूर्ण पदों/विशेषीकृत क्षेत्रों में तैनात करने, विशेषीकृत क्षेत्र के वेर्टिकलों के बीच स्थानांतरण करने जैसे आवश्यक उपाय किए गए।

एसबीआई पिंकाथन के सहभागी

एसबीआई पिंकाथन- यह भारत के छह नगरों में बैंक द्वारा सभी महिलाओं हेतु दौड़ने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में से सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा। अधिक से अधिक महिलाओं द्वारा स्वयं और अपने परिवार के लिए स्वस्थ/दुरुस्त जीवनशैली अपनाने तथा महिलाओं के जीवन के लिए घातक ब्रेस्ट कैंसर तथा अन्य रोगों के बारे में जागरूकता सृजित करना इसका विशेष उददेश्य रहा। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों द्वारा जो रुचि दिखाई गई, वह सामाजिक मामलों के प्रति उनकी जागरूकता एवं योगदान का प्रमाण है।

बैंककर्मियों की उत्पादकता में सुधार: विगत 4/5 वर्षों में अधिकारी व सहायक श्रेणी में अगली-पीढ़ी के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर भरती किए जाने के कारण शाखाओं में ग्राहक संपर्क और सेवाओं के प्रति स्टाफ में दूरगामी दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ है। इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यकुशलता को बढ़ाने/बेहतर बनाने में भी काफी मदद मिली है। इससे बैंक के व्यवसाय और लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी व्यवसाय वित्त वर्ष 2011 के 704 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 में 1,234 लाख रुपए रहा। प्रति कर्मचारी लाभ वित्त वर्ष 2011 के 3.85 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 6.02 लाख रुपए रहा, जो कि बैंक के बेहतर निष्पादन की प्रवृत्ति का सूचक है।

कैंपस भर्ती- भावी मानव संसाधन को मजबूत बनाने तथा विशेषीकृत क्षेत्रों में बैंक में अपेक्षित कुशलता के अभाव को दूर करने के लिए शीर्ष बिजनेस स्कूलों के वर्ष 2015 बैच के 190 युवा स्नातकों की नियुक्ति प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की गई।

कर्मचारी जुड़ाव :

निष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना- उच्च स्तरीय उत्पादकता एवं लाभप्रदता के प्रति कर्मचारियों को प्रेरित करने एवं उस पर उनका सकेंद्रित ध्यान सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा पूर्व की प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया गया और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित 'वन अंब्रेला' कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो निष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है और जिसमें प्रमुख एवं गैर-प्रमुख दोनों व्यवसाय शामिल है। देय प्रोत्साहन राशि पदों की श्रेणी और निष्पादन स्तर से जुड़ी होती है।

एसबीआई एस्पिरेशंस-सोशल मीडिया फोरम एसबीआई एस्पिरेंशंस को दुतरफा बातचीत के लिए शुरू किया गया, जिसके जरिए बैंक के कर्मचारी अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढ़ सकते हैं और अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। जनता में बैंक के ब्रांड मूल्य एवं छवि को बढ़ाने में कर्मचारियों के प्रयासों को सुगम बनाने के उद्देश्य से उनके सेवा नियमों/सेवा शर्तों की ढांचे के भीतर आचार संहिता तैयार की गई है, जिसका अनुपालन सोशल मीडिया से जिम्मेदारीपूर्ण एवं नैतिक रूप से बातचीत करने के लिए किया जाना चाहिए।

देखभाल अवकाश-कर्मचारियों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देते हुए बैंक के महिला एवं एकल पुरुष (बच्चों तथा/अथवा बुजुर्ग माता-पिता के साथ) कर्मचारियों के लिए संवर्धित सुविधाओं के साथ देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है।

कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारी:

इस समय, बैंक के कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की संख्या 44,790 है, जो कुल कर्मचारी संख्या का 21 प्रतिशत है। विभिन्न संवर्गों में महिला कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

प्रदर्श 34 : कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारी

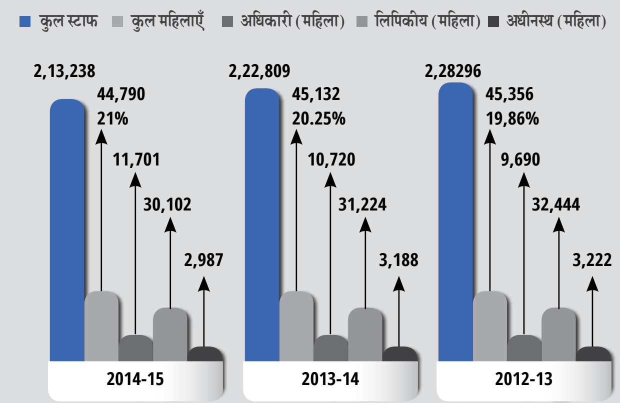

प्रदर्श 35: रोजगार में अनुसूचित जाति/जनजाति/अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व:

श्रेणी	कुल	एससी	एसटी	पीडब्ल्यूडी
अधिकारी	78,540	14,833 (18.88%)	5,566 (7.08%)	664 (0.84%)
सहायक	94,455	15,800 (16.72%)	8,370 (8.86%)	1,794 (1.89%)
अधीनस्थ	40,243	10,810 (26.86%)	2,804 (6.96%)	234 (0.58%)
कुल	**2,13,238**	**41,443 (19.43%)**	**16,740 (7.85%)**	**2,692 (1.26%)**

बैंक भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण देता है। आरक्षण नीति के मुददों पर कार्रवाई तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों और कारपोरेट केंद्र, मुंबई में संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी स्थिति:

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को बिलकुल बरदाश्त नहीं करता और महिलाएँ अपना कार्य आत्म-सम्मान और निडर भाव से कर सकें इसके लिए कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को रोकने और उनका निवारण करने के लिए समुचित व्यवस्था लागू की गई है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके निपटाए जाने की स्थिति:

दायर किए गए मामलों की कुल संख्या	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या
14	10

पुरस्कार एवं सम्मान

- नियोक्ता ब्रांड बनाने में सवश्रेष्ठ परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक को रैंडस्टैड पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- फ्रांस के पैरिस में 25 मार्च 2015 को आयोजित वर्ल्ड ब्रांडिंग अवार्डस में बैंक को भारत में बैंकिंग के वर्ष का ब्रांड पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2. कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू)

संगठन को कार्य का उत्कृष्ट स्थान बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंक अपनी प्रशिक्षण प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहा है। बैंक वैयक्तिक विकास एवं संगठनात्मक प्रभावकारिता के लिए सुनियोजित एवं सक्रिय प्रक्रिया को जारी रख रहा है। साथ ही विश्व के सभी भागों के देशों से तकनीक, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण पद्धतियों का आयात किया जा रहा है, जिससे ज्ञान देने/ज्ञान प्राप्त करने का कार्य जारी रहें, ताकि गुणवत्ता बढ़ें और कर्मचारी ज्ञानवान बनकर वे इसके लाभ ग्राहक संतोष सृजित करने में व्यतीत कर सकें। कल की चुनौतियों की पूर्ति के लिए ई-लर्निंग सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी और विश्व के सर्वोत्कृष्ट ज्ञानार्जन प्रथाओं के आधारचिह्न से युक्त सशक्त और मजबूत ज्ञानार्जन केंद्रों का विकास किया जा रहा है।

हमारी प्रशिक्षण प्रणाली एसटीयू के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में कार्य करती है तथा हमारे प्रशिक्षण तंत्र में 5 शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान और 47 ज्ञानार्जन केंद्र हैं। स्टेट बैंक प्रबंधन संस्थान के नाम से छठा शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान राजारहाट, न्यूटाउन, कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है।

दृष्टि एवं श्रवण से अशक्त कर्मचारियों को जोड़ना

समावेशन राष्ट्रीय लक्ष्य है। अशक्त नागरिकों को जोड़ना उसका ही हिस्सा है। हमारे बैंक में दृष्टि से अशक्त 611 तथा श्रवण से अशक्त 253 कर्मचारी हैं। हम उन्हें प्रशिक्षण देकर और कुशल बनाने के नए-नए तरीकें निरंतर ढूंढ़ रहे हैं, जिससे वे बेहतर योगदान दे सकें। हम इस प्रक्रिया के तहत गैर-सरकारी संगठनों से जुड़ गए हैं और उनके विचार एवं सुझाव मांगे हैं। चलिए हम अपने कर्मचारी श्री चेल्लम का उदाहरण लेते हैं।

श्री चेल्लम हमारी शिवकाशी शाखा में ग्राहक मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र से गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी दक्षता बढ़ी है और अब एक दिन में 300 से भी ज्यादा पासबुक की प्रिंटिंग करते हैं तथा ग्राहकों के प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। वे ग्राहकों के बैंक खातों के साथ उनकी यूआईडी संख्या को जोड़कर ग्राहक प्रोफाइल में उनके फोन नंबर को भी अद्यतन करते हैं। ऐसे कई अन्य सहयोगी हैं, जिन्हें हमारे ग्राहकों की बेहतर सेवा करने के लिए साधिकार दिया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र

हमारे देश के पहले नागरिक के जन्मदिन 11 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में वित्तीय साक्षरता केंद्र का उद्घाटन किया गया। घरों में काम करने वाले नौकर, मजदूर और 10 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चें वित्तीय साक्षरता के लिए लक्ष्य समूह है। उन्हें आय प्रबंधन, बचत एवं निवेश जैसी जरूरी चीजों, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं, अचल जमाराशियों जैसे मूल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। सामान्य नागरिक को डमी बैंकिंग शाखाओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अनुभव और ज्ञानार्जन के जरिए अधिकार देने का प्रयास किया जाता है, जो जब भी बैंक जैसे सरकारी कार्यालय में जाते हैं, तो डर का अनुभव करता है। इस पहल को पूरे देश में शुरू किया जाएगा।

ज्ञानार्जन गतिविधियों को संचालित करने वाले सिद्धांत:

- वित्त वर्ष 2015 में प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया।
- संगठन में स्व-ज्ञानार्जन की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए, जो किफायती हो और दीर्घावधि में सुविधाजनक हो।
- प्रभावकारी ई-लर्निंग के लिए सुविधाजनक ई-लर्निंग प्लैटफार्म।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवसाय इकाइयों की वर्तमान कारपोरेट प्राथमिकताओं के अनुरूप आयोजित किए गए।
- कारपोरेट चिंताओं के आदान-प्रदान के लिए सामूहिक संप्रेषण कार्यक्रम पूरे बैंक भर में आयोजित किया गया।
- हमारी प्रशिक्षण सामग्री में लगातार कोटि उन्नयन कर उसे और ज्ञानार्जन को विश्व की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया।

शुरू की गई नई पहल:

- **अनिवार्य ज्ञानार्जन एवं एएआरएफ में उसे महत्व:** बैंक ने सभी सहायकों और अधिकारियों के लिए ज्ञानार्जन की प्रणाली अनिवार्य बना दिया है, जिसमें अन्य के अलावा भूमिका आधारित ई-लेसन, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय विद्यालयों के स्टडी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स शामिल हैं।
- **स्व-ज्ञानार्जन के लिए प्रमाणीकरण पाठ्यक्रमों का अनुमोदन:** संगठन में ज्ञान के स्तरों में सुधार करने की दृष्टि से स्टाफ पुरस्कार एवं मान्यता योजना के अंतर्गत नए बाहरी अध्ययन पाठयक्रमों का प्रचार किया जा रहा है और इन पाठयक्रमों को पूरा करने के लिए स्टाफ को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **एसबीआई एस्पिरेशंस :** बैंक में ज्ञानार्जन एवं उसके आदान-प्रदान को बढ़ाने के उददेश्य से बैंक ने चयनित भूमिकाओं के लिए लर्निंग समुदाय शुरू किए हैं। भूमिका धारकों को जब कभी भी वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग करते हैं, तब सहभाग करने और इन समुदायों के बीच अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एसटीयू समुदाय में बैंक ने आइडेशन ब्लॉग शुरू किए हैं।
- **एसएमएस अलर्ट:** अपने स्टाफ को सभी संबंधित मामलों में रियल टाइम आधार पर अदयतन बनाने के लिए श्रेणी 5 तक के कर्मचारियों को वर्तमान बैंकिंग मामलों पर प्रति दिन उपयुक्त एसएमएस संदेश भेजे जा रहे हैं।
- **प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण :** ज्ञान/कुशलता मैपिंग की और पहले कदम के रूप में पूरे बैंक भर में प्रशिक्षण कमियों को पूरा करने और कुशलता का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 2,12,704 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- **आरोहण:** आरोहण-लक्ष्य-आकाक्षा-उपलब्धि-अपने सभी प्रयासों में गुणवत्ता एवं व्यावसायिकता बढ़ाने के लिए आरोहण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,08,019 कर्मचारियों ने सहभाग किया।
- **बैंक में क्विजिंग कल्चर:** अपने कर्मचारियों में जिज्ञासा बढ़ाने तथा ज्ञान प्रदर्शन का अवसर देने के लिए कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई द्वारा पूरे बैंक में ऑनलाइन क्विज और मेगा क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- **नवनियुक्त अधिकारियों की मेंटरिंग:** नवनियुक्त अधिकारियों की मेंटरिंग की विधि बैंक में पहले से विद्यमान है। परिवीक्षा अधिकारियों एवं प्रशिक्षु अधिकारियों के एकीकरण को सुगम बनाने के लिए बैंक ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेंटरिंग की औपचारिक प्रणाली शुरू हैं।
- **शोध परामर्शन समिति:** हमारे संकाय एवं शोध अधिकारियों द्वारा किए गए शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उसे बैंक के लिए अत्यंत उपयोगी बनाने के लिए शोध परामर्शन समिति का गठन किया गया।
- **साइबर सुरक्षा कार्यशाला:** यह कार्यशाला सभी बैंकों के लिए तैयार की गई है और टूथ लैब्स एण्ड माइक्रोसाफ्ट के सहयोग से आयोजित की गई। बाधितों को भविष्य में धोखाधड़ी से बचाने के लिए इन कार्यशालाओं में वाई-फाई राउटर्स सहित हमारी प्रणालियों से किस प्रकार साइबर अपराधी छेड़छाड़ कर सकते हैं-इसके बारे में बताया गया और अपनी प्रौदयोगिकी प्रतिबद्धता के बचाव के लिए एथिकल हैकरों के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

- मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ नए भर्ती हुए स्टाफ के ऑनबोर्डिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग को दुरुस्त किया गया।
- बाहरी प्रशिक्षण भागीदारों, आंतरिक ई-पाठ एवं 44 हार्वर्ड मैनेज मेंटर ई-मॉडयूल के साथ जोखिम विपणन सहित विशेषीकृत कुशलताओं के प्रशिक्षण के लिए सहायक आर्किटेक्चर
- स्टाफ सदस्यों के बीच ज्ञान के अद्यतन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग

हमारी शिवकाशी शाखा में कार्यरत ग्राहक मित्र

- सामूहिक संप्रेषण कार्यक्रम 'आरोहण' का आयोजन, जिसमें 2,08,019 कर्मचारियों ने सहभाग किया। इसके साथ उनके लिए 536 आंतरिक ई-पाठ, 345 मोबाइल नगेट और 350 ई-कैप्सूल उपलब्ध कराए गए।
- परिवीक्षा अधिकारियों/प्रशिक्षु अधिकारियों/कारपोरेट लेखा समूह/मध्य कारपोरेट समूह/तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह का कार्य करने वाले अधिकारियों/नवनियुक्त सहायकों के लिए अनिवार्य ई-पाठ।
- ई-लर्निंग पोर्टल 'ज्ञानोदया' अब सभी सहयोगी बैंकों के लिए भी उपलब्ध है।
- पोर्टल में ई-लाइब्रेरी के अंतर्गत पाँच शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थानों के केस स्टडीज, शोध परियोजनाएं और ई-प्रकाशन उपलब्ध हैं।
- व्यवहार ज्ञान संबंधी ज्ञानार्जन के लिए उत्साहजनक व्यवसाय उत्प्रेरक खेल।

3. जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण

(क) जोखिम प्रबंधन

बैंक को ऐसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग होती हैं। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम एवं परिचालन जोखिम प्रमुख जोखिम हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम भी शामिल है। बैंक के पास अपने सभी संविभागों में इन जोखिमों के मापन, उनकी निगरानी एवं इनके सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए नीतियां और कार्यविधियां मौजूद हैं। ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के अंतर्गत एडवांस्ड एप्रोच को लागू करने के मामले में बैंक अग्रणी रहा। विश्व की सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से बैंक ने उद्यम एवं समूह जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं भी शुरू की हैं। बाहरी परामर्शकों की सहायता से ये परियोजनाएँ लागू की जा रही है।

बासेल 3 पूंजी विनियमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को लागू किया गया है और बासेल 3 के तहत वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक द्वारा पर्याप्त पूंजी रखी गई है। कर्तव्यों के विभाजन और जोखिम आकलन, निगरानी तथा नियंत्रण कार्यों को अलग-अलग रूप से संचालित करने के संदर्भ में बैंक में अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अनुरूप जोखिम अभिप्रबंधन संरचना उपलब्ध है। यह संरचना परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों को अधिकार देने की संकल्पना पर आधारित है, जिसमें प्रमुख संचालक के तौर पर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसके कारण जोखिम के उत्पन्न होते ही उसकी पहचान हो जाती है और उसके नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है।

कार्यकारी स्तरीय समितियों तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा उनकी नियमित बैठकों में बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक समूह में विद्यमान विभिन्न जोखिमों की निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। परिचालन इकाई एवं व्यवसाय इकाई स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समितियां उपलब्ध हैं।

जोखिम प्रबंधन की संरचना

प्रदर्श 36: जोखिम प्रबंधन संरचना

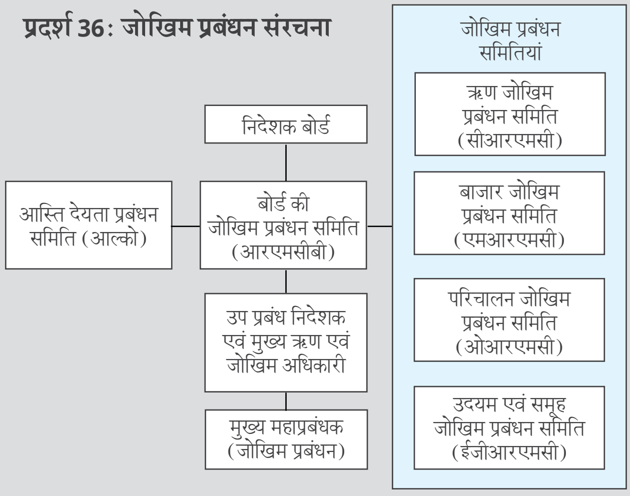

जोखिम प्रबंधन में नई पहल :

- ऋण गुणवत्ता के ह्रास के बारे में तुरंत पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा जोखिम का सही मूल्य निर्धारण करने के लिए आपके बैंक द्वारा ऋण खातों की डायनमिक क्रेडिट रेटिंग समीक्षा शुरू की गई है।
- ऋण एक्पोजरों की प्रणाली द्वारा संचालित, मानदंडों में बदध, मापित, ट्रिगर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करने के लिए आरंभिक चेतावनी नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है।
- रीटेल उधारकर्ता के निष्पादन की निगरानी एवं स्कोरिंग के लिए आपके बैंक द्वारा बिहेवियर मॉडल विकसित किया गया है। इस मॉडल को धीरे-धीरे विस्तारित किया जा रहा है, जिससे कि इसमें कई रीटेल उत्पादों को शामिल किया जा सकें।
- लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम/लोन लाइफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम के विस्तार को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि संपूर्ण ऋण संविभाग को शामिल किया जा सकें।
- पूंजी संरक्षण और पूंजी पर अधिकतम आय प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने के लिए, आपके बैंक ने जोखिम आधारित बजट (आरबीबी) निर्धारित करना शुरू किया है। जोखिम की मात्रा में कमी करने के एक उपाय के रूप में, आवधिक रूप से आस्ति सुधार का पता लगाने के लिए हम नियंत्रण प्रणाली (लीवर्स) की शुरुआत करेंगे, जो ऋण जोखिम भारित आस्तियों (सीआरडब्ल्यूए) पर आधारित होगी। बजट आधारित अग्रिम स्तरों की उपलब्धि विशिष्ट नियंत्रण प्रणालियों के अधीन प्राप्त की गई उपलब्धियों के अध्यधीन रहेगी।
- बाजार जोखिम के लिए जोखिम वाली राशि (VaR) और तनावग्रस्त जोखिम (Stressed VaR) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। उद्यम जोखिम वाली राशि (VaR) भी दैनिक आधार पर परीक्षण समर्थित होती है।

- परिचालन जोखिम प्रबंधन परियोजना के साथ आंतरिक हानि डाटा, बाहरी हानि डाटा को जोड़ने की प्रक्रिया अग्रिम स्तर है, आरसीएसए फेस IV और परिदृश्य विश्लेषण फेस II प्रक्रियाधीन है।
- आकस्मिक जोखिम, संकेंद्रीकरण जोखिम, कार्यनीतिक जोखिम एवं ख्याति जोखिम संकेतों से समूह जोखिम का मापन किया जाता है।
- जोखिम संस्कृति को ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों के माध्यम से सभी स्तर के स्टाफ के प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है।
- वित्त वर्ष 2015-16 में बैंक "पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ" (आरएआरओसी) ढाँचे को कार्यान्वित करने वाला है।
- उद्यम और समूह के लिए जोखिम निर्वहन क्षमता संबंधी विवरणों पर पुनः विचार कर उन्हें औपचारिक रूप दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

किसी प्रत्यक्ष चूक या संविभाग मूल्य में कमी के कारण ऋणियों या अन्य पक्षों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ी हानि की आशंका को ऋण जोखिम कहा जाता है। बैंक द्वारा किसी व्यक्ति, गैर-कारपोरेट, कारपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थान या संप्रभुसत्ता के साथ किए जाने वाले लेनदेन से जोखिम पैदा होती है।

न्यूनीकरण उपाय

- बैंक में ऋण मूल्यांकन और जोखिम निर्धारण की सुदृढ़ परंपराएँ विद्यमान हैं। इनसे ऋण से जुड़े जोखिमों और उनकी मात्रा की जानकारी मिलती है और उन पर निगरानी और नियंत्रण भी किया जाता है। विभिन्न खंडों की जोखिम के निर्धारण के लिए बैंक स्वनिर्मित मॉडल और स्कोर कार्डों का उपयोग करता है। बैंक की आंतरिक श्रेणियाँ व्यापक श्रेणीकरण वैधीकरण ढांचे के अध्यधीन होती हैं।
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग 37 उद्योगों का अध्ययन करता है। दूरसंचार, ऊर्जा, कोयला, उड्डयन, गैर-बैंक वित्तीय कंपनियाँ, लोहा और इस्पात आदि क्षेत्र इस अध्ययन में शामिल हैं। बैंक के कुल ऋण जोखिम का लगभग 85 प्रतिशत इसमें आ जाता है। विस्तृत अध्ययन में बाजार घटकों, संभावनाओं और संविभागीय गुणवत्ता सूचकांक (पीक्यूआई) को शामिल किया जाता है। इनके आधार पर बैंक-जोखिम की उद्योगवार सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।
- ऋण जोखिम के उन्नत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को फाउंडेशन इंटर्नल रैटिंग्स बैस्ड (एफआईआरबी) के लिए समानांतर संचालन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। इससे प्राप्त डेटा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।
- चूक की संभावना (पीडी), लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) और एक्सपोज़र एट डिफॉल्ट (ईएडी) का अनुमान लगाने के मॉडल आंतरिक रूप से तैयार किए गए हैं। आईआरबी पूंजी की गणना के लिए बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली बाहर से खरीदी है।
- एकल ऋणियों और ऋणियों के समूह के लिए विवेकपूर्ण जोखिम मानदंड, पर्याप्त जोखिम मानदंड और अप्रतिभूत जोखिमों की निरंतर निगरानी की जा रही है।
- अपने ऋण संविभाग के लिए बैंक निरंतर स्ट्रेस टेस्ट करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, बैंकिंग उद्योग की सर्वोत्तम परंपराओं और समष्टि स्तर पर आर्थिक परिवर्तन लाने वाले कारकों में परिवर्तनों के अनुरूप स्ट्रेस परिदृश्य को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

बाजार जोखिम

विनिमय दर, ब्याज दर और ईक्विटी की कीमत आदि बाजार-परिवर्तनकारी-कारकों में परिवर्तन से बैंक के व्यापार संविभाग के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण बैंक को जो हानि हो सकती हो, उसे बाजार जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण उपाय

- बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन में जोखिम और उसकी मात्रा की पहचान, प्रतिरोधक उपायों, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल है।
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अन्य के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा व्यापार, व्युत्पन्न, ब्याज दर प्रतिभूति, ईक्विटी, म्यूचुअल फंड और सीमा प्रबंधन ढाँचे के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ विद्यमान हैं।
- बाजारगत जोखिम को नियंत्रित करने का कार्य विभिन्न सीमाएँ बांधकर किया जाता है। नेट ओवरनाइट ओपन पोज़िशन, मोडिफाइड ड्यूरेशन, स्टॉप लॉस, मेनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, कट लॉस ट्रिगर, कंसेंट्रेशन एंड एक्सपोज़र लिमिट्स इन सीमाओं के उदाहरण हैं।
- व्यापार संविभाग के लिए बैंक ने आस्तियों की श्रेणीवार जोखिम सीमाएँ तय की हैं, जिन पर निरंतर निगाह भी रखी जाती है।
- वर्तमान में बाजारगत जोखिम पूंजी की गणना मानकीकृत मापन विधि (एसएसएम) से की जाती है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को इस आशय का पत्र भेजा है कि बाजारगत जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के अंतर्गत बैंक आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) पर माइग्रेट करेगा।
- वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) बैक के व्यापार संविभाग की जोखिम पर निगरानी रखने का साधन है। इस कार्यप्रणाली के अनुपूरक के रूप में व्यापार संविभाग का हर तिमाही स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है।

परिचालन जोखिम

आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों और प्रणालियों की अपर्याप्तता या असफलता से होने वाली हानि की जोखिम को परिचालन जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण उपाय

- बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य हैं - प्रणालियों और नियंत्रण व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा, समस्त बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता लाना, जोखिम का उत्तरदायित्व तय करना, जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का व्यावसायिक नीतियों के साथ ताल-मेल बैठाना और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के ये प्रमुख तत्व हैं।
- परिचालन जोखिम के उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) पर माइग्रेट करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन किया है।
- एएमए पर माइग्रेशन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआर एमएफ) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियाँ, मैनुअल और ढाँचागत प्रलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।
- वित्त वर्ष 2015 के लिए बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अनुसार पूंजी नियत की है। एएमए पर माइग्रेट करने की बैंक की परियोजना के एक भाग के रूप में वित्त वर्ष 2015 के लिए एएमए हेतु भी पूंजी नियत की गई है।

उद्यम जोखिम

उद्यम जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है - विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्यापक ढांचा तैयार करना। जोखिम निर्वहन (रिस्क अपेटाइट), जोखिम समूहन (रिस्क एग्रिगेशन) और जोखिम आधारित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली जैसी विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं का इसमें समावेश है।

न्यूनीकरण उपाय

- जोखिम प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) मॉड्यूल की शुरुआत की है, ताकि जोखिम की भूमिका को बदला जा सके और उसे व्यावसायिक ध्येय से जुड़ा रणनीतिक कार्य बनाया जा सके। बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईआरएम नीति में जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न समितियों/अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।
- व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति बैंक में विद्यमान है। चलनिधि जोखिम, बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी), संकेंद्रण जोखिम आदि पिलर 2 जोखिमों और समग्र जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ ही सामान्य और दबावपूर्ण दोनों दशाओं में पूंजी की पर्याप्तता का निर्धारण इस नीति के अनुसार किया जाता है।

समूह जोखिम

समूह जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है समूह की इकाइयों से जोखिम प्रबंधन की मानक प्रक्रियाओं को पूरा कराना।

न्यूनीकरण उपाय

- समूह जोखिम प्रबंधन, निकटवर्ती समूह और अंतर्समूह लेनदेनों तथा ऋण जोखिमों की नीतियाँ विद्यमान हैं।
- बड़े ऋण जोखिमों और पूंजी बाजार जोखिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के बताए अनुसार जोखिम सीमाएँ पूरे समूह द्वारा अपनाई गई हैं। इनके अलावा, अप्रतिभूत जोखिमों, स्थावर संपदा और अंतर्समूह जोखिमों के लिए बैंक ने अपनी सीमाएँ निर्धारित की हैं।
- समेकित विवेकपूर्ण जोखिमों और समूह जोखिम घटकों की निगरानी भी नियमित रूप से की जाती है।
- ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और चलनिधि जोखिम आदि के लिए जोखिम आधारित मापदंडों की तिमाही समीक्षा समूह जोखिम प्रबंधन समिति/ बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है।
- समूह की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारिण प्रक्रिया (ग्रुप आईसीएएपी) प्रलेख में समूह की इकाइयों द्वारा चिह्नित जोखिमों का निर्धारण, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम न्यूनीकरण उपाय तथा सामान्य एवं दबावपूर्ण दशाओं में पूंजी निर्धारण सम्मिलित है। समूह की सभी इकाइयाँ, जिनमें गैर-बैंकिंग इकाइयाँ भी शामिल हैं, समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया पूरी करती हैं और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह आईसीएएपी नीति विद्यमान है।

सूचना सुरक्षा जोखिम

सूचना सुरक्षा जोखिम के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि डेटा को नष्ट होने और खतरों से बचाने के लिए मजबूत सूचना-सुरक्षा-संरचना तैयार की जाए। आपके बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम को कम करने तथा सुरक्षा परिचालन केंद्र की स्थापना पर काफी पैसा खर्च किया है।

न्यूनीकरण उपाय

- व्यावसायिक कार्यनीति और नित्य उभरते साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सुदृढ़ और दक्ष सूचना सुरक्षा तंत्र तैयार किया है।
  - सूचना सुरक्षा नीति और मानकों को वैश्विक मानकों के आधार पर ही नियत किया गया है। इनकी वार्षिक समीक्षा भी की जाती है।
  - सभी ऐप्लीकेशन सेट-अप की लांच से पहले और फिर समय-समय पर सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा की जाती है।
- बैंक का सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) पूरे विश्व के बैंकिंग क्षेत्रों के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, क्योंकि बैंक के (देश-विदेश दोनों के) और सहयोगी बैंकों के कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा कार्यालयों के विशाल नेटवर्क को यह सुरक्षा प्रदान करता है। एसओसी में
  - प्रति सेकंड 60,000 कार्य संभालने की क्षमता है, जिसे प्रति सेकंड 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।
  - संपूर्ण उद्यम के सुरक्षा कार्यों की तत्क्षण (रियल टाइम) निगरानी के लिए पूरे वर्ष सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे कार्यरत रहकर यह ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

- बैंक के अंदर उत्पन्न या बाहर से आने वाली जोखिमों पर निगाह रखता है और घटना की रिपोर्टिंग तथा प्रबंधन में सुधार करता है।

▶ सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुरक्षा कवायद तथा कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) के कार्यान्वयन के तहत आपदा मोचन कवायद का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। विभिन्न महत्वपूर्ण आईटी सेटअप के लिए बैंक को निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हुए हैं

- सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ 27001
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) के लिए आईएसओ 22301

(ख) आंतरिक नियंत्रण

बैंक में एक अंतर्निहित नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें हर स्तर पर उत्तरदायित्व स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग के माध्यम से आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करती है। निरीक्षण प्रणाली आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों के माध्यम से जोखिमों की पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। बैंक में मुख्य रूप से दो प्रकार की लेखा-परीक्षा होती है - जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआइए) और प्रबंधन लेखा परीक्षा। इनमें आंतरिक लेखा-परीक्षा के विभिन्न पहलुओं का समावेश हो जाता है। बैंक की लेखा इकाइयों की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। बैंक की प्रबंधन लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं और इसके तहत नीतियों एवं कार्याविधियों के साथ साथ उनके कार्यान्वयन की जाँच भी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना-प्रणाली लेखा-परीक्षा (केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाएँ एवं शाखाएँ), होम ऑफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा) और व्यय लेखा-परीक्षा (प्रशासनिक कार्यालयों में) करता है और समवर्ती लेखा-परीक्षा (भारत स्थित और विदेश स्थित कार्यालयों में) तथा मंडल लेखा-परीक्षा संबंधी नीति और उसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। अनियमितताओं के सुधार की स्थिति का सत्यापन करने के लिए कुछ शाखाओं में अनुपालन लेखा-परीक्षा भी की जाती है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान 9,889 देशीय शाखाओं/बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा के अंतर्गत की गई।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा

निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा परीक्षा विभाग लेखा-परीक्षित इकाइयों के समस्त परिचालनों की विवेचनात्मक समीक्षा आरएफआईए के माध्यम से करता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का योजक है। व्यवसाय के प्रकार और जोखिम के आधार पर देशीय शाखाओं को मोटे तौर पर तीन समूहों (समूह-1, 2 और 3) में रखा गया है। समूह-1 की शाखाओं की लेखा-परीक्षा केंद्रीय लेखा-परीक्षा इकाई (सीएयू) द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं। समूह-2 और 3 श्रेणी की शाखाओं और व्यवसाय-प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों की लेखा-परीक्षा 13 आंचलिक निरीक्षण कार्यालयों द्वारा की जाती है। इन कार्यालयों के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं।

प्रबंधन लेखा-परीक्षा

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाएँ/मंडलों के स्थानीय प्रधान कार्यालय/शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, सहयोगी बैंक और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रबंधन लेखा-परीक्षा के दायरे में आते हैं। प्रबंधन लेखा-परीक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसकी आवधिकता को वर्तमान तीन वर्ष से कम कर दो वर्ष कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2015 में 46 संस्थापनाओं/प्रशासनिक कार्यालयों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

ऋण लेखा-परीक्षा

बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता में निरंतर निखार लाना ऋण लेखा-परीक्षा का उद्देश्य है। दस करोड़ रुपए और इससे अधिक के हर एक वाणिज्यिक ऋण के विवेचनात्मक परीक्षण द्वारा इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली इकाई के ऋण संविभाग की गुणवत्ता के बारे में व्यवसाय इकाइयों को चेतावनी संकेतों के रूप में प्रतिसूचना देते हुए ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली सुधार के उपाय भी सुझाती है। ऋण लेखा-परीक्षा के तहत (ऋण समीक्षा तंत्र के रूप में) 5 करोड़ रुपए से अधिक के हर ऋण प्रस्ताव की मंजूरी से पहले और मंजूरी/ऋण-सीमा बढ़ाने/नवीकरण के 6 माह में ऑफ साइट समीक्षा भी की जाती है। वित्त वर्ष 2015 में 9,129 खातों की ऑनसाइट ऋण लेखा-परीक्षा की गई।

सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा

शाखा की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआइए) के तहत सभी शाखाओं की सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखा-परीक्षा कर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिमों का आकलन किया जाता है। केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षा अर्हताप्राप्त अधिकारियों/बाहरी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2015 में 38 केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की गई।

विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा

वित्त वर्ष 2015 के दौरान 48 शाखाओं की होम ऑफिस लेखा-परीक्षा, 1 प्रतिनिधि कार्यालय/कंट्रि हेड कार्यालय और 2 अनुषंगियों/संयुक्त उपक्रमों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली

संगामी लेखा-परीक्षा मौलिक रूप से नियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जो आंतरिक लेखा कार्यों को सुव्यवस्थित तथा नियंत्रण को प्रभावी बनाती है और परिचालनों का निरंतर पर्यवेक्षण करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की निरंतर समीक्षा की जाती है, जिसमें नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए अनुसार बैंक के अग्रिमों और अन्य जोखिमों का

समावेश हो जाता है। निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग शाखाओं और बी पी आर इकाइयों में समवर्ती लेखा-परीक्षा करने हेतु प्रक्रियाएँ, दिशानिर्देश और फार्मेट निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान समवर्ती लेखा-परीक्षा प्रणाली पुनर्निर्धारित की गई। इसके साथ ही वेब आधारित समाधान प्रारंभ किया गया तथा कुछ स्थानों पर बाह्य लेखा-परीक्षकों को समवर्ती लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

मंडल लेखा-परीक्षा

लेखा-परीक्षा कार्य का प्रत्यायोजन है मंडल लेखा-परीक्षा। कम जोखिम वाले क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं और जोखिम केंद्रित दो आंतरिक लेखा-परीक्षाओं के बीच यह लेखा-परीक्षा की जाती है। जिस इकाई में यह लेखा-परीक्षा होती है, उसे जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में यह मदद करती है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान मंडल लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा 10,671 इकाइयो की लेखा परीक्षा की गई।

मंजूरी के शीघ्र बाद समीक्षा (ईएसआर)

लेखा परीक्षा के अंतर्गत सितंबर 2014 से 1 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की मंजूरियों की समीक्षा करने के लिए मंजूरी के शीघ्र बाद की समीक्षा शुरू की गई:

- मंजूर प्रस्तावों में यदि कोई खास जोखिम हो, तो उसे आरंभिक चरण में ही पकड़ना और उसे जल्दी से जल्दी कम करने के लिए नियंत्रकों को सूचित करना।
- इस श्रेणी में आने वाली ऋण जोखिमों की मंजूरी पूर्व प्रक्रियाओं/ मंजूरियों की गुणवत्ता बढ़ाना
- ऋण प्रस्तावों के सोर्सिंग में गुणवत्ता लाना
- वित्त वर्ष 2015 के दौरान ईएसआर के अंतर्गत 4,339 खातों की समीक्षा की गई।

अन्यत्र लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग, हैदराबाद के अन्यत्र निगरानी केंद्र (ऑफ साइट मॉनिटरिंग सेंटर - ओएमसी) द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता के आधार पर डेटा वेअरहाउस द्वारा अपवादात्मक डेटा निकाला जाता है। ऑफ साइट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओटीएमएस) नाम का वेब आधारित समाधान प्रारंभ किया गया है, जो विपथनों को पकड़कर सुधार की कार्रवाई करता है। इस समय 11 प्रकार के विपथनों पर नजर रखी जा रही है। आवश्यकतानुसार इनकी समीक्षा की जाएगी।

विधिक लेखा-परीक्षा

सभी व्यवसाय समूहो में विधिक लेखा परीक्षा की शुरुआत जून, 2014 में की गई थी। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक के समग्र जोखिम (निधि आधारित + गैर-निधि आधारित) वाले खातों के ऋण और बंधक से संबंधित सभी प्रलेखों की लेखा-परीक्षा की जाती है। 31 मार्च 2015 तक 8,976 पात्र खातों में यह लेखा-परीक्षा प्रारंभ की गई थी और 3,310 खातों में पूरी हो चुकी थी।

4. सूचना प्रौद्योगिकी

क. कोर बैंकिंग परियोजना

सीबीएस परिवेश में एक अरब तक खाते रखे जा सकते हैं, प्रतिदिन 250 मिलियन से ज्यादा लेनदेन किए जा सकते हैं और प्रति सेकंड 17,000 से ज्यादा लेनदेन प्रविष्ट किए जा सकते हैं। शाखाओं में सभी सीबीएस प्रयोक्ताओं के लिए द्वितीय प्रमाणीकरण के रूप में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कार्यान्वित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न जोखिमों की पहचान, निर्धारण, मापन, निगरानी और न्यूनीकरण के लिए सुव्यवस्थित एवं अग्रलक्षी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

प्रदर्श 37: वैकल्पिक चैनल संवृद्धि

दिनांक को	एटीएम	कियोस्क (एमएफके+ एसएसके)	नकदी जमा मशीनें (सीडीएम)	कुल संख्या
31.03.2013	25,247	2,196	698	28,141
31.03.2014	40,768	2,583	1,516	44,867
31.03.2015	42,454	2,595	1,849	46,898

एटीएम

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों का एटीएम नेटवर्क पूरे विश्व में एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दिनांक 31 मार्च 2015 को किओस्क और नकदी जमा मशीनों सहित एटीएम की संख्या 54,000 से अधिक थीं। इलेक्ट्रा स्विच के अतिरिक्त एटीएम बैस 24 स्विच को हाल ही में 50,000 एटीएम संभालने लायक उन्नत किया गया है।

प्रदर्श 38: समूह के एटीएमों की संख्या

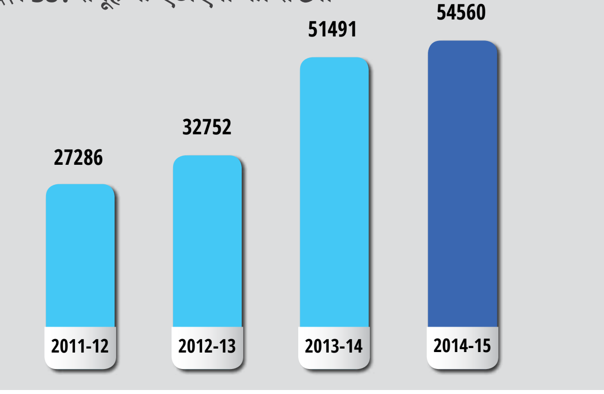

इस विशाल देश के कोने-कोने तक एटीएम पहुँचा कर ग्राहकों के लिए सुविधाएँ बढ़ाने का ध्येय है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान बैंक द्वारा 1,686 एटीएम लगाए गए। अब 31 मार्च 2015 को एटीएम (स्टैंड अलोन) की कुल संख्या 46,898 (एटीएम+किओस्क+नकदी जमा मशीन) है। जनसंख्या समूह के आधार पर महानगरीय/शहरी इलाकों और-अर्ध शहरी/ग्रामीण इलाकों में एटीएम अनुपात 50:50 है।

भारत के कुल एटीएम में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम नेटवर्क का बाजार अंश 29.84% है और देश के कुल एटीएम लेनदेनों में 49.65% लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम पर होते हैं। प्रतिदिन औसतन 99.96 लाख से ज्यादा लेनदेन हमारे एटीएम नेटवर्क के माध्यम से होते हैं। हमारा एटीएम नेटवर्क देश के व्यस्ततम नेटवर्कों में से एक है। प्रतिदिन हर एटीएम पर औसतन 185 से ज्यादा हिट होते हैं। स्टेट बैंक समूह का डेबिट कार्ड आधार (स्टेंड अलोन 16.07 करोड़) 20.59 करोड़ है।

हमारे एटीएम औसतन 2,731 करोड़ रुपए का भुगतान प्रतिदिन करते हैं। लेनदेनों की दैनिक संख्या 8.33 मिलियन है, हर दिन हमारा हर एटीएम 5.88 लाख रुपए का भुगतान करता है और 185 लेनदेन करता है।

दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए वित्त वर्ष 2015 के दौरान 4,000 से अधिक एटीएम को सवाक (बोलते) एटीएम बनाया गया, जिन्हें मिलाकर सवाक एटीएम की संख्या 31 मार्च 2015 को 8,600 से ज्यादा हो गई। अब हर नई मशीन पर यह सुविधा शुरू से दी जा रही है।

शारीरिक चुनौतीग्रस्त व्यक्तियों का ध्यान रखना भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे 2,414 एटीएम में रैम्प लगाए गए हैं, ताकि शारीरिक असमर्थ भी एटीएम तक आसानी से पहुँच सकें। जहाँ भी संभव हो, एटीएम में रैम्प या साइड रैलिंग बनाए जाते हैं।

हमारे 950 से ज्यादा एटीएम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। एटीएम प्रयोक्ताओं की सुरक्षा का भी हम ध्यान रखते हैं। पहरेदार सुरक्षा के अतिरिक्त वर्ष 2015 के दौरान 2488 एटीएम में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था कायम की गई। बैंक के ई-कॉर्नर की कुल संख्या 500 से अधिक हो गई है। इनमें 200 से ज्यादा ई-कॉर्नर वित्त वर्ष 2015 में स्थापित किए गए।

नकदी जमा मशीनें (सीडीएम)

ग्राहकगण मशीन के माध्यम से नकदी जमा करा सकें, इस हेतु नकदी जमा मशीनें लगाने के कार्य में स्टेट बैंक तेजी से आगे बढ़ा है। नकदी जमा मशीनों की संख्या 31 मार्च 2015 को 1,849 थीं। इन मशीनों से ग्राहकों को चौबीसों घंटे नकदी जमा कराने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

ख. इंटरनेट बैंकिंग और ई-वाणिज्य

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म onlinesbi.com बैंक के खुदरा और कारपोरेट ग्राहकों को सुदृढ़ और अनुकूल नेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है। कारपोरेट ग्राहकों में सरकारी उपक्रम और सरकारी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। इस किफायती चैनल के माध्यम से वित्त वर्ष 2015 में 86 करोड़ लेनदेन हुए, जो पिछले वर्ष से 39% अधिक हैं। हमारे सुदृढ़ खुदरा इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को दृष्टिबाधित ग्राहकों के उपयोग के लायक भी बनाया गया है।

प्रदर्श 39: इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ता (संख्या लाख में)

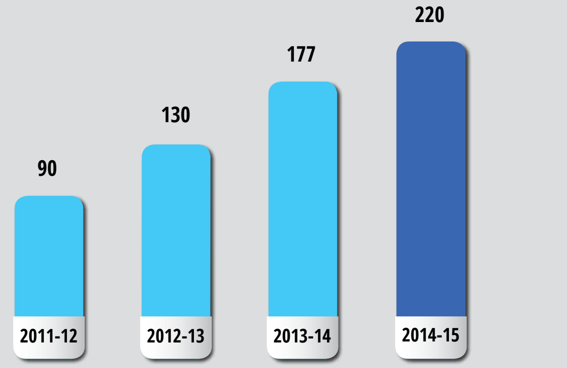

कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग (सीआईएनबी) लघु, मध्यम और बड़े कारपोरेटों के लिए बहुत अनुकूल है। सरकारी कोषालय और लेखा विभाग से तालमेल बैठाने में भी यह बहुत सफल रहा है। संस्थानों, कारपोरेटों और सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन शुल्क/निधियाँ संग्रहित करने का कार्य बहुविकल्पी भुगतान प्रणाली (एमओपीएस), स्टेट बैंक कलेक्ट और मर्चेन्ट अक्विजिशन के माध्यम से स्वतंत्र समूहकों द्वारा किया जाता है। इंटरनेट आधारित समाधान सरकारी विभागों/उपक्रमों और बड़े तथा मध्यम कारपोरेटों की ई-संविदा, ई-नीलामी तथा बड़ी संख्या वाले भुगतान संबंधी आवश्यकता भी पूरी करते हैं।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान देश में ई-वाणिज्य के लिए अवसर सृजित करने में बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष के दौरान 20,000 से ज्यादा व्यापारिक गठबंधनों के माध्यम से, चाहे ये गठबंधन प्रत्यक्ष हों या स्टेट बैंक कलेक्ट या ई-वाणिज्य समूहकों के माध्यम से हों, बैंक ने 72 करोड़ से ज्यादा ई-वाणिज्य लेनदेन किए। वित्त वर्ष 2015 के दौरान नेट बैंकिंग में शुरू की गई कुछ नई विशेषताएँ ये हैं -

- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नामांकन दर्ज करने/निरस्त करने/इस बारे में पूछताछ करने की सुविधा।
- आधार नंबर और एलपीजी ग्राहक आईडी को संबद्ध करना।
- आईआरसीटीसी - क्विक पे, आई आरसीटीसी पर टिकिटों की शीघ्र बुकिंग के लिए।
- एटीएम कार्ड के प्रत्ययों का उपयोग करते हुए लॉग-इन पासवर्ड को रिसेट करना।
- फॉर्म 15 जी/एच जनरेट करना।
- एटीएम कार्ड धारक प्रतिदिन लेनदेन की सीमा, चैनल का प्रकार (एटीएम या पीओएस या सीएनपी) और उपयोग का प्रकार (अंतदेशीय या अंतरराष्ट्रीय) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तय कर सकते हैं।
- स्मार्ट फोन के लिए 'स्टेट बैंक एनीव्हेर' नामक मोबाइल सॉफ्टवेयर से छोटी-छोटी राशि का शीघ्र अंतरण प्राप्तकर्ता का पंजीकरण कराए बगैर केवल क्यूआर कोड या खाते का विवरण देकर हो सकता है।

- नकली चेक या चेक में हेराफेरी द्वारा होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग में कारपोरेटों को यह सुविधा दी गई है कि वे अपने जारी चेकों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। चेक का भुगतान करते समय डेटा को मान्य करने के लिए इस विवरण का उपयोग किया जाता है।
- आकस्मिक व्ययों की पूर्ति हेतु ऋण देने के लिए ग्राहकों के निवेशों का उपयोग करने हेतु शेयरों/सुविधा पर ऋण देना शुरू किया गया है। ग्राहक अपने शेयरों पर 9 लाख रुपए तक के ऋण लेने के लिए ऑनलाइन से आवेदन कर सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की इकाइयो के विवरण देखने की सुविधा दी गई है।
- अनिवासी भारतीय ग्राहक शाखाओं. को पत्र/ई-मेल भेजने के बजाय इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने खाते में आवक/जावक निधियों के निपटान का अनुरोध भेज सकते हैं।

मोबाइल बैंकिंग

भारत में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में बैंक बाजार-अग्रणी है। बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा - स्टेट बैंक फ्रीडम - कम लागत पर चौबीसों घंटे तत्क्षण बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिसमें सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।

प्रदर्श 40: मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ता (संख्या लाख में)

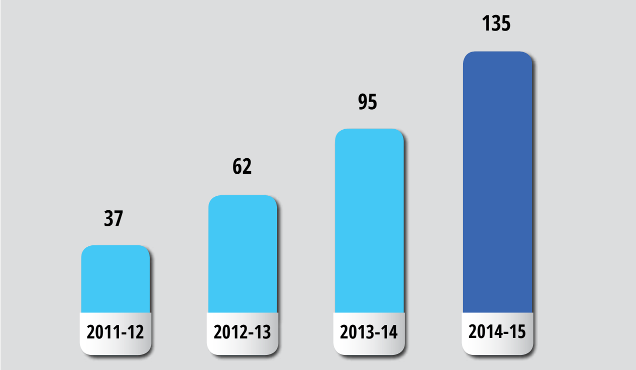

मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं द्वारा खाते में शेष राशि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त किया जा सकता है, चेक बुक के लिए अनुरोध किया जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछताछ की जा सकती है, भारत में इसी बैंक में या अन्य बैंक में धन अंतरित किया जा सकता है, मोबाइल टॉपअप कराया जा सकता है, रेल और हवाई जहाज के टिकिट आरक्षित कराए जा सकते हैं, बिलों का भुगतान किया जा सकता है, जीवन बीमा की प्रीमियम चुकाई जा सकती है और अंतर बैंक मोबाइल बैंकिंग भुगतान सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है। यह सब सेवा प्राप्त करने के प्रकार पर निर्भर करता है। बैंक ने मोबिकैश नाम से प्रीपेड स्टोर्ड वैल्यू खाता भी प्रारंभ किया है।

टैब बैंकिंग

बैंक ने बचत बैंक खाता खोलने, आवास ऋण और वाहन ऋण की सैद्धांतिक मंजूरी देने तथा एसएमई ऋणों के मंजूरी पूर्व सर्वेक्षण (पीएसएस) को रिकॉर्ड करने के लिए टैब बैंकिंग सेवाएँ प्रारंभ की हैं। खाता खोलने से संबंधित सभी औपचारिकताएँ स्टाफ द्वारा टैब का उपयोग कर पूरी की जाएंगी। फोटोग्राफ लेना और केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करना भी इनमें शामिल है। खाता खोलने के ब्योरे सीबीएस प्लेटफॉर्म में लोड हो जाएंगे और खाता क्रमांक की सूचना ग्राहक को मिल जाएगी। इसी प्रकार आवास ऋण/वाहन ऋण विक्रय टीम के सदस्य जब ग्राहक से मुलाकात के लिए जाते हैं, तब उनके केवाईसी ब्योरे, आय और कटौतियों के विवरण तथा प्रस्तावित संपत्ति के ब्योरे टैब में कैप्चर कर लेते हैं। प्रस्तुत डेटा और परियोजना की लागत के आधार पर ग्राहक को ऋण और मासिक किस्त की अनुमानित राशि सूचित की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी - विदेशी कार्यालय

आईटी-एफओ द्वारा 26 देशों में बैंक के 153 विदेशी कार्यालयों को पूरे वर्ष हर समय आईटी सपोर्ट प्रदान किया जाता है। ये विदेशी कार्यालय उच्च कोटि की ग्राहक सेवा देने के अतिरिक्त समस्त नियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिनैकल कोर बैंकिंग ऐप्लिकेशन के साथ ही फिनेकल ट्रेज़री, एस पेलिकन, स्विफ्ट कनेक्ट, एएमएलओके, एफएनआर आदि अन्य कई एड ऑन/सराउंड ऐप्लिकेशन उपयोग करते हैं।

बेहतर और सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए अब सभी विदेशी कार्यालयों को फिनैकल कोर बैंकिंग ऐप्लिकेशन के उन्नत वर्ज़न में ले जाया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2015 तक 17 देशों के विदेशी कार्यालय माइग्रेट हो चुके हैं और शेष 9 देशों के विदेशी कार्यालय अगस्त 2015 तक माइग्रेट हो जाएंगे।

ई-ट्रेड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सप्लाय चैन फाइनैंस, ऋण उद्गम/प्रबंधन प्रणाली, विदेशी कार्यालय कर खाता अनुपालन अधिनियम का पालन आदि कई बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में लिया गया है। हमारे विदेशी परिचालनों को और बढ़ाने तथा सुदृढ़ बनाने में इससे बहुत मदद मिलेगी।

एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस

(1) देशीय और विदेशी जोखिमों का एकीकरण

सभी जोखिमों (निधि/गैर-निधि आधारित ऋण, गैर-एसएलआर निवेश और व्युत्पन्न जोखिम) को एक साथ देखने हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली की आवश्यकता के अनुरूप एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस ने व्यक्तिगत ऋणियों और समूहों के देशीय तथा विदेशी दोनों प्रकार के परिचालनों के देशीय एवं विदेशी ऋण जोखिमों का एकीकरण किया है (ऋण जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से परिचालनों में तुलनपत्र के परिचालन भी शामिल हैं और तुलनपत्र से बाहर के भी)। इन्हें मासिक अंतराल पर अद्यतन किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत समस्त 18,200 से ज्यादा देशीय शाखाओं और 180 से ज्यादा विदेशी शाखाओं के ग्राहकों के लिए इस प्रकार का एकीकरण किया गया है। जोखिम को ऋणी संघटन, खुदरा/कारपोरेट, आस्ति श्रेणी, सुविधाएँ आदि कई आयामों से देखा जा सकता है। किसी भी ग्राहक या ग्राहक समूह के अपलेखन, ऋण पुनर्संरचना देखने की सुविधा का भी इस परियोजना में ध्यान रखा गया है।

(2) कस्टमर वन व्यू (सीओवी)

ग्राहकों की बड़ी संख्या और उत्पादों की भरपूर विविधता के कारण ग्राहक संबंध प्रबंधन और ग्राहक सेवा में बैंक के समक्ष आई चुनौतियों का सामना करने के लिए कस्टर वन व्यू (सीओवी) के नाम से एक हल खोजा गया है। सीओवी का लक्ष्य है खुदरा और कारपोरेट ग्राहकों के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। इससे बैंक को ग्राहक का प्रोफाइल समझने और तदनुसार सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट बैंक तथा अनुषंगियों के विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्रित करता है और उसे संसाधित कर ग्राहक संविभाग/लाभप्रदता/जोखिम श्रेणी/अगला सर्वोत्तम उत्पाद आदि के बारे सूचना नगेट उपलब्ध कराता है।

(3) कस्टमर वन व्यू का सीबीएस के साथ एकीकरण

सीओवी को सीबीएस के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि अग्रिम पंक्ति स्टाफ अगले सर्वोत्तम उत्पाद की पेशकश कर ग्राहक की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके और डेटा वेयरहाउस, डेटा डिपॉज़िटरी एवं उन्नत विश्लेषण की सुविधा का उपयोग कर प्रतिविक्रय के व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठा सके। इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं -

- सीबीएस और डेटा वेयरहाउस परियोजना स्थलों पर वेब सेवाएँ प्रदान की गई हैं
- सीबीएस B@ncslink में "सीओवी" नाम का नया मेनू बटन प्रारंभ किया गया है।
- एक क्लिक पर टेलर को ग्राहक का प्रोफाइल और अगला सर्वोत्तम उत्पाद उपलब्ध रहता है।
- पेशकश के लिए स्वीकृति/अस्वीकृति रिकॉर्ड हो जाती है।

भुगतान प्रणाली समूह (प्रीपेड कार्ड)

प्रीपेड कार्ड भारतीय रुपए में और विदेशी मुद्रा में जारी किए जाते हैं। भारतीय रुपए में ईजेड पे कार्ड, गिफ्ट कार्ड, स्मार्ट पे-आउट कार्ड, क्विक पे कार्ड, इंम्प्रेस्ट कार्ड, अचीवर कार्ड आदि कई प्रकार के प्रीपेड कार्ड व्यक्तिगत और कारपोरेट ग्राहकों को जारी किए जाते हैं। स्टेट बैंक विदेश यात्रा कार्ड आठ विदेशी मुद्राओं में जारी किया जाता है। इन मुद्राओं के नाम हैं-जापानी येन, कनाड़ाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, सऊदी रियाल, सिंगापुर डॉलर, यू.एस. डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पौंड। यह कार्ड विदेश यात्रा करने वालों को निरापदता, सुरक्षा और सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2015 के दौरान हमने 24,555 विदेश यात्रा कार्ड और लगभग 231,000 भारतीय रुपया प्रीपेड कार्ड जारी किए।

नेटवर्किंग

'स्टेट बैंक कनेक्ट' बैंक का सुरक्षित और सुदृढ़ प्रमुख कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है और संपूर्ण प्रौद्योगिकी संरचना की रीढ़ है। स्टेट बैंक कनेक्ट की प्राथमिक पॉइंट टु पॉइंट लिंक को हाल ही में एमपीएलएस आर्किटेक्चर पर लाया गया है, ताकि बैंडविड्थ का अपटाइम और डायनैमिक उन्नयन सुनिश्चित हो सके। बैंक के कोर बैंकिंग ऐप्लिकेशन, व्यापार वित्त ऐप्लिकेशन, एटीएम, भुगतान प्रणालियाँ, नकदी प्रबंधन सॉफ्टवेयर, कारपोरेट ई-मेल और इंटरनेट पोर्टल आदि व्यवसाय की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों के सपोर्ट के लिए बैंक और इसके सहयोगी बैंक 'स्टेट बैंक कनेक्ट' पर ही निर्भर हैं।

कारपोरेट वेब और मेल सेवाएँ

"एसबीआई ऐस्पिरेशन" नामक आंतरिक सोशल मीडिया का शुभारंभ 1 जुलाई 2013 में किया गया था। यह एक सामूहिक प्लेटफॉर्म है, जो कर्मचारियों को अधिक नवोन्मेषी, उत्पादक और ज्ञानवान बनाने तथा नए-नए विचार सृजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से कर्मचारी अन्य सहकर्मियों के नेटवर्क के संपर्क में रह सकते हैं, अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने समूह में नए विचारों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

एसबीआई ऐस्पिरेशन प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए सर्वोत्तम ब्लॉग प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरियाँ, नए समूहों का सृजन, फोटो वोट प्रतियोगिता आदि कई उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म को नॉलेज हेल्पलाइन एवं एचआर पोर्टल से एकीकृत किया गया है। सर्वोत्तम ब्लॉग प्रतियोगिता से कर्मचारियों में जबर्दस्त उत्साह पैदा हुआ और अन्य लोग इस प्लेटफॉर्म पर सहभागिता शुरू करने के लिए तैयार हुए। फोटो वोट प्रतियोगिता समूह में एक वर्ष में कुल 444 कर्मचारी शामिल हुए और 450 कर्मचारियों ने अपने प्रोफाइल के साथ अपना फोटो जोड़ा। फोटो-वोट प्रतियोगिता इस मायने में भी सफल रही कि 349 फोटो अपलोड हुए, जिन्हें 3446 दाद (लाइक्स) मिली।

यह प्लेटफॉर्म सभी विदेशी कार्यालयों के कर्मचारियों और विदेशी कार्यालयों के स्थानीय आधार वाले अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध कराया गया।

बाहरी सोशल मीडिया

युवा ग्राहकों के विचार जानने और उन्हें अपने से जोड़े रखने के लिए बैंक ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे बाहरी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सोशल मीडिया के इन पोर्टलों पर हमें जबर्दस्त प्रतिसाद मिला।

(1) यू ट्यूब

दिनांक 23 जनवरी 2014 को प्रारंभ किया गया हमारा यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइबर आधार की दृष्टि से सभी भारतीय बैंकों में अग्रणी यूट्यूब चैनल है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 120 से अधिक वीडीयो अपलोड किए हैं। इस समय इसके 6,500 सब्स्क्राइबर हैं। इस प्रकार यह अन्य बैंकों के चैनलों से आगे है, जो 4-5 वर्षों से यूट्यूब पर उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लगभग 3.50 लाख बार देखा गया, जिससे यह माना जा सकता है कि डिज़िटल प्रेक्षकों को हमारी सामग्री पसंद आ रही है।

(2) फेसबुक

हमारा फेसबुक पेज 7 नवंबर 2013 को प्रारंभ किया गया था। इसने प्रारंभ होने के 15 माह में ही 1 मिलियन फैन का आँकड़ा छू लिया और अगले 2.5 महीनों में ही हम 2 मिलियन फैन के आँकड़े तक पहुँच गए। हम कोटक महिन्द्रा बैंक, सिटीबैंक, आईडीबीआई बैंक और यस बैंक से आगे हैं, जबकि ये सब कम से कम 4-5 वर्ष से इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैं।

इस वर्ष के दौरन इस सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने प्रेक्षकों से जुड़ने के लिए हमने अनेक कार्य किए। फीफा वर्ल्ड कप पर प्रश्नोत्तरी, बचत मंत्र पर चर्चा, फोटो-वोट प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम रखे गए।

(3) ट्विटर

हमारा ट्विटर हेंडल 4 अप्रैल 2014 को प्रारंभ किया गया। इस समय हमारे हेंडल के 1.30 लाख फॉलोअर हैं। हमारे हेंडल ने 1 लाख फॉलोअर का आँकड़ा मार्च 2015 में यानी शुरू होने के 11 माह में ही पार कर लिया। समस्त भारतीय बैंकों में यह दूसरा सबसे बड़ा आँकड़ा है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक 3 या 4 वर्षों से ट्विटर पर हैं। हमारे हेंडल को ट्विटर ने 10 माह में ही वेरिफाइड हेंडल का प्रमाणपत्र दे दिया था, जबकि 4 वर्ष से अधिक की उपस्थिति वाले कुछ अन्य बैंकों को वेरिफाइड स्टेटस अब तक प्राप्त नहीं हआ है। हमारे उत्पादों और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने ट्विटर पर कई प्रश्नोत्तरियाँ और प्रतियोगिताएँ संचालित की। ज्यादा दिखाई देने के लिए हमने हैशटैग (#) का उपयोग भी बढ़ाया।

गूगलप्लस और लिंकेडिन जैसी अन्य नेटवर्किंग साइटों पर हमारा ऑफिशल पेज प्रारंभ करने के लिए बातचीत चल रही है। हम इस बात का भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि अपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन द्वारा व्यावसायिक उत्पादकता के लिए सोशल मिडिया का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है।

डिजिटल बैंकिंग

“अगली पीढ़ी का बैंक - दूसरों से अलग” बनने में सबसे आगे रहने के ध्येय से और हमारे खुदरा ग्राहकों को मूल्यवान सेवाएँ देने के लिए “एसबीआई इनटच” नामक सब-ब्रांड के अंतर्गत 7 डिजिटल बैंकिंग आउटलेट खोले गए हैं।

विकास चैनल

(1) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम कार्ड लिमिट/चैनल/यूसेज़ में संशोधन

स्टेट बैंक समूह के ग्राहकों को इंरनेट बैंकिंग में एक सुविधा दी गई है, जिसके माध्यम से वे एटीएम कार्ड की दैनिक सीमाएँ (एटीएम, पीओएस/पीजी) संशोधित कर सकते हैं, चैनल (एटीएम, पीओएस/पीजी) और यूसेज (देशीय/अंतरराष्ट्रीय) को डिसेबल/इनेबल कर सकते हैं।

(2) कार्ड के बिना राशि जमा करना

बैंक में आकर राशि जमा करने वाले जमाकर्ताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। वे हमारे बैंक में मौजूद किसी भी खाते में धन जमा कर सकते हैं। इसके लिए नकदी जमा मशीन पर डिपॉजिट मेनू खोला जाएगा। ग्राहक को केवल अपना मोबाइल नंबर, धन प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर और खाता क्रमांक दर्ज करना होगा। इतना विवरण स्वीकृत होने पर नकदी की जाँच, गिनती और सत्यापन होगा। प्राप्तकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नकदी जमा होने की सूचना मिल जाएगी।

ये लेनदेन ₹49,900/- की राशि या कुल 200 नोट तक के लिए ही किए जा सकते हैं। इस समय 1,763 नकदी जमा मशीनों पर यह सुविधा उपलब्ध है।

(3) स्टेट बैंक एनीव्हेर

ग्राहकों के लिए यह नवीनतम सुविधा स्मार्ट फोन ऐप्लिकेशन के रूप में आई है और स्टेट बैंक एनीव्हेर ऐप्लिकेशन एंड्राइड, आईओएस, विंडोज़ तथा ब्लेकबेरी प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध है। भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग की विशालतम पेशकश में कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएँ शामिल हैं, जिनका उपयोग ग्राहक आसानी से चलते-फिरते कर सकते हैं।

इसकी कई प्रमुख विशेषताएँ हैं, जैसे एमपासबुक, ऑनलाइन से ई-टीडीआर, ई-एसटीडीआर जारी करना, ई-आरडी खोलना, बिना लाभार्थी पंजीकरण के आईएमपीस के माध्यम से क्यूआर कोड का प्रयोग करके क्विक ट्रांसफर करना, आरटीजीएस निधि अंतरण, क्रेडिट कार्ड (वीजा) ट्रांसफर, बैंक खातों को आधार से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराना।

शेष संबंधी पूछताछ, लघु खाता विवरण, चेक बुक संबंधी अनुरोध स्वयं के और अन्य व्यक्तियों के खातों में निधि अंतरण करने, आईएमपीएस ट्रांसफर, एनईएफटी, एसबीआई समूह के अंदर ट्रांसफर जैसी नियमित सेवा प्रदान करने के अलावा, मोबाइल टॉप-अप और डीटीएच रिचार्ज, प्रोफाइल सेटिंग, दोस्तों को बताने, प्रतिसूचना (फीडबैक) संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है।

बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का सीआईएनबी मॉडयूल स्टेट बैंक "एनीव्हेर-सरल" नाम से एक अलग ऐप्लिकेशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

अधिक बड़े समूह तक पहुँचने के लिए "स्टेट बैंक कहीं भी" नाम से इसे हिंदी में भी शुरू किया गया है। हिंदी में भी शुरू करने से काफी बड़ी संख्या में ग्राहक बहुत आसानी और सुविधा से मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकेंगे।

एसबीआई फाइंडर:

प्रयोक्ताओं के लिए एक क्षेत्र की निर्दिष्ट परिधि के अंदर एसबीआई एटीएमों, सीडीएमों, शाखाओं और ई-कॉर्नरों का पता लगाना आसान बनाने के लिए ग्राहक सुविधा वाला स्मार्ट फोन ऐप्लिकेशन "एसबीआई फाइंडर" तैयार किया गया है और इसे एंड्राइड एवं आईओएस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराया गया है। जीपीएस का उपयोग करके ग्राहक को वर्तमान एरिया की निर्दिष्ट परिधि के अंदर स्थित एसबीआई एटीएमों, शाखाओं और ई-कॉर्नरों तक पहुंचने के लिए यह दिशा उपलब्ध कराता है।

एसबीआई होलीडे कैलेंडर:

बैंक के विभिन्न मंडलों/राज्यों में उसके अवकाश दिवसों को प्रदर्शित करने की दृष्टि से स्मार्ट फोन के लिए ग्राहक सुविधा वाला एसबीआई होलीडे ऐप्लिकेशन एंड्राइड एवं आईओएस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराया गया है।

प्रमुख कार्य

वित्त वर्ष 2015 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य हुए :

सीबीएस में खाता खोलने की प्रक्रिया का ई-केवाईसी के साथ एकीकरण

आधार में दिए गए विवरण का भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डेटाबेस से सत्यापन कर विवरण को प्रमाणित किया जाता है। इस उपाय से ग्राहकों को अपनी पहचान के कागज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं रहेगी और बैंक में खाता खोलने में और आसानी होगी।

सीबीएस में एलपीजी आईडी पंजीकरण हेतु विवरण दर्ज करने के लिए शाखाओं को नई स्क्रीन उपलब्ध कराई गई:

जिन ग्राहकों के पास आधार नंबर नहीं है, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। वे अपने खाते के साथ अपने एलपीजी आईडी को जोड़कर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खोले गए खातों के साथ आधार नंबर का स्वतः संबद्ध होना :

आधार कार्ड/ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के आधार पर खोले गए सभी खातों के साथ आधार नंबर स्वतः दर्ज हो जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केवाईसी का अनुपालन:

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मार्च 2015 में ऐसे सभी ग्राहकों को नोटिस भेजे गए, जिन्होंने "केवाईसी" आवश्यकता का पालन नहीं किया है।

मोबाइल नंबर परिवर्तन को दर्ज करना:

सीबीएस ऐप्लिकेशन में एक और सुविधा जोड़ी गई है। जब भी कोई ऐसा ग्राहक लेनदेन करने आए, जिसका मोबाइल नंबर दर्ज न हो या गलत नंबर दर्ज हो, तो टेलर को तत्काल इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है, जिससे वह ग्राहक का मोबाइल नंबर ले सकता है या गलत नंबर के स्थान पर सही नंबर दर्ज कर सकता है। इससे शाखाओं को सीबीएस डेटा में ग्राहक का नवीनतम मोबाइल नंबर जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि कई प्रकार के एसएमएस भेजने के लिए ग्राहक के मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।

प्रौद्योगिकी पुरस्कार

प्रदर्श 41: वित्त वर्ष 2015 के दौरान प्राप्त पुरस्कारों की सूची

पुरस्कार	श्रेणी	कब प्राप्त
एसएपी एस अवार्ड	बेस्ट रन पे रोल	अगस्त 2014
आईडीआरबीटी अवार्ड 2014	वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए बेस्ट बैंक अवार्ड	अक्तूबर, 2014
	इलेक्ट्रानिक पेमेंट सिस्टम्स के लिए बेस्ट बैंक अवार्ड-अक्तूबर - 2014	
फिन्नोविटि 2015 अवार्ड	भारतीय स्टेट बैंक में विश्लेषण संबंधी	जनवरी, 2015
	भारतीय स्टेट बैंक में निष्पादन नियोजन एवं बजट निर्धारण	जनवरी, 2015
ग्लोबल फाइनैंस	सर्वोत्तम व्यापार वित्त बैंक 2015-भारत	जनवरी, 2015
सीएसआई एक्सिलेंस इन आईटी अवार्ड्स 2014 (स्पेशल मेंशन अवार्ड)	बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा	फरवरी, 2015
आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड्स 2015	प्रौद्योगिकी में वर्ष का सर्वोत्तम बैंक	फरवरी, 2015
	डेटा का सर्वोत्तम उपयोग	
	ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग (यूनियन बैंक के साथ)	
	डिजिटल और चैनल प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग	
	प्रशिक्षण और मानव संसाधन, ई-लर्निंग में प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग	
	भुगतान के सर्वोत्तम तरीके - रनर अप	
सिबिल अवार्ड 2014-15	डेटा गुणवत्ता	मार्च, 2015

5. व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास

अपने कामकाज में उच्चतम उत्कृष्टता लाने के प्रयासों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी व्यवसाय प्रक्रियाओं में अनेक सुधार किए। प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं:

- विभिन्न संसाधन केंद्रों के लिए उत्पादकता के निर्देश चिह्न
- नेटवर्क और अंचलों का आकार-अनुकूलन, ताकि वे अधिक समर्थता और दक्षता से कार्य कर सकें।
- लागत नियंत्रण। रजिस्टरों/फॉर्मों को तर्कसंगत बनाकर और उनकी संख्या घटाकर तथा लेखन-सामग्री प्रबंधन के आउटसोर्सिंग मॉडल को प्रारंभ कर 'प्रोजेक्ट स्टेशनरी मेंनेजमेंट' को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- पेंशन भुगतान आदेशों का डिजिटीकरण किया गया, ताकि परिचालन स्टाफ इन आदेशों को आसानी से देख सकें और स्टाफ की दक्षता तथा उत्पादकता बढ़े।
- चेक बुक मुद्रण की लागत घटाने के लिए एक ही स्थान पर मुद्रण की व्यवस्था की जा रही है।

6. सतर्कता

बैंक के सतर्कता-प्रशासन संबंधी कार्य प्रणालियों और कार्यविधियों की जाँच तथा गंभीर उल्लंघनों में उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु प्रणालियों और कार्यविधियों की समीक्षा कर विभिन्न निवारक उपाय सोचे और कार्यान्वित किए जाते हैं, ताकि प्रणालियों और कार्यविधियों की प्रभाविता अधिकतम हो और भेद्यता न्यूनतम।

सतर्कता को अन्वेषण प्रक्रिया और दंड दिलाने का कार्य मानने की अवधारणा समय के साथ बदल चुकी है। अब इसे 'कारपोरेट अभिवृद्धि के लिए सतर्कता' माना जाता है। अब बल दंड दिलाने पर न होकर 'निवारक और अग्रलक्षी सतर्कता' पर है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय सहभागिता होती है। बैंक के कुछ महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता उपाय इस प्रकार हैं -

- शाखाओं और बीपीआर इकाइयों में निवारक सतर्कता समिति (पीवीसी) की बैठकें तिमाही अंतराल पर आयोजित की जा रही हैं।
- व्हिसल ब्लोअर योजना के अंतर्गत हमारे स्टाफ सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि उनके सहकर्मी या यहाँ तक कि किसी वरिष्ठ द्वारा भी कोई अनियमित या अनैतिक व्यवहार किया जाए तो वे उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करें।
- जिन शाखाओं में अक्सर धोखाधड़ियाँ होती रहती हैं या शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनमें स्वप्रेरित अन्वेषण किए जाते हैं। इन अन्वेषणों का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि शाखा द्वारा किन प्रणालियों और कार्यविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिनका लाभ उठाकर कोई धोखाधड़ी कर सकता है। रिपोर्ट से किसी अनियमित प्रथा की जानकारी मिलने पर सुधार के उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान सतर्कता श्रेणी के अंतर्गत 1,109 अधिकारियों के मामले हाथ में लिए गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 1,024 मामले हाथ में लिए गए थे। और इसी वित्त वर्ष में 1,126 मामले बंद किए गए जबकि पिछले वित्त वर्ष में 1,063 मामले बंद किए गए थे।

7. राजभाषा

बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अभूतपूर्व प्रयास किए और वित्त वर्ष के दौरान अपने ग्राहकों के लिए "स्टेट बैंक कहीं भी" नाम से हिंदी में मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन प्रारंभ किया। इसमें सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेन मोबाइल फोन से हिंदी में करने की सुविधा है। इसके शुभारंभ के 6 माह की अवधि में ही 15 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने इस ऐप्प को डाउनलोड किया और इसे 5 में से 4.4. रैटिंग प्राप्त हुई।

बैंक के सभी एटीएमों पर प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं, राजभाषा हिन्दी और अंग्रेजी के प्रयोग का विकल्प विद्यमान है। ग्राहक अपनी पसंद की भाषा में लेनदेन कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान बैंक ने नई कारपोरेट वेबसाइट हिंदी में प्रारंभ की। बैंक की अन्य सभी हिन्दी वेबसाइटों को, जिनमें कारपोरेट और इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट भी शामिल हैं, नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ संबंध विकसित और सुदृढ़ करने के लिए बैंक का यह भी एक प्रयास है।

बैंक के सुरक्षा मैनुअल और आरटीआई मैनुअल हिन्दी में भी प्रकाशित किए गए। दैनंदिन कार्य हिंदी में करने में स्टाफ सदस्यों की सहायता के लिए "हिंदी प्रशिक्षणावली" नाम से प्रशिक्षण सामग्री का संग्रह तैयार किया गया।

बैंक के एचआरएमएस पोर्टल को चरणबद्ध रूप से हिन्दी प्लेटफॉर्म पर लाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई। एचआरएमएस विभाग से 2,00,000 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रति माह जारी किए जाने वाले मानक ई-मेल हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजना प्रारंभ किया गया है।

पुरस्कार:

- इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड 2014 (यह शील्ड भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 14 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन में प्रदान की)।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की हिंदी पत्रिका शील्ड (भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी राजन के कर-कमलों से प्राप्त), और
- सर्वोत्तम बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कार, जो लखनऊ, सिलिगुड़ी और तिरुवनंतपुरम नगर समितियों को संबंधित राज्यों के माननीय राज्यपालों द्वारा प्रदान किए गए।

8. कारपोरेट सामाजिक दायित्व

समाज के जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करना बैंक के स्वभाव में शामिल है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व को बैंक कोई अलग कार्य नहीं मानता। उसकी समस्त व्यावसायिक अवधारणाओं में यह झलकता है। हमारी सीएसआर गतिविधियाँ देश के कोने-कोने में लाखों गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को छूती हैं। हमारे अनेक व्यावसायिक कार्यों का यह अभिन्न अंग है। सामुदायिक सेवा बैंकिंग के रूप में हमारा बैंक 1973 से विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और जनकल्याण के कार्यों में योगदान कर रहा है। बैंक में एक बृहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति विद्यमान है, जिसे केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने अगस्त 2011 में अनुमोदित किया था। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के निवल लाभ का 1% अंश वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी व्ययों के लिए निर्धारित किया जाता है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान सीएसआर बजट 109 करोड़ रुपए था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2015 में सीएसआर के अंतर्गत वास्तविक व्यय 115.80 करोड़ रुपए हुआ।

सीएसआर के अंतर्गत हम निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देते हैं;

- शिक्षण में सहयोग
- स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग
- स्वच्छता में सहयोग
- जीविका सृजन
- बाढ़/सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग

श्रेणीवार वर्गीकरण:

प्रदर्श 42: श्रेणीवार (वर्गीकरण)

श्रेणी	राशि (करोड़ रुपए में)
स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग	28.56
शिक्षण में सहयोग	41.20
स्वच्छता	13.64
रोजगारपरक प्रशिक्षण/जीविका सृजन	24.24
अन्य	4.16
प्राकृतिक आपदाएँ	4.00
योग	**115.80**

शिक्षण में सहयोग

प्रौद्योगिकी आधुनिक शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालयीन शिक्षा में, विशेषकर ऐसे विद्यालयों में जहाँ अल्प-सुविधा प्राप्त बच्चे पढ़ते हैं, सहयोग प्रदान करे के लिए बैंक ने देश भर के विद्यालयों में वित्त वर्ष 2015 के दौरान 7.21 करोड़ रुपए के व्यय पर बड़ी संख्या में कंप्यूटर प्रदान किए।

हमारे सभी मंडलों ने फर्नीचर, विज्ञान-शिक्षा उपकरण और शिक्षण में सहयक अन्य प्रकार की सामग्री देकर विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएँ प्रदान कीं। शारीरिक रूप से /दृष्टि बाधित चुनौतीग्रस्त बच्चों और गरीब बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल बसें/वैन प्रदान की गईं।

स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग

समाज के वंचित और गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ दिलाने और गंभीर रोगियों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने की जरूरत पूरी करने के लिए बैंक ने 79 एम्बुलेंस और मेडिकल वैन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में दान में दी। इसके अतिरिक्त नेत्र चिकित्सालयों, ब्लड बैंकों और कैंसर अस्पतालों को विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण दान किए गए। स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग के अंतर्गत अधिकतर व्यय कैंसर का पता लगाने और रोकने के लिए किया गया।

स्वच्छता में सहयोग

सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय अभियान 'स्वच्छ भारत मिशन' में सहभागिता करते हुए बैंक ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अंतर्गत जरूरतमंद विद्यालयों में, विशेषकर बालिका विद्यालयों में, शौचालय निर्माण के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को सहयोग दिया। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने नौ जिलों के 398 विद्यालयों में 435 शौचालयों के निर्माण के लिए 13.64 करोड़ रुपए की राशि दान में दी।

जीविका सृजन

गाँवों के युवाओं में कुशलता बढ़ाने के लिए बैंक ने 24 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटीस) को आधारभूत सुविधाएँ जुटाने के लिए 21 करोड़ रुपए प्रदान किए। इस समय बैंक 116 आरसेटीस संचालित कर रहा है, जो देश में किसी भी बैंक द्वारा संचालित आरसेटीस में सबसे ज्यादा है। सीएस आर के अंतर्गत संचालित आरसेटीस ग्रामीण युवकों में कुशलता बढ़ाने में बड़ा सहयोग दे रहे हैं।

भारत के लिए एसबीआई युवा

भारत के लिए एसबीआई युवा एक अनूठा ग्रामीण फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसे बैंक ने प्रारंभ किया है। इसके लिए धन भी बैंक ही देता है और बैंक ही इसका प्रबंध भी करता है। इसमें प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। इसके माध्यम से भारत के प्रतिभा संपन्न युवा ग्रामीण समुदाय से जुड़कर उनके संघर्षों को अनुभव कर सकते हैं और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्य कर सकते हैं। इस हेतु चयनित युवा ज्यादातर शहरी क्षेत्रों से और कुछ शीर्ष संस्थानों/कारपोरेटों से होते हैं तथा आधारभूत विकास के चुनौतीपूर्ण कार्यों में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग

प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों को सहयोग करने में आपका बैंक सदा अग्रणी रहा है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान बैंक ने सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए जम्मू एंव कश्मीर और आंध्र प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया, ताकि बाढ़/तूफान से प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।

सम्मान और पुरस्कार : सीएसआर के लिए व्यापक सराहना

वित्त वर्ष 2015 के दौरान बैंक की सीएसआर गतिविधियों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इन गतिविधियों के लिए बैंक को व्यापक सराहना प्राप्त हुई। इस वर्ष बैंक को सबसे ज्यादा (25) अवार्ड प्राप्त हुए, जिसमें सीएसआर उपलब्धियों के अवार्ड भी सम्मिलित हैं।

प्रतिष्ठित पुरस्कार इस प्रकार हैं -

- सस्टेनेबिलिटि के लिए लंदन का गोल्डन पीकॉक अवार्ड
- कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए मुंबई का गोल्डन पीकॉक अवार्ड
- इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, मुंबई का बेस्ट बैंक अवार्ड
- ग्लोबल फाइनैंस मैगजीन, न्यूयार्क का 'बेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स बैंक इन एशिया पेसिफिक 2015' अवार्ड
- वर्ल्ड ब्रांडिंग फोरम, लंदन का 'ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड'
- बीएफएसआई इनवॉइरन्मन्ट अवार्ड, सिंगापुर
- सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाओं के लिए सीएमओ एशिया अवार्ड, मुंबई
- बिज़नेस वर्ल्ड मैगज़ीन, मुंबई का 'सोशली रिस्पॉन्सिबल बैंक' अवार्ड
- सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाओं और सीएसआर में नवाचारों के लिए कुआलालंपुर का गोल्डन ग्लोब टाइगर्स अवार्ड

ग्रीन पहल

भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने और कागज की खपत को कम करने के अपने सतत प्रयास के रूप में, अपने शेयरधारकों को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने हेतु, बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शेयरधारकों को भेजी गई प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट के लिए चेरिटेबल उद्देश्य से कुछ राशि का योगदान करें।

वित्त वर्ष 2014 में शेयरधारकों द्वारा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट (ईएआर) प्राप्त करने की स्वीकृति और इस सहयोग के लिए मान्यता प्रदान करने से, आपके बैंक ने प्रति ईएआर ₹100/- की दर से एसबीआई बाल कल्याण निधि में ₹3.09 करोड़ का अंशदान किया है। यह निधि अल्पसुविधा प्राप्त और गरीब बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए समर्पित है।

बैंक ने पर्यावरण पर अपने परिचालनों के सीधे को प्रभाव कम करने के लिए कार्यक्षम उपाय भी शुरू किए हैं। बैंक ने अपने कार्यालयों एवं शाखाओं में पुनर्चक्रीय कार्यक्रमों से ऊर्जा बचाने के लिए, बैंक पर्यावरण पर अपने परिचालन प्रभाव को कम करने के लिए कार्य कर रहा है। शुरू किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

- विंड आधारित पॉवर प्रोजेक्ट शुरू किए गए और इन परियोजनाओं से तैयार किए गए पॉवर का महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में उपयोग किया गया।
- सोलर एटीएम लगाए गए, ग्रीन बैंकिंग चैनल (कागज रहित बैंकिंग) शुरू किया गया।
- कार्बन प्रभाव स्तरों का निर्धारण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई, जिससे बैंक के संसाधन खपत पैटर्न का पता लगाने में मदद मिली और इससे बैंक प्रभावी लागत ढंग से ऊर्जा का सही उपयोग करने हेतु विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठा सका।
- बैंक ने स्मार्ट, अर्थात स्पेसिफिक, मेजरेबल, एचीवबल, रियलिस्टिक और समयबद्ध ग्रीन बैंकिंग लक्ष्यों को कार्यान्वित किया है, जिनमें से कुछ को स्थानीय प्रधान कार्यालयों के परिसरों के संबंध में ऊर्जा कार्य-क्षमता बोर्ड से स्टार रैटिंग प्राप्त हुई है। ग्रीन बिल्डिंगों का निर्माण करना, दूषित जल सफ़ाई संयंत्र, ऊर्जा बचत के संबंध में स्टाफ को जागरूक करना कुछ अन्य उपाय हैं।
- स्टेट बैंक भवन के बेसमेंट में एक पुनर्चक्रीय संयंत्र लगाया है, जो पैदा हुए दूषित पानी को कम्पोस्ट करता है और फिर इसका उपयोग स्टेट बैंक भवन और एसबीआई के आवासीय क्वार्टर्स में किया जाता है।
- 54,000 से अधिक एसबीआई समूह के एटीएमों और नकदी जमा मशीनों से शाखाओं में कागज की कम खपत सुनिश्चित की गई है।
- वर्ष 2019 तक अक्षय ऊर्जा से 10,000 मेगावाट बिजली तैयार करने के भारत सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अगले पांच वर्षों के दौरान ₹75,000 करोड़ तक की राशि की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए प्रतिबद्ध। इन परियोजनाओं का वित्तपोषण परियोजना की व्यवहार्यता/संभाव्यता और ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अध्यधीन किया जाएगा।
- सभी मंडलों में पूरे मानसून के दौरान पौधारोपण अभियान चलाया गया और पिछले तीन वर्षों के दौरान 4,50,000 से अधिक पौधे लगाए गए।
- देश भर में बैंक की अनेक बिल्डिंगों में वर्षा के पानी का फसल के लिए उपयोग करने वाली परियोजनाएं शुरू की गई।

"सुलभ सैनिटेशन मिशन फाउंडेशन", नई दिल्ली को 146 शौचालय बनाने के लिए 237.95 लाख रुपए का दान दिया गया।

"एबल डिसेबल ऑल पुट टुगेदर" (एडीएपीटी) को भवन के बाहरी वाटरप्रूफ एवं अंदर की पेंटिंग के लिए दान दिया गया।

V. सहयोगी एवं अनुषंगियां

सम्पूर्ण भारत में सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के मिशन के रूप में, 22,887 शाखा नेटवर्क (पाँच सहयोगी बैंकों की 6,554 शाखाओं सहित) वाला स्टेट बैंक समूह बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त, अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से जीवन बीमा, मर्चेण्ट बैंकिंग, ट्रस्टी बिजनेस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, सिक्युरिटी ट्रेडिंग, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएं, साधारण बीमा (गैर-जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार में प्राथमिक डीलरशिप सहित विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है।

सहयोगी बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहयोगी बैंकों का 31 मार्च 2015 को जमाराशियों में बाजार अंश 5.22% और अग्रिमों में बाजार अंश लगभग 5.66% रहा। सहयोगी बैंकों के एटीएमों की संख्या 8561 है जिसका उपयोग संपूर्ण स्टेट बैंक समूह द्वारा किया जाता है।

प्रदर्श 43: 31 मार्च 2015 को सहयोगी बैंकों के निष्पादन की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एसबीआई का स्वामित्व निवेश	%	कुल आस्तियाँ	औसत जमाराशियां	कुल अग्रिम	परिचालन लाभ	निवल लाभ	सीडी अनुपात	सीएआर %	सकल एनपीए %	निवल एनपीए %	ईक्विटी पर आय %
1	एसबीबीजे	676.12	75.07	102302	83237	71153	2104	777	85.48	11.57	4.14	2.54	12.92
2	एसबीएच	367.55	100.00	154503	131194	108753	2914	1317	82.89	11.26	4.58	2.24	13.73
3	एसबीएम	628.63	90.00	79469	65058	53296	1331	409	81.92	11.42	4.00	2.16	9.40
4	एसबीपी	1659.10	100.00	116709	91987	80648	1599	362	87.67	12.06	5.41	3.88	5.41
5	एसबीटी	505.85	78.91	105595	90328	69907	1372	336	77.39	10.89	3.37	2.04	6.65

पुरस्कार एवं सम्मान :

- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को एसोचैम द्वारा "सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड 2014 : सरकारी क्षेत्र के बैंक श्रेणी" पुरस्कार प्रदान किया गया।
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने एबीपी न्यूज द्वारा शुरू किया गया "बेस्ट बैंक (सरकारी क्षेत्र) अवार्ड" प्राप्त किया।
- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइसेज, नई दिल्ली द्वारा टेक सैवी के लिए बेस्ट बैंक अवार्ड प्रदान किया गया।
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइसेज, (सीआईएमएसएमई), नई दिल्ली से "न्यू इनिशिएटिव - रनर अप के लिए बेस्ट बैंक अवार्ड" प्राप्त किया।

अनुषंगियां

प्रदर्श 44: गैर-बैंकिंग अनुषंगियां (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हित) / करोड़ रुपए	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2015 के लिए निवल लाभ (हानि)
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (समेकित)	58.03	100	334.10
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	139.15	63.78 *	92.55
3	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.10	100	0.94
4	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	137.79	86.18	(46.23)
5	पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	18.00	60*	1.99

*एसबीआई पेंशन की समूह धारिता 100% है (एसबीआई एमएफ और एसबीआई कैपिटल प्रत्येक का 20%) और एसबीआई डीएफएचआई 72.17% (सहयोगी बैंक 5.27% और एसबीआई कैपिटल 3.12%)

प्रदर्श 45: गैर-बैंकिंग अनुषंगियां : संयुक्त उद्यम (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हित) / करोड़ रुपए	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2015 के लिए निवल लाभ (हानि)
1	एसबीआई फंड्ज मैनेजमेंट लि.	31.50	63	163.43
2	एसबीआई काड्र्स एवं पेमेंट सर्विसेज प्रा लि.	471.00	60	266.70
3	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	740.00	74	820.04
4	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.	52.00	65	5.69
5	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.22	74	(105.33)
6	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	10.80	40	31.03

क. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप)

एसबीआई कैप भारत का प्रमुख निवेश बैंक है, जो कि विभिन्न ग्राहक वर्गों को तीन उत्पादों के समूहों - संरचनात्मक आधार, गैर-संरचनात्मक और पूँजी बाजारों (ईक्विटी एवं ऋण) में वित्तीय परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं में परियोजना परामर्शी, ऋण समूहन, विलयन एवं अधिग्रहण, निजी ईक्विटी और पुनर्संरचनात्मक परामर्शी सेवा शामिल हैं।

एसबीआई कैप ने वित्त वर्ष 2015 के दौरान ₹507.90 करोड़ का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया है, जबकि वित्त वर्ष 2014 के दौरान यह ₹388.89 करोड़ था। इसी प्रकार से वित्त वर्ष 2015 में इसने ₹338.00 करोड़ का कर-पश्चात लाभ कमाया है, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह ₹265.47 करोड़ था।

एसबीआई कैप और उसकी पांच अनुषंगियों ने एक साथ मिलकर वित्त वर्ष 2015 के दौरान ₹509.59 करोड़ का कर-पूर्व लाभ कमाया है, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह ₹ 389.65 करोड़ का था तथा इसी प्रकार से वित्त वर्ष 2015 में इसने ₹334.10 करोड़ का कर-पश्चात लाभ कमाया, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह ₹262.37 करोड़ था।

एसबीआई कैप ने वित्त वर्ष 2015 में 430% लाभांश घोषित किया है, जबिक वित्त वर्ष 2014 में इसने 260% लाभांश घोषित किया था ।

एसबीआई कैप को अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के सम्मान स्वरूप कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार है :

पुरस्कार:

- आईएफआर एशिया रीजनल अवार्ड्स-टाटा स्टील 1.5 बिलियन यूस डालर ड्यूएल टैंच सीनियर नोट में उत्कृष्ट हाई यील्ड बांड का पुरस्कार
- एशियामनी-रीजनल कैपिटल मार्केट्स अवार्ड-टाटा स्टील 1.5 बिलियन ड्यूएल ट्रेंच सीनियर बांड में उत्कृष्ट हाई यील्ड बांड का पुरस्कार

श्रेणियां :

- नम्बर 1 मैनडेटेट लीड एरेन्जर - ब्लूमबर्ग के अनुसार 8.4% बाजार अंश के साथ एशिया पैक एक्स-जापान लोन्स लिग टेबल्स 2014 में ।
- नम्बर 1 बुक रनर - ब्लूमबर्ग के अनुसार 12.5% बाजार अंश के साथ एशिया पैक एक्स-जापान लोन्स में।
- नम्बर 1 इंडिया लोन्स मैनडेटेट एरेन्जर (आईएनआर) - ब्लूमबर्ग के अनुसार 75.5% बाजार अंश के साथ।
- इंडिया लोन्स एमएलए टेबल्स में ब्लूमबर्ग के अनुसार 57.3% बाजार अंश के साथ एसबीआई शीर्ष स्थान पर।
- नम्बर 1 बुक रनर - पीएफआई थोम्सन रूटर्स लीग टेबल के अनुसार 14.6% बाजार अंश के साथ एशिया पैस्फिक एण्ड जापान लोन्स में ।
- रैंक नं. 1 एमएलए - 7.2% बाजार अंश के साथ - डिलोजिक के अनुसार ग्लोबल प्रोजेक्ट फाइनैंस लीग लोज रैंकिंग 2014 में।
- नम्बर 1 एमएलए-डिलोजिक के अनुसार एशिया पैसिफिक प्रोजेक्ट फाइनैंस लोन्स (19.6.)
- नम्बर 1 एमएलए - डिलोजिक के अनुसार 28.9% बाजार अंश के साथ एशियन प्रोजेक्ट फाइनैंस लोन्स में।

1. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। यह खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को नकद एवं वायदा विकल्प सौदों में ईक्विटी ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा म्यूचुअल फंड जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण कार्य में लगा हुआ है।

एसएसएल की 100 से अधिक शाखाएं है और यह खुदरा एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीमेट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ और ई-एमएफ सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस समय एसएसएल के पास मार्च 2015 में 7.80 लाख से अधिक ग्राहक आधार रहा। वित्त वर्ष 2015 के दौरान इस कंपनी को ₹114.01 करोड़ की सकल आय हुई, जबकि वित्त वर्ष 2014 के दौरान यह ₹79.02 करोड़ रही।

एसएसएल को "गोल्ड ईटीएफ मोबिलाईजेशन" और "न्यू क्लायन्ट एनरोल्मेन्ट" में उच्च निष्पादन करने वाले सदस्य होने के नाते " नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इन्डिया" की ओर से प्रशंसा प्रमाणपत्र भी मिले हैं।

2. एसबीआईकैप्स वेन्चर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। डीएफआईडी (डिपार्टमेन्ट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेन्ट) ने भारतीय स्टेट बैंक समूह के साथ मिलकर "नीव फंड" को प्रायोजित किया है, जिसका प्रबंधन एसबीआई कैप वेन्चर्स लिमिटेड (एसवीएल) करेगा और आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में काम करेगा।

इस फंड को अक्षय ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, जैसे संरचनात्मक क्षेत्र, भारत के 8 चयनित राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) कृषि सप्लाई चेन में निवेश किया जाएगा।

3. एसबीआईकैप (यूके) लि. (एसयूएल)

एसयूएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। एसयूएल यूके और यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिए एक रिलेशनशिप इकाई के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं।

4. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि. (एसएसजीएल)

एसबीआई कैप सिंगापुर लि. जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है, ने दिसंबर 2012 से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान इसे ₹7.51 करोड़ का निवल लाभ हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2014 में इसे ₹2.81 करोड़ की निवल हानि हुई थी।

5. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है और इसने 1 अगस्त 2008 में प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान इसे ₹11.16 करोड़ का निवल लाभ हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2014 में इसे ₹8.81 करोड़ का निवल लाभ हुआ था। इसने ऑन-लाइन वसीयतनामा बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

ख. एसबीआई डीएफएचआई लि. (एसबीआई डीएफएचआई)

एसबीआई डीएफएचआई लि. एकमात्र सबसे बड़ी स्टैन्ड-अलोन प्राथमिक डीलर (पीडी) कंपनी है, जिसकी देश भर में उपस्थिति है। प्राथमिक डीलर के रूप में, इसके लिए प्राथमिक नीलामियों में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में सहयोग करना और सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में द्वितीयक बाजारों के लिए व्यापक सुविधाएं और चलनिधि उपलब्ध करना आवश्यक किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा यह मनी मार्केट लिखत, गैर-सरकारी डेब्ट लिखत आदि में भी व्यवसाय करती है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसकी व्यावसायिक गतिविधियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित/विनियमित होती है।

एसबीआई समूह की इस कंपनी में 72.17% की हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2015 में कंपनी को ₹92.55 करोड़ का निवल लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2014 में इसे ₹60.70 करोड़ का निवल लाभ हुआ था।

मार्च 2015 को एसबीआई डीएफएचआई का बाजार अंश सभी बाजार सहभागियों में 3.03% और स्टैण्ड-अलोन प्राथमिक डीलरों में 16.18% रहा।

ग. एसबीआई कार्ड्स एवं पेमेन्ट सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआईसीपीएसएल)

एसबीआईसीपीएसएल भारत की स्टैण्ड-अलोन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनी है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल कारपोरेशन के बीच एक संयुक्त उपक्रम है तथा एसबीआई की इसमें 60% भागीदारी है।

मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार एसबीआईसीपीएसएल 31.58 लाख कार्ड आधार और 15% बाजार अंश के साथ सक्रिय कार्डों के हिसाब से पूरे उद्योग जगत में तीसरे स्थान पर है, जबकि मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 28.58 लाख कार्ड आधार के साथ इसका बाजार अंश 15% रहा था। वित्त वर्ष 2015 में खुदरा व्यय राशियों के अनुसार कंपनी का बाजार अंश 11.2% रहा जबकि वित्त वर्ष 2014 के यह बाजार अंश 11% रहा था।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान कंपनी का निवल लाभ ₹266.70 करोड़ रहा। कंपनी ने अपनी संचित हानि की भरपाई की और वित्त वर्ष 2015 में लाभांश की घोषणा की। कंपनी ने बिग बाजार (फ्यूचर ग्रुप एन्टरप्राइज) के साथ 'स्टाइलअप कार्ड' नामक एक नया सह-ब्रांड कार्ड दिसंबर 2014 में शुरू किया है और मार्च-15 में मुंबई मेट्रो कार्ड शुरू किया है। एसबीआई कार्ड्स को रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रान्ड सर्वे 2015 में "क्रेडिट कार्ड्स" की श्रेणी में गोल्ड से सम्मानित किया गया है।

घ. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास कार्डिफ के बीच संयुक्त उपक्रम है, जिसमें एसबीआई की भागीदारी 74% है। बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए एसबीआई लाइफ के पास एक विशेष बहु-वितरण मॉडल है, जिसमें बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक इंश्योरेंस, रिटेल एजेंसी, वैकल्पिक, समूह कारपोरेट और ऑनलाइन चैनल शामिल हैं।

मार्च 2015 को एसबीआई लाइफ का न्यू व्यवसाय प्रीमियम में निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों के बीच बाजार अंश 15.9% रहा। वित्त वर्ष 2015 में एसबीआई लाइफ ने कर पश्चात लाभ में 10.81% की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि हासिल की और इसकी राशि ₹820 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह राशि ₹740 करोड़ रही थी। एसबीआई लाइफ की प्रबंधन अधीन आस्तियों में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 21.99% की संवृद्धि हुई और 31 मार्च 2015 को इनकी राशि ₹71,339 करोड़ तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2015 के दौरान उद्योग में सभी निजी बीमा कंपनियों के बीच नए व्यवसाय प्रीमियम में यह कंपनी नं. 1 पर रही ।

अपने 750 शाखा नेटवर्क के माध्यम से हासिल की गई व्यापक पहुँच को सुदृढ़ करते हुए, एसबीआई लाइफ ने व्यवस्थित ढंग से व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों को बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई। वित्त वर्ष 2015 में कंपनी ने कुल पालिसियों में से 22% पालिसियां इस खण्ड में बेची। कंपनी ने अल्प सुविधा प्राप्त सामाजिक क्षेत्र में 65,745 लोगों का बीमा किया। यह कंपनी न्यूनतम सामाजिक और ग्रामीण नियामक मानदंडों के लक्ष्यों से कहीं अधिक लक्ष्य प्राप्त करती रही है।

वित्त वर्ष 20115 में, एसबीआई लाइफ ने अपने अनुमोदित सीएसआर लक्ष्यों के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में बाल कल्याण कार्यक्रम के रूप में अपने आउटरीच प्रयासों को फिर से सुदृढ़ किया है। कंपनी ने न केवल बच्चों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने अपितु उनकी शारीरिक सृदृढ़ता के लिए भी अपनी सहायता प्रदान की है। देश के सुदूर क्षेत्रों में बेहतर आधारिक संरचना और स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने हेतु महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक स्वस्थ परिवेश में समाज के सभी वर्गों को अपना अस्तित्व बनाए रखने एक समान अवसर प्राप्त हो ।

पुरस्कार और सम्मान

- बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑफ दि ईयर
- बिजनेस बॉटम लाइन में सुधार करने हेतु बेस्ट प्रैक्टिस इन लर्निंग ट्रांसफर
- वित्तीय रिपोर्टिंग, 2013-2014 में उत्कृष्टता के लिए भारतीय सनदी लेखाकार (आईसीएआई) संस्थान से प्रशंसापूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के लिए पुरस्कार।
- वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस 2015 में तीन अवाड्र्स
- टेक्नालॉजी के माध्यम से एचआर में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड
- व्यवसाय के अनुरूप बेस्ट एचआर कार्यनीति के लिए अवार्ड
- कार्य-स्थल पर स्वास्थ्य प्रबंध के लिए अवार्ड
- फिन्नोविटी - कनेक्ट लाइफ के लिए डिजिटल इन्नोवेषन अवार्ड
- बीएफएसआई में इंस्पायरिंग वर्क प्लेस अवार्ड 2014
- स्कोच फाइनैंसियल इन्कल्यूजन और डीपनिंग अवाड्र्स 2014 द्वारा लाइफ इंश्योरेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड
- नॉन - अर्बन कवरेज - लाइफ इंश्योरेंस के लिए इंडियन इंश्योरेंस अवार्ड 2014
- एशिया बैंकिंग, फाइनैंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस एक्सिलेंस 2014 द्वारा बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अवार्ड
- बीएफएसआई 2014 अवार्ड - द मोस्ट एडमायर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और द बेस्ट लाइफ इन्श्योरेंश कंपनी के रूप में
- द इकॉनोमिक टाइम्स, ब्रान्ड ईक्विटी और नील्सेन सर्वे द्वारा लगातार चार वर्षों से 'सबसे विश्वसनीय प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड'
- गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड, 2014
- ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सोल्यूशनों के लिए और विद्यमान उत्पादों का प्रयोग करके नए बाजार सृजित करने के लिए बीएनपी पारिबस कार्डिफ द्वारा इन्नोवेषन अवार्ड : क्यूआरओपीएस

यह सम्मान ग्राहक आधारित व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रति एसबीआई लाइफ की प्रतिबद्धता और गुणवत्ता के परिचायक हैं।

यद्यपि वित्त वर्ष 2014 के दौरान संपूर्ण उत्पाद संविभाग को नया स्वरूप देने पर ध्यान दिया गया, जिससे कि संशोधित आईआरडीएआई विनियमों का पालन किया जा सकेः वित्त वर्ष 2015 में इसने फिर से अपना ध्यान विशिष्ट प्रकार के उत्पाद तैयार करने में लगाया, जिससे कि बदलती हुई बाजार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस कमी को पूरा करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, एसबीआई लाइफ ने विभिन्न उत्पाद शुरू किए हैं - एसबीआई लाइफ - गारंटीड सेविंग्स प्लान, एक गारंटीड इंकम प्लान, एसबीआई लाइफ - स्मार्ट इन्कम प्रोटेक्ट, नियमित नकदी प्रवाह वाला लाइफ इंश्योरेंस बीमा सेविंग्स प्लान, एसबीआई लाइफ - स्मार्ट चैंम्प इंश्योरेंस, एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान और एसबीआई सुरक्षा प्लस, एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान।

ङ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (प्रा.) लि (एसबीआईएफएमपीएल)

एसबीआईएफएमपीएल एसबीआई म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंधन कंपनी है। यह औसत 'प्रबंधन अधीन आस्तियों' के मामले में 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके 4 मिलियन से अधिक निवेशक है और यह बाजार में सबसे आगे है।

एसबीआईएफएमपीएल ने वित्त वर्ष 2015 में ₹163.43 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2014 में इसने ₹155.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

मार्च 2015 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी की औसत 'प्रबंधन अधीन आस्तियां' ₹72,942 करोड़ रही और बाजार में इसका अंश 6.30% रहा।

कंपनी की पूर्णस्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी है, अर्थात एसबीआई फंड्स मैनेजमेन्ट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मॉरिशस में स्थित है और विदेशी फंड का प्रबंध करती है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेन्ट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआईएफएमआईपी लिमिटेड की 100% अनुषंगी है।

च. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. (एसबीआई जीएफएल)

एसबीआई जीएफएल देश-विदेश में व्यापार के लिए फैक्टरिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने में सबसे आगे है। कंपनी में एसबीआई समूह की 86.18% की हिस्सेदारी है। कंपनी की सेवाएँ एमएसएमई ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं और इनसे बही ऋणों में फंसी राशियाँ अन्यत्र उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल (एफसीआई) की अपनी सदस्यता के कारण यह कंपनी 2 फैक्टर मॉडल में निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों के ऋण जोखिम के साथ तालमेल बिठा पाती है।

आर्थिक गिरावट के चलते लाभ बढ़ाने और आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने की चुनौतियों के बावजूद, इसने वित्त वर्ष 2015 के दौरान ₹49.78 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया।

कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है और इसके उधार कार्यक्रमों को रेटिंग एजेंसियों से AAA/ A1+ रेटिंग प्राप्त है।

छ. एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा.लि. (एसबीआईपीएफ)

एसबीआईपीएफ पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त तीन पेन्शन निधि प्रबंधकों में से एक है, जिसे केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेन्शन व्यवस्था (एनपीएस) के तहत पेन्शन निधियों का प्रबंध सौंपा गया है।

एसबीआईपीएफ स्टेट बैंक समूह की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है, जिसने अपना कारोबार अप्रैल 2008 में शुरू किया था। 31 मार्च 2015 की समाप्ति पर कंपनी की प्रबंधन अधीन आस्तियों की कुल राशि ₹31,407 करोड़ रही (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 69%), जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह राशि ₹18,624 करोड़ रही थी।

यह कंपनी सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में एयूएम के मामले में पेन्शन निधि प्रबंधकों में अपना स्थान सबसे आगे बनाए हुए है।

निजी क्षेत्र में समग्र एयूएम बाजार अंश 73% था, जबकि सरकारी क्षेत्र में यह 35% रहा था। कंपनी ने निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में अपनी नंबर 1 स्थिति को बनाए रखा है।

ज. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआईजीआईसी)

एसबीआईजीआईसी भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी आस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की हितधारिता 74% है। कंपनी वाजिब कीमत निर्धारण, निष्पक्ष और पारदर्शी दावा प्रबंधन व्यवहारों पर ज्यादा ध्यान देती है।

कंपनी की संवृद्धि की आकांक्षा बैंका चैनल पर निर्भर है और यह ऐसे चुनिंदा वैकल्पिक चैनल और उत्पाद विकसित कर रही है, जो हमारे व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा कर सकें।

वित्त वर्ष 2015 के लिए सकल प्रत्यक्ष लिखित प्रीमियम ₹1,580 करोड़ रहा। कंपनी ने सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वर्ष-दर-वर्ष 33% की संवृद्धि दर्ज की है, जबकि उद्योग क्षेत्र की संवृद्धि 9% रही।

सभी बीमा कंपनियों के बीच समग्र बाजार अंश 1.5% से बढ़कर 1.9% हुआ और निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियों के क्षेत्र में 3.5% से बढ़कर 4.1% हुआ।

कंपनी वित्त वर्ष 2015 में समग्र बाजार रैंकिंग में 18वें स्थान से आगे बढ़कर 13वें स्थान पर और निजी क्षेत्र में 12वें स्थान से आगे बढ़कर 8वें स्थान पर पहुँच गई है।

एसबीआईजीआईसी फायर प्रीमियम के मामले में पूरे उद्योग में दूसरे स्थान पर और निजी बीमाकर्ता के मामले में दूसरे स्थान पर है।

पुरस्कार और सम्मान

- आईसीएमजी (अंतर कंपनी विपणन समूह) वर्ष 2014 में एक्सिलेंस अवार्ड फॉर इंटरप्राइज आर्किटेक्चर
- रनर अप - आईएआईडीक्यू डाटा क्वालिटी एशिया पैसिफिक अवार्ड 2014
- दावा भुगतान क्षमता के लिए आईसीआरए से iAAA रेटिंग

झ. एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआईएसजी)

एसबीआईएसजी भारतीय स्टेट बैंक और सोसाइटी जनरल के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना किसी वित्तीय घराना द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं को पूरा करने में उच्च स्तरीय अभिरक्षा और निधि प्रबंधन के लिए की गई थी।

एसबीआईएसजी द्वारा अभिरक्षा सेवाओं का कारोबार मई 2010 में और फंड अकाउंटिंग सेवाओं का सितंबर 2010 में शुरू किया गया था।

वित्त वर्ष 2015 में कंपनी का निवल लाभ ₹5.69 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह ₹0.21 करोड़ रहा था।

31 मार्च 2015 को अभिरक्षाधीन आस्तियाँ बढ़कर ₹169,587 करोड़ हो गई, जबकि 31 मार्च, 2014 को यह ₹1,15,701 करोड़ रही थीं और वित्त वर्ष 2015 के दौरान प्रबंधन अधीन आस्तियाँ ₹79,090 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2014 को यह ₹62,901 करोड़ रही थीं।

उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा-नीतियों का चयन एवं उनका निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय किए हैं तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2015 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेकसम्मत है;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi. सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चि करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयारी की गई है तथा ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

आभार

वर्ष के दौरान सर्वश्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक और श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर 30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत्त हो गए। भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित श्री दीपक आई. अमिन ने दिनांक 8 मई 2014 से बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। सर्वश्री एस. वेंकटाचलम, डी. सुंदरम, पार्थसारथी अय्यंगार और थॉमस मैथ्यू दिनांक 24 जून 2014 को अपनी कार्य-अवधि समाप्त होने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए। श्री जी.एस. संधु दिनांक 10 नवंबर 2014 को और श्री जे. बी. महापात्रा दिनांक 21 नवंबर 2014 को अपनी कार्य-अवधि समाप्त होने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए। श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर 30 नवंबर 2014 को सेवानिवृत्त हो गए।

श्री संजीव मल्होत्रा, श्री एम.डी. माल्या, श्री सुनिल मेहता और श्री दीपक आई. अमिन धारा 19 (ग) के अंतर्गत दिनांक 26 जून 2014 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए। श्री बी. श्रीराम और श्री वी. जी. कन्नन को धारा 19(ख) के अंतर्गत 17 जुलाई 2014 से प्रबंध निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया। डॉ. हसमुख अढ़िया को धारा 19(ङ) के अंतर्गत 11 नवंबर 2014 से निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया।

निदेशक बोर्ड ने पदमुक्त हुए निदेशकों श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, श्री एस. विश्वनाथन, श्री एस. वेंकटाचलम, श्री डी. सुंदरम, श्री पार्थसारथी अय्यंगार, श्री थॉमस मैथ्यू, श्री जे. बी. महापात्रा, श्री जी. एस. संधु और श्री ए. कृष्ण कुमार द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदान की सराहना की है। साथ ही बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल हुए श्री संजीव मल्होत्रा, श्री एम.डी. माल्या, श्री सुनिल मेहता, श्री दीपक आई. अमिन, श्री बी. श्रीराम, श्री वी. जी. कन्नन और डॉ. हसमुख अढ़िया का स्वागत किया है।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से

दिनांकः 22 मई 2015

अध्यक्ष

कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त अच्छे कारपोरेट अभिशासन का महत्त्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यवसाय सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है । संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यावहारिक-ज्ञान प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था। बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना ;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी ;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभों में अधिकाधिक वृद्धि करना।

बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा

19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। 31 मार्च 2015 को बोर्ड में प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त तथा अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों सहित कुल 10 अन्य निदेशक थे। इनमें शेयरधारकों के प्रतिनिधि, बैंक का स्टाफ, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित किए गए निदेशक शामिल हैं। कार्यालय में अध्यक्ष और तीन प्रबंध निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा, 31 मार्च 2015 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (गख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित तीन निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (ङ) के अंतर्गत नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी) एक निदेशक ।

निदेशक बोर्ड का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/ समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की **बारह** बैठकें आयोजित की गई। बैठकों की तारीख और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2014-15 दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या :	**12**
बैठकों की तारीख :	29.04.2014, 23.05.2014, 19.06.2014, 17.07.2014, 08.08.2014, 24.09.2014, 14.11.2014, 18.12.2014, 30.12.2014, 29.01.2015, 13.02.2015, 23.03.2015

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष और श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग), श्री एस. के. मुखर्जी सभी बारह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री एच. जी. कान्ट्रेक्टर, एमडी एवं जीई (आईबी) (30.04.2014 तक)	01	01
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	07	07
श्री एस. विश्वनाथन (30.04.2014 तक)	01	01
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	09	07
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (17.07.2014 से)	09	07
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	03	03
श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	03	02
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (24.06.2014 तक)	03	02
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	03	03
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	09	09
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	09	08
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	09	09
*श्री दीपक आई. अमिन (26.06.2014 से)	10	09
श्री ज्योति भूषण महापात्रा (20.11.2014 तक)	07	06
डॉ. राजीव कुमार	12	04
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	12	09
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	12	04
श्री गुरदयाल सिंह संधु (10.11.2014 तक)	06	01
श्री हसमुख अढ़िया (11.11.2014 से)	06	02
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	12	05

*श्री दीपक आई. अमिन को भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया था। तथापि, उन्होंने दिनांक 8 मई 2014 से बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया और दिनांक 26 जून 2014 से बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक बन गए।

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है - :

वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की कुल संख्या: 53

क्र.सं.	निदेशक	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	52
2	श्री एच. जी. कान्ट्रेक्टर, एमडी एवं जीई (आईबी) (30.04.2014 तक)	05
3	श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.11.2014 तक)	28
4	श्री एस. विश्वनाथन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (30.04.2014 तक)	04
5	श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	49
6	श्री बी. श्रीराम (17.07.2014 से)	31
7	श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (17.07.2014 से)	29
8	श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	12
9	श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	09
10	श्री पार्थसारथी अय्यंगार (24.06.2014 तक)	01
11	श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014)	12
12	श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	33
13	श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	36
14	श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	40
15	श्री दीपक आई. अमिन (08.05.2014 और उसके बाद 26.06.2014 से)	30
16	श्री ज्योति भूषण महापात्रा (20.11.2014 तक)	04
17	श्री एस. के. मुखर्जी	09
18	डॉ. राजीव कुमार	02
19	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	20
20	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	02
21	श्री गुरदयाल सिंह संधु, सरकारी नामिती (10.11.2014 तक)	-
22	डॉ. हसमुख अढ़िया (11.11.2014 से), सरकारी नामिती	-
23	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल, आरबीआई नामिती	-

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय नौ समितियाँ गठित की हैं। ये हैः लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति। ये समितियाँ लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायितव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रो में बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में, सामान्यतः तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 29 जनवरी 2015 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है जिससे कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/ विनिर्देशों का उल्लंघन न हो ।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य:

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है, ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र;
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन;
- घोष और जिलानी समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन की वस्तु-स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

गठन एवं वर्ष 2014-15 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में आठ सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 11

बैठकों की तिथियाँ: 28.04.2014, 22.05.2014, 19.06.2014, 25.07.2014, 07.08.2014, 16.10.2014, 13.11.2014, 26.12.2014, 02.02.2015, 12.02.2015, 12.03.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री एच. जी. कान्ट्रेक्टर, एमडी एवं जीई (आईबी) (30.04.2014 तक)	01	01
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	07	07
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी- 01.05.2014 से)	10	09
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (01.12.2014 से)	04	04
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) - वैकल्पिक सदस्य	-	01
श्री एस. वेंकटाचलम, अध्यक्ष, एसीबी (24.06.2014 तक)	03	03
श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	03	03
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	03	03
श्री संजीव मल्होत्रा, अध्यक्ष, एसीबी (26.06.2014 से)	08	08
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	08	07
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	08	08
डॉ. राजीव कुमार	11	04
श्री गुरदयाल सिंह संधु (10.11.2014 तक)	06	00
श्री हसमुख अढ़िया (11.11.2014 से)	05	00
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	11	07

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी, जिसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 24.06.2014, 19.09.2014, 16.12.2014, 17.03.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी- 01.05.2014 से)	4	4
श्री बी. श्रीराम (29.01.2015 से)	1	1
श्री वी. जी. कन्नन - वैकल्पिक सदस्य	2	2
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री संजीव मल्होत्रा, (26.06.2014 से)	3	1
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	3
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3
डॉ. राजीव कुमार	4	-
श्री दीपक आई. अमिन	3	3
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	4	-

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉड्स पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था (दिनांक 24 सितंबर 2014 को केन्द्रीय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, इस समिति का नाम बदल कर हितधारक संबंध समिति कर दिया गया है)। यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी, जिसमें आठ सदस्य हैं और इस बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2014-15 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2014-15 के दौरान एसआईजीसीबी/हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 07.05.2014, 30.07.2014, 22.10.2014, 16.01.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	3	3
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी) (01.05.2014 से 23.09.2014 तक)	2	2
वैकल्पिक सदस्य के रूप में		1
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (24.06.2014 तक)	2	2
श्री एस. वेंकटाचलम, समिति के अध्यक्ष (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से) - समिति के अध्यक्ष	3	3
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	-
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3
श्री दीपक आई. अमिन (26.06.2014 से)	3	2
डॉ. राजीव कुमार	-	-
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3

(वर्ष के दौरान) अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या:486
उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया: शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम: श्री ए. के. गुप्ता, महाप्रबंधक, अनुपालन

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है, जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति को पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित किया गया था । इसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 03.06.2014, 10.09.2014, 26.11.2014, 20.02.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	3	2
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	1	1
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	3	1
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) वैकल्पिक सदस्य के रूप में	-	2
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	3
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	3
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3
श्री दीपक आई. अमिन (26.06.2014 से)	3	3
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी और इसमें सात सदस्य हैं। समिति में वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख :13.05.2014, 19.08.2014, 07.11.2014, 28.01.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और उसके बाद एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	3	2
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी) (01.05.2014 से और 23.09.2014 तक)	2	2
वैकल्पिक सदस्य		2
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	3	1
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	2
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	2
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	2
श्री ज्योति भूषण महापात्रा (20.11.2014 तक)	3	-
श्री एस. के. मुखर्जी	4	3
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	4	-

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया । 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है । समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

(i) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना; यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

(ii) यह सुनिश्चित करना है कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि जोखिमों और लाभों के बीच प्रौद्योगिकी निवेश संतुलन दर्शाता हो और बजट स्वीकार्य है;

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा निगरानी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल निधियों की निगरानी करना; और

(v) सूचना प्रौद्योगिकी निष्पादन आकलन और व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात वचनबद्ध मूल्य प्रदान करना) ।

यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी, जिसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता एक गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की चार बैठकें हुई हैं ।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 29.05.2014, 04.09.2014, 21.11.2014, 25.02.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और उसके बाद 01.05.2014 से 30.11.2014 तक एमडी एवं जीई (आईबी)	3	1
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	4	3
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	3	3
श्री डी. सुंदरम, समिति के अध्यक्ष (24.06.2014 तक)	1	1
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (24.06.2014 तक)	1	-
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	-
श्री दीपक आई. अमिन, समिति के अध्यक्ष, (26.06.2014 से)	3	3
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	2
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	3
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया । इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 29 जनवरी 2015 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं, जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक - श्री एम. डी. माल्या और श्री दीपक आई. अमिन शामिल हैं। इस समिति ने 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशि की जांच कर उसका भुगतान करने की संस्तुति की है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई। समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं, जिनमें अनर्जक आस्ति प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के अनर्जक आस्ति खातों की समीक्षा की गई।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) का गठन किया गया। इस समिति का पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठन किया गया और इसके सात सदस्य हैं। समिति में वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की दो बैठकें हुईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 2
बैठकों की तारीख : 03.12.2014, 29.01.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	2	2
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी)	2	2
श्री संजीव मल्होत्रा	2	1
श्री एम. डी. माल्या	2	2
श्री सुनील मेहता	2	2
श्री दीपक आई. अमिन	2	2
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	2	1

बोर्ड की नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 31 मार्च 2014 को आयोजित हुई अपनी बैठक में तीन स्वतंत्र निदेशकों (श्री एस. वेंकटाचलम, समिति के अध्यक्ष, श्री डी. सुंदरम और श्री हरिचंद्र बी. सिंह, सदस्य) की एक नामांकन समिति का गठन किया गया, जिससे कि आवश्यक उचित कर्तव्य-निष्ठा बनाई रखी जा सकें और शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'सही एवं उचित' स्थिति निर्धारित की जा सकें। दिनांक 5 जून 2014 को नामांकन, समिति की बैठक हुई और तदनुसार उम्मीदवारों की स्थिति को 'सही एवं उचित' घोषित किया गया।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र में जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, वहाँ स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2015 को दस स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष चार स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक फीस

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 10,000/- रुपए और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 5,000/- रुपए बैठक फीस दी जाती है। तथापि, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिती निदेशकों को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलगनक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

निदेशकों को कारपोरेट अभिशासन की बेहतर जानकारी प्रदान करने के एक प्रयास के रूप में, बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें कीं :

i) दो निदेशकों ने मुंबई में सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनैंशियल रिसर्च एण्ड लर्निंग (सीएएफआरएएल) द्वारा 17 नवंबर 2014 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की ।

ii) जोखिम प्रबंधन, बासेल-II, और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के संबंध में निदेशकों की कुशलता में वृद्धि करने के लिए दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2015 को सीएएफआरएएल द्वारा नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए बैंको में कारपोरेट अभिशासन, मानव संसाधन चुनौतियों पर आयोजित कार्यक्रम में दो निदेशकों ने सहभागिता की ।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2014-15 में भुगतान किया गया वेतन एवं भत्ते

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	प्रोत्साहन	अन्य बकाया	कुल पारिश्रमिक
अध्यक्ष					
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (01.04.2014 से 31.03.2015)	9,60,000.00	10,34,400.00	3,83,000.00	-	23,77,400.00
कुल					
प्रबंध निदेशक					
श्री पी. प्रदीप कुमार (01.04.2014 से 31.03.2015)	9,26,385.00	9,98,027.00	1,56,250.00	-	20,80,662.00
श्री बी. श्रीराम (17.07.2014 से 31.03.2015)	6,40,532.00	6,85,370.00	-	-	13,25,902.00
श्री वी. जी. कन्नन (17.07.2014 से 30.03.2015)	6,40,532.00	6,85,370.00	-	-	13,25,902.00
श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर (पूर्व प्रबंध निदेशक) (01.04.2014 से 30.04.2014)	80,000.00	1,04,000.00	5,00,000.00	-	6,84,000.00
श्री ए. कृष्ण कुमार (पूर्व प्रबंध निदेशक) (01.04.2014 से 30.11.2014)	6,40,000.00	6,92,000.00	5,00,000.00	-	18,32,000.00
श्री एस. विश्वनाथन (पूर्व प्रबंध निदेशक) (01.04.2014 से 30.04.2014)	77,765.00	1,01,095.00	5,00,000.00	-	6,78,860.00

प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधितों आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है, जो बृहत स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक दवारा स्टाक एक्सचेंजों अथवा सेबी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का पालन किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगया गया है।

बैंक के बोर्ड दवारा अनुमोदित विसल ब्लोयर नीति लागू की गई है और सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बैंक के स्टेट बैंक टाइम्स पर उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवा नियमों के उल्लंघन में कर्मचारियों के किसी अनैतिक कृत्य व व्यवहार की सूचना दी जा सके। इसमें विसल ब्लोअर के हित/पहचान को संरक्षण देने का भी प्रावधान है।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है। बशर्तेकि खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा-परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खंड 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही रिपोर्ट तथा विभिन्न प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्ध-वार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें बैंक के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति तथा तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्य-निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएं जारी की जाती है।

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 की वार्षिक महासभा 3 जुलाई 2014 को आयोजित की गई जिसमें 10 निदेशक उपस्थित रहे, अर्थात श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री ए. कृष्ण कुमार, श्री पी. प्रदीप कुमार, श्री एम. डी. माल्या, श्री सुनील मेहता, श्री संजीव मल्होत्रा, श्री दीपक आई. अमिन, श्री एस. के. मुखर्जी, श्री ज्योति भूषण महापात्रा और श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह। वार्षिक महासभा (2012-13) 21 जून 2013 और वार्षिक महासभा (2011-12) 22 जून 2012 को आयोजित हुई थी। ये तीनों वार्षिक महासभाएं, मुंबई में आयोजित की गईं और पिछली 3 वार्षिक महासभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	: दिनांक 02.07.2015, समय : अपराह्न 3.00 बजे, स्थानः "वाई. बी. चव्हाण आडिटोरियम", जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
वित्तीय कैलेंडर	: 01.04.2014 से 31.03.2015
बहीबंदी की तारीख	: 30.05.2015 से 03.06.2015 रिकार्ड तारीख: 29.05.2015
लाभांश	: ₹.3.50 प्रति शेयर
भुगतान तिथि	: 18.06.2015
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	: भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों पर लाभांश का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी किया जा रहा है।
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	: बीएसई मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	: स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	: भौतिक रूप के शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी कर उन्हें निर्धारित समयावधि में शेयरधारकों को लौटाया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार त्रैमासिक शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता बोर्ड फोन नंबर	: मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड
	: प्लॉट बी-5, और पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093.
	: 022-6671 2151 to 56 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4.30 बजे तक)
सीधे नंबर	: 022-66712198, 022-66712199, 022-6671 2201 से 6671 2203
ई-मेल पता	: sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	: (022) 6671 2204
पत्र-व्यवहार के लिए पता	: भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021
टेलीफोन	: (022) 22740841 से 22740848
फैक्स	: (022) 2285 5348
ई-मेल पता	: gm.snb@sbi.co.in
भारतीय रुपए में जारी बॉण्डों (पूंजीगत लिखत) के न्यासी	: आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य में कमी (शेयरों का उप-विभाजन)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने दिनांक 24 सितंबर 2014 को हुई अपनी बैठक में बैंक के ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य में कमी करके उसे ₹.10 से ₹.1 करने और जारी किए गए शेयरों की संख्या को समानुपात में बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करके उसे अनुमोदित कर दिया था। 22 नवंबर 2014 से शेयर का विभाजन (रिकार्ड तारीख 21 नवंबर 2014) किया गया, जिसके कारण शेयरधारकों की संख्या में 4 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि एसबीआई के शेयर के प्रति शेयरधारक काफी रुचि रखते हैं।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2015 को बैंक के पास 1,60,43,156 जीडीआर से संबंधित 16,04,31,560 शेयर थे। शेयर में विभाजन के चलते जीडीआर-अंडरलाइंग शेयरों के अनुपात को 1:2 से बढ़ाकर 1:10 (24 नवंबर 2014 से) किया गया।

दावारहित शेयर

शेयरधारक की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,056	25,100
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	8	171
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	8	171
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,048	24,929* (शेयरों के विभाजन के बाद 2,49,290 रिकॉर्ड तारीख 21 नवंबर 2014)

लाभांश की परंपरा :

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्बाध रूप से अपने शेयरधारकों को पिछले कई वर्षों से निरंतर बढ़ती दर पर लाभांश का भुगतान करने की विशिष्ट परंपरा रही है ।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव :

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2015 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 3.42% और एनएसई निफ्टी में 2.80% रहा।

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

माह	बीएसई		एनएसई		एलएसई (जीडीआर)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-14	2105.30	1894.55	2106.20	1893.65	69.15	63.00
मई-14	2755.25	2044.85	2753.50	2044.55	94.65	67.88
जून-14	2732.15	2579.25	2739.80	2580.65	92.75	85.92
जुलाई-14	2701.10	2412.10	2702.25	2411.05	90.75	80.58
अगस्त-14	2523.60	2361.80	2524.70	2362.50	83.20	74.08
सितंबर-14	2625.60	2378.35	2630.40	2377.70	86.48	78.35
अक्तू-14	2701.65	2369.80	2702.80	2367.60	87.58	77.38
नवंबर-14	321.45	271.92	321.40	271.93	51.60	44.12
दिसंबर-14	320.25	295.90	320.30	295.60	51.40	44.45
जनवरी-15	334.45	299.95	334.60	299.90	54.50	47.18
फरवरी-15	307.80	279.75	307.50	279.50	50.10	45.12
मार्च-15	302.75	256.90	302.60	256.65	48.62	40.90

शेयरों के अंकित मूल्य को 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए किया गया (रिकार्ड तारीख 21.11.2014)

जीडीआर-अंडरलाइंग शेयरों के अनुपात को 1:2 से बढ़ाकर 1:10 (24 नवंबर 2014) किया गया।

प्रति शेयर बही मूल्य ₹160.84, आर्थिक मूल्य वर्धित(ईवीए): 6,201 करोड़ रुपए।

प्रदर्श : 31 मार्च 2015 को शेयरधारिता का संवितरण

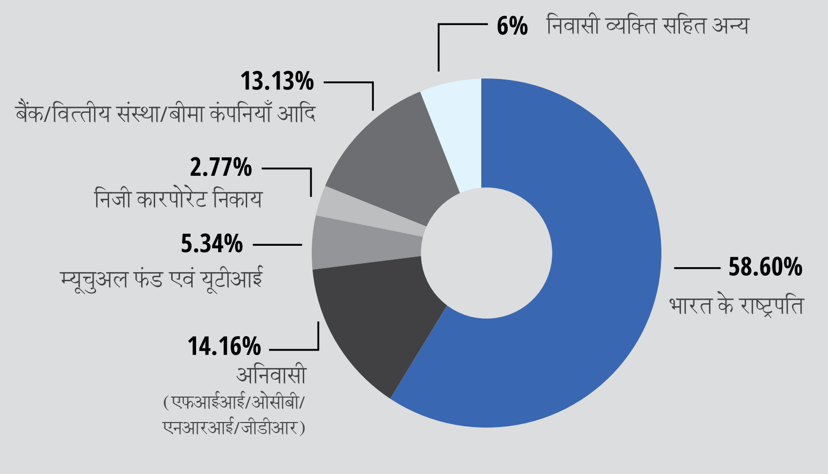

बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.60
2	भारतीय जीवन बीमा (वित्तीय संस्थान)	11.82
3	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	2.15
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-(म्यूचुअल फंड)	2.01
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	0.79
6	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.75
7	आबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.61
8	भारतीय साधारण बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	0.55
9	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (निजी कारपोरेट निकाय)	0.49
10	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	0.42

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2015 को बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म तारीख : 1 अक्तूबर 1951)

श्री मल्होत्रा को जोखिम प्रबंधन, कारपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी वाले वरिष्ठ पदों पर ग्लोबल बैंकिंग एवं फाइनैंस के संबंध में 40 वर्षों का अनुभव है।

श्री एम. डी. माल्या

(जन्म तारीख : 9 नवंबर 1952)

श्री माल्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने बैंक की कायापल्ट, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, एचआर और संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया है।

श्री माल्या मई 2008 और नवंबर 2012 के दौरान बैंक ऑफ बडौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। उनके प्रेरक नेतृत्व एवं नवोन्मेषी कार्यनीति पहल से बैंक ने उत्कृष्टता निष्पादन हासिल करने और अनेक सम्मान एवं पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान प्राप्त की है।

श्री सुनील मेहता

(जन्म तारीख : 22 अगस्त 1957)

श्री सुनील मेहता को सिटी बैंक एण्ड एआईडी में बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं और निवेश के संबंध में 32 वर्ष से अधिक का काफी अनुभव है। 13 वर्षों तक एआईजी के देश प्रमुख के रूप में, श्री मेहता जीवन और गैर-जीवन बीमा, प्राइवेट ईक्विटी, आस्ति प्रबंधन, स्थावर संपदा, होम एवं कंज्यूमर फाइनैंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्टगेज गारंटी और एयरक्राफ्ट लिजिंग सहित 10 व्यवसायों की भारत में स्थापना और उनकी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। श्री मेहता ने सिटीबैंक में 18 वर्षों तक विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। इस समय वे एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और अन्य कई प्रमुख संगठनों के बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं।

श्री दीपक आई. अमिन

(जन्म-तारीख: 20 अप्रैल 1966)

श्री दीपक आई. अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएस डिग्री-प्राप्त हैं। श्री अमिन कोविलिक्स, इंक सीटल व भारत की अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी (एमटेक आइएनसी द्वारा अधिगृहीत) के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। इससे पहले श्री अमिन वीजंगल, इंक, वेब सेवा सॉफ्टवेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं, जिसे स्ट्रीमसर्व, इंक ने अधिगृहीत किया था । श्री अमिन ने माइक्रोसाफ्ट में कई वर्षों तक माइक्रोसाफ्ट विंडोज नेटवर्किंग टीमों में लीड इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। वे माइक्रोसाफ्ट, यूएसए में मूल इंटरनेट ब्राउजर टीम में वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं. श्री अमिन नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनस की टैक्नॉलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्रामीण फाउंडेशन में भी शामिल हैं, जो विश्व की निर्धनतम महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए वृद्धिशील वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी संबंधी समाधान प्रदान करती है ।

श्री एस. के. मुखर्जी

(जन्म-तारीख : 27 नवंबर 1955)

श्री एस.के. मुखर्जी, भारतीय स्टेट बैंक की धारा 19 (गख) के अंतर्गत 4 अक्तूबर 2012 से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक है।

डॉ. राजीव कुमार

(जन्म-तारीख : 6 जुलाई 1951)

डॉ. राजीव कुमार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 6 अगस्त 2012 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. कुमार ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल डिग्रीधारक, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और वे पहले फिक्की के महानिदेशक, आईसीआरआईआर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं और वे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम कर चुके हैं। डॉ. कुमार संप्रति सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं ।

श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह

(जन्म-तारीख : 16 सितंबर 1963)

श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 सितंबर 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री सिंह को कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एसएमई व्यवसाय में अनुभव है। वे 24.12.2008 से 08.12.2010 के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक रह चुके हैं।

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

(जन्म-तारीख : 15 जनवरी 1959)

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 29 अगस्त 2013 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चतुर्वेदी पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली के वरिष्ठ भागीदार हैं। उन्हें वित्त एवं लेखा, कराधान और कारपोरेट-विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। श्री चतुर्वेदी (27 दिसंबर 2008 से 26 दिसंबर 2011 तक) तीन वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक निदेशक रह चुके हैं ।

डॉ. हसमुख अढ़िया

(जन्म-तारीख : 3 नवंबर 1958)

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 11 नवंबर 2014 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. हसमुख अढ़िया वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

(जन्म-तारीख : 28 अक्तूबर 1963)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 6 फरवरी 2013 से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2015 को बोर्ड-निदेशकों /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशकों के संबंध में विवरण जो बैंक @/ अन्य कंपनियों के सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिया गया है)
1	श्रीमती अरुधति भट्टाचार्य	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.10.2013-	अध्यक्ष:14 निदेशक: 01
2	श्री पी. प्रदीप कुमार	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	27.12.2013	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
3	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक: 05 समिति सदस्य: 03
4	श्री वी. जी. कन्नन	प्रबंध निदेशक, डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक: 18 समिति सदस्य: 05
5	श्री संजीव मल्होत्रा	चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई -400020	26.06.2014	निदेशक: 01 समिति अध्यक्ष: 01 समिति सदस्य: 01
6	श्री एम. डी. माल्या	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक, सी-601, अशोक टॉवर्स, डॉ. एस.एस. राव मार्ग, एम.जी. हास्पिटल के सामने, परेल, मुंबई -400012	26.06.2014	निदेशक: 11 समिति अध्यक्ष: 03 समिति सदस्य: 04
7	श्री सुनील मेहता	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. 203ए विवरिया, साने गुरुजी मार्ग, महालक्ष्मी (पूर्व), मुंबई - 400 011	26.06.2014	निदेशक: 04 समिति सदस्य: 02
8	श्री दीपक आई. अमिन	सलाहकार, 104 नील कंठ तीर्थ, 6ठी रोड, चेम्बूर मुंबई - 400 071	26.06.2014	निदेशक: 02 समिति सदस्य: 01
9	श्री एस. के. मुखर्जी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक इकाई, भंगागढ़, गुवाहाटी-781 005	04.10.2012	निदेशक: 01
10	डॉ. राजीव कुमार	अर्थशास्त्री, सी-215 भूतल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017	06.08.2012	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02
11	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	कृषि एवं व्यवसाय आरआर कोठी, कैनाल रोड, रायबरेली 229001 (उ.प्र.)	24.09.2012	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
12	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	द्वारा टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, 406, चिरंजीव टॉवर, 43 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019	29.08.2013	निदेशक: 01
13	डॉ. हसमुख अढ़िया (भारत सरकार के नामिती)	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिग प्रभाग), जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001		निदेशक: 05 समिति सदस्य: 01
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती)	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	06.02.2013	निदेशक: 03 समिति सदस्य: 02

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा 1 (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है।

अनुलग्नक II ए

31.03.2015 को बोर्ड-निदेशकों/बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशको के संबंध में विवरण, जो बैंक@/अन्य कंपनियों के सदस्य/अध्यक्ष हैं

(@केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है)

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष
8	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	अध्यक्ष
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
10	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	अध्यक्ष
12	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
15	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक

2. श्री पी. प्रदीप कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

3. श्री बी. श्रीराम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	
3	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
4	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
5	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	निदेशक	

4. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	
4	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि.	निदेशक	-
5	एसबीआई कैप यूके लिमिटेड	निदेशक	-
6	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
8	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
10	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लि.	निदेशक	
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	
12	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य
13	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	निदेशक	
14	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	निदेशक	
15	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	
16	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	निदेशक	
17	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	
18	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	निदेशक	

5. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - सदस्य

6. श्री एम. डी. माल्या

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष
2	इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
3	नीतेश ईस्टेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
4	ईमामी लिमिटेड	निदेशक	-
5	नीतेश हाउसिंग डेवलपमेंट (प्रा.) लि.	निदेशक	
6	नीतेश अर्बन डेवलपमेंट (प्रा.) लि.	निदेशक	
7	नीतेश इंदिरानगर रिटेल (प्रा.) लि.	निदेशक	
8	आईएफएमआर रूरल चैनल एण्ड सर्विसेज (प्रा.) लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
9	सेवन आइसलैंड्स शिपिंग लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
10	इंटरग्लोब एवियशन लि.	निदेशक	
11	पुदुआरु फाइनैंशियल सर्विसेज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

7. श्री सुनील मेहता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष
2	आईएलएण्डएफएस एएमसी ट्रस्टी लि.	निदेशक	-
3.	एशिया सोसायटी इंडिया सेंटर (धारा 25 कंपनी)	निदेशक	-
4	एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि.	निदेशक	-

8. श्री दीपक आई. अमिन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	रेडियन एडवाइजर्ज प्रा. लि.	निदेशक	-

9. श्री एस.के. मुखर्जी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

10. डॉ. राजीव कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति- सदस्य

11. श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	हितधारक संबंध समिति- सदस्य

12. श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

13. डॉ. हसमुख अढ़िया

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
3	भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	निदेशक	-
4	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	निदेशक	-
5	भारतीय निर्यात - आयात बैंक	निदेशक	-

14. डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य
3	राष्ट्रीय आवास बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य

अनुलग्नक - III

31.03.2015 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	2000
2	श्री पी. प्रदीप कुमार	3250
3	श्री बी. श्रीराम	00
4	श्री वी. जी. कन्नन	2030
5	श्री संजीव मल्होत्रा	8800
6	श्री एम. डी. माल्या	5000
7	श्री सुनील मेहता	5000
8	श्री दीपक आई. अमिन	5000
9	श्री एस.के. मुखर्जी	800
10	डॉ. राजीव कुमार	2300
11	श्री हरीचंद्र बहादुर सिंह	00
12	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	2000
13	डॉ. हसमुख अढ़िया	00
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	00

अनुलग्नक - IV

वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹.)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹.)	कुल (₹.)
1	श्री एस. वेंकटाचलम	30,000	110,000	140,000
2	श्री डी. सुंदरम	20,000	80,000	100,000
3	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	5,000	20,000	25,000
4	श्री थॉमस मैथ्यू	30,000	100,000	130,000
5	श्री संजीव मल्होत्रा	90,000	260,000	350,000
6	श्री एम. डी. माल्या	80,000	305,000	385,000
7	श्री सुनील मेहता	90,000	330,000	420,000
8	श्री दीपक आई. अमिन	90,000	220,000	310,000
9	श्री ज्योति बी. महापात्रा	60,000	20,000	80,000
10	श्री एस.के. मुखर्जी	120,000	60,000	180,000
11	डॉ. राजीव कुमार	40,000	30,000	70,000
12	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	90,000	155,000	245,000
13	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	40,000	10,000	50,000

अनुलग्नक - V

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2014-15) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

दिनांक : 7 अप्रैल 2015

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट खंड 49 X-ए, सूचीकरण करार का अनुलग्नक XIII अधिदेश इतर अपेक्षाएं

1. **बोर्ड** - चूंकि बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं, इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - वित्तीय निष्पादन के अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम शेयरधारकों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को नहीं भेजे जा रहे हैं।
3. **लेखा-परीक्षा शर्तें** - बैंक के वित्तीय विवरणों पर कोई लेखा-परीक्षा शर्त नहीं लगाई गई है।
4. **अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)** का अलग-अलग पद - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार की गई है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुख अधिकारी सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

शेयरधारक
भारतीय स्टेट बैंक

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक) द्वारा कारपोरेट अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो भारत में शेयर बाजारों के साथ बैंक के सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित की गई है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम सूचित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके दवारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

जी नारायणस्वामी
भागीदार
भागीदार सदस्यता सं. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 0045656 एस

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 22 मई 2015

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

प्रस्तावना

200 वर्षों से भी अधिक इतिहास वाला भारतीय स्टेट बैंक भारत की प्राचीनतम वित्तीय संस्थाओं में से एक है, जिसकी उपस्थिति पूरे विश्व भर के अधिकांश देशों में है। भारत में 20,000 से भी अधिक शाखाओं और विश्व के 36 देशों में 191 कार्यालयों के साथ इस समूह का व्यापक नेटवर्क है। भारतीय स्टेट बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वित्तीय संसाधन समाज के सभी तबकों को आसानी से मिले। बैंक को अपनी स्थापना के समय से ही अपने निम्नलिखित प्रमुख मूल्यों पर अटल विश्वास रहा हैः

ग्राहक सर्वप्रथम

देश की सुदूरस्थ भाग को भी सेवाएं प्रदान करना

भारत में गर्व का अनुभव कराना

भारतीय स्टेट बैंक का मानना है कि कोई भी संगठन तब सतत आर्थिक संवृद्धि कर पाता है, जब वह सभी को समावेशी विकास उपलब्ध कराता है। इस विश्वास को कार्य रूप देते हुए भारतीय स्टेट बैंक लगातार पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन पहलुओं को व्यवसाय के सभी आयामों के साथ जोड़ता आ रहा है। इसे अभिशासन की मजबूत संरचना की सहायता से व्यापक कारपोरेट दायित्व नीति के जरिए लागू किया जाता है। यह नीति और उसके सभी घटक भारतीय स्टेट बैंक के सभी विभागों/व्यवसाय खंडों/व्यवसाय समूहों पर लागू हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की कारपोरेट दायित्व नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कारपोरेट दायित्व संबंधी मामलों पर विचार किया जाता हैः

- सुदूरस्थ क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाना।
- पर्यावरण पर पड़ने वाले सीधे प्रभाव को कम करना।
- आत्म-निर्भर बनाने के लिए अल्प-सुविधाप्राप्त समुदायों की सहायता करना।

इस रिपोर्ट से अपने सभी हितधारकों के लिए जिम्मेदारपूर्ण तरीके से स्थिर मूल्य सृजित करने के प्रति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए प्रयासों का पता चलता है। व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक के देशीय परिचालन शामिल हैं और यह कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जिम्मेदारियों पर जारी किए गए राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों और यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के शेयर बाजारों के साथ के सूचीबद्ध करार के खंड 55 के अनुरूप है।

इस रिपोर्ट के जरिए भारतीय स्टेट बैंक उन प्रमुख मामलों को निपटाने का प्रयास करता है, जो स्वयं एवं उसके हितधारकों के हित में हैं। यह रिपोर्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जिम्मेदारियों पर जारी किए गए राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में उल्लिखित 9 सिद्धांतों के प्रति भारतीय स्टेट बैंक के व्यवसाय परिणाम एवं निष्पादन का पारदर्शी एवं संतुलित प्रकटीकरण है।

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

भारतीय स्टेट बैंक का उद्भव आजादी से पहले के युग के द इंपीरियल बैंक के समय का है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर विकास करने की अपनी क्षमता के कारण ही भारतीय स्टेट बैंक विश्व की वित्तीय संस्थाओं में अग्रणी बन गया है। आज 200 वर्षों के इतिहास के साथ वह आस्तियों, जमाराशियों, लाभ, शाखाओं, ग्राहकों एवं कर्मचारियों की दृष्टि से सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक को हर भारतीय का बैंक होने का गर्व है। अधिकांश भारतीय किसी न किसी रूप में बैंक के हितधारक/ग्राहक हैं। बैंक के सभी व्यवसाय पहलों एवं उत्पादों से मिलने वाले सामाजिक लाभों की दृष्टि से उनकी जांच उनके बनाए जाने के समय पर ही की जाती है। इसे 16,333 शाखाओं जिनमें से 10,754 शाखाएं ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, की व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक कृषि वित्त के मामले में भी बाजार अग्रणी है।

स्टेट बैंक समूह में भारतीय स्टेट बैंक और 5 सहयोगी बैंक तथा प्रमुख व्यवसाय, अर्थात मर्चेण्ट बैंकिंग, जीवन बीमा, साधारण बीमा, म्यूचुअल फंड आदि के लिए गठित की गई अनेक अनुषंगियां शामिल हैं। इस समूह का भारत में 20,000 से भी अधिक शाखाओं और विश्व के 36 देशों के 191 विदेश स्थित कार्यालयों का व्यापक नेटवर्क है। स्टेट बैंक समूह के पास 54,000 से भी अधिक एटीएम हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है। बैंक के एटीएम कुछ सुदूरस्थ एवं न पहुंचे जाने वाले स्थानों सहित देश के सभी हिस्सों में हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की गैर-बैंकिंग अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम अपने-अपने क्षेत्रों में बाजार अग्रणी हैं और व्यापक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें जीवन बीमा, मर्चेंट बीमा, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग सेवाएं, प्रतिभूति व्यापार एवं प्राथमिक डीलरशिप शामिल हैं। इनसे स्टेट बैंक समूह वास्तव में सबसे बड़ा वित्तीय सुपर मार्केट एवं भारत का वित्तीय आइकॉन बन गया है।

बीमा, म्यूचुअल फंडों, फाइनैंशियल लिजिंग, कार्ड व्यवसाय आदि जैसी सहायक वित्तीय सेवाएं बैंक के सहयोगी बैंकों तथा/अथवा अनुषंगियों के जरिए सभी ग्राहक खंडों को, चाहे वह सरकारी, कारपोरेट या व्यक्तिगत हो, उपलब्ध कराई जाती हैं। बैंक के निम्नलिखित तीन प्रकार के प्रमुख उत्पाद/सेवाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में अनेक उत्पाद/सेवाएं शामिल हैंः

1. जमाराशियां
2. ऋण एवं अग्रिम
3. धन-प्रेषण एवं उगाहियां

बैंक के कार्यकलाप को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "ग्रुप केः राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण वाले वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप (समस्त आर्थिक कार्यकलाप) - 2008" के अंतर्गत शामिल किया गया है। बैंक के कार्यकलाप नीचे उल्लिखित औद्योगिक कार्यकलाप कोड के अंतर्गत आते हैं :

समूह	श्रेणी	विवरण
641	6419	मौद्रिक मध्यस्थता
		अन्य मौद्रिक मध्यस्थता

बैंक के 14 मंडल और 81 मॉडयूल हैं, जो पूरे देश में प्रमुख शहरों में स्थित हैं। भारतीय स्टेट बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं इसके भारतीय ग्राहकों, अनिवासी भारतीयों, विदेशी इकाइयों और बैंकों की सुविधा के लिए प्रदान की जाती हैं। सभी समय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति के साथ भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंक अपने वैश्विक ग्राहकों को हर समय पर सेवाएं प्रदान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क 36 देशों में 191 कार्यालयों में फैला हुआ है। यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कनाड़ा, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, सिंगापुर, जापान, मिडल ईस्ट और आस्ट्रेलिया में बैंक के कुछ अंतरराष्ट्रीय कार्यालय हैं।

बैंक के पूरे विश्व में 88 देशों में 346 से अधिक प्रतिष्ठित बैंकों के साथ प्रतिनिधि संपर्क हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के विदेश स्थित संयुक्त उद्यम और अनुषंगियां भी बैंक की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को रेखांकित करती हैं।

पता :	भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक भवन, कारपोरेट केंद्र, मादाम कामा रोड, नरीमन पाइंट, मुंबई - 400021, भारत
वेबसाइटः	http://www.sbi.co.in
	http://statebankofindia.com
	E-mail id: gm.snb@sbi.co.in
रिपोर्ट : वित्त वर्ष	2014-2015

खंड ख : कंपनी का वित्तीय ब्योरा

वित्तीय वर्ष 2014-15 के विवरण:	भारतीय रुपए में
प्रदत्त पूंजी	747 करोड़
कुल आय	1,74,972.96 करोड़
कर पश्चात कुल लाभ (पीएटी)	13,101.57 करोड़
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर भारतीय रुपए में व्यय (वित्तीय वर्ष 2014-15)	1.06 प्रतिशत
कुल जमाराशियां	15,76,793 करोड़
कुल अग्रिम	13,35,424 करोड़
कुल व्यवसाय	29,12,217 करोड़

देश की अग्रणी वित्तीय संस्था के रूप में बैंक गंभीरतापूर्वक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझता है। समाज की उन्नति के लिए भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं एवं प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में व्यापक रूप से कई गतिविधियां शुरू की गईं हैं। यहां इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी कारपोरेट सामाजिक गतिविधियां संचालित करने के लिए वर्ष 1973 में नवोन्मेषी बैंकिंग नाम से सेवाएं शुरू की थी।

बैंक का कारपोरेट सामाजिक दायित्व उसके कई व्यवसाय पहलों से जुड़ा है और इसमें सामाजिक, पर्यावरणीय एवं कल्याणकारी गतिविधियां शामिल हैं। बैंक में एक व्यापक कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति लागू है, जिसे अगस्त 2011 में केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किया है। बैंक अपने सीएसआर कार्यकलापों के माध्यम से देश के सभी भागों में रहने वाले लाखों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवाओं में कार्यरत है।

बैंक के प्रमुख सीएसआर कार्यकलाप यहां नीचे दिए गए हैं:

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य-रक्षा
- पर्यावरण का संरक्षण
- उद्यमकर्ता एवं कुशलता विकास कार्यक्रम चलाना
- आपदाओं के समय सहायता करना
- स्वच्छ भारत अभियान

बैंक के कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय करने के लिए बजट पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ का 1 प्रतिशत अर्थात 109 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर कार्य-कलाप पर बैंक की वास्तविक व्यय राशि भारतीय रुपए में 115.80 करोड़ रही।

बैंक के सीएसआर कार्य-कलाप का विस्तृत ब्योरा वित्त वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट के कारपोरेट सामाजिक दायित्व भाग में दिया गया है।

खंड ग : अन्य ब्योरा

व्यवसाय दायित्व (बीआर) पहलों में अनुषंगियों और व्यवसाय भागीदारों की सहभागिता :

अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का विस्तृत ब्योरा वित्त वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है। बैंक के सहयोगी एवं अनुषंगियां व्यवसाय दायित्व सिद्धांतों का पूर्णतया समर्थन करती हैं। सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी पहलों और कार्यक्रमों का निर्णय सहयोगी एवं अनुषंगियों के स्वतंत्र बोर्डों दवारा लिया जाता है। बैंक यह अपेक्षा रखता है और अपने आपूर्तिकर्ताओं/संवितरकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने व्यवसाय का संचालन दायित्वपूर्ण ढंग से करें।

खंड घ : व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना

व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन

निदेशक बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जवाबदार

डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	**02993708**
नाम	श्री बी. श्रीराम
पदनाम	प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
व्यवसाय दायित्व प्रमुख	
डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	06891568
नाम	श्री विनोद पांडे
पदनाम	महाप्रबंधक (कारपोरेट संप्रेषण एवं परिवर्तन प्रबंधन)
टेलीफोन नंबर	022-22870923
ई-मेल आईडी	gm.ccc@sbi.co.in

जिस प्रकार बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति में उल्लेख किया गया है, बैंक के व्यवसाय दायित्व निष्पादन का मूल्यांकन निदेशक बोर्ड द्वारा हर वर्ष किया जाता है। व्यवसाय दायित्व निष्पादन का नेतृत्व कर रहा नोडल अधिकारी बैंक के व्यवसाय दायित्व निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, नोडल अधिकारी द्वारा बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति को अद्यतन किया जाता है (यथा प्रयोज्य कानून, नियमों और विनियमों में कोई संशोधन होने पर)।

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में

यह बैंक की तीसरी व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट है तथा यह सेबी अपेक्षाओं के अनुरूप है और वित्त वर्ष 2012-13 से इसका प्रकाशन वार्षिक आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2014-15 की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in अथवा http://statebankofindia.com पर Corporate Governance / CSR/BR Report में देखी जा सकती है।

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास एनवीजी में यथा उल्लिख्ति प्रत्येक सिद्धांतके लिए नीति/नीतियां हैं?	हां								
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा करके नीति बनाई जा रही है?	हां								
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें ? (50 शब्द)	भारतीय स्टेट बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति जुलाई 2011 में भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरण विषयक और आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों पर आधारित है।								
4.	क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/मालिक/ सीईओ/उपयुक्त निदेशक बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां बीआर नीति केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।								
5.	क्या इस नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कंपनी की बोर्ड की कोई निर्दिष्ट समिति/निदेशक/ अधिकारी है?	हां								
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए उपलब्ध लिंक का उल्लेख करें?	http://www.sbi.co.in अथवा http://statebankofindia.com जोकी Corporate Governance लिंक के अंतर्गत CSR/BR Report								
7.	क्या यह नीति सभी संबंधित आंतरिक और बाहरी हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित की गई है?	हां								
8.	क्या इस नीति/ इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की अपनी कोई व्यवस्था है?	हां								
9.	क्या कंपनी की इस नीति/इन नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए इस नीति/इन नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है?	हा								
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा/कार्य-मूल्यांकन करवाया है?	भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2012-13 में व्यवसाय दायित्व नीति को लागू किया और इस नीति के कार्यान्वयन का सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।								

खंड ङ : सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1: अच्छा कारपोरेट अभिशासन कार्यान्वित करना

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका यह मानना है कि अच्छा कारपोरेट अभिशासन कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन करना ही नहीं, बल्कि उससे भी आगे है। अच्छे कारपोरेट अभिशासन से प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होता है और उच्च स्तरीय व्यवसाय नैतिकता बनाए रखने तथा अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम बनाने में बैंक को सुविधा होती है।

उद्देश्यों को निम्नानुसार दिया गया हैः

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना एवं उसमें संवर्धन
- ग्राहक, कर्मचारी एवं समाज जैसे सभी अन्य हितधारकों के हित की रक्षा करना।
- संप्रेषण के मामले में पारदर्शिता एवं ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधितों को पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन एवं ग्राहक सेवा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- उच्च मानक वाला कारपोरेट नेतृत्व दूसरों को उपलब्ध कराना।

बैंक ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और उसके प्रमुख प्रबंधन के लिए एक सुपरिभाषित आचार संहिता तैयार की है। इस आचार संहिता के आधार पर मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं जिनके आधार पर बैंक अपने बहुसंख्यक हितधारकों, सरकार और विनियामक एजेंसियों, मीडिया और अन्य किन्हीं जिनसे यह संबंधित है, के साथ अपना दैनिक व्यवसाय परिचालित एवं संचालित करता है। पूरे विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट से संहिता तक पहुंचा जा सकता है। अपने केंद्रीय बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से बैंक ने कई नीतियां बनाईं हैं जिनमें भारत और विदेशों में उसका निष्पादन और परिचालन शामिल हैं। बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति में नैतिकता, घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है।

सिद्धांत 2 : व्यवसाय बढ़ाने वाले उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना

बैंक कई दशाब्दियों से दायित्वपूर्ण बैंकिंग कर रहा है और उत्पादक आर्थिक गतिविधि के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहा है। वह या तो अपने उत्पादों अथवा परिचालनों/सेवाओं के जरिए नवोन्मेषन के मामले में हमेशा सबसे आगे रहा है। डिजिटल रूप से समर्थित नए बैंकों से अपने परंपरागत व्यवसाय के लिए बैंकिंग प्रणाली के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। कुछ समय से स्मार्ट फोन तथा ई-कॉमर्स का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग व्यवसाय में भुगतान प्रणालियों की मांग सबसे ज्यादा है। कई नवोन्मेषी उत्पाद/मोबाइल ऐप्स शुरू किए गए हैं।

उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक ने सीएस एंड एनबी के जरिए कई उपाय शुरू किए हैं, जो इस प्रकार हैंः

क) डिजिटल बैंकिंग परियोजनाः एसबीआईइनटच- पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड के साथ खाता खोलने, नकद जमा/आहरण, निधि अंतरण, पूछताछ, शैक्षिक संस्थाओं, आगामी आवास परियोजनाओं से संबंधित सूचना के लिए इंटरैक्टिव स्क्रीन, कार डीलरों, मॉडल, बैंक ऋण की पात्रता के साथ मूल्य जैसे उत्पादों एवं सेवा के सरलीकरण के जरिए ग्राहक अनुभव बढ़ाने में इससे सहायता मिलती है विशेषज्ञों के साथ वीडियो कांफरेंसिंग, ऑनलाइन सर्विसिंग, एसबीआई लाइफ, जनरल इंश्यूरेंस, म्यूचुअल फंड, ई-ट्रेड आदि।

ख) मोबाइल बैंकिंग सेवाएंः मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों की संख्या के मामले में 46 प्रतिशत बाजार हिस्से के साथ भारतीय स्टेट बैंक बाजार अग्रणी है।

ग) व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण बढ़ाना और नवोन्मेषी उपायों के जरिए लेनदेन सुगम बनाना।

घ) अग्रेगेशन व्यवसाय को मजबूत करने तथा ई-कॉमर्स/एम-कॉमर्स को सुगम बनाने हेतु सेवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए स्टेट बैंक एग्रेगेटर सेवा (एसबीआई ई-पे) के जरिए अधिक से अधिक बैंकों एवं व्यापारियों को ले आना। एसबीआई ई-पे को सुरक्षा प्रणीकरण पीए-डीएसएस एवं आईएसओ 27001:2013 प्राप्त हुआ है।

ङ) ग्रीन चैनल काउंटर, सेल्फ सर्विस कियोस्क, ग्रीन रेमिट, स्मार्ट पे-आउट कार्ड, स्मार्ट चेंज कार्ड, ईजेड़-पे कार्ड, विश्व यात्रा कार्ड, गिफ्ट कार्ड जैसे प्रीपेड कार्ड शुरू कर ग्राहक अनुभव बढ़ाना। ये बैंक के कुछ ग्रीन पहल हैं, जो समाज के लिए लाभकारी भी हैं।

च) स्वयंः यह बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क है। चार महीनों की कम अवधि में ही 1 करोड़ से भी अधिक पासबुक का प्रिंटिंग किया गया।

बैंक अपने काम में आने वाली अधिकांश वस्तुओं की खरीद स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से करता है। लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता खंड के प्रतिबद्धता संहिता में दी गई है, जिससे उनके दैनिक परिचालनों तथा इकाई को उसके कठिन समय में बैंकिंग सेवाओं तक आसान, त्वरित एवं पारदर्शी पहुंच मिलती है।

सिद्धांत 3 : मानव पूंजी का ध्यान रखना

भारतीय स्टेट बैंक का मानना है कि मानवशक्ति ही सबसे बड़ी आस्ति है, जिससे संवृदधि का इंजिन चलने लगता है। कर्मचारियों को परिवर्तन उत्प्रेरक माना जाता है और बैंक संवृदधि, निष्पादन, फीडबैंक, अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण के लिए लोगों की विशेषज्ञता एवं प्रतिभा को तराशता है और चैनलाइज करता है। उपलब्धियों एवं प्रयासों को सराहा और पुरस्कृत किया गया है।

कर्मचारियों की संख्या

बैंक देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। वित्त वर्ष 2014-15 के अंत में बैंक में कर्मचारियों की संख्या 2,13,238 थी। इसमें 44,790 महिला कर्मचारी और 2,692 निःशक्त कर्मचारी थे। 31 मार्च 2015 को बैंक में ठेके पर कार्य करने वाले कामगारों की संख्या 261 रही।

कर्मचारी हितलाभ

संगठन की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थक परिवेश बनाना ही बैंक का अपने मानव संसाधनों के प्रति विज़न है। इसका उद्देश्य उपयुक्त नियुक्तियों, प्रोत्साहनों के जरिए कर्मचारियों को उनकी उत्तम कुशलता के अनुरूप निष्पादन देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनमें इस आशय का विश्वास एवं माहौल सृजित करना कि बैंक स्टाफ के कल्याण एवं उनकी निजी इच्छाओं का ध्यान रखता है। इससे निजी इच्छाओं को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने और दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलती है। बैंक अपने कर्मचारियों के लिए अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाता है। इनमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएँ, रियायती ब्याज दरों पर अग्रिम, जमाराशियों पर उच्चतर ब्याज दरें, कर्मचारियों के

बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ, अवकाश गृहों की सुविधा, कर्मचारियों को सैबाटिकल अवकाश, एक्जिक्यूटिव हेल्थ चेक-अप आदि की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

एसोसिएशन बनाने की स्वेच्छा

बैंक में दो मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन हैं- एक पर्यवेक्षी स्टाफ के लिए और दूसरी अवार्ड स्टाफ के लिए। एसोसिएशन के नाम निम्नानुसार हैं :

1. ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स फेडरेशन
2. ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन

अधिकांश स्टाफ और अधिकारी इन फेडरेशनों के सदस्य हैं।

मानवाधिकार

बैंक की भर्ती नीति में बाल श्रमिक रखने, बलपूर्वक श्रमिक रखने या अनैच्छिक श्रमिक रखने की अनुमति नहीं है। कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का शीघ्रतापूर्वक और उचित ढंग से निपटान करने के लिए स्थानीय प्रधान कार्यालयों (एलएचओ), प्रशासनिक कार्यालयों और क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों (आरबीओ) के स्तर पर अलग से शिकायत समिति गठित की गई है। इस विषय में कारपोरेट केंद्र से संपर्क करने के लिए एक समन्वयकर्ता की पहचान की गई है। बैंक जाति, वंश या लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और अपने कर्मचारियों के लिए स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कोई महत्वपूर्ण शिकायतें बकाया नहीं हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास

बैंक प्रशिक्षण सक्रिय, सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया होती है, जो बैंक का अभिन्न अंग है। अपने कर्मचारियों में दक्षता का निर्माण करने के लिए बैंक के पास एक बहुत व्यापक प्रशिक्षण नेटवर्क है, जिसमें 47 ज्ञानार्जन केंद्र और 5 शीर्ष संस्थान हैं, जो 50 से भी अधिक वर्षों में विकसित हुए हैं और क्षमता निर्माण की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बैंक ने प्रशिक्षण प्रणाली और व्यवसाय इकाइयों के बीच कार्यनीतिक प्रशिक्षण भागीदारी बनाया है।

व्यवसाय इकाइयां प्रशिक्षण के निम्नलिखित प्रत्येक चरण में शामिल होती हैं:

क) कार्यक्रम की अभिकल्पना

ख) कार्यान्वयन

ग) समीक्षा

पाठयक्रमों की प्रासंगिकता एवं आवश्यकता की समयाधारित समीक्षा की जाती है। स्ट्रैप्स के अंतर्गत तैयार किए गए सभी कार्यक्रमों की विषय-वस्तु एवं प्रस्तुति एक जैसी होती है, ताकि प्रशिक्षण में समरूपता को बनाया जा सकें। कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई यह सुनिश्चित करता है:

- सभी कर्मचारी वर्ष के दौरान कम से कम एक संस्थात्मक प्रशिक्षण पाते हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान कारपोरेट प्राथमिकताओं/व्यवसाय इकाइयों की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं।
- प्रत्येक कर्मचारी ने स्वयं सीखने की संस्कृति डाली जाती है।
- पुरस्कारों एवं मान्यता दवारा समर्थित भूमिका-आधारित पाठ सहित ऑनलाइन ज्ञानार्जन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

संस्थात्मक प्रशिक्षण के लिए अनुपूरक सहायता देने के मामले में ई-लर्निंग प्रभावी प्लैटफार्म साबित हुआ है। वर्ष 2014-15 की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं:

वर्ष 2014-15 के दौरान सुरक्षा/कुशलता कोटि-उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या

विवरण	कर्मचारियों की संख्या
स्थायी कर्मचरी	2,12,704
स्थायी महिला कर्मचारी	37,535
ठेके पर कार्य करने वाले कारीगर	170
विकलांग कर्मचारी	3,421
प्रशिक्षण घंटों की कुल संख्या	1,89,321 घंटे

- कर्मचारियों में विशेषकर फ्रंटलाइन स्टाफ में द्रुत गति से ज्ञान के प्रसार के लिए अल्पावधि वाले ई-कैप्सूल (प्रत्येक 15 मिनट के) अपलोड किए गए।
- प्रायोगिक आधार पर मोबाइल नगेट (मोबाइल हैंडसेट पर संक्षिप्त अध्ययन सामग्री) उपलब्ध करवाए गए।
- सभी कर्मचारियों को कार्य स्थल पर जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में सचेत किया गया।
- वरिष्ठ अधिकारियों को हार्वर्ड मैनेजमेंट पाठयक्रम करने के लिए प्रेरित किया गया, जो कि हार्वर्ड बिजिनेस स्कूल के साथ गठजोठ के तहत प्रबंधन मामलों से संबंधित ऑनलाइन पाठयक्रम है। वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए उदयोग विशिष्ट इनपुटों पर वीडियो भाषण की व्यवस्था की गई।

सिद्धांत 4 : हितधारकों से सहयोग करना

बैंक सार्वजनिक धन का न्यासी और संरक्षक है। अपने न्यासी देयता एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे न्यास और जनता का विश्वास लगातार बनाए रखना होगा। बैंक उसके दवारा किए जाने वाले प्रत्येक लेनदेन की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और मानता है कि उसके आंतरिक सदाचार की ईमानदारी एवं अखंडता का निर्णय उसके बाहरी व्यवहार से किया जाएगा। बैंक ऐसी नीतियां बनाता है, जो ग्राहक केंद्रित हो तथा जिनसे वित्तीय विवेक बढ़ें।

बैंक ई-मेल, वेबसाइट, कांफरेंस कॉल, प्रेस मीट, विज्ञापन, प्रत्यक्ष बैठक, विश्लेषकों की बैठक एवं पूरे विश्व भर में निवेशक सम्मेलन में उपस्थिति जैसे कई प्रकार के चैनलों के माध्यम से अपने हितधारकों से बातचीत करता है। बैंक के सभी क्षेत्रों में हितधारकों की संबद्धता जुड़ी होती है। बैंक अपने सभी ग्राहक-आधारित चैनलों के जरिए फीडबैक मांगता है, सभी हितधारकों की परेशानियों के बारे में सुनता है और कर्मचारियों को फीडबैक देने का अवसर प्रदान करता है। बैंक फेसबुक एवं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के जरिए हितधारकों के साथ जुड़ता है और कई प्रकार के उदयोग एवं सामुदायिक संघों में सक्रिय रूप से सहभागिता करता है।

सिद्धांत 5 : मानवाधिकारों का सम्मान करना

बैंक अपने क्षेत्र के भीतर मानव अधिकारों का सम्मान करने की अपनी जिम्मदारी को स्वीकार करता है और वह इस क्षेत्र को इस तरह परिभाषित करता हैः

- कर्मचारी
- आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता
- रीटेल ग्राहक एवं कारपोरेट ग्राहक
- स्थानीय समुदाय

समान अवसर का अधिकार, भेदभाव से बचाव और निष्पक्ष कार्य परिस्थितियों सहित अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी बैंक की है। बैंक अपने स्टाफ के बीच बाल मजदूर अथवा बलपूर्वक मजदूर का उपयोग नहीं करता और यह चाहता है कि उसके प्रमुख आपूर्तिकर्ता मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और कारपोरेट ग्राहक मानवाधिकारों से संबंधित सभी विनियमों का अनुपालन करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक अपने विभिन्न सीएसआर एवं सूक्ष्म वित्त गतिविधियों के जरिए स्थानीय समुदायों को सकारात्मक योगदान देता है।

सिद्धांत 6 : पर्यावरण का ध्यान रखना

बैंक जहां तक संभव हो, अपने परिचालन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले सीधे प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अपने परिचालनों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले सीधे परिणाम को कम करने के उपाय भी किए हैं। कार्यालयों और शाखाओं में रीसाइक्लिंग से लेकर ऊर्जा संरक्षण तक बैंक पर्यावरण पर उसके परिचालनों के प्रभाव को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। शुरू किए गए कुछ उपायों में ये भी हैंः

- महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में पवन-चक्की (विंड मिल) परियोजनाओं को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है और उनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सोलर एटीएम लगाए गए और ग्रीन चैनल काउंटरों (पेपर रहित बैंकिंग) की शुरुआत की गई।
- बैंक ने अपने कार्बन उत्सर्जन स्तर का निर्धारण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है, जिससे बैंक संसाधनों के उपभोग के पैटर्न का पता लगाने में मदद मिलेगी और किफायती तरीके से स्थायी उपयोग के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए बैंक प्रभावी कदम उठा सकेगा।
- बैंक ने SMART, अर्थात स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड ग्रीन बैंकिंग लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हैं, जिनमें से कुछ लक्ष्यों के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी से सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के भवनों को स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। इन लक्ष्यों में ग्रीन भवन बनाना, व्यर्थ जल को शुदध करने के संयंत्र (वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट), ऊर्जा की बचत पर स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना शामिल हैं।
- स्टेट बैंक भवन के तल मजले पर स्थित रीसाइक्लिंग प्लांट अपशिष्ट को कंपोस्ट के रूप में बदल देता है, जिसका उपयोग स्टेट बैंक भवन और एसबीआई रेसिडेंशियल क्वार्टर्स के लिए किया जाता है।
- स्टेट बैंक समूह के 54,000 से भी अधिक एटीएम और नकदी जमा मशीनों (सीडीएम) के कारण शाखाओं में कागज का इस्तेमाल कम हो जाता है।
- वर्ष 2019 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 10,000 मेगावॉट के बिजली उत्पादन के भारत सरकार के लक्ष्य को देखते हुए आगामी 5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है, बशर्ते कि ये परियोजनाएं लाभप्रद/व्यवहार्य हो तथा ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्धारित अन्य मानदंड पूरे होते हों।
- सभी मंडलों में वृक्षारोपण के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए और पिछले तीन वर्षों में 4,50,000 से भी अधिक पेड़ लगाए गए।
- सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों से कहा गया है कि वे मंडल में चुने गए कम से कम एक भवन में कम से कम एक व्यर्थ जल शुद्ध करने का संयंत्र लगाएं।
- देश भर में बैंक के कई भवनों में बारिश के पानी को बचाने की परियोजनाएं लागू की गईं हैं।
- पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय बोर्ड दवारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नीति के लिए अनुमोदन दिया गया है।

बैंक के परिचालनों से बहुत ही कम उत्सर्जन/वेस्ट निकलता है। इसलिए समीक्षाधीन अवधि में बैंक का उत्सर्जन/वेस्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दवारा दी गई अनुमत सीमाओं से काफी कम रहा। वर्ष 2014-15 की समीक्षाधीन अवधि में बैंक को न तो राज्य न ही केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से कोई भी कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस नहीं मिला।

सिद्धांत 7 : लोक नीति का समर्थन करना

लोक नीति बनाने की प्रक्रिया में बैंक की सहभागिता बहु-स्तरीय की रही है। नेतृत्व स्तर पर, शीर्ष प्रबंधन नीति निर्माताओं एवं विनियामक प्राधिकारियों से नियमित रूप में मिलता है। नीति विकास स्तर पर शीर्ष कार्यपालक वित्तीय सेवा उदयोग से संबंधित लोक नीति ममालों पर विनियामकों, सरकार एवं सरकारी एजेंसियों से मिलते रहते हैं। यह जुड़ाव कई रूपों में होता है, जिसमें सरकारी परामर्शक निकायों में सहभागिता भी शामिल है।

भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न बैंकिंग एवं वित्त संबंधी व्यापार (ट्रेड) निकायों, चेम्बर्स और संघों (एसोसिएशनों) का सक्रिय सदस्य रहा है। कुछ प्रमुख एसोसिएशन यहां नीचे दिए गए हैं, जिनसे भारतीय स्टेट बैंक जुड़ा रहाः

- भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (फेडई)
- फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)
- बैंक एसोचेम, सीआईआई आदि से भी जुड़ा है।

बैंक पूरे समाज के लाभ के लिए लोक नीति का समर्थन कर रहा है, जो किसी समाज विशेष के हित को साधने के लिए नहीं है।

सिद्धांत 8 : समावेशी विकास बढ़ाना

भारतीय स्टेट बैंक देश के वित्तीय समावेशन संबंधी पहलों के मामले में सबसे आगे रहा है। बैंक बिजनेस करेस्पांडेंट (बीसी) मॉडल जो कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के निम्न आय समूह के लोगों की जरूरतों की पूर्ति हेतु बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का विकल्प है, के मामले में अग्रणी रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां छोटे मूल्य के लेनदेन होते हैं। पूरे देश भर में 57,575 से भी अधिक ग्राहक सेवा केंद्रों के साथ बीसी मॉडल बचत, मीयादी जमाराशियां, सूक्ष्म ऋण, धन-प्रेषण, ऋण भुगतान, सूक्ष्म पेंशन आदि जैसे कई उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है। बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए इंटरनेट आधारित कियोस्क बैंकिंग, कार्ड आधारित एवं सेल फोन मेसेजिंग चैनल शुरू किए हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना में सफलता एक और उपलब्धि रही। 31 मार्च 2015 तक 3.3 करोड़ रुपए मूल्य के खातें खोले गए और पात्र ग्राहकों को 2.97 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए, जो कि देश के दुर्गम क्षेत्रों की दृष्टि से ज्यादा है। यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सेवा करने की बैंक की प्रतिबदधता का प्रमाण है। बिजनेस करेस्पांडेंट के जरिए किए गए लेनदेनों का मूल्य मार्च 2014 के 22,525 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2015 में 38,973 करोड़ रुपए हो गया।

बैंक वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूहों की स्थापना के समय से ही स्वयं सहायता समूह-बैंक ऋण संयोजन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभाग करता आ रहा है। बैंक 3.85 लाख स्वयं सहायता समूहों, इनमें से 91 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह है, को 4,586 करोड़ रुपए के ऋण देने के साथ स्वयं सहायता समूह के वित्तपोषण के मामले में बाजार अग्रणी रहा है। ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवोन्मेषी, प्रौदयोगिकी आधारित चैनल बनाने पर लगातार जोर देते हुए बैंक आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, स्वचालित ई-केवाईसी, आईएमपीएस, सूक्ष्म एटीएम, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बचत बैंक-ओवरड्राफ्ट एवं डीबीटी/डीबीटीएलभुगतान जैसे कई नए पहल शुरू कर पाया है। बैंक एलपीजी सब्सिडी के लिए संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का एकमात्र प्रायोजक है और उसने 15 नवंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अल्पावधि में ही 29 करोड़ डीबीटीएल लेनदेन किए हैं। इन सभी से आने वाले वर्षों में नकदविहीन समाज/इकोसिस्टम का उदय होगा, जिसके कई सामाजिक लाभ होंगे।

सिद्धांत 9 : ग्राहकों की सेवा करना

नवोन्मेषन की प्रक्रिया

- व्यवसाय समूहों के बीच संबंध प्रबंधन प्लैटफार्म को मजबूत किया गया, जिनमें कारपोरेट ग्राहकों के लिए लेखा प्रबंधन दल, उच्च मालियत के ग्राहकों के लिए प्रीमियर बैंकिंग सेवाएं, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए संबंध प्रबंधक शामिल हैं।
- ऋणों के त्वरित संसाधन के लिए लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर (एलओएस) समर्थित संसाधन कक्षों (आरएसीपीसी/एसएमईसीसी) की संख्या में वृद्धि की गई है और उन्हें दुरुस्त किया गया।
- शाखाएं खोलने, ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, सुदूरस्थ क्षेत्र में बीसी आउटलेट के जरिए ग्राहकों के लिए टच प्वाइंटस को विस्तारित किया गया।
- अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी नकद प्रबंधन के लिए सभी मुद्रा-तिजौरी शाखाओं में क्लस्टर मॉडल शुरू किए गए।
- बैंक ने अत्यधिक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली और पद्धति को कार्यान्वित किया है, जिससे ग्राहक अपने चिंताओं को व्यक्त कर सकें और अपनी फीडबैक दे सकें। बैंक के विजन स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बैंक की व्यवसाय कार्यनीतियों और परिचालनों का केंद्रबिंदु ग्राहक ही है। बहु-स्तरीय समितियों की संरचना के जरिए वर्तमान सेवाओं की लगातार समीक्षा की जाती है और सुझाव दिए जाते हैं। इन समितियों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मामलों और उन पर की गई कार्रवाई, सभी मंडलों के लिए ग्राहक शिकायतों के समेकित आंकड़े विश्लेषण के लिए प्रत्येक तिमाही में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि सुधार हेतु आम प्रणालीपरक एवं नीतिगत मामलों की पहचान की जा सकें।
    - बैंक में सुपरिभाषित एवं प्रलेखीकृत शिकायत निवारण नीति विद्यमान है, जिसमें यह प्रावधान किया गयाः
    - सभी 14 मंडलों में नोडल अधिकारी के रूप में तथा कारपोरेट केंद्र में मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक के साथ बोर्ड दवारा अनुमोदित शिकायत निवारण प्रणाली विदयमान है।
    - विशेषीकृत कस्टमर केयर सेल।
    - बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पर एक ही जगह शिकायतें दर्ज करने और उनके समाधान के लिए वेब-आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की शुरुआत की है। शाखा में लिखित शिकायत अथवा बैंक के संपर्क केंद्र के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने, बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन पर ई-मेल भेजने अथवा एक निर्दिष्ट नंबर को अनहैप्पी एसएमएस संदेश भेजने जैसे चैनलों के जरिए ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। 31 मार्च 2015 तक केवल 1.88 प्रतिशत शिकायतें लंबित रही।

बैंक 30 दिनों की सीमा की तुलना में शिकायत प्राप्त होने के तीन सप्ताहों में ही अधिकांश ग्राहकों की शिकायतों का समाधान कर पाया। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक दवारा निर्धारित 7 दिनों की समयावधि के भीतर ही एटीएम संबंधित सभी शिकायतों का भी समाधान कर पाया।

भारतीय स्टेट बैंक

तुलन-पत्र 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	746,57,31	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	127691,65,34	117535,67,65
जमाराशियाँ	3	1576793,24,50	1394408,50,48
उधार-राशियाँ	4	205150,29,26	183130,88,26
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	137698,03,57	96926,65,38
योग		2048079,79,98	1792748,29,08
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	115883,84,35	84955,66,05
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	58977,46,02	47593,97,22
निवेश	8	495027,39,52	398799,57,13
अग्रिम	9	1300026,39,29	1209828,71,92
अचल आस्तियाँ	10	9329,16,42	8002,15,51
अन्य आस्तियाँ	11	68835,54,38	43568,21,25
योग		2048079,79,98	1792748,29,08
आकस्मिक देयताएँ	12	1000627,25,78	1017329,95,45
उगाही के लिए बिल	-	92795,24,84	74028,41,81
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000 शेयर ₹ 10 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 74,66,56,167 इक्विटी शेयर, ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर)	746,65,61	746,65,61
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : [उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 1,60,431,560 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹10 के 15,873,554 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 16,043,156 (पिछले वर्ष 793,67,77) वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के रूप में हैं]**	746,57,31	746,57,31
योग	746,57,31	746,57,31

* बैंक के इक्किटी शेयर का अंकित मूल्य 22 नवम्बर 2014 (रिकॉर्ड तिथि 21 नवम्बर 2014) से दिनांक 24 सितम्बर 2014 के संकल्प के अनुसार ₹ 10 प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर किया गया है।

** जीडीआर/इक्विटी शेयर अनुपात 24 नवम्बर 2014 से 1:2 से 1: 10 में परिवर्तित किया गया है ।

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I सांविधिक आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	43810,33,00		40470,71,09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4029,07,98		3339,61,91	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		47839,40,98		43810,33,00
II पूंजी आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	1744,01,05		1527,25,75	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	105,50,44		216,75,30	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		1849,51,49		1744,01,05
III शेयर प्रीमियम				
अथशेष	41444,68,60		31501,19,81	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		9969,10,90	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		25,62,11	
		41444,68,60		41444,68,60
IV विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	6040,01,00		3475,33,39	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	158,29,42		2564,67,61	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	25,95,71		-	
		6172,34,71		6040,01,00

अनुसूचियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां***				
	अथशेष	24496,31,52		21224,81,17	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5889,05,56		4796,63,50	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		1525,13,15	
			30385,37,08		24496,31,52
VI	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		32,48		32,48
	* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हज़ार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(iii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ ₹6719,06,15 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5544,98,43 हज़ार)				
योग			127691,65,34		117535,67,65

अनुसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
	(i)	बैंकों से	5941,51,45	6041,38,80
	(ii)	अन्य से	118630,78,84	107191,08,49
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	527332,81,84	485167,93,49
	III.	सावधि जमाराशियाँ		
	(i)	बैंकों से	9179,86,77	34117,68,40
	(ii)	अन्य से	915708,25,60	761890,41,30
	योग		1576793,24,50	1394408,50,48
ख.	I.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1487236,32,78	1305983,94,89
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	89556,91,72	88424,55,59
योग			1576793,24,50	1394408,50,48

अनुसूचियाँ

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I भारत में उधार-राशियाँ				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		2595,00,00		12200,00,00
(ii) अन्य बैंक		674,52,05		1121,44,41
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		3490,55,76		8280,19,25
(iv) पूंजीगत लिखत				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत	2165,00,00		2165,00,00	
ख) गौण ऋण	36471,39,60		36671,39,60	
		38636,39,60		38836,39,60
योग		45396,47,41		60438,03,26
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ				
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		155847,56,85		118948,16,25
(II) पूंजीगत लिखत				
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत		3906,25,00		3744,68,75
योग		159753,81,85		122692,85,00
कुल योग		205150,29,26		183130,88,26
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ		4581,96,92		3339,91,31

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	20184,69,67	19165,70,27
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	39061,18,75	1502,58,08
III. प्रोद्भूत ब्याज	20560,45,58	15772,86,89
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2353,11,87	3351,52,25
V. अन्य (प्रावधान सहित)*	55538,57,70	57133,97,89
योग	137698,03,57	96926,65,38

* इसमें ईक्विटी शेयरों के अधिमानी इश्यू के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2970,00,00 हजार की शेयर आवेदन राशि शामिल है।

अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	14943,22,17	12456,56,04
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	100940,62,18	72499,10,01
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	115883,84,35	84955,66,05

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	193,75,88	916,04,64
(ख) अन्य जमा खातों में	20105,52,16	13292,53,15
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	2240,00,00	3650,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	22539,28,04	17858,57,79
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	21059,05,65	9555,80,00
(ii) अन्य जमा खातों में	1946,13,70	2836,10,73
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	13432,98,63	17343,48,70
योग	36438,17,98	29735,39,43
कुल योग (I एवं II)	58977,46,02	47593,97,22

अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I भारत में निवेश :			
(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ		377654,15,03	308394,62,24
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
(iii) शेयर		4336,48,56	3009,16,29
(iv) डिबेंचर और बांड		30527,76,51	26424,80,57
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)		7596,50,49	6153,70,49
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट्, कमर्शियल पेपर तथा प्राथमिक क्षेत्र की जमा राशियाँ इत्यादि)		44555,47,08	30557,63,96
योग		464670,37,67	374539,93,55
II भारत के बाहर निवेश			
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		5758,32,99	3465,14,10
(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम		2185,68,69	2183,71,39
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		22413,00,17	18610,78,09
योग		30357,01,85	24259,63,58
कुल योग (I एवं II)		495027,39,52	398799,57,13
III. भारत में निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		464903,63,14	375190,53,48
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		233,25,47	650,59,93
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	464670,37,67	374539,93,55
IV. भारत के बाहर निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		30603,67,21	25156,84,83
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		246,65,36	897,21,25
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	योग	30357,01,85	24259,63,58
कुल योग (III एवं IV)		495027,39,52	398799,57,13

अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	95605,93,62	77755,08,56
	II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	538576,40,18	522860,87,39
	III.	सावधि ऋण	665844,05,49	609212,75,97
योग			1300026,39,29	1209828,71,92
ख)	I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	988275,84,14	949116,35,89
	II.	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	52640,93,65	61654,47,71
	III.	अप्रतिभूत	259109,61,50	199057,88,32
योग			1300026,39,29	1209828,71,92
ग)	I.	भारत में अग्रिम		
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	288952,35,26	280819,50,12
	(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	99444,50,78	74172,44,97
	(iii)	बैंक	261,94,79	99,98,62
	(iv)	अन्य	678592,56,54	642792,39,65
योग			1067251,37,37	997884,33,36
ग)	II.	भारत के बाहर अग्रिम		
		(i) बैंकों से प्राप्य	49656,27,37	47670,95,07
		(ii) अन्यों से प्राप्य		
		(क) सक्रिय किए गए और बट्टाकृत बिल	28459,86,93	11768,61,70
		(ख) सिंडीकेट ऋण	73482,21,58	84589,24,23
		(ग) अन्य	81176,66,04	67915,57,56
योग			232775,01,92	211944,38,56
कुल योग (ग - । एवं ग - । ।)			1300026,39,29	1209828,71,92

अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	3112,45,97		2816,74,52	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	312,37,37		312,32,09	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5,44,23		16,60,64	
अद्यतन मूल्यह्रास	447,32,80		1021,60,07	
		2972,06,31		2090,85,90
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	15573,29,35		13618,43,55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2758,28,85		2750,04,30	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	789,22,75		795,18,50	
अद्यतन मूल्यह्रास	11472,61,90		9947,69,74	
		6069,73,55		5625,59,61
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	233,62,47		782,89,10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान घटौती	24,92,27		549,26,63	
प्रावधानों सहित आज तक का मूल्यह्रास	208,70,20		233,62,47	
		-		-
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		287,36,56		285,70,00
योग (I, II, III एवं IV)		9329,16,42		8002,15,51

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	15020,62,03	13416,73,64
(iii) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	9257,46,09	11880,51,10
(iv) आस्थगित कर आस्तियों (निवल)	365,98,57	513,69,19
(v) लेखन सामग्री और स्टांप	104,48,23	116,21,78
(vi) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	4,25,91	4,25,91
(vii) अन्य	44082,73,55	17636,79,63
योग	68835,54,38	43568,21,25

अनुसूचियाँ

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	14132,87,81	13578,51,87
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	463,08,37	519,40,99
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	568894,47,16	573861,67,93
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	123711,14,64	103663,00,11
(ख) भारत के बाहर	63673,91,98	71539,24,21
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	97765,09,54	125106,49,61
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	131986,66,28	129061,60,73
योग	1000627,25,78	1017329,95,45

भारतीय स्टेट बैंक

लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. **आय**			
अर्जित ब्याज	13	152397,07,42	136350,80,39
अन्य आय	14	22575,89,26	18552,91,64
योग		174972,96,68	154903,72,03
II. **व्यय**			
व्यय किया गया ब्याज	15	97381,82,36	87068,63,25
परिचालन व्यय	16	38677,64,14	35725,85,13
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		25811,92,98	21218,06,48
योग		161871,39,48	144012,54,86
III. लाभ			
निवल लाभ (वर्ष के लिए)		13101,57,20	10891,17,17
अग्रानीत लाभ		32,48	33,93
योग		13101,89,68	10891,51,10
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		4029,07,98	3339,61,91
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		105,50,44	216,75,30
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		5889,05,56	4796,63,50
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश (लाभांश पर कर)		-	1,45
चालू वर्ष हेतु लाभांश			
I) अंतरिम लाभांश		-	1119,85,96
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		2648,17,28	1119,85,96
चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		429,75,94	298,44,54
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		32,48	32,48
योग		13101,89,68	10891,51,10
प्रति शेयर मूल आय		₹ 17.55	₹ 15.68
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 17.55	₹ 15.68
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	112343,91,20	102484,10,37
II. निवेशों पर आय	37087,76,73	31941,87,36
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	505,12,35	409,30,71
IV. अन्य	2460,27,14	1515,51,95
योग	152397,07,42	136350,80,39

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	13172,83,13	12611,29,65
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	3618,04,99	2279,40,50
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	-	(202,68,32)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(42,74,99)	(38,64,16)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	1935,95,56	1895,27,58
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	677,03,43	496,85,99
VII. वित्तीय पटटे से आय	5,75	2,57,65
VIII. विविध आय	3214,71,39	1508,82,75
योग	22575,89,26	18552,91,64

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	89148,45,02	78123,35,62
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	3972,04,27	5150,79,30
III. अन्य	4261,33,07	3794,48,33
योग	97381,82,36	87068,63,25

अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	23537,06,76	22504,27,73
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3406,94,48	2958,82,55
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	373,50,46	344,84,96
IV. विज्ञापन और प्रचार	284,63,61	278,25,69
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1116,49,32	1333,93,66
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	60,71	1,08,57
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	178,99,93	168,34,19
VIII. विधि प्रभार	191,62,37	192,55,28
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	656,82,87	673,51,37
X. मरम्मत और अनुरक्षण	545,07,28	434,00,14
XI. बीमा	1594,35,89	1468,43,71
XII. अन्य व्यय	6791,50,46	5367,77,28
योग	38677,64,14	35725,85,13

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर निरंतर संस्थान आधार पर तैयार किए गए हैं एवं वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंडों/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती है , के अनुरूप हैं .

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि का - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त है। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को ट्रेडिंग नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि, निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल विनिवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेंज फीस जो कि प्रोद्भवन आधार पर मान्य होते हैं, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभाजित किया जाता है, को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय को वसूली के बाद मान्य किया गया है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड एवं जमापत्र जारी करने के लिए भुगतान/खर्च की गई दलाली/कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को करती है, तो इसे अपने खातों से हटा देती है ।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है ।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान को आरबीआई की अनुमति के अनुसार राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1 निवेश :

सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि"(सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है।

सरकारी प्रतिभूतियों से इतर निवेशों को "सौदे की तिथि" (ट्रेड - डेट) पर दर्ज किया गया है।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित(एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी: क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को ऐतिहासिक लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है । (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानि बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है ।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है ।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य मे से प्रावधान घटा कर) और ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य को नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है । तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की

वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹.1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है । तथापि एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है । इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची -4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर") रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

अवमानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इनफ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ		
प्रतिभूत भाग	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
अप्रतिभूत भाग		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत / पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य का एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

4. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित और ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/ तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों । संविदा करते समय और आवधिक अंतरालों पर बचाव की प्रभावकारिता स्थापित की जाती है।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यता मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया

हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास/परिशोधन से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल न होने वाला कंप्यूटर सॉ फ्टवेयर	सीधी कटौती पद्धति	क्रय वर्ष में 100%
4	अन्य अचल आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	आस्ति अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर।

प्रमुख अस्थायी आस्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसर	60 वर्ष
वाहन-	5 वर्ष
सुरक्षित जमा लॉकर-	20 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर -	10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्तिकी रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को कर दी गई है। तथा परिणामी लाभ/हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर परिवर्तित कर दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुन: मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि को लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

1.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. **नियत हितलाभ योजना**

1. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार है। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान

किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि या ₹ दस लाख की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है । बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है । इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबन्धित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा औरं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

1.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बंधित देशों के स्थानीय विधियों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर:

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय-कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय-कर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन का परिणाम के फलस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है;

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस की आय करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा बेचता है। बैंक सोना जमा लेता है एवं उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमे भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (iii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनूसूची 18 :

लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी :

1. पूँजी अनुपात :

बेसल - II के अनुसार (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.10 %	9.98 %
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.69%	2.98 %
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात - (%)	12.79%	12.96 %

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.31%	9.59 %
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	9.60%	9.72 %
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.40%	2.72 %
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात - (%)	12.00%	12.44 %
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.60 %	58.60 %
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	4,37,45,98,250	4,37,45,98,250
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	2,970.00**	10,031.65
(viii)	अतिरिक्त टियर - 1(एटी1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पी एन सी पी एस	-	-
	ख) पी डी आई	-	-
(ix)	टियर - 2 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित		
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	2,000
	ख) प्रिफरेंस शेयर पूंजी लिखत :	-	-
	{बेमियादी संचयी प्रिफरेंस शेयर (पीसीपीपीएस)/ प्रतिदेय असंचयी प्रिफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी प्रिफरेंस शेयर (आरसीपीएस)		

* दिनांक 22.11.2014 से बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर कर दिया गया है.(अभिलेखित दिनांक: 21.11.2014)

** 1 अप्रैल 2015 को आबंटित शेयर (वर्तमान में एटी 1 के अंतर्गत विचाररत)

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को आबंटित प्रति शेयर ₹1 के 10,04,77,012 ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के संबंध में दिनांक 31.03.2015 को भारत सरकार से ₹2970 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें ₹2,959.95 करोड़ की प्रीमियम राशि शामिल है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन 01.04.2015 को किया गया।

ख) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने दिनांक 24 सितंबर 2014 को आयोजित बैठक में बैंक के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को ₹ 10/- प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1/- प्रति शेयर करने पर विचार किया और अनुमोदित किया और साथ ही जारी किए गए शेयरों की संख्या को यथानुपातिक आधार पर बढ़ाने के लिए अनुमोदन दिया। शेयरों को दिनांक 21 नवंबर 2014 को विभक्त किया गया।

ग) बैंक ने अधिकार निर्गम - 2008 के भाग स्वरूप जारी ₹ 1/- प्रत्येक के 830, 750 (पिछले वर्ष के ₹ 10 प्रत्येक के 83,075 इक्विटी शेयर) इक्विटी शेयरों का आबंटन प्रास्थगित कर दिया है क्योंकि उनके हक के संबंध विवादित अथवा निर्णयाधीन है ।

घ) शेयर जारी करने से संबंधित खर्च: निरंक (पिछले वर्ष ₹25.62 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते के नामे किया गया।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

क) विदेशी

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र टियर - I पूंजी के अंतर्गत आने वाले एवं बकाया आईपीडीआई का विवरण निम्नवत है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम की तिथि	अवधि	राशि	31 मार्च 2015 को समतुल्य ₹	31 मार्च 2014 को समतुल्य ₹
एमटीएन कार्यक्रम - 12वीं श्रृंखला* के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल 10.25 वर्ष	अमेरिकी डालर - 400 मिलियन	2,500.00	2,396.60
एमटीएन कार्यक्रम-14वींश्रृंखला# के अंतर्गत जारी बांड	26.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10 वर्ष 01 दिन	अमेरिकी डालर - 225 मिलियन	1,406.25	1,348.09
योग			अमेरिकी डालर - 625 मिलियन	3,906.25	3,744.69

* यदि बैंक 15 मई 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

यदि बैंक 27 जून 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

ये बांड असुरक्षित बांड है एवं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं। (एसजीएक्स- बॉन्डस बोर्ड)

ख) देशीय:

देशीय आईपीडीआई बकाया का विवरण निम्नलिखित है:

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर - I) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर - I) श्रृंखला - II	1,000.00	27.01.2010	9.05
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2007-08 एस बी आई एन श्रृंखला - VI (टियर - I)	165.00	28.09.2007	10.25
योग		**2,165.00***		

* वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बाज़ार से लिए गए ₹ 2,000 करोड़ शामिल है जिसमें से ₹ 550 करोड का निवेश एसबीआई कर्मचारी पेंशन फंड ने किया है इसे आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर -I पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है ।

4. गौण ऋण

बाँड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, लम्बी अवधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडिम योग्य होते हैं ।

बकाया गौण ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005 (निम्न टियर - II)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (उच्च टियर - II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड-2006 (II) (उच्च टियर - II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2006 (III) (उच्च टियर - II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180
5	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट बांड-2006 (IV) (उच्च टियर - II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (V) (उच्च टियर - II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006(VI) (उच्च टियर - II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (VII) (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180
9	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (VIII)(उच्च टियर-II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2006 (IX) (निम्न टियर -II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2007-08 (I)(उच्च टियर-II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
12	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2007-08 (II) (उच्च टियर-II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2008-09 (I) (उच्च टियर-II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
14	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड-2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
15	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2008-09(III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड 2008-09(V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2005-06 एसबीएस (श्रृंखला-I) (निम्न टियर II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2006-07 एसबीएस(श्रृंखला - II) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2005-06 एसबीआई एन(श्रृंखला-II)(निम्न टियर II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
21	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2005-06 एसबीआई एन(श्रृंखला –III)(निम्न टियर II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
22	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 -07 एसबीआई एन (श्रृंखला - IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
23	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 -07 एसबीआई एन (श्रृंखला - V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180
24	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008 -09 एसबीआई एन (श्रृंखला - VII)(उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
25	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला - I)	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
26	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला - II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
27	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर छ् अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला - 3)	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120
28	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला - 3)	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.30	120
29	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला - 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
30	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला - 4) का एस बी आई सार्वजनिक निर्गम	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
31	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड-2013-14 एस बी आई एन (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
योग		36,471.40			

18.2 निवेश :

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
I. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	4,64,903.63	3,75,190.53
(ख) भारत से बाहर	30,603.67	25,156.85
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	233.25	650.60
(ख) भारत से बाहर	246.65	897.21
iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	4,64,670.38	3,74,539.93
(ख) भारत से बाहर	30,357.02	24,259.64
2. निवेशों के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	1,547.81	1,098.44
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	168.29	1,337.20
iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	511.13	151.90
iv) जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मुल्यांकन समायोजन/वर्ष के दौरान उपयोगिता	33.29	38.02
v) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	758.36	773.95
vi) इति शेष	479.90	1,547.81

टिप्पणी :

क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों में उपयोग में लाई गई चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत ₹ 36,761 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25,852 करोड़) शामिल नहीं है।

ख) ₹ 13,779.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6,587.88 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि./एनएससीसीएल/एमसीएक्स/यूएसईआईएल के पास प्रतिभूति मार्जिन हेतु रखी गई हैं।

ग) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों में क्रमश: i) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ₹ 385.00 करोड़ (75.01% से 78.91%), ii) एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ₹ 310.80 करोड़ (74% तक) iii) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ₹ 752.00 करोड़ (100% तक) और एसबीआई(मॉरीशस) लिमिटेड ₹ 1.97 करोड़ (96.60% से 96.36%तक) की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई।

घ) बैंक ने ₹ 379.26 करोड़ की राशि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के अधिकार-निर्गम हेतु निवेश किया है जिसका आबंटन 31.03.2015 तक लंबित है।

ङ) बैंक ने ₹ 161.91 करोड़ की राशि पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया में दिसंबर 2014 को निवेश की है जिसका आबंटन 31.03.2015 तक लंबित है।

2. रेपो लेनदेन चलनिधि समायोजन सुविधा सहित (एलएएफ).:

वर्ष के दौरान रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो एलएएफ समेत के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	वर्ष के अंत में शेष राशि 31 मार्च 2015
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	- (-)	54,102.00 (60,000.00)	9,789.59 (19,082.92)	37,603.23 (54,102.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	- (442.80)	516.56 (2,166.74)	258.28 (496.99)	- (795.82)
प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	- (5.77)	22,010.12 (6,278.73)	2,434.51 (278.22)	- (-)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना :

बैंक के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी नियोजन की मात्रा	निवेश टियर से कम प्रतिभूतियों की मात्रा	बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों* की मात्रा	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों* की मात्रा
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	14,751.97 (12,885.97)	3,445.03 (2,383.19)	419.01 (571.62)	418.76 (714.96)	719.01 (829.48)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	15,395.58 (11,488.61)	8,484.47 (2,377.99)	- (-)	- (-)	200.00 (200.00)
(iii)	बैंक	22,060.06 (20,117.67)	9,963.70 (5,633.01)	798.34 (27.41)	- (-)	- (192.10)
(iv)	गैर सरकारी कारपोरेट	30,846.04 (20,360.19)	16,654.33 (4,922.74)	1,594.50 (184.09)	933.07 (1,143.91)	238.39 (126.37)
(v)	अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम **	9,785.06 (8,340.29)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(vi)	अन्य	25,014.41 (18,760.03)	- (-)	719.38 (119.34)	852.70 (499.09)	749.36 (375.77)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान	479.90 (1547.81)	- (-)	6.05 (-)	93.72 (337.13)	62.67 (-)
योग		1,17,373.22 (90,404.95)	38,547.53 (15,316.93)	3,525.18 (902.46)	2,110.81 (2,020.83)	1,844.09 (1,723.72)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

*इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हे रेटिंग/लिस्टिंग दिशा निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

अन्य में नाबार्ड के आरआईडीएफ जमा योजना के तहत जमा राशि ₹ 10,680.55 करोड़ (पिछला वर्ष ₹11,321.50 करोड़) एवं नाबार्ड के शहरी एवं ग्रामीण आवास फंड के तहत ₹ 2,588.09 करोड़ (पिछला वर्ष ₹1,141.60 करोड़) शामिल है ।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	935.24	1042.49
वर्ष के दौरान वृद्धि	48.11	206.11
वर्ष के दौरान कमी	581.63	313.36
इति शेष	401.72	935.24
रखे गए कुल प्रावधान	394.17	892.29

ग) एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

18.3 डेरीवेटिव्स :

क) वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि*	92,965.61	1,53,015.27
ii)	प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	1,945.78	2,830.11
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v)	विनिमय - बही का उचित मूल्य	996.24	987.06

*बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 14,072.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,926.36 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	19,014.13	888.23
2	31 मार्च 2015 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	2.00	2.00
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है.	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i) बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव-व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद-विक्रय का लेनदेन किया है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में विकल्प की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii) डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम अर्थात यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की “डेरीवेटिव्स नीति” में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि ,संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि, सीमाएं ग्राहक सटीकता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरें उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक वीएआर आधारित सीमाओं को आधार बनाने की प्रक्रिया में है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण -सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है।

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है। ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड - ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एमओआरसी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है और इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2014-15 की प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यत: आस्ति और देयताओं की बचाव - व्यवस्था हेतु किया जाता है।

vi. बचाव - व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले परस्पर मुद्रा - विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यत: विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमाराशियों की बचाव - व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं।

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम टियर के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादितॉ किए गए हैं। ।

(ख) मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र :

₹ करोड़ में

विवरण	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरीवेटिव्स				
(आनुमानिक मूल राशि)				
(क) बचाव - व्यवस्था के लिए	4,450.61 @	9,989.90@	69,056.07 #	60,742.05#
(ख) क्रय-विक्रय के लिए *	2,42,870.49	4,85,254.19	62,128.01	92,273.20
(II) बाजार के बही- मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	3,152.45	14,876.90	979.00	482.13
(ख) देयता	2,280.85	18,761.24	667.47	256.11
(III) ऋण जोखिम	11,206.42	27,578.81	3,774.49	3,907.81
(IV) ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	0.02	0.05	(92.42)#	(128.55)
(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	2.88	10.53	24.44	1.02
(V) वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
क) बचाव - व्यवस्था पर - अधिकतम	0	0.08	-79.11	49.11
- न्यूनतम	-0.03	0.00	-88.24	(130.06)
ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	6.22	16.49	0.38	59.00
- न्यूनतम	0.039	(1.70)	0.2225	(22.16)

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹8,486.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,040.52 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹ 14,072.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,926.36 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के बचाव - व्यवस्था के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

* बैंक के विदेशी कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। (करेंसी डेरिएटिव्स –₹ 7,757.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 531.58 करोड़) और ब्याज दर डेरिएटिव्स – ₹ 62.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.99 करोड़)

1. 31.03.2015 तक ग्लोबल मार्केटस् यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 30,379.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 21,552.45 करोड़) है औरं 31 मार्च 2015 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 14,995.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29,754.93 करोड़) है।
2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2015 तक विचाराधीन आस्ति /देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹129,113.66 करोड़ (₹ 74,877.22 करोड़) है।

18.4. आस्ति - गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	2.12%	2.57%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) अथशेष	61,605.35	51,189.39
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	29,435.02	41,216.67
उप-योग (I)	**91,040.37**	**92,406.06**
घटाएँ:		
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	3,776.15	10,183.27
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	9,235.42	7,734.94
(च) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	निरंक	निरंक
(छ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	21,303.46$	12,882.50
उप-योग (II)	**34,315.03**	**30,800.71**
(च) इति शेष (**I-II**)	56,725.34	61,605.35
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	31,096.07	21,956.48
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	9,504.61	22,293.57
(ग) वर्ष के दौरान कमी	13,010.10	13,153.98
(घ) इति शेष	27,590.58	31,096.07
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	30,509.28	29,232.91
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	19,930.41	18,923.10
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	21,304.93	17,646.73
(घ) इति शेष	29,134.76	30,509.28

अथ शेष एवं इति शेष में प्राप्त एवं स्थगित ईसीजीसी दावे शामिल है और बकाया समायोजन राशि क्रमश: ₹69.30 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 71.12 करोड़) एवं ₹ 62.64 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 69.30 करोड़) है।

$ एआरसी को बेचे गए कुल प्रतिफल ₹ 10,852.55 करोड़ जिसमें ₹ 4,294.60 करोड़ एनपीए शामिल हैं।

ख) पुनर्संरचित खाते

₹ करोड़ में

क्रम सं	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण											
	विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
1	1 अप्रैल 2014 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	110	13	40	3	166	483	35	78	9	605
			(105)	(10)	(30)		(145)	(326)	(51)	(127)	(3)	(507)
		बकाया राशि	21,134.61	836.09	5,066.44	499.74	27,536.88	3,834.26	251.71	1,209.96	86.17	5,382.10
			(14914.32)	(586.44)	(2119.60)		(17620.36)	(2064.70)	(450.71)	(522.11)	(0.34)	(3037.86)
		संबन्धित प्रावधान	1,636.32	60.34	520.73	0.10	2,217.49	117.21	22.89	169.89	0.04	310.03
			(1384.65)	(39.78)	(82.90)		(1507.33)	(106.89)	(66.20)	(52.92)		(226.01)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नया पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	47	4	8	-	59	97	29	20	1	147
			(48)	(6)	(7)	(1)	(62)	(254)	(24)	(62)		(340)
		बकाया राशि	8,208.93	839.32	648.19	-	9,696.44	1,616.65	194.15	364.74	1.14	2,176.68
			(11870.52)	(691.25)	(867.57)	(57.43)	(13486.76)	(2656.82)	(207.91)	(703.13)	(48.70)	(3616.55)
		संबन्धित प्रावधान	664.08	90.44	14.81	-	769.33	82.76	6.98	2.67	-	92.40
			(944.21)	(26.58)	(286.56)	(57.43)	(1314.78)	(75.20)	(19.05)	(98.34)	(-2.74)	(189.85)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की संख्या	5	-2	-3			2		-2		
			(1)	(2)	(-3)	(-)	(-)	(6)	(-4)	(-2)	(-)	(-)
		बकाया राशि	699.09	-38.09	-660.99			3.87	0.00	-3.87		
			(126.84)	(17.59)	(-144.43)			(50.25)	(-50.25)	(-)	(-)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	29.74	-1.49	-28.26							
			(0.58)	0.00	(-0.58)	(-)	(-)	(6.08)	(-6.08)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान और / या जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-20				-20	-68				-68
			(-9)				(-9)	(-10)				(-10)
		बकाया राशि	-1,800.54				-1,800.54	-243.42				-243.42
			(-388.15)				(-388.15)	(-35.76)				(-35.76)
		संबन्धित प्रावधान	-76.29				-76.29	-3.12				-3.12
			(-15.61)				(-15.61)	(-0.02)				(-0.02)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की संख्या	-16	-4	17	3		-90	39	43	8	
			(-26)		(24)	(2)	(-)	(-23)	(-4)	(20)	(7)	(-)
		बकाया राशि	-2,725.70	-268.98	2,517.19	477.49		-1,177.97	23.53	904.13	250.32	
			(-4830.76)	(-441.39)	(4829.84)	(442.30)	(-)	(-418.37)	(-73.51)	(454.73)	(37.15)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	-122.91	-12.37	87.62	47.66		-31.35	-10.32	24.32	17.35	
			(-353.14)	(-0.70)	(353.74)	(0.10)	(-)	(-49.08)	(-8.99)	(55.28)	(2.78)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की संख्या	-5	-4	-15	-4	-28	-109	-13	-32	-7	-161
			(9)	(5)	(18)		(32)	(70)	(32)	(129)	(1)	(232)
		बकाया राशि	-437.08	-368.57	-2,534.90	-499.74	-3,840.28	-707.83	-100.36	-272.82	-252.35	-1,333.36
			(558.17)	(17.79)	(2606.14)	(-)	(3182.10)	(483.36)	(283.16)	(470.01)	(0.02)	(1236.55)
		संबन्धित प्रावधान	-283.90	-33.03	-411.51	-0.10	-728.53	-43.64	-9.59	-125.10	-17.39	-195.73
			(324.37)	(5.31)	(201.89)	(57.43)	(589.00)	(21.86)	(47.29)	(36.66)	(-)	(105.81)
7	31 मार्च 2015 तक कुल पुनर्संरचित खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	121	7	47	2	177	315	90	107	11	523
			(110)	(13)	(40)	(3)	(166)	(483)	(35)	(78)	(9)	(605)
		बकाया राशि	25,079.31	999.76	5,035.94	477.49	31,592.49	3,325.56	369.03	2,202.13	85.28	5,982.00
			(21134.61)	(836.09)	(5066.44)	(499.74)	(27536.88)	(3834.26)	(251.71)	(1209.96)	(86.17)	(5382.10)
		संबन्धित प्रावधान	1,847.05	103.90	183.40	47.66	2,182.00	121.85	9.95	71.77	0.00	203.58
			(1636.32)	(60.34)	(520.73)	(0.10)	(2217.49)	(117.21)	(22.89)	(169.89)	(0.04)	(310.03)

क्रम सं	पुनर्संरचना के तरीके		अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण											
	विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
1	1 अप्रैल 2014 तक पुनर्संरचना खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	3,771	1,088	750	77	5,686	4,364	1,136	868	89	6,457
			(5213)	(676)	(411)	(49)	(6349)	(5644)	(737)	(568)	(52)	(7001)
		बकाया राशि	18,081.62	1,829.00	5,942.25	165.81	26,018.68	43,050.49	2,916.80	12,218.66	751.72	58,937.66
			(15248.66)	(1914.98)	(5236.83)	(52.17)	(22452.63)	(32227.68)	(2952.13)	(7878.54)	(52.51)	(43110.86)
		संबन्धित प्रावधान	662.79	173.87	283.00	3.66	1,123.32	2,416.31	257.10	973.62	3.81	3,650.84
			(487.40)	(81.20)	(742.99)	(3.55)	(1315.13)	(1978.94)	(187.17)	(878.81)	(3.55)	(3048.47)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नया पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	364	288	580	119	1,351	508	321	608	120	1,557
			(772)	(367)	(487)	(19)	(1645)	(1074)	(397)	(556)	(20)	(2047)
		बकाया राशि	14,711.51	374.93	1,343.34	469.19	16,898.97	24,537.09	1,408.40	2,356.27	470.33	28,772.09
			(10856.98)	(834.37)	(1270.04)	(64.97)	(13026.36)	(25384.32)	(1733.52)	(2840.73)	(171.10)	(30129.68)
		संबन्धित प्रावधान	713.32	16.16	302.36	47.07	1,078.90	1,460.15	113.58	319.84	47.07	1,940.63
			(464.39)	(168.76)	(378.88)	(1.17)	(1013.20)	(1483.81)	(214.39)	(763.78)	(55.86)	(2517.83)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की संख्या	7	-3	-3	-1		14	-5	-8	-1	
			(66)	(-57)	(-9)	(-)	(-)	(73)	(-59)	(-14)	(-)	(-)
		बकाया राशि	273.81	-229.23	-0.05	-44.52	0.00	976.76	-267.32	-664.92	-44.52	
			(288.60)	(-13.18)	(-275.43)	(-)	(-)	(465.69)	(-45.84)	(-419.86)	(-)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	0.00	1.17	-1.17			29.74	-0.32	-29.43	0.00	
			(26.23)	(0.15)	(-26.08)	(-)	(-)	(32.89)	(-6.23)	(-26.66)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान और / या जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-385				-385	-473				-473
			(-74)				(-74)	(-93)				(-93)
		बकाया राशि	-1,301.54				-1,301.54	-3,345.50				-3,345.50
			(-3604.84)				(-3604.84)	(-4028.75)				(-4028.75)
		संबन्धित प्रावधान	-34.20				-34.20	-113.61				-113.61
			(-5.48)				(-5.48)	(-21.11)				(-21.11)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की संख्या	-1,112	465	302	345		-1,218	500	362	356	
			(-950)	(583)	(351)	(16)	(-)	(-999)	(579)	(395)	(25)	(-)
		बकाया राशि	-2,429.70	-285.92	2,479.08	236.53		-6,333.37	-531.37	5,900.40	964.34	
			(-2986.85)	(188.84)	(2616.86)	(181.15)	(-)	(-8235.98)	(-326.06)	(7901.43)	(660.61)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	-58.40	0.24	54.22	3.94		-212.65	-22.45	166.16	68.95	
			(-88.79)	(-28.57)	(108.72)	(8.65)	(-)	(-491.01)	(-38.26)	(517.75)	(11.53)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की संख्या	-1,969	-565	-278	-77	-2,889	-2,083	-582	-325	-88	-3,078
			(1256)	(481)	(490)	(7)	(2234)	(1335)	(518)	(637)	(8)	(2498)
		बकाया राशि	-1,897.74	-917.96	-4,624.50	-521.74	-7,961.95	-3,042.65	-1,386.89	-7,432.22	-1,273.83	-13,135.59
			(1720.94)	(1096.01)	(2906.05)	(132.48)	(5855.47)	(2762.47)	(1396.96)	(5982.19)	(132.50)	(10274.12)
		संबन्धित प्रावधान	-187.81	-178.86	-499.44	-48.93	-915.04	-515.35	-221.48	-1,036.05	-66.43	-1,839.30
			(195.76)	(47.36)	(946.72)	(9.69)	(1199.54)	(541.99)	(99.96)	(1185.28)	(67.12)	(1894.36)
7	31 मार्च 2015 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	676	1,273	1,351	463	3,763	1,112	1,370	1,505	476	4,463
			(3771)	(1088)	(750)	(77)	(5686)	(4364)	(1136)	(868)	(89)	(6457)
		बकाया राशि	27,437.97	770.82	5,140.13	305.27	33,654.17	55,842.83	2,139.61	12,378.20	868.03	71,228.67
			(18081.62)	(1829.00)	(5942.25)	(165.81)	(26018.68)	(43050.49)	(2916.79)	(12218.66)	(751.72)	(58937.66)
		संबन्धित प्रावधान	1,095.69	12.58	138.97	5.73	1,252.98	3,064.59	126.43	394.14	53.39	3,638.56
			(688.00)	(173.87)	(257.78)	(3.66)	(1123.32)	(2441.53)	(257.10)	(948.40)	(3.81)	(3650.84)

टिप्पणी:

1. वर्ष के दौरान विद्यमान पुनर्संरचित ऋणियों को ₹ 6986.70 करोड़ की अतिरिक्त संस्वीकृति दी गयी है।
2. बकाया राशि में हुई ₹ 3,491.65 करोड़ की वृद्धि नई ऋण राशि में शामिल की गई है।
3. ₹ 3794.15 करोड़ की बंदी और ₹3,827.03 करोड़ की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
4. योग के कालम में उच्च प्रावधानीकरण हेतु अंतरित मानक आस्तियां शामिल नहीं की गयी है।

ग) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए स्टॉक का विवरण एवं उन पर की गई वसूलियाँ :

₹ करोड़ में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	निरंक	निरंक
ii) योग: तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	निरंक	निरंक
iii) उप योग (क)	निरंक	निरंक
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	निरंक	निरंक
v) 31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	निरंक	निरंक

घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	5,904	255
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसा) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	6,981.42	1,487.52
iii) समग्र प्रतिफल	4,406.07	1,604.92
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / (हानि)#	(2,575.35)	117.40

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

इसमें ₹ 7.52 करोड़ का मान्य ब्याज शामिल है।

ङ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेची गई अनर्जक आस्तियों की एवज में निवेश की गई प्रतिभूति रसीदों का विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	बैंक द्वारा अंतर्निहित स्वरूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		अंतर्निहित स्वरूप में अन्य बैंकों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित स्वरूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		योग	
	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
31 मार्च 2015 तक प्रतिभूति प्राप्ति में निवेशों का बही-मूल्य	1,427.26	4,703.28	29.37	30.07	1,456.63	4,733.35
वर्ष के दौरान प्रतिभूति प्राप्ति में किए निवेशों का बही-मूल्य	1,311.90	3,337.48	0.98	2.05	1,312.88	3,339.53

च) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेची गई अनर्जक आस्तियों की एवज में निवेश की गई प्रतिभूति रसीदों का विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 को
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तीत	177.42

छ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा:

₹ करोड़ में

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ज) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1) बिक्री किए गए खातों की संख्या	1,825	236
2) कुल बकाया राशि	10,852.55	3,725.90
3) कुल प्रस्तावित मूल्य प्रतिफल	4,294.60	1,672.98

झ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

विवरण	**31मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार**
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	9,018.36	6,575.43

ञ) व्यवसाय अनुपात

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.61%	7.57%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.13%	1.03%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.94%	1.78%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ*	0.68%	0.65%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	12.34	10.64
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	602.00	485.47

* (निवल आस्ति आधार पर)

ट) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

₹ करोड़ में

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 मास	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	57,851.81	26,454.56	18,078.37	26,277.89	93,336.98	1,39,455.40	2,28,347.53	3,74,749.76	1,68,526.42	4,43,714.53	15,76,793.25
	(79,195.61)	(31,805.04)	(25,840.40)	(26,421.54)	(88,873.24)	(1,04,788.39)	(1,88,422.31)	(2,92,956.16)	(1,48,532.17)	(4,07,573.64)	(13,94,408.50)
अग्रिम	93,953.48	6,324.43	11,181.43	16,981.77	68,614.55	73,835.91	85,919.15	6,42,058.59	1,27,338.29	1,73,818.79	13,00,026.39
	(1,29,202.87)	(7,791.49)	(13,189.69)	(7,071.30)	(41,231.15)	(42,066.55)	(68,304.91)	(5,60,674.65)	(1,30,009.54)	(2,10,286.57)	(12,09,828.72)
निवेश	0.00	829.89	3,679.12	6,646.84	17,213.44	15,488.30	22,612.72	69,509.35	82,072.36	2,76,975.38	4,95,027.40
	(32.25)	(219.80)	(138.78)	(7,597.95)	(15,528.10)	(5,819.14)	(17,899.02)	(52,850.51)	(81,912.51)	(2,16,801.51)	(3,98,799.57)
उधार-राशियाँ	11,052.35	14,325.60	3,967.91	14,275.11	43,859.71	24,441.00	19,666.56	20,958.59	16,620.43	35,983.03	2,05,150.29
	(1,573.81)	(12,195.05)	(5,335.61)	(5,803.97)	(33,984.67)	(21,323.88)	(27,551.44)	(23,574.78)	(19,617.62)	(32,170.05)	(1,83,130.88)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ #	81,569.01	1,910.62	2,541.70	7,449.89	17,120.90	28,290.16	21,562.61	49,095.23	44,185.46	39,850.95	2,93,576.53
	(91,335.00)	(1,933.42)	(2,066.88)	(4,470.93)	(15,883.68)	(11,369.86)	(17,891.03)	(44,682.10)	(40,029.55)	(37,356.73)	(2,67,019.18)
विदेशी मुद्रा देयताएँ $	33,991.88	14,174.37	4,943.86	17,085.47	52,563.89	34,153.04	39,677.83	52,273.23	34,428.42	7,999.68	2,91,291.67
		(13,613.23)	(3,956.01)	(9,385.88)	(47,340.79)	(20,377.06)	(46,983.85)	(49,453.36)	(32,992.43)	(2,274.94)	(254,177.12)

विदेशी मुद्रा आस्तियां, अग्रिम एवं निवेश (उनकी प्रावधान राशि घटाने के बाद) को दर्शाता है।

$ विदेशी मुद्रा देयताएं, ऋण एवं जमा को दर्शाता है।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2014 के हैं)

18.5 ऋण-जोखिम

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	1,83,082.23	1,56,145.83
ऋण जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है यथा आवासीय संपत्ति प्राप्त हैं या प्राप्त होंगी या जो किराए पर हैं।	1,83,082.23	1,56,145.83
-जिनमें से आवासीय इकाई खरीदने के लिए प्रति परिवार महानगरी क्षेत्रों (10 लाख से कम की जनसंख्या वाले) में ₹ 25 लाख तक एवं अन्य केंद्रों में ₹ 15 लाख तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में गिने जाएंगे	94,330.55	69,270.80
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन , खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम क्षेत्र, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि गैर-निधि आधारित सीमा भी एक्सपोजर में शामिल है।	20,761.65	17,503.82
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में निवेश:	614.48	714.76
क) आवासीय	603.28	453.77
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	11.20	260.99
ख) अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	18,930.16	16,799.84
कुल	2,23,388.52	1,91,164.25

ख) पूंजी बाजार

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट - ऋण में निवेश नहीं किया गया है,	3,727.32	3,087.02
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आइपीओ/इएसओपी सहित) परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	8.11	5.04
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	7,358.66	3,191.71
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	308.13	133.55
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	26.87	20.47

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
6)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	285.76	420.77
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	निरंक	निरंक
8)	शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	निरंक	निरंक
9)	शेयरदलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.34	0.41
10)	उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित ऋण -जोखिम (पंजीकृत तथा गैर -पंजीकृत दोनों)	1,873.05	1,172.90
पूंजी बाजार में कुल ऋण -जोखिम		13,588.24	8,031.87

ग) जोखिम श्रेणीवार देशगत जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (निवल फंडेड) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

₹ करोड़ में

जोखिम श्रेणी	ऋण-जोखिम (निवल)		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	1.68	निरंक	निरंक	निरंक
बहुत कम	52,107.06	38,952.89	56.89	निरंक
कम	883.78	240.69	निरंक	निरंक
मध्यम कम	26,774.43	31,557.39	निरंक	21.98
मध्यम	3,148.82	3,413.04	निरंक	निरंक
अधिक	5,790.96	1,085.53	निरंक	निरंक
अत्यधिक	2,296.82	1,938.39	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	3,390.41	2,397.95	निरंक	निरंक
ऋण अयोग्य	0	निरंक	निरंक	निरंक
योग	94,393.96	79,585.88	56.89	21.98

घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण - जोखिम सीमा का ब्योरा :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिए :

₹ करोड़ में

उधारकर्ता का नाम	ऋण-जोखिम की उच्चत्तम सीमा	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल)$	35,037.66	40,019.17	अप्रैल 2014 to सितंबर 2014	17,499.24
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल)	21,022.60	25,012.78	जून 2014 to मार्च 2015	20,694.75
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	21,022.60	24,164.15	जून 2014 to मार्च 2015	17,404.42

टिप्पणी :-

विवेकपूर्ण मानदंड से 5% अतिरिक्त का ऋण जोखिम, आईओसीएल, बीएचईएल एवं आरआईएल पर किया गया है जो कि बैंक को आरबीआई द्वारा प्रदत विवेकाधिकार के तहत है, तथा इसमें किसी विवेकपूर्ण मानदंड का उल्लंघन नहीं है।

$ आरबीआई ने आईओसीएल द्वारा लिए गए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 6250 करोड़) को विवेक पूर्ण ऋण जोखिम नियमों के अंतर्गत नहीं रखा है, जो अन्यथा इस ऋण में शामिल है। ₹ 6250 करोड़ को अलग करने के बाद आईओसीएल का ऋण जोखिम ₹ 34,325 करोड़ रह गया है जो बैंक पूंजीगत निधि का 24.49% है।

वर्ष 2014-15 के दौरान सभी उधारकर्ता समूहों के ऋण जोखिम विवेकपूर्ण मानदंड के तहत आते हैं।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	2,59,109.61	1,99,057.88
i)	इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर,लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	5,832.72	5,654.07
ii)	इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर (i) के अनुसार)	6,005.01	24,391.94

18.6. विविध :

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटन

निरंक (पिछले वर्ष ₹ 3.00 करोड़)

प्रूडेंनसियल कंट्रोल एंड रेसोल्यूशन, पेरिसर, फ्रांस के प्राधिकारी द्वारा, यूरो 300,000 का अर्थदंड एसबीआई की पेरिस शाखा पर लगाया गया है।

ख) एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थदंड

बैंक पर एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.7 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) लेखा नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव

स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास नीति

वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों पर अवमूल्यन की पद्धति को स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) के अनुसार परिवर्तित किया गया है जो उपयोगी जीवन चक्र के आधार पर निर्धारित होता है। जब कि पूर्व में आयकर दर के साथ डब्लूडीवी मेथड का प्रयोग किया जाता था। इस परिवर्तन के बाद पूर्व अवधि की ₹ 465.22 करोड़ की मूल्यह्रास अतिरिक्त पायी गयी और इस वर्ष के लिए प्रभारित की गई मूल्यह्रास ₹ 44.46 करोड़ से अधिक है। परिणामस्वरूप, स्थायी आस्तियां और कर से पूर्व लाभ ₹ 420.76 करोड़ से अधिक है।

ख) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1.क) पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

कर्मचारी की पेंशन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	45,236.99	39,564.21	6,838.07	7,050.57
वर्तमान सेवा लागत	897.53	872.37	108.88	151.79
ब्याज लागत	4,193.47	3,362.96	639.36	581.67
पूर्व सेवा लागत(निहित लाभ)	-	-	-	-
एक्चुरियल हानि (लाभ)	4,537.90	4,200.33	533.18	(135.41)
संदत्त लाभ	(1,346.63)	(58.67)	(937.14)	(810.55)
बैक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(1,903.22)	(2,704.21)	-	-
31 मार्च 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6,838.07
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	42,277.01	35,017.57	7,090.59	6,549.31
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,678.10	3,011.51	616.88	569.79
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2493.62	3,971.20	233.88	758.17
प्रदत्त हितलाभ	(1,346.63)	(58.67)	(937.14)	(810.55)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,285.87	335.40	106.04	23.87
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7,090.59
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6,838.07
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7,090.59
कमी/(अधिशेष)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6,838.07
आस्तियाँ	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7,090.59
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएं/आस्तियां	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	897.53	872.37	108.88	151.79
ब्याज लागत	4,193.47	3,362.96	639.36	581.67
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(3,678.10)	(3,011.51)	(616.88)	(569.79)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) इतिशेष	-	-	-	200.00
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) इतिशेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	2,252.03	3,864.93	427.14	(159.28)
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	3,664.93	5,088.75	558.50	204.39
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,678.10	3,011.51	616.88	569.79
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,285.87	335.40	106.04	23.87
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	5,963.97	3,346.91	722.92	593.66
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	2,959.98	4,546.64	(252.52)	301.26
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3,664.93	5,088.75	558.50	204.39
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(1,903.22)	(2,704.21)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित निधि में मान्य	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,493.62)	(3,971.20)	(233.88)	(758.17)
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना- आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.53	24.34
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.45	17.66
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	41.15	32.54
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-	22.23
अन्य	3.87	3.23
योग	100.00	100.00

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21%	9.27%	8.21%	9.35%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	3,889.14	5,817.19	6,462.82	7,050.57	6,838.07	7,182.35
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,811.28	4,102.25	5,251.79	6,549.31	7,090.59	7,110.25
अंतर	77.86	1,714.94	1,211.03	501.26	(252.52)	72.10
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	400.00	300.00	200.00	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	77.86	1,314.94	911.03	301.26	(252.52)	72.10

एक्सपिरियंस समायोजन

तुलन - पत्र में ली गई राशि:	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	(0.40)	879.37	367.64	459.56	210.19	(24.69)
योजना आस्ति पर लाभ/ (हानि)	7.89	1.94	32.58	62.46	23.87	106.04

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	21,715.61	33,879.30	36,525.68	39,564.21	45,236.99	51,616.04
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14,714.83	16,800.10	27,205.57	35,017.57	42,277.01	49,387.97
अंतर	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07

एक्सपिरियंस समायोजन

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ) / हानि	5,252.37	1,188.70	1,677.80	345.90	7,709.67	1,732.86
योजना आस्ति (हानि) / लाभ	233.12	282.65	130.16	419.58	335.40	2,285.87

ख) भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है, लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।

ग) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक ने योजना आस्तियों का मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में उचित मूल्य से बही मूल्य नीति का पालन किया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप योजना आस्तियों का मूल्य पेंशन योजना के संदर्भ में ₹ 2069 करोड एवं ग्रैचुइटी निधि के संदर्भ में ₹ 113.87 करोड की वृद्धि हुई है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन, कोई भी देयता प्रतिबद्धता नहीं दिखाता। अत: वित्तीय वर्ष 2014 -15 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दिखाया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	21,804.39	20,742.83
वर्तमान सेवा लागत	527.14	529.53
ब्याज लागत	1869.09	1,838.65
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	661.66	656.87
बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-
संदत्त लाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
31 मार्च 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	22,498.51	21,804.39
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	22,366.42	21,223.41
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,869.09	1,838.65
अंशदान	1,188.80	1,186.40
प्रदत्त हितलाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	137.28	81.45
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष		
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान	23,197.82	22,366.42
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य		
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	22,498.51	21,804.39
कमी/(अधिशेष)	23,197.82	22,366.42
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	(699.31)	(562.03)
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत	699.31	562.03
वर्तमान सेवा लागत		
ब्याज लागत	527.14	529.53
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1869.09	1,838.65
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	(1,869.09)	(1,838.65)
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	-	-
तुलन पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान	527.14	529.53
1 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ		
उपरोक्तानुसार व्यय	-	-
नियोक्ता का अंशदान	527.14	529.53
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	(527.14)	(529.53)

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि के योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.62
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.88
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	0.14
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बांड	36.05
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-
अन्य	4.31
योग	100.00

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21%	9.35%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%

ii. नियत अंशदान योजना

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार की देखरेख में किया जाएगा। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014 - 15 में ₹ 145.51 करोड़ का अंशदान दिया है (पिछले वर्ष ₹ 115.25 करोड़ था)

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ

₹ 636.97 करोड़ (पिछले वर्ष (-) ₹ 164.29 करोड़) की राशि का प्रावधान दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का ₹ करोड़ में

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश (नकदीकरण)	677.02	366.46
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	(51.00)	(33.11)
3	अस्वस्थता अवकाश	-	(392.42)
4	रजत जयंती अवार्ड	1.71	(22.99)
5	अधिवर्षता पर पुनर्निपटान व्यय	6.22	(2.07)
6	आकस्मिक अवकाश	-	(82.55)
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	3.02	2.39
योग		636.97	(164.29)

ग) खंड सूचना

1. खंड अभिनिर्धारण

i) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i) **कोष -** कोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. कोष खंड की आय मूलत: व्यापार-परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो का ब्याज-आय पर आधारित है.

ii) **कारपोरेट/थोक बैंकिंग-**कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण-गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं.

iii) **खुदरा बैंकिंग-**खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

iv) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय -** जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. कोषीय एवं कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है।

IV) व्यय , आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/ सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं. बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अत: इन्हें अनाबंटित टियर में रखा गया है।

2. खंड सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	कोष	कारपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
राजस्व #	41,095.95	61,445.90	71,248.38	-	1,73,790.23
	(34,763.95)	(54,180.43)	(65,543.48)	(-)	(1,54,487.86)
अनाबंटित राजस्व #					1,182.73
					(415.86)
कुल राजस्व					1,74,972.96
					(1,54,903.72)
परिणाम #	7,554.38	-308.47	14,758.80	-	22,004.71
	(2800.61)	(884.27)	(15,762.74)	(-)	(19,447.62)
अनाबंटित आय (+)/ व्यय(-) -निवल#					-2,690.75
					(-3273.73)
परिचालन लाभ #					19313.96
					(16,173.89)
कर #					6,212.39
					(5,282.72)
असाधारण लाभ #					-
					-
निवल लाभ #					13,101.57
					(10,891.17)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियाँ*	5,12,933.07	7,83,222.15	7,35,200.07	-	20,31,355.29
	(4,23,098.66)	(7,07,907.27)	(6,45,978.57)	(-)	(17,76,984.50)
अनाबंटित आस्तियाँ*					16,724.51
					(15,763.79)
कुल आस्तियाँ*					20,48,079.80
					(17,92,748.29)
खंड देयताएँ*	3,08,334.71	6,88,172.53	8,68,722.52	-	18,65,229.76
	(2,14,629.31)	(6,20,852.90)	(7,87,170.47)	(-)	(16,22,652.68)
अनाबंटित देयताएँ*					54,411.81
					(51,813.36)
कुल देयताएँ *					19,19,641.57
					(16,74,466.04)

(कोष्ठकों मे दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

₹ करोड़ में

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय #	1,64,304.43	1,45,647.12	9,485.80	8,840.74	1,73,790.23	1,54,487.86
परिणाम #	17,746.10	16,377.14	4,258.61	3,070.48	22,004.71	19,447.62
आस्तियाँ *	17,47,311.56	15,25,258.51	3,00,768.24	2,67,489.78	20,48,079.80	17,92,748.29
देयताएँ *	16,18,873.33	14,06,976.26	3,00,768.24	2,67,489.78	19,19,641.57	16,74,466.04

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार

घ) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई(मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआइ लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
6. एसबीआईकैप ट्रस्टी कं. लि.
7. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सेकुरीटीज सर्वीसेज प्रा.लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (यूके) लि.
2. एसबीआईफंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी हन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंटफंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा.लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंटफंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मेघालय ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंकर
10. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. मरुधरा ग्रामीण बैंक (31.03.2014 तक)
16. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (दिनांक 01.04.2014 से एसबीबीजे द्वारा प्रायोजित मरुधरा ग्रामीण बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक के विलय द्वारा निर्मित)
17. तेलंगाना ग्रामीण बैंक (20.10.2014 से) (पूर्ववर्ती डेक्कन ग्रामीण बैंक)
18. कावेरी ग्रामीण बैंक
19. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (30.04.2014 तक)
3. श्री ए. कृष्ण कुमार,
   - ➢ प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (16.04.2014 तक)
   - ➢ प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (अतिरिक्त कार्यभार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)(01.05.2014 से 16.07.2014 तक)
   - ➢ प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (17.04.2014 से 30.11.2014 तक)
4. श्री एस विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (30.04.2014 तक)
5. श्री पी प्रदीप कुमार,
   - ➢ प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (अतिरिक्त कार्यभार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (01.05.2014 से 16.07.2014 तक)
   - ➢ प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)
6. श्री वी जी कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (17.07.2014 से)
7. श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (17.07.2014 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "सरकार - नियंत्रित उद्यम" रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

3. लेनदेन और शेष राशियाँ:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
क) 31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा राशि	35.80	-	35.80
	(95.32)	(-)	(95.32)
अन्य देयताएं	0.02	-	0.02
	(0.82)	(-)	(0.82)
बैंकों में शेष	2.12	-	2.12
	(-)	(-)	(-)
अग्रिम	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
निवेश	41.55	-	41.55
	(41.55)	(-)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	-	-	-
		(-)	(-)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
ख) वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा राशि	57.06	-	57.06
	(100.75)	(-)	(100.75)
अन्य देयताएं	0.02	-	0.02
	(0.82)	(-)	(0.82)
बैंकों में शेष	5.94	-	5.94
	(-)	(-)	(-)
अग्रिम	-	-	-
	(2.02)	(-)	(2.02)
निवेश	41.55	-	41.55
	(41.55)	(-)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	-	-	-
		(-)	(-)
ग) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
आय- ब्याज	-	-	-
	(0.02)	(-)	(0.02)
खर्च-ब्याज	2.78	-	2.78
	(4.00)	(-)	(4.00)
लाभांश से अर्जित आय	33.82	-	33.82
	(12.24)	(-)	(12.24)
अन्य आय	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
अन्य व्यय	3.09	-	3.09
	(-)	(-)	(-)
भू-भाग/भवन और अन्य आस्तियां की बिक्री पर लाभ/(हानि)	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
प्रबंधन संविदाएँ	-	1.03	1.03
		(1.08)	(1.08)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी का लेनदेन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है.

ङ) परिचालन पट्टे हेतु देयताएं :

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात् नहीं	191.05	135.06
1 वर्ष के पश्चात और 5 वर्षों के पश्चात नहीं	674.79	434.85
5 वर्षों के पश्चात	178.17	109.27
योग*	1044.01	679.18
वर्ष के लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा भुगतान की राशि	1659.09	153.90

परिचालन पट्टों में पहले कार्यालय परिसर तथा स्टाफ आवास, जिनका बैंक के विकल्पानुसार नवीकरण किया जाना है, शामिल हैं.

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टे के संबंध में

च) प्रति शेयर उपार्जन* :

बैंक ने लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर "मूल आय" की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरम्भ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	684,03,39,710
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	0	62,53,91,210
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	746,57,30,920
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	6,94,78,39,100
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	7,46,60,06,199	6,94,78,39,100
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	13,101.57	10,891.17
प्रति शेयर मूल आय (₹)	17.55	15.68
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	17.55	15.68
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1	1

*बैंक शेयर के अंकित मूल्य को दिनांक 22.11.2014 से ₹10 से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर कर दिया गया है।

सभी शेयर और प्रति शेयर सूचना प्रस्तुत करने की प्रत्येक अवधि हेतु उपविभाजन का प्रभाव दर्शाती है।

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना दिनांक 1 अप्रैल 2015 को आबंटिन इक्विटी शेयरो के लिए प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर की गई है।

छ) आय पर कर का लेखांकन

i) वर्तमान कर :

वर्तमान कर के रूप बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 6,719.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4,359.75 करोड़) नामे किए हैं । भारत में वर्तमान कर की गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान कर में उपयुक्त कर छूट ली गई है।

ii) आस्थगित कर

क) वर्ष के दौरान आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹477.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1055.25 करोड़ नामे किया गया) नामे किया गया।

iii) बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹ 1,987.14 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹2,837.84 करोड़) है, जिसमें ₹2,353.12 करोड़ सम्मिलित है) अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत रखा गया है। (डीटीए) अन्य आस्तियों में ₹365.98 करोड़ शामिल है। प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण नियत हितलाभ योजना के लिए प्रावधान	451.63	72.05
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,831.55	1,235.19
प्रावधान/निर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियां के लिए अतिरिक्त प्रावधान/आरबीआई के निर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड के तहत मानक आस्तियां	1,132.65	516.43
विदेशी कार्यालयों के कारण निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)	364.19	511.82
योग	3,780.02	2,335.49

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	155.22	8.56
प्रतिभूतियों पर ब्याज*	3,286.61	3,280.02
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष रिजर्व निर्मित	2,325.33	1,884.74$
योग	5,767.16	5,173.32
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	(1,987.14)	(2,837.83)

* आयकर खाता में अंतरित ₹ 371.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 336.62 करोड़ आयकर खाता से अंतरित) शामिल है।

$ भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार राजस्व एवं अन्य आरक्षितों से ₹1,525.13 करोड़ का अंतरण भी शामिल हैं।

ज) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹ 38.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.28 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	9.44 (9.44)	भारत	40%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	0.78 (0.78)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए शेयर के आधार पर कम्पनी ने 100% प्रावधान किया है (वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए अतिरिक्त निवेश को छोड़कर) (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 15 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 14 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	159.14	130.61
जमाराशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	8.15	10.91
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	76.93	109.30
योग	244.22	250.82
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमाराशियाँ	-	-
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	96.36	111.79
निवेश	9.69	0.65

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 15 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 14 की स्थिति के अनुसार
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	35.75	42.03
अन्य आस्तियाँ	102.42	96.35
योग	244.22	250.82
पूँजी वायदे		
अन्य आकस्मिक देयताएँ	3.51	2.95
आय		
अर्जित ब्याज	6.09	6.13
अन्य आय	285.04	249.15
योग	291.13	255.28
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1.23	1.52
परिचालन व्यय	223.70	198.54
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	18.73	13.97
योग	243.66	214.03
लाभ	47.47	41.25

झ) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू होती हो।

ञ) आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखा मानक 29)

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा. बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का भी एक पक्ष है.
2	अंशत: प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि पर देयताएँ	यह मद अंशत: चुकता निवेशों की चुकाने हेतु शेष राशि के प्रति देयता दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं ।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य कार्य-व्यवसाय के भाग स्वरूप विदेशी विनिमय संविदाएं करता है जिसमें विदेशी मुद्रा को भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। आनुमानिक राशियों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय बैंक सामान्य तौर पर अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसके फलस्वरूप बकाया लेनदेनों की संख्या में वृद्धि होती है। अत: पोर्टफोलिओ की सकल आनुमानिक पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बनता है जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।

4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक सहभागिता से मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। मुद्रा विनिमय पूर्वनिर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/पूंजी को एक मुद्रा में से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के नकदी प्रवाहों की प्रतिबद्धताएं है। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई आनुमानिक राशि को संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि खाता के अंतर्गत बैंक की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्धृत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ट) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	327.31	256.21
वर्ष के दौरान वृद्धि	206.59	87.59
वर्ष के दौरान कमी	90.32	16.49
इति शेष	443.58	327.31

18.8 अतिरिक्त प्रकटन

i. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	6,719.11	4,359.74
- आस्थगित कर	(477.56)	1,055.25
- आय कर/फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	(39.16)	(142.28)
- अन्य कर	10.00	10.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(590.07)	563.25
प्रतिचक्रीय बफर से आहरण	(382.00)	(750.00)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	16,863.64	14,478.45
पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	802.65	495.12
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,435.37	1,260.69
अन्य प्रावधान	469.95	(112.16)
योग	25,811.93	21,218.06

2. अस्थायी प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	25.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इति शेष	25.14	25.14

3) **आरक्षितियों से आहरण :**

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आयकर अधिनियम के धारा 36(1) (viii) के अधीन बनाए गए विशेष आरक्षित निधि से संबंधित आस्थिगत कर देयताएँ	-	1,525.13

4. **शिकायतों की स्थिति :**

क) ग्राहक शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	21,413	32,705
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16,34,042	15,03,638
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	16,24,559	15,14,930
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	30,896	21,413

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	9	28
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	39	63
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	33	82
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	15	9

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित मूलधन या ब्याज के भुगतान के कारण दायर किए गए मामलों की कोई सूचना नहीं है।

6. **अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :**

बैंक ने अपने अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2015 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि ₹ 715.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1914.97 करोड़) रही. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं।

7. **प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर):**

31 मार्च 2015 तक बैंक का अर्नजक आस्तियां अनुपात हेतु 69.13% प्रावधानीकरण किया गया है। (पिछला वर्ष 62.86%)

8. **बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक**

₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	281.16	222.05
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	62.86	48.41
मनु लाइफ फाइनंसियल लि. एवं (एनटीयूसी)	0.57	0.61
टोकियो मैरिन, एसीई	0.21	1.52
योग	344.80	272.59

9. **जमाराशियों/अग्रिमों तथा जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का क्रेंद्रीकरण**

क. जमाराशियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	1,01,148.22	1,03,157.26
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.41%	7.40%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	2,06,512.83	2,22,862.28
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	15.46%	17.90%

ग) ऋण - जोखिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण - जोखिम	3,45,152.13	3,32,789.45
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण - जोखिम का प्रतिशत	15.88%	16.88%

घ) अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	1,839.51	4,782.78

10 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

₹ करोड़ में

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,12,752.88	10,216.74	9.06	1,09,783.93	10,327.11	9.41
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	65,699.72	7,087.13	10.79	65,688.11	4,174.09	6.35
3	सेवाएं	26,146.41	1,699.94	6.50	26,803.49	2,424.62	9.05
4	वैयक्तिक ऋण	90,352.32	1,202.51	1.33	80,907.18	1,659.29	2.05
	उप-योग (क)	2,94,951.33	20,206.32	6.85	2,83,182.71	18,585.11	6.56
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	5,024.05	199.91	3.98	20,282.48	224.86	1.11
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	7,54,514.38	31,167.29	4.13	9,36,507.69	34,566.58	3.69
3	सेवाएं	1,75,822.54	4,017.66	2.29	1,54,668.80	6,977.35	4.51
4	वैयक्तिक ऋण	1,93,469.42	1,152.20	0.60	1,74,799.43	1,679.34	0.96
	उप-योग (ख)	11,28,830.39	36,537.06	3.24	12,86,258.40	43,448.13	3.38
ग	**योग (क) + (ख)**	14,23,781.72	56,743.38	3.99	15,69,441.11	62,033.24	3.95

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,00,768.24	2,67,489.78
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	2,618.65	3,786.64
3	कुल राजस्व	9,485.80	8,840.74

12. तुलनपत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	संख्या	राशि
1	प्रतिभूतिकरण लेन - देन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम	निरंक	निरंक
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम	निरंक	निरंक
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
4	एमएमआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेन - देन से संबंधित जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम		
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	निरंक	निरंक
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम		
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम	निरंक	निरंक
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम		
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम		
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		

ग . ऋण चूक स्वैप

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किए गए				
	क) वर्तमान वर्ष से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) पिछले वर्ष से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
4	पिछले वर्ष इसी तारीख से सीडीएस लेनदेन से सम्बंधित निवल आय / लाभ (खर्च/हानि)				
	क) प्रीमियम अदा /प्राप्त किया गया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	ङअदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ङप्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	31 मार्च तक बकाया लेनदेन				
	क) लेनदेनों की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) संरक्षण की मात्रा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया				
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	निरंक	निरंक	1
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	निरंक	निरंक	59.39

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	
i	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	15,442.79
ii	बीस बड़े अंतरा-समूह एक्सपोज़र की राशि	15,442.79
iii	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.71
iv	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	-

16. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अथ शेष	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	757.14
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	-
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इति शेष	757.14

17. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम वाली इकाइयों की जोखिम के लिए पूंजी एवं प्रावधान आवश्यक्ताओं के संबंध में भा. रि. बैंक परिपत्र क्र. डीबीओडी. क्र बीपी. बीसी. 85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार बैंक ने मुद्रा प्रभावित ऋण जोखिम के लिए ₹ 293.08 करोड़ का प्रावधान किया है और मुद्रा प्रभावित ऋण जोखिम के लिए ₹ 408.44 करोड़ की वृद्धिशील पूंजी का आबंटन किया है।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात :

क) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही पर औसत	
		कुल अभारित कीमत (औसत)	कुल भारित कीमत (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियाँ			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		2,13,955.16
नकदी बहिर्गमन			
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ, जिनमें से :		
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	1,27,899.26	6,394.96
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	9,25,435.65	92,543.57
3	अप्रतिभूत थोक निधियन, जिनमें से :		
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	86,182.04	20,631.04
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	3,09,173.95	1,86,209.20
(iii)	अप्रतिभूत उधार	0.00	0.00
4	प्रतिभूत थोक निधियन	16,291.56	1,298.81
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से :		
(i)	डेरीवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,48,530.11	1,48,530.11
(ii)	उधार उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(iii)	ऋण वं तरलता सुविधाएं	1,26,665.91	19,134.19
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व	11,087.96	11,087.96
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	3,33,646.81	16,682.33
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**	20,84,913.25	5,02,512.17
नकदी अंतर्वाह			
9	प्रतिभूत ऋणान्वयन (उदाहरणत: प्रतिवर्ती रेपो)	5,090.33	0.00
10	पूर्णत: निष्पादन करने वाले एक्सपोज़र से अंतर्वाह	2,13,473.88	1,94,324.78
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	44,652.23	44,652.23
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	2,63,216.44	2,38,977.01
13	**कुल एचक्यूएलए**		2,13,955.16
14	**कुल निवल नकदी बहिर्गमन**		2,63,535.16
15	**चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)**		81.19%

ख) गुणात्मक प्रकटन

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ अपनाया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर रखें जिन्हें नकदी में परिवर्तित कर अत्यधिक चलनिधि तनाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिन की समयावधि हेतु चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। चल आस्तियों के स्टॉक से बैंक को 30 दिनों के तनावपूर्ण परिदृश्य में बैंक को कार्यक्षम रखने की क्षमता होनी चाहिए। अनुमान किया जाता है कि इस समय तक उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जनवरी 2015 के आरंभ में एलसीआर को 60% तक अनिवार्य किए गए हैं जो समान चरणों में 10% बढ़ते हुए जनवरी 2019 तक 100% तक पहुँच जाएगा।

एलसीआर को "उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)" के रूप में परिभाषित किया गया है।

अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्तायुक्त आस्तियाँ शामिल है जिनकी बिक्रि त्वरित की जा सकती है या तनाव के परिदृश्य में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 11 आस्तियाँ 0% मार्जिन वाली है जबकि स्तर 2 क आस्तियाँ न्यूनतम 15% मार्जिन और स्तर 2 ख आस्तियाँ न्यूनतम 50% मार्जिन वाली हैं।

कुल निवल नकदी बहिर्गमन अर्थात कुल अनुमानित नकदी बहिर्गमन में से तत्पश्चात 30 कैलेन्डर दिनों हेतु कुल अनुमानित नकदी प्रवाह को घटाना। कुल अनुमानित नकदी अंतर्वाह और बहिर्गमन की गणना विविधि श्रेणियों की संविदागत प्राप्य राशियों की बकाया शेष और देयताओं के प्रकार और तुलन-पत्रेतर प्रतिबद्धताओं को उस दर से गुणाकर की जाती है जिस दर से प्रवाह का अनुमानित अंतर्वाह या आहरण होता है।

बैंक में चलनिधि प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति (एएलएल) द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। देशीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरिज, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) को रिपोर्ट करती है। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन नीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियन के स्रोत सुविभाजित हो और वह बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किए जाते हैं। मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के साथ-साथ बैंक दैनिक चलनिधि विवरण तैयार करता है ताकि बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। आगे, गतिशील चलनिधि रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं ताकि चलनिधि आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जा सके और तदनुसार कार्यनीति बनाई जा सके।

19. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

20. बकाया वेतन करार

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों के पक्ष से बैंक कर्मियों के अखिल भारतीय संगठनों के साथ किए गए नौवा द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो चुका है। भारतीय बैंक संघ के साथ 1 नवम्बर 2012 से लंबित वेतन समझौता के अनुकूल क़रारनामा के आधार पर यह मानते हुए कि सैलरी स्लिप कॉम्पोनेंट के वेतन एवं भत्ते में 15% की वृद्धि होगी वर्ष के दौरान ₹ 2406 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1814 करोड़) का प्रावधान किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अधिवर्षिता योजनाओं और अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹540 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 540 करोड़) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान किया है।

31 मार्च 2015 के वेतन संशोधन (जिसमें अधिवर्षिता और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हित शामिल है) के कारण बैंक द्वारा ₹ 6245 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3299 करोड़) का कुल प्रावधान किया गया है।

21. पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 26 फरवरी 2014 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 98/21.04.132/2013-14 के अनुसार पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹ 2803.19 करोड़ की कमी को दो वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है । तदनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते को ₹ 623.78 करोड़ की राशि प्रभारित की गई । 31 मार्च 2015 को ₹ 2179.42 करोड़ की राशि अपरिशोधित है।

22. प्रति-चक्रीय सुरक्षित

भारतीय रिजर्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 7 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. सं.बीपी.95/21.04.048/2013-14 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च 2013 तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सी सी पी बी) के 33% तक को संबन्धित बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है । तदनुसार बैंक ने ₹382 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹750 करोड़ उपयोग किया गया) की सीसीपीबी का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति एवं बोर्ड की अनुमति से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया है ।

23. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है। जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण 31मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ 000 में)

विवरण		31.03.2015 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		19313,96,20	16173,88,65
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1116,49,32	1333,93,66
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		42,74,99	38,64,16
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		--	202,68,32
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान		17284,28,50	14223,56,87
मानक आस्तियों पर प्रावधान		2435,37,49	1260,68,85
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(590,07,29)	563,25,29
अन्य प्रावधान		469,95,29	(112,16,01)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश (निवेश कार्यकलाप)		(677,03,43)	(496,85,99)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप)		3822,78,30	3686,48,24
		43218,49,37	36874,12,04
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		182384,74,02	191668,93,05
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		22057,84,75	11596,29,40
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि/(कमी)		(94192,97,80)	(47418,49,03)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(107481,95,87)	(178435,73,48)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		34275,79,04	(473,80,50)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(28436,59,97)	11433,09,86
		51825,33,54	25244,41,34
कर भुगतान		(4258,90,17)	(11136,99,51)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(क)	47566,43,37	14107,41,83
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि)/कमी		(1444,77,30)	(1269,51,21)
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों से प्राप्त लाभांश		677,03,43	496,85,99
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(2490,36,07)	(2333,01,64)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ख)	(3258,09,94)	(3105,66,86)
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम पर से प्राप्त राशि		--	10006,02,70
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम (मोचन) से प्राप्त राशि		2970,00,00	--
पूंजीगत लिखतों का निर्गम (मोचन)		(200,00,00)	2000,00,00
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(3822,78,30)	(3686,48,24)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		(1236,33,43)	(4508,37,72)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	(ग)	(2289,11,73)	3811,16,74
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवतर्नों पर प्रभाव	(घ)	292,45,39	2916,55,11
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(क)+(ख)+(ग)+(घ)	42311,67,09	17729,46,82
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		132549,63,27	114820,16,45
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		174861,30,36	132549,63,27

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री वी. जी. कन्नन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एएण्डएस)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एनबी)

श्री पी. प्रदीप कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी)

निदेशक

श्री एम. डी माल्या
श्री सुनील मेहता
श्री दीपक आई. अमिन
श्री एस. के. मुखर्जी
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,
वित्तीय विवरणियों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च, 2015 की वित्तीय विवरणियाँ जिसमें 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं:

    i) केन्द्रीय कार्यालय, 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 (बयालीय) शाखाओं के जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है।

    ii) 8928 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की तथा

    iii) विदेश स्थित 52 शाखाएं जिसकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की; और

    हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया. तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 8144 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाइयों सहित) की विवरणियां भी शामिल है, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 4.19%, जमाराशियों में 17.54%, ब्याज आय में 5.30% तथा ब्याज व्यय में 16.26% है।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा - नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है. इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबन्धित है, ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2015 को

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

iii) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यानाकर्षण

7. हम अनुसूची 18 की लेखा-टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

   i) टिप्पणी 18.7 पैरा (क): अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की पद्धति दर में परिवर्तन, परिणामस्वरूप लाभ में ₹ 420.76 करोड़ की वृद्धि हुई।

   ii) टिप्पणी 18.7 पैरा (ख (i) (1 ग): दीर्घावधि हितलाभ की योजना अस्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य से बदलकर उचित मूल्य पर कर दिया गया, परिणामस्वरूप योजना आस्तियों की राशि में ₹ 2182.87 करोड़ की वृद्धि हुई।

   iii) 18.8 का पैरा क: अचल आस्ति में मूल्यह्रास की पद्धति/दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ में ₹ 420.76 करोड़ की वृद्धि हुई।

   iv) पैरा 18.8 ख (ग) ग: दीर्घावधि सुविधायुक्त योजनागत आस्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य से उचित मूल्य पर करने के परिणामस्वरूप मूल्य योजना आस्तियों में ₹ 2182.87 करोड़ की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमश: 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन का सीमाओं के अंतर्गत हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि:

   क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है.

   ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं.

   ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रभाव विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप है।

कृते एस. वेंकटराम एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. नारायणस्वामी
भागीदार: स.सं. 002161
फर्म पंजी. सं. 004656 S

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार

सुनिर्मल चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 017361
फर्म पंजी. सं.: 309005E

कृते प्रकाश एंड संतोष
सनदी लेखाकार

जी के मिश्रा
भागीदार: स.सं.: 074586
फर्म पंजी. सं.: 000454C

कृते मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517N

कृते एस. एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप कुमार मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079E

कृते वी.पी. आदित्य एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरेंद्र कक्कड़
भागीदार: स.सं.: 071912
फर्म पंजी. सं.: 000542C

कृते धमीजा सुखीजा एंड कं.
सनदी लेखाकार

प्रभात सुखीजा
भागीदार: स.सं.: 514761
फर्म पंजी. सं.: 000369N

कृते टी आर चड्ढा एंड कं.
सनदी लेखाकार

विकास कुमार
भागीदार: स.सं.: 075363
फर्म पंजी. सं.: 006711N

कृते एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

जी एस कृष्णामूर्ति
भागीदार: स.सं.: 013841
फर्म पंजी. सं.: 003790S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस वेंकटरामन
भागीदार: स.सं.: 034319
फर्म पंजी. सं.: 109208W

कृते एस. एन. नंदा एंड कं.
सनदी लेखाकार

गौरव नंदा
भागीदार: स.सं.: 500417
फर्म पंजी. सं.: 000685N

कृते श्रीरामामूर्ति एंड कं.
सनदी लेखाकार

जे. ललिता
भागीदार: स.सं.: 201855
फर्म पंजी. सं.: 003032S

कृते के. बी. शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार

हेमंत शर्मा
भागीदार: स.सं.: 503080
फर्म पंजी. सं.: 002318N

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123E

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	746,57,31	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	160640,96,97	146623,96,30
अल्पांश हित		5497,11,75	4909,15,07
जमाराशियाँ	3	2052960,78,88	1838852,35,65
उधार राशियाँ	4	244663,46,71	223759,70,95
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	235601,10,84	181603,54,89
योग		**2700110,02,46**	**2396495,30,17**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	144287,54,67	114095,60,38
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	64299,02,29	53065,74,09
निवेश	8	695691,75,26	579401,26,21
अग्रिम	9	1692211,33,41	1578276,68,60
अचल आस्तियाँ	10	12379,29,52	10559,78,10
अन्य आस्तियाँ	11	91241,07,31	61096,22,79
योग		**2700110,02,46**	**2396495,30,17**
आकस्मिक देयताएँ	12	1190338,69,09	1172565,68,45
संग्रहण के लिए बिल		105970,51,47	90196,99,38
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस.वेंकटराम एण्ड कं**
सनदी लेखाकार

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 002161
फर्म पंजी सं. : 004656एस

(वी. जी कन्नन)
एमडी एवं जीई (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एमडी एवं जीई (एनबी)

(पी. प्रदीप कुमार)
एमडी एवं जीई (सीबी)

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1प्रति शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000 शेयर ₹ 10 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 74,66,56,167 इक्विटी शेयर, ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर)	746,65,61	746,65,61
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 746,57,30,920 इक्विटी शेयर, प्रति (पिछले वर्ष 10 प्रति इक्विटी शेयर के 74,65,73,092) प्रतिनिधित्व 160,43,156 (पिछले वर्ष 79,36,777) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद*	746,57,31	746,57,31
[उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 16,04,31,560 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹10 के 1,58,73,554 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं, जो 1,60,43,156 (पिछले वर्ष 79,36,777) वैश्विक डिपाजिटरी के रूप में हैं]**		
योग	**746,57,31**	**746,57,31**

* बैंक के इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 22 नवम्बर 2014 (रिकॉर्ड तिथि 21 नवम्बर 2014) से, दिनांक 24 सितम्बर 2014 के संकल्प के अनुसार ₹ 10 प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर किया गया है।

** जी डी आर/इक्विटी शेयर अनुपात 24 नवम्बर 2014 से 1:2 से 1: 10 में परिवर्तित किया गया है ।

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	52885,09,44		48821,44,55	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4904,63,53		4097,28,24	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	57789,72,97	33,63,35	52885,09,44
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	2500,48,95		2213,06,84	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	315,51,31		292,76,10	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	2816,00,26	5,33,99	2500,48,95
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	41444,68,60		31501,19,81	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		9969,10,90	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	41444,68,60	25,62,11	41444,68,60
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6759,69,99		4014,33,11	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	98,24,78		2745,36,88	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	92,23,84	6765,70,93	-	6759,69,99

अनुसूचियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	41001,62,17		36376,40,52	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	8228,28,70		6713,92,18	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	20,94,28	49208,96,59	2088,70,53	41001,62,17
VI	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		2615,87,62		2032,37,15
योग			**160640,96,97**		**146623,96,30**

\# इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹237,49,80 हजार (पिछले वर्ष ₹ 139,10,45 हजार) शामिल है

\## समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

				31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	I.	**माँग जमाराशियाँ**			
		(i)	बैंकों से	7247,03,57	6955,65,38
		(ii)	अन्य से	145818,36,10	133990,18,85
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**		656490,39,45	600847,75,93
	III.	सावधि जमाराशियाँ			
		(i)	बैंकों से	11852,80,26	35590,60,70
		(ii)	अन्य से	1231552,19,50	1061468,14,79
	योग			**2052960,78,88**	**1838852,35,65**
ख.	I.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ		1948918,04,67	1737448,77,50
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ		104042,74,21	101403,58,15
	योग			**2052960,78,88**	**1838852,35,65**

अनुसूचियाँ

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I भारत में उधार-राशियाँ				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		5798,75,00		17292,63,00
(ii) अन्य बैंक		3579,39,47		2662,80,15
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		18761,45,07		26481,13,18
(iv) पूंजीगत लिखत				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3890,00,00		3890,00,00	
ख) गौण ऋण एवं बांड	47929,81,20	51819,81,20	46961,61,20	50851,61,20
योग		**79959,40,74**		**97288,17,53**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ				
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		160735,38,97		122676,84,67
(II) पूंजीगत लिखत				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3906,25,00		3744,68,75	
ख) गौण ऋण एवं बांड	62,42,00	3968,67,00	50,00,00	3794,68,75
योग		**164704,05,97**		**126471,53,42**
कुल योग (I व II)		**244663,46,71**		**223759,70,95**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ		**13595,79,97**		**11613,32,53**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	24904,60,85	23548,35,60
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	321,30,21	466,14,52
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	39770,62,75	2290,42,65
IV. प्रोद्भूत ब्याज	25563,20,50	20597,45,39
V. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2667,22,18	3912,67,15
VI. बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	70098,11,58	56846,15,54
VII. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)*	72276,02,77	73942,34,04
योग	**235601,10,84**	**181603,54,89**

* इसमें ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त 2970,00,00 हजार की शेयर आवेदन राशि शामिल है।

अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	17753,63,55	14849,14,48
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	126533,91,12	99246,45,90
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**144287,54,67**	**114095,60,38**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	247,81,87	1026,89,51
(ख) अन्य जमा खातों में	22349,75,06	15630,13,06
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	3799,23,66	4135,31,12
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	100,48,66
योग	**26396,80,59**	**20892,82,35**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	22355,46,00	11324,56,64
(ii) अन्य जमा खातों में	2631,23,59	3927,18,74
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	12915,52,11	16921,16,36
योग	**37902,21,70**	**32172,91,74**
कुल योग (I एवं II)	**64299,02,29**	**53065,74,09**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I **भारत में निवेश :**			
(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ		517554,20,64	436532,69,44
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		3516,13,23	3759,91,70
(iii) शेयर		27460,41,25	26319,05,18
(iv) डिबेंचर और बांड		49626,98,14	40790,35,74
(v) सहयोगी		2283,02,14	1967,24,65
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर तथा प्राथमिक क्षेत्र की जमा राशियाँ इत्यादि)		64138,93,78	45179,10,92
योग		**664579,69,18**	**554548,37,63**
II **भारत के बाहर निवेश**			
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		7937,53,43	5690,15,04
(ii) सहयोगी		76,18,20	78,88,78
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		23098,34,45	19083,84,76
योग		**31112,06,08**	**24852,88,58**
कुल योग (I एवं II)		**695691,75,26**	**579401,26,21**
III. भारत में निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		665042,15,06	555622,50,80
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		462,45,88	1074,13,17
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**664579,69,18**	**554548,37,63**
IV. भारत के बाहर निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		31448,21,49	25766,10,47
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		336,15,41	913,21,89
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**31112,06,08**	**24852,88,58**
कुल योग (III एवं IV)		**695691,75,26**	**579401,26,21**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	108753,54,27	91517,31,35
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	715170,45,86	683760,56,46
III. सावधि ऋण	868287,33,28	802998,80,79
योग	**1692211,33,41**	**1578276,68,60**
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1338415,24,90	1280360,65,69
II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	54987,35,00	63952,71,71
III. अप्रतिभूत	298808,73,51	233963,31,20
योग	**1692211,33,41**	**1578276,68,60**
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	425714,33,30	406748,82,39
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	121196,09,53	93966,45,02
(iii) बैंक	1263,17,82	2357,09,12
(iv) अन्य	899895,18,92	853186,41,69
योग	**1448068,79,57**	**1356258,78,22**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	49750,01,71	47709,25,29
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) सक्रिय किए गए और बट्टाकृत बिल	28523,86,79	11805,57,98
(ख) सिंडीकेट ऋण	76503,24,02	86829,50,40
(ग) अन्य	89365,41,32	75673,56,71
योग	**244142,53,84**	**222017,90,38**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	**1692211,33,41**	**1578276,68,60**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	4323,51,56		3789,40,33	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	355,12,36		584,40,50	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6,47,27		50,29,27	
अद्यतन मूल्यह्रास	572,01,06	4100,15,59	1300,32,24	3023,19,32
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	20473,94,21		17796,63,21	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3704,14,33		3603,58,04	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	985,87,89		926,27,04	
अद्यतन मूल्यह्रास	15332,15,26	7860,05,39	13286,87,16	7187,07,05
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	343,55,90		891,71,73	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	11,85,99		1,78,47	
वर्ष के दौरान घटौती	25,44,92		549,94,30	
आज तक का मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	306,49,84		326,61,01	
	23,47,13		16,94,89	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	47,045	18,76,68	4,70,45	12,24,44
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		400,31,86		337,27,29
योग (I, II, III एवं IV)		**12379,29,52**		**10559,78,10**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2625,04,07	1349,05,72
(II) प्रोद्भूत ब्याज	20948,92,59	18839,02,93
(III) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	11790,89,06	13857,90,18
(IV) लेखन सामग्री और स्टांप	137,51,42	148,07,48
(V) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	24,17,35	25,86,21
(VI) आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	949,49,97	939,28,29
(VII) अन्य #	54765,02,85	25937,01,98
योग	**91241,07,31**	**61096,22,79**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 945,21,86 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 948,35,01 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	16967,68,59	15997,87,74
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	464,57,92	520,90,54
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	695217,28,45	669552,27,69
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	151058,82,39	129416,15,78
(ख) भारत के बाहर	67589,77,46	75524,66,13
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	125913,03,37	149365,05,83
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	133127,50,91	132188,74,74
योग	**1190338,69,09**	**1172565,68,45**
संग्रहण के लिए बिल	**105970,51,47**	**90196,99,38**

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	207974,33,97	189062,44,04
अन्य आय	14	49315,16,86	37882,12,60
योग		**257289,50,83**	**226944,56,64**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	133178,64,45	121479,04,34
परिचालन व्यय	16	73848,01,22	63368,73,77
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		32745,48,66	27607,31,21
योग		**239772,14,33**	**212455,09,32**
III. लाभ			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		17517,36,50	14489,47,32
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		314,44,18	317,73,35
घटाएं : अल्पांश हित		837,50,76	633,43,17
समूह के लिए निवल लाभ		16994,29,92	14173,77,50
आगे लाया गया शेष		2032,37,15	1422,53,94
योग		**19026,67,07**	**15596,31,44**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		4904,63,53	4097,28,24
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		8301,62,00	6849,72,56
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर)		-	145
चालू वर्ष हेतु लाभांश			
I) अंतरिम लाभांश		-	1119,85,96
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		2648,17,28	1119,85,96
चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		556,36,64	377,20,12
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		2615,87,62	2032,37,15
योग		**19026,67,07**	**15596,31,44**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 22.76	₹ 20.40
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 22.76	₹ 20.40
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस.वेंकटराम एण्ड कं**
सनदी लेखाकार

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 002161
फर्म पंजी सं. : 004656एस

(वी. जी कन्नन)
एमडी एवं जीई (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एमडी एवं जीई (एनबी)

(पी. प्रदीप कुमार)
एमडी एवं जीई (सीबी)

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	153144,59,00	141382,60,20
II. निवेशों पर आय	51002,01,99	44855,68,41
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1159,93,96	1144,71,07
IV. अन्य	2667,79,02	1679,44,36
योग	**207974,33,97**	**189062,44,04**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	15841,75,18	15086,59,59
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	9671,95,41	4254,27,38
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	1786,05,64	1882,38,03
IV. पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(51,28,58)	(46,23,72)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2385,78,18	2297,23,02
VI. भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	17,38,47	2,28,75
VII. वित्तीय पट्टे से आय	5,05	2,57,65
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	750,80,67	575,22,01
IX. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	13628,73,49	10672,75,58
X. विविध आय	5283,93,35	3155,04,31
योग	**49315,16,86**	**37882,12,60**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	121588,38,03	109350,74,15
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	5218,58,00	6126,95,06
III. अन्य	6371,68,42	6001,35,13
योग	**133178,64,45**	**121479,04,34**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	31117,61,37	29868,35,94
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	4506,67,55	3940,37,28
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	510,09,33	471,13,20
IV. विज्ञापन और प्रचार	796,87,12	609,53,95
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	5,19,68	4,10,41
(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1576,29,70	1938,32,12
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	5,59,20	6,55,27
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	262,91,23	253,76,30
VIII. विधि प्रभार	322,29,26	315,85,95
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	854,98,57	869,16,22
X. मरम्मत और अनुरक्षण	730,45,95	591,75,80
XI. बीमा	2080,02,62	1981,23,84
XII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	551,21,23	381,79,64
XIII. अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय संबंधित	21972,48,10	15839,61,53
XIV. अन्य व्यय	8555,30,31	6297,16,32
योग	**73848,01,22**	**63368,73,77**

अनुसूची 17- महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं । इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेबी (म्यूचूअल फंड) विनयमन, 1996, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार:

1. समूह **(जिसमें 29 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 21 सहयोगी शामिल हैं)** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंत: समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमश: अक्षरश: समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

   घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 इससे अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं ।

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ट्रेडिंग के रूप में नामित जिसे नकदी आधार पर लेखे में लिया गया है।।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद) "पूंजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल

के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा-मानक 19 -पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक रखे गए" श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) का अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :

i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री/शोधन के समय निर्धारण किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्घ होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेज फीस का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है; और (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस जिसे पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभावित किया गया है, इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 बांड जारी करने / जमाराशियों के संबंध में भुगतान / वहन की गई दलाली, कमीशन आदि को संबांधित बांडों / जमाराशियों की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और निर्गम के संबंध में उठाए गए खर्च को प्रारंभ में ही प्रभारित कर दिया गया।

1.10 एनपीए की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार हिसाब में ली गई है:

(i) बैंक जब भी अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) को बिक्री करता है, तो उन्हें बहियों से हटा दिया जाता है।

(ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात प्रावधान राशि घटाने के बाद बही मूल्य) से कम मूल्य पर की जाती है, तो मूल्य में आई कमी की राशि को बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामें कर दिया जाता है।

(iiii) यदि यह बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर हो, तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को प्राप्ति वर्ष में रिवर्स कर दिया जाता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किया गया है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ

मर्चेंट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेन देन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन:

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवा और संविभाग प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।

घ. निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

ड. योजना व्यय: निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल फंड विनियमन, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

च. असीमित अवधि वाली ईक्विटी संबद्ध कर बचत योजनाओं और सुण्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) सं संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले मे कलों बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहन शुल्क केवल सदस्यता ग्रहन का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. सभी अन्य आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएक) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिउ उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एफसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीतियम आय उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन:प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीतियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय; जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल है; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए हैं।

घ. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ङ. दिए गए लाभ:

- जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने का प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

च. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के आधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

घ. **बीमा पालिसियों के लिए देयता** : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना - बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार - नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय की मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप भी किया जाता हैं।

साधारण बीमा :

क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब में लिया गया हैं। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।

ङ अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है) (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं संबद्घ सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है(अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहाँ कहीं लागू हो को छोड़कर, तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

कारपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कारपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 'सेटलमेंट डेट' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश "क्रय-विक्रय तिथि" को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को 3 श्रेणियों यथा - "परिपक्वता तक रखे गए", "विक्रय के लिए उपलब्ध" और "व्यवसाय के लिए रखे गए" में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन निवेशों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन निवेशों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक निवेश को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्य-निर्धारण :

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेण से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम आधार पर किया गया है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। तथापि, एचटीएम श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और परिणामी मूल्यह्रास यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है।

iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण **रखाव-लागत** आधार पर किया गया है ।

iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी** : परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अधिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ**: एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियों, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया, (iii) शेयर, (iv) बांड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगिया एवं संयुक्त उद्यम; और (vi) अन्य) के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।

vi. यदि आस्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी (एआरसी) को प्रतिभूति रसीदों के निर्गम के आधार पर एनपीए (वित्तीय) आस्तियाँ) की बिक्री की जाती है, तो प्रतिभूति रसीदों के निवेश का निर्धारण वित्तीय आस्ति के निवल में बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) और प्रतिभूति रसीदों के मोचन मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है, और एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में एससी/एआरसी द्वारा प्रतिभूति रसीदें संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित की गई वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली राशि तक ही जारी की गई हो, उन मामलों में ऐसे लिखतों के मूल्यांकन हेतु निवल आस्ति मूल्य, एससी/एआरसी से प्राप्त को ध्यान में रखा गया है।

vii. देशीय कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों इकाइयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेशों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय इकाइयों कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।

ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को ₹1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा ।

ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के निवेश माना जाता है, उन पर अनर्जक निवेश के वही मानदंड लगेंगे जो निदेशों पर लागू होते हैं ।

च. विदेशी कार्यालयों के अनर्जक निवेश के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है ।

viii. **रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को छोड़कर)**

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य के ऐसे घट-बढ़ को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधारियाँ) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है । उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है ।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में निवेश बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्घ बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन:-

➢ सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।

- सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई ('बीएसई') पर बाजार बंद होने के समय उद्घृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्घ ईक्विटी प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत आधार पर आकलन किया जाता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का आंकन परंपरागत लागत पर किया गया है।

- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया गया है। वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश उपलब्ध एपएवी के आधार पर किया गया है।

  शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्घ पॉलिसीधारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य आरक्षितियाँ (अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)'' क्रमशः तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकनः-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('क्रिसिल') से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

- सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्घ न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य पर किया जाता है।

- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ईक्विटी शेयरों की मूल्यन नीति के अनुसार किया जाता है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।

  ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

- असूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का आंकन परंपरागत लागत आधार पर किया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है । ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंयत'' (''आउट ऑफ आर्डर'') रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं; और (ख) कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है ।

ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है ।

iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है ।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

अव-मानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया राशि पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों में अप्रतिभूत राशि जिसमें कतिपय रक्षोपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग :		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के ऋण और अग्रिम खातों का वर्गीकरण तथा अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक कठोर था, के अनुसार किए गए हैं।

3.5 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।

3.6 पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली गई राशि को आय के रूप में दिखाया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति लागू है। सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की राशि का प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र के/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई

विनिमय संविदाओं की रूपरेखा इस ढंग से तैयार की जाती है कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसे प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए ''उचंत परिणत प्राप्य राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है। यदि डेरीवेटिव संविदाओं में भविष्य में और अधिक निपटारे का प्रावधान है और यदि डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशि का 90 दिन तक भुगतान प्राप्त न होने पर समाप्त नहीं की जाती है तो भविष्य में प्राप्त राशियों की बाजार मूल्य पर बहियों में अंकित घनात्मक राशि को लाभ और हानि खाते से ''उचंत बाजार मूल्य घनात्मक राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फॉरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के बाजार मूल्य निकालने हेतु शामिल किया गया है।

6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरीवेटिव्ज तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. अचल आस्तियां मूल्यह्रास और परिशोधन

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और व्यावसायिक शुल्क तथा आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 एसबीआई के मामले में इस देशीय परिचालन के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		खरीदी वर्ष में 100% मूल्यह्रास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	आस्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर

अधिकांश अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि निम्नानुसार है:

परिसर	-	60 वर्ष
वाहन	-	5 वर्ष
सुरक्षित जमा लाकर	-	20 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों के लिए प्राप्त की गई आस्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान आस्ति को काम में लिए गए दिनों के लिए यथानुपातिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000 से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेशी कार्यालयों/इकाइयों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो लेखे में दर्शाई जानेवाली अपसामान्यता का माप उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है ।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है ।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है ।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है ।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताओं के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में दिखाया गया है।

viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को एक्सचेंज क्लिअरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय का फेडई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।

iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है ।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता हैं। इस अंशसन का इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जात है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रबंध किया जाता है।

ख. समूह व गी कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है । यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो ₹10 लाख की अधिकतम राशि के अध्यधीन होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएं

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस योजना के अनुसार संबंधित कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में अंशदान करता है और साथ में उतनी ही राशि बैंक द्वारा अंशदान की जाती है। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन अशदानों की राशि को बैंक में जमाराशियों के रूप में रखा जाता है और भविष्य निधि शेष के चालू खाते में लागू होने वाली दर से इस राशि पर ब्याज अर्जित होता है। बैंक इन अंशदानों और इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर, समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है । इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं तें हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर कि क्या उनकी वसूली हाने की संभावना है/होना निश्चित है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर भुगतान मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू नियमों के अनुसार दिखाई गई कर भुगतान की कुल राशियां है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का समावेश करता है, यह संभव है कि दायित्व की चुकौती में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉईट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. बुलियन लेनदेन

बैंक अपने ग्राहकों को ब्रिकी करने के लिए बुलियन आयात परेषण आधार पर करता है जिसमें बहुमूल्य धातु बार की शामिल है ।आयात पूर्णतया बैक टू बैक आधार पर किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धत इस मूल्य के आधार पर ग्राहकों के लिए इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। बैंक इस थाक बुलियन लेनदेन पर फीस अर्जित करता है। इस फीस को कमीशन आय की श्रेणी में रखा गया है। बैंक सोना जमा की रखता है और उधार भी देता है। इन्हें यथास्थिति जमाराशियाँ अग्रिम माना जाता है और दिए गए/ प्राप्त ब्याज की दिए गए ब्याज/आय की श्रेणी में रखा जाता है।

16. विशेष रिज़र्व :

आय और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1965 की धारा36 (i) (viii) अंतर्गत सृजित विशेष सम्मिलित हैं। निदेशक बेर्ड ने एक संकल्प पारित करके रिज़र्व सृजन हेतु अनुमोदन किया है। उन्होंने इस बात की पृष्टि की है कि विशेष रिज़र्व हटाने की उनकी कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने के व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियाँ :

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समय निम्नांकित 29 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 21 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष के दौरान उनके विलय/बहिर्गमन की संबंधित तारीख सेतक सम्मिलित है। :

क) अनुषंगियां

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	समूह का हिस्सा (%) पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	90.00	90.00
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	78.91	75.01
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.58	71.54
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लिमिटेड	भारत	92.60	92.60
14)	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00	100.00
18)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
19)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.36
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
21)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.	बोत्सावाना	100.00	100.00
22)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
23)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	60.00	60.00
24)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
25)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00	74.00
26)	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को @	रूस	60.00	60.00
27)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.10	55.28
28)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	मॉरीशस	63.00	63.00
29)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

ख) संयुक्त उद्यम

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग) सहयोगी

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीणा बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीणा बैंक	भारत	31.50	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	29.22	29.22
20)	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00
21)	एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)	भारत	25.05	25.05

क. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जो भारतीय स्टेट बैंक की एक देशीय बैंकिंग अनुषंगी है, ने अप्रैल 2014 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को प्रति शेयर ₹ 416.06 के मूल्य पर ₹ 385.00 करोड़ की राशि के 92,53,473 शेयरों का अधिमानी आबंटन किया, जिसके बाद एसबीआई का हित बढ़कर 75.01% से 78.91% हो गया। परिणामस्वरूप, अप्रत्यक्ष पद्धति से एसबीआई डीएफएचआई लि. में समूह का हित भी बढ़कर 71.54% से 71.58% हो गया।

ख. इसके अतिरिक्त, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने मार्च 17, 2015 से मार्च 31, 2015 की अवधि के दौरान अपने विद्यमान शेयरधारकों को राइट इश्यू के रूप में ₹ 10/- प्रति शेयर और ₹ 390/- प्रति शेयर प्रीमियम के हिसाब से 1,18,50,694 ईक्विटी शेयर प्रस्तावित किए। इस संपूर्ण शेयर आवेदन राशि को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने 31 मार्च 2015 को अपने तुलन-पत्र में शेयर आवेदन राशि बकाया आबंटन के रूप में प्रकट किया है। अप्रैल 13, 2015 को, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने इस आवेदन राशि के आधार पर 94,81,518 ईक्विटी शेयर एसबीआई को और 23,69,176 ईक्विटी शेयर अन्य को आबंटित किए हैं। परिणामस्वरूप, एसबीआई का हित बढ़कर 78.91% से 79.09% हो गया।

ग. भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जो इसकी सम्पूर्ण स्वामित्व वाली देशीय बैंकिंग अनुषंगी है, में ₹ 752/- करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

घ. भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई 2014 में ₹ 1.97 करोड़ का निवेश करके अपनी विदेशी अनुषंगी, एसबीआई (मारीशस) लि. में 0.24% का एक अतिरिक्त हित प्राप्त किया है, जिसके बाद एसबीआई का हित बढ़कर 96.60% हो गया।

ङ. नेपाल एसबीआई बैंक लि. (एसबीआई की एक विदेशी अनुषंगी) ने दिसंबर 2014 में पब्लिक कोटा के माध्यम से अल्पांश शेयरधारकों को अपने अभिदत्त नहीं किए गए भाग में से 89,763,96 अतिरिक्त शेयर जारी किए हैं, जिसके कारण एसबीआई का हित घटकर 55.28% से 55.10% हो गया।

च. भारतीय स्टेट बैंक ने दिसंबर 2014 में पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेसिया (एसबीआई की एक विदेशी अनुषंगी) को पूंजी के बाद के संवर्धन हेतु शेयर आवेदन राशि के लिए ₹ 161.91 करोड़ प्रेषित किए हैं। 31 मार्च 2015 को शेयरों का आबंटन बकाया रहा।

छ. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि., जो भारतीय स्टेट बैंक की एक देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगी है, ने जुलाई 2014 में अपने हितधारकों, अर्थात एसबीआई और आईएजी आस्ट्रेलिया को ₹ 10/- प्रति शेयर के 2.80 करोड़ ईक्विटी शेयरों का आबंटन करके उनसे ₹ 150/- प्रति शेयर के हिसाब से ₹ 420 करोड़ की निधियां जुटाई है। ऐसे आबंटन से, एसबीआई ने अपने विद्यमान हित, जो 74% है, के यथानुपात में ₹ 310.80 करोड़ की राशि लगाई है।

ज. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि. में ₹ 25 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

झ. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि. में ₹ 38.23 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

त्र. ''डेक्कन ग्रामीण बैंक'' जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, का नाम दिनांक 20 अक्तूबर 2014 से भारत के गजट में अधिसूचित किए अनुसार बदलकर ''तेलंगाना ग्रामीण बैंक'' कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और अन्य बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के बीच निम्नलिखित समामेलन संपन्न हुआ:

हस्तांतरक आरआरबी का नाम	हस्तांतरक आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	हस्तांतरी आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन की प्रभावी तिथि
मरूधरा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अप्रैल 1, 2014
मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	आईसीआईसीआई बैंक			

1.2 समूह के वित्त वर्ष 2014-15 के समेकित वित्तीय विवरणों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाड़ा), जो एक अनुषंगी है और बैंक ऑफ भूटान, जो एक सहयोगी है, के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. शेयर पूंजी :

2.1 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत सरकार को 31 मार्च 2015 को आबंटित प्रति ₹ 1 के 10,04,77,012 ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के संबंध में भारत सरकार से ₹ 2970.00 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें ₹ 2,959.95 करोड़ की प्रीमियम राशि शामिल है। ईक्विटी शेयर अप्रैल 1, 2015 को आबंटित किए गए।

2.2 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने दिनांक 24 सितंबर 2014 को आयोजित हुई अपनी बैठक में एसबीआई के ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को प्रति शेयर ₹ 10 से घटाकर ₹ 1 करने तथा उसके यथानुपात में निर्गमित शेयरों की संख्या बढ़ाने पर विचार करके उसे अनुमोदित कर दिया था। शेयर का विभाजन नवंबर 21, 2014 को किया गया।

2.3 भारतीय स्टेट बैंक ने राइट इश्यू - 2008 के एक भाग के रूप में जारी प्रति शेयर ₹ 1/- के 8,30,750 ईक्विटी शेयरों (पिछले वर्ष प्रति शेयर ₹ 10/- के 83,075 ईक्विटी शेयर) का आबंटन रोक कर रखा है।

2.4 शेयरों के निर्गम से संबंधित व्यय : शेयर प्रीमियम खाते में शून्य राशि (पिछले वर्ष ₹ 25.62 करोड़ की राशि) नामे की गई।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 वर्ष के दौरान, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की पद्धति को आयकर दरों के साथ, जो अब तक लागू की जा रही है, डब्ल्यूडीवी पद्धति से बदल कर तकनीकी मूल्यांकन पर निर्धारित उपयोगी अवधि के आधार पर कर दिया गया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, पहले की अवधि की मूल्यह्रास राशि ₹ 741.77 करोड़ से अधिक पाई गई और इस वर्ष के लिए लगाए गए मूल्यह्रास की राशि ₹ 125.66 करोड़ से अधिक रही। परिणामस्वरूप, अचल आस्तियां और कर-पूर्व लाभ की राशि ₹ 616.11 करोड़ से उच्च रही।

3.2 कर्मचारी - हितलाभ

3.2.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

3.2.1.1 कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	**56,863.05**	**50,109.94**	**9,176.98**	**9,287.23**
वर्तमान सेवा लागत	1,561.91	1,377.26	219.45	269.73
ब्याज लागत	5,070.61	4,300.42	833.14	780.71
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	निरंक	निरंक	(0.02)	0.06
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	5,083.47	4,498.58	529.94	(117.85)
प्रदत्त हितलाभ	(2,146.26)	(718.94)	(1,216.39)	(1,042.90)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(1,903.22)	(2,704.21)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2015 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**64,529.56**	**56,863.05**	**9,543.10**	**9,176.98**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**53,143.82**	**44,715.33**	**9,206.33**	**8,595.25**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,719.23	3,903.23	794.11	703.92
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	3,731.53	5,079.95	471.60	942.51
प्रदत्त हितलाभ	(2,146.26)	(718.94)	(1,216.39)	(1,042.90)
योजना आस्ति बीमांकिक लाभ/(हानियाँ)	2,437.82	164.25	107.29	7.55
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**61,886.14**	**53,143.82**	**9,362.94**	**9,206.33**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	64,529.56	56,863.05	9,543.10	9,176.98
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	61,886.14	53,143.82	9,362.94	9,206.33
कमी/(अधिशेष)	2,643.42	3,719.23	180.16	(29.35)
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	निरंक	187.10	निरंक	51.59
निवल देयता/(आस्ति)	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	64,529.56	56,863.05	9,543.10	9,176.98
आस्तियाँ	61,886.14	53,143.82	9,362.94	9,206.33
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,643.42	3,719.23	180.16	(29.35)
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	निरंक	187.10	निरंक	51.59
निवल देयता/(आस्ति)	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,561.91	1,377.26	219.45	269.73
ब्याज लागत	5,070.61	4,300.42	833.14	780.71
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(4,719.23)	(3,903.23)	(794.11)	(703.92)
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	187.10	187.09	51.57	251.59
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
पूर्ववर्ती वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान की प्रतिवर्तित राशि	2,645.65	4,334.33	422.65	(125.40)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**4,746.04**	**6,295.87**	**732.70**	**472.71**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,719.23	3,903.23	794.11	703.92
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,437.82	164.25	107.29	7.55
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**7,157.05**	**4,067.48**	**901.40**	**711.47**
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	**3,532.13**	**5,020.42**	**(80.94)**	**388.80**
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	4,746.04	6,295.87	732.70	472.71
विलय और अधिग्रहण पर निवल देयता	(1,903.22)	(2,704.21)	निरंक	निरंक
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(3,731.53)	(5,079.95)	(471.60)	(942.51)
नियोक्ताओं का अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक	0.06
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.29%	23.90%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.12%	16.42%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	42.19%	32.93%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	0.23%	23.68%
अन्य	4.17%	3.07%
योग	**100.00 %**	**100.00 %**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21% से 8.21%	8.75% से 9.27%	8.21% से 8.21%	8.75% से 9.31%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.21% से 9.00%	8.75% से 9.27%	8.00% से 9.00%	8.75% से 9.31%
वेतन वृद्धि	5.00% से 5.00%	5.00% से 5.00%	5.00% से 5.00%	5.00% से 5.00%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार योजना आस्तियों के मूल्यांकन से संबंधित अपनी नीति को बही मूल्य से उचित मूल्य के अनुसार बना लिया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, योजना आस्तियों की राशि में पेंशन निधि के संबंध में ₹ 2069.00 करोड़ की और ग्रेच्युटी के संबंध में ₹ 113.87 करोड़ की वृद्धि हुई है।

3.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि न्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकित मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार "शून्य" देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2014-15 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीकांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैं:-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	21,804.39	20,742.83
वर्तमान सेवा लागत	527.14	529.53
ब्याज लागत	1869.09	1,838.65
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	661.66	656.87
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
31 मार्च 2015 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	22,498.51	21,804.39
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	22,366.42	21,223.41
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,869.09	1,838.65
अंशदान	1,188.80	1,186.40
प्रदत्त हितलाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानियाँ)	137.28	81.45
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	23,197.82	22,366.42
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	22,498.51	21,804.39
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23,197.82	22,366.42
कमी/(अधिशेष)	(699.31)	(562.03)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	699.31	562.03
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्ति		
वर्तमान सेवा लागत	527.14	529.53
ब्याज लागत	1869.09	1,838.65
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1,869.09)	(1,838.65)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत को अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	527.14	529.53
तुलन पत्र में ली गई प्रारंम्भिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्त अनुसार व्यय	527.14	529.53
नियोक्ता का अंशदान	(527.14)	(529.53)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	**भविष्य निधि**
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.62
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.88
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	0.14
सार्वजनिक और निज़ी क्षेत्र बांड	36.05
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	-
अन्य	4.31
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	8.21%	9.35%
निश्चित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%

3.2.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 33.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 31.29 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.2.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखाकार अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹ 200.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 160.16 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.2.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹ 813.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-)19.56 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण ;

₹ करोड़ में

क्रम सं	**दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अर्जित अवकाश (नकदीकरण)-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण भी इसमें शामिल है	801.28	448.98
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	(21.66)	7.00
3	रुग्ण अवकाश	6.46	(385.64)
4	रजत जंयती अवार्ड / दीर्घावधि सेवा अवार्ड	11.15	(11.14)
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	13.23	1.07
6	आकस्मिक अवकाश	Nil	(82.55)
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	3.37	2.72
योग		**813.83**	**(19.56)**

3.2.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.3 खंड सूचना

3.3.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- कोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) **कोष**: कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) **कारपोरेट/थोक बैंकिंग**: कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग**: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) **बीमा व्यवसाय**: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल है।

ङ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय**: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

क) **देशीय परिचालन के अंतर्गत** - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) **विदेशी परिचालन के अंतर्गत** - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति-सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें "अनाबंटित व्यय" के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.3.2 खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/ थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
आय	51,867.83 (42,418.29)	85,230.94 (73,300.30)	90,340.03 (89,329.62)	24,476.88 (18,066.15)	4,144.11 (3,388.22)		2,56,059.79 (2,26,502.58)
अनाबंटित आय							1,229.72 (441.98)
कुल आय							2,57,289.51 (2,26,944.56)
परिणाम	7,331.87 (2,139.86)	1,945.87 (3,653.51)	17,914.50 (18,007.47)	843.39 (718.43)	1,361.91 (948.79)		29,397.54 (25,468.06)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (–) निवल							-3,542.97 (-4,142.52)
परिचालन लाभ (पीबीटी)							25,854.57 (21,325.54)
कर							8,337.20 (6,836.07)
असाधारण लाभ/हानि						-	(-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व							17,517.37 (14,489.47)
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी							314.44 (317.73)
घटाएँ : अल्पांश हित							837.51 (633.43)
निवल लाभ समूह के लिए							16,994.30 (14,173.77)
अन्य सूचना :							
खंड आस्तियाँ	6,44,061.54 (5,45,105.61)	10,35,488.78 (9,44,851.52)	9,07,679.97 (8,12,863.85)	76,948.47 (62,451.99)	13,468.53 (10,975.68)		26,77,647.29 (23,76,248.65)
खंड आस्तियाँ							22,462.73 (20,246.65)
अनाबंटित आस्तियाँ							27,00,110.02 (23,96,495.38)
खंड देयताएँ	3,66,954.63 (264,556.11)	9,58,490.64 (8,16,172.78)	10,59,909.52 (10,33,771.53)	72,072.91 (58,592.60)	9,110.23 (7,239.78)		24,66,537.93 (21,80,332.80)
अनाबंटित देयताएँ							72,184.55 (68,791.97)
कुल देयताएँ							25,38,722.48 (22,49,124.77)

भाग ख: द्रितीयक (भौगोलिक) खण्ड

₹ करोड़ में

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	2,46,689.00 (2,16,975.27)	10,600.51 (9,969.29)	2,57,289.51 (2,26,944.56)
परिणाम	24,854.59 (22,136.04)	4,542.95 (3,332.02)	29,397.54 (25,468.06)
आस्तियाँ	23,78,661.71 (21,09,119.12)	3,21,448.31 (2,87,376.18)	27,00,110.02 (23,96,495.30)
देयताएँ	22,20,650.02 (19,65,113.49)	3,18,072.46 (2,84,011.28)	25,38,722.48 (22,49,124.77)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2015 का है।

(ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.4 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

3.4.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

क) संयुक्त उद्यम:

1. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. कावेरी ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मालवा ग्रामीण बैंक
8. कृष्णा ग्रामीणा बैंक
9. मेघालय रूरल बैंक
10. मिजोरम रूरल बैंक
11. नागालैंड रूरल बैंक
12. पूर्वांचल बैंक
13. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
14. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
16. उत्कल ग्रामीण बैंक
17. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
18. वनांचल ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

19. दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
20. बैंक आफ भूटान लि.
21. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमपानाधीन)

C) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
2. श्री हेमंत जी कान्ट्रेक्टर

   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (30.04.2014 तक)
3. श्री ए. कृष्ण कुमार
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (16.04.2014 तक)
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (17.04.2014 से 30.11.2014)
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (30.04.2014), (प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) का अतिरिक्त प्रभार) (01.05.2014 से 16.07.2014)
4. श्री एस. विश्वनाथन,

   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (30.04.2014 तक)
5. श्री पी. प्रदीप कुमार
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग),
   - (प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) का अतिरिक्त प्रभार) (01.05.2014 से 16.07.2014)

6. श्री वी. जी. कन्नन,

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (17.07.2014 से)

7. श्री बी. श्रीराम

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (17.07.2014 से)

3.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.4.3 लेनदेन और शेष राशियाँ:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2014-15 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज	-	-	-
	(0.02)	(-)	(0.02)
प्रदत्त ब्याज	2.78	-	2.78
	(4.00)	(-)	(4.00)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	33.82	-	33.82
	(12.24)	(-)	(12.24)
अन्य आय	-	-	-
	(3.50)	(-)	(3.50)
अन्य व्यय	9.01	-	9.01
	(9.01)	(-)	(9.01)
प्रबंधन संविदा	308.94	1.03	309.97
	(267.08)	(1.08)	(268.16)
31 मार्च 2015 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा	36.06	-	36.06
	(95.40)	(-)	(95.40)
अन्य देयताएं	29.45	-	29.45
	(16.32)	(-)	(16.32)
प्राप्य राशियाँ			
बैंको में शेष	2.12	-	2.12
	(-)	(-)	(-)
निवेश	41.55	-	41.55
	(41.55)	(-)	(41.55)
अग्रिम	0.24	-	0.24
	(-)	(-)	(-)
अन्य आस्तियां	0.34	-	0.34
	(0.30)	(-)	(0.30)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशियाँ			
उधार राशियाँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा	57.32	-	57.32
	(100.87)	(-)	(100.87)
अन्य देयताएँ	87.46	-	87.46
	(64.80)	(-)	(64.80)
बैंकों में शेष	5.94	-	5.94
	(-)	(-)	(-)
अग्रिम	0.52	-	0.52
	(2.02)	(-)	(2.02)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
निवेश	41.55 (41.55)	- (-)	41.55 (41.55)
अन्य आस्तियाँ	0.34 (0.30)	- (-)	0.34 (0.30)
गैर-निधि वचनबद्धताएं	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं।

3.5 पट्टे :

3.5.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	5.12	5.68
1 से 5 वर्ष तक	5.43	9.11
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**10.55**	**14.79**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	0.89	1.49
1 से 5 वर्ष तक	0.51	1.09
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**1.40**	**2.58**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	4.23	4.19
1 से 5 वर्ष तक	4.92	8.02
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**9.15**	**12.21**

3.5.2 परिचालन पट्टा*

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	262.05	209.55
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	836.60	608.53
5 वर्ष से अधिक	222.21	157.73
कुल	**1,320.86**	**975.81**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	1,744.10	235.15

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टों के संबंध में.

3.6 प्रति शेयर उपार्जन :

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से ालग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	7,46,57,30,920	6,84,03,39,710
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की संख्या	-	62,53,91,210
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	7,46,57,30,920	7,46,57,30,920
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	7,46,57,30,920	6,94,78,39,100
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	7,46,60,06,199	6,94,78,39,100
निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	16,994.30	14,173.77
मूल आय प्रति शेयर (₹)	22.76	20.40
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	22.76	20.40
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1.00	1.00

* प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के समय अप्रैल 1, 2015 को आबंटित ईक्विटी शेयरों के लिए प्राप्त राशि को ध्यान में रखा गया हैं।

बैंको के शेयरों के अंकित मूल्य को 22 नवंबर 2014 से ₹10/- प्रति शेयर से विभाजित करके ₹ 1/- प्रति शेयर कर दिया गया है। प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए विभाजन प्रभाव सभी शेयरों एवं प्रति शेयर से संबंधित सूचना पर प्रकट करता हैं।

3.7 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹1049.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1173.66 करोड़ नामे किए गए थे) लाभ और हानि खाते में जमा किए गए थे।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	954.34	364.66
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान #	2,235.65	1,632.72
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	1,745.05	837.07
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	(0.23)	14.37
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	195.67	205.78
अन्य	690.95	845.85
योग	5,821.43	3,900.45
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	210.79	28.02
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3,660.78	3,441.43
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,196.64	2,541.06 $
अन्य	470.94	863.33
योग	7,539.15	6,873.84
निवल आस्थगित कर आस्तियां (देयताएं)	(1,717.72)	(2,973.39)

$ इसमें भा.रि.बैंक के परिपत्र के अनुसार राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि से अंतरित ₹2,052.76 करोड़ शामिल है।

3.8 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

➢ **क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान के लिए प्रावधान		
	-वर्तमान कर	9375.30	5,650.56
	-आस्थगित कर	(1,049.64)	1,173.66
	-अनुषंगी लाभ कर	11.54	11.85
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	20,010.91	17,465.50
ग)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	1,563.63	871.80
घ)	मानक आस्तियों पर प्रावधान	2,918.48	1,568.87
ङ)	विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(663.07)	876.27
च)	अन्य प्रावधान	578.34	(11.20)
योग		32,745.49	27,607.31

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

➢ **आस्थिर प्रावधान:**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	अथशेष	362.37	479.22
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	140.32	116.85
घ)	**अंतिम शेष**	222.05	362.37

➢ ग) **आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण:**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा। यह समूह बकाया अपीलों के संबंध में विभिन्न कर मामलों के लिए पक्षकार हैं।
2	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों/वेंचर फंड से संबंधित देयता	इस मद में आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों की देयता के संबंध में प्रदत्त नहीं की गई राशि प्रस्तुत की गई है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड के लिए आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धताओं की राशि शामिल है।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से, प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने निजी खाते से और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से करेंसी ऑप्शन, वायदा दर करार, करेंसी स्वैप्स और ब्याज दर स्वैप्स करता है। करेंसी स्वैप्स की प्रतिबद्धताएं पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के सामने दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियां जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाता है, ऐसी विशिष्ट राशियां होती हैं जिनका संविदाओं के ब्याज घटक के आकलन हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें पूंजी खाते के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि में भी शामिल किया जाता है और इन्हें सहयोगी एवं अनुषंगी की ओर से एसबीआई द्वारा जारी व्यवस्था पत्र, जमाकर्ता शिक्षा योजना के अंतर्गत एसबीआई की देयता और जागरूकता निधि के अंतर्गत एसबीआई की देयताओं और अन्य विविध आकस्मिक देयताओं के प्रावधान की गई राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय/न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्धृत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

➢ **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	**पिछला वर्ष**	790.46	557.97
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	378.00	260.68
ग)	वर्ष के दौरान आहरण में कमी	90.55	28.19
घ)	**अंतिम शेष**	**1,077.91**	**790.46**

4. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीए ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अंतर्गत सदस्यों या लाभार्थियों को क्रमश: आदेश क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसी धारकों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक प्रभार राशि ₹84.32 करोड़ का संवितरण करने और आदेश क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के अनुसार कारपोरेट एजेंटों को प्रदत्त किए गए कमीशन की आधिक्य राशि को वापस करने के लिए निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेशों/आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश बकाया है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

5. लाइफ और जनरल बीमा अनुषंगियों के विनिधानों को बैंकों द्वारा अनुपालन की गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार इनको फिर से शामिल न करके आईआरडीए (विनिवेश विनियमन) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। बीमा अनुषंगियों के विनिधान 31 मार्च 2015 को कुल विनिधान का लगभग 9.97% (पिछले वर्ष 9.33%) रहे।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हों) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

7. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8. बकाया वेतन करार

यूनियनों के साथ सदस्यों बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा किया गया नौंवा द्विपक्षीय समझौता दिनांक 31 अक्तूबर 2012 को समाप्त हो गया। आईबीए द्वारा यूनियनों के साथ की गई सहमति के अनुसार, वेतन संशोधन के लिए बकाया करार का निष्पादन, जो 1 नवंबर 2012 से प्रभावी होना है, करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने वेतन पर्ची घटक के संबंध में वेतन एवं भत्तों में 15% की वृद्धि पर विचार करते हुए वर्ष के दौरान ₹3,019.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,353.27 करोड़) का प्रावधान किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने (स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को छोड़कर) अधिवर्षिता और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में ₹694.59 करोड़ और (पिछले वर्ष ₹652.30 करोड़) का प्रावधान किया है।

वेतन संशोधन के संबंध में (अधिवर्षिता और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ सहित), समूह द्वारा किए गए प्रावधानों की राशि ₹8,757.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5044.03 करोड़) रही।

9. असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने भा. रि. बैंक के परिपत्र क्र.डीबीओडी.क्र.बीपी.85/21.06.200/ 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम वाली इकाइयों के लिए 'पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकताएं" के संबंध में ₹354.12 करोड़ का प्रावधान किया है।

10. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

भा. रि. बैंक के परिपत्र क्र.डीबीओडी.क्र बीपी.98/21.04.132/ 2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 के अनुसार, पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई आस्तियों की बिक्री से कम पड़ने वाली राशि ₹3,897.04 करोड़ को दो वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹887.13 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है। 31 मार्च 2015 को अपरिशोधित राशि ₹3,009.91 करोड़ रही है।

11. प्रतिचक्रीय सुरक्षित भंडार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अस्थायी प्रावधान/प्रति चक्रीय प्रावधान सुरक्षित भंडार के संबंध में जारी अपने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.क्र. बीपी.95/21.04.48/2013-14 दिनांक 7 फरवरी 2014 के अनुसार, बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु मार्च 31, 2013 तक उनके द्वारा आरक्षित प्रति चक्रीय सुरक्षित भंडार (सीसीपीबी) राशि का 33 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु सीसीपीबी की ₹382 करोड़ (वित्त वर्ष 2013-14 में ₹750 करोड़ उपयोग में लाई गई) की राशि का उपयोग किया है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अस्थायी प्रावधान/प्रति चक्रीय प्रावधान सुरक्षित भंडार के संबंध में जारी अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.79/21.04.48/2013-14 दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुसार,

बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु दिसंबर 31, 2014 तक उनके द्वारा आरक्षित प्रति चक्रीय सुरक्षित भंडार (सीसीपीबी) राशि का 50 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु सीसीपीबी की ₹79.19 करोड़ की राशि का उपयोग किया है।

12. जहाँ भी आवश्यक था, विगत वर्षों के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं-पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(अरुंधति भट्टाचार्य)
(अध्यक्ष)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस. वेंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार

(वी. जी. कन्नन)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी)

(बी. श्रीराम)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(राष्ट्रीय बैंकिंग)

(पी. प्रदीप कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह
कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. : 002161
फर्म पंजीकरण सं. : 004656एस

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
कर-पूर्व निवल लाभ	25331,49,77	21009,84,23
समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	1581,49,38	1942,42,53
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)	51,28,58	46,23,72
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)	-	55,13,96
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि (निवल)	(1786,05,64)	(1882,38,03)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	21574,53,58	18337,29,64
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2918,47,70	1568,87,36
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(663,06,38)	876,27,38
अन्य प्रावधान	578,33,91	(11,19,91)
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा (विनिधान कार्यकलाप)	(314,44,18)	(317,73,35)
सहयोगियों के लाभांश	(17,38,47)	(2,28,75)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप)	4894,70,92	4776,41,04
उप योग	**54149,39,17**	**46398,89,82**
समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	214108,43,23	211449,74,46
पूंजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	19761,57,51	17745,47,76
सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी	(113528,30,12)	(58648,67,47)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(135509,18,39)	(204005,94,91)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	45919,41,32	6851,94,41
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(30981,06,60)	11951,54,81
उप योग	**53920,26,12**	**31742,98,88**

विवरण		31.03.2015 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष ₹
प्रदत्त कर		(7517,36,65)	(12601,31,18)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	(क)	**46402,89,47**	**19141,67,70**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		1,37,27	(140,46,31)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		17,38,47	2,28,75
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(3452,29,40)	(3178,51,79)
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी		3,13,15	(219,79,75)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	(ख)	**(3430,40,51)**	**(3536,49,10)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि		-	10006,02,70
बकाया आबंटन शेयर आवेदन राशि प्राप्त		2970,00,00	-
पूंजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी		1142,18,25	2291,03,50
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		(4894,70,92)	(4776,41,04)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(1236,33,43)	(4508,37,72)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(122,38,00)	(84,50,02)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी		587,96,68	655,28,97
वित्तीय कार्यकलाप से सृजित निवल नकदी	(ग)	**(1553,27,42)**	**3583,06,39**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	(घ)	**6,00,95**	**2745,36,88**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**41425,22,49**	**21933,61,87**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		167161,34,47	145227,72,60
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		208586,56,96	167161,34,47

(अरुंधति भट्टाचार्य)
(अध्यक्ष)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस. वेंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार

(वी. जी. कन्नन)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी)

(बी. श्रीराम)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(राष्ट्रीय बैंकिंग)

(पी. प्रदीप कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह
कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. : 002161
फर्म पंजीकरण सं. : 004656एस

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक
कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मुंबई

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं : (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹20,48,079.80 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,74,972.97 करोड़ का कुल राजस्व, ₹13,101.57 करोड़ की लाभ और ₹42,311.67 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं; (ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 28 (अट्ठाईस) अनुषंगियों, 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों और 20 (बीस) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹6,66,304.71 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹84,232.41 करोड़ का कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹578.75 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश और सहयोगियों से ₹317.15 करोड़ के निवल लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं; 1 (एक) अनुषंगी और 1 (एक) सहयोगी के अलेखा-परीक्षित खाते 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹3432.20 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹138.76 करोड़ का कुल राजस्व, ₹792.40 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और सहयोगियों से ₹2.71 करोड़ की हानि में समूह का अंश प्रकट करते हैं। समूह की इकाइयों के वित्तीय विवरण जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां में सूचीबद्ध किए गए हैं, जो इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का भाग हैं।

3. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है। ये वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए हैं और जहाँ तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल की गई राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।

4. 1 (एक) अनुषंगी और 1 (एक) सहयोगी के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21-''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखा मानक-23 ''समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा'' और लेखा मानक-27-''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट'' और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यत: अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुपालन शामिल है जो सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषयवस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे घोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

7. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। उन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनके उचित प्रस्तुति के संबंधित आंतरिक

नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति को डिजाइन किया जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों तथा लेखा आकलनों के औचित्य तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

8. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता हैं।

9. भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्टें/प्रबंधन प्रमाणपत्र हमें प्रेषित किए गए हैं और हमने अपनी रिपोर्ट अपने हिसाब से तैयार की है तथा हमारा राय केवल अन्य लेखा-परीक्षकों/प्रबंधन प्रमाणपत्रों पर आधारित है।

अभिमत

10. यहाँ ऊपर उल्लिखित पैरा 1-9 में यथा उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन, हमारी लेखा-परीक्षा और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों के अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण- भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-सिद्धातों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:

(क) 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;

(ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और

(ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

ध्यानाकर्षण

11. अपने अभिमत को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान 'अनुसूची 18 : लेखा टिप्पणियां" की ओर आकर्षित करते हैं:

i) टिप्पणी क्र. 3.1 : अचल आस्तियों की मूल्यह्रास दर/पद्धति में परिवर्तन, जिसके कारण लाभ में ₹616.11 करोड़ की वृद्धि हुई।

ii) दीर्घावधि लाभ वाली योजना आस्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य से बदल कर उचित मूल्य में कर दिया गया जिससे योजना आस्तियों की राशि में ₹2,182.87 करोड़ की वृद्धि हुई।

iii) टिप्पणी क्र. 10 : पुनर्संरचित कंपनियों को आस्तियों की बिक्री करने से हुई हानि के कारण खाते में ₹3009.91 का परिशोधन।

iv) टिप्पणी क्र. 11 : वर्ष के दौरान ₹461.19 करोड़ की राशि के प्रति चक्रीय सुरक्षित राशि का उपयोग करना।

उपर्युक्त उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारा अभिमत किन्हीं शर्तों पर आधारित नहीं है।

कृते **एस. वेंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004656S

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 002161

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2015 को

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2015 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैः

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	कनाडा	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)	बोत्सवाना	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
29	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
30	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
31	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
33	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
34	मैकेवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	मैकेवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	बरमुडा	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
40	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	लांग्पी देहांगी रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
45	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	पूर्वांचल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
48	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
51	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
56	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	एसबीआई होम फाइनैंस लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सूची जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
			निरंक				

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के नियंत्रक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)$	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,012.68	102,301.54
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	9,596.56	154,502.78
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	4,932.37	79,468.93
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	7,244.26	116,709.10
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	5,252.35	105,595.43
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चंट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	1,018.77	1,137.37
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	130.98	180.52

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	3.49	3.56
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कारपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	39.32	41.30
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कारपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएँ	20.44	20.70
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ	59.66	60.37
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	981.60	4,108.58
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	व्यापारी अभिग्रहण व्यवसाय से संबंधित सेवाएँ	1.82	1.92
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	321.95	786.98
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	एन पी एस ट्रस्ट की उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	33.59	34.26
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएँ और फंड अकाउंटिंग सेवाएँ	79.02	82.07
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	20.45	20.46
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	537.77	675.12
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.46	1.66
20	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	965.63	6,148.09
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	772.43	4,576.93
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	630.29	3,432.20
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	118.59	571.53
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,145.08	6,365.81
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	260.74	1,601.59
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	316.95	3,898.95
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	37.04	127.32

$इक्विटी कैपिटल और रिजर्व तथा सरप्लस शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
		निरंक		

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं

बीमा संस्था का नाम/ उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
		निरंक		

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन

- भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है।

  - जोखिम
  - परिचालन जोखिम
  - चलनिधि जोखिम
  - अनुपालन जोखिम
  - पेंशन निधि दायित्व जोखिम
  - प्रतिष्ठा जोखिम
  - ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम
  - निपटान जोखिम
  - बाजार जोखिम
  - ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
  - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
  - देश जोखिम
  - नव व्यवसाय जोखिम
  - कार्यनीतिक जोखिम
  - मॉडल जोखिम
  - कन्टेजन जोखिम
  - प्रतिभूतिकरण जोखिम

- भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अग्रिमों और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास विकल्प हैं। वह गौण ऋण और बेमीयादी ऋण लिखत के अतिरिक्त जब-जब जरूरत हो, इक्विटी जारी कर सकता है।
- विदेशी अनुषंगियों के लिए पूंजी की कार्यनीतिक योजना तैयार करने में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हेतु अपेक्षित पूंजी का निर्धारण किया जाता है। हर अनुषंगी की सीईटी 1/सीईटी2 और श्रेणी-2 पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद मूल बैंक पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन करता है, ताकि पूंजी का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

▶ मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹1,22,801.41 करोड़
▶ निवेश का प्रतिभूतिकरण	शून्य
कुल	₹1,22,801.41 करोड़

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

▶ (मानक अवधि पद्धति)

• ब्याज दर जोखिम	₹ 8363.48 करोड़
• विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹158.03 करोड़
• इक्विटी जोखिम	₹2,594.80 करोड़
कुल	₹11,116.31 करोड़

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

• मूल संकेतक पद्धति	₹12,113.96 करोड़
• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	
कुल	₹12,113.96 करोड

(ड) साझा श्रेणी-1 पूँजी, श्रेणी 1 और कुल पूंजी अनुपात:

दिनांक 31.03.2015 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

• शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा

• बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

	सीईटी 1 (%)	टियर-1(%)	योग (%)
एसबीआई समूह	9.13	9.49	12.00
भारतीय स्टेट बैंक	9.31	9.60	12.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.81	9.01	11.57
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.86	9.18	11.26
स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.21	8.36	11.42
स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.41	8.66	12.06
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.61	8.90	10.89
एसबीआई (मारीशस) लि.	23.66	23.66	24.42
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	19.23	19.23	22.26
भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	16.54	16.54	17.69
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	29.40	29.40	29.40
पीटी बैंक एसबीआई, इंडोनेशिया	22.12	22.12	22.71
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	11.52	11.52	14.70
एसबीआई (बोत्सवाना) लि.*	122.13	122.13	122.13

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की अपेक्षा

पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

i. किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है

iii. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

'अनियमित श्रेणी'

कोई खाता उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे।

यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो तो ऐसे खाते को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। अवधारणाओं के विकास और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।
ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

i. प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इस हेतु विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेना। ये जोखिमें मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

ii. औद्योगिक अनुसंधान, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाएं और नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ। समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों की गणना की जाती है। ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि इन घटकों के उदाहरण हैं।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार,

भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदण्डों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक के पास एक ऋण नीति है जिसका उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि इस संविभाग के अंदर अलग - अलग आस्तियों में कोई अनुचित गिरावट न हो। साथ ही साथ इसका उद्देश लचीलापन और नवोन्मेष के लिए काफी गुंजाइश छोड़ते हुए ऋण संबंधी मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएं, दस्तावेज मानक और संस्थात्मक चिंताओं और कार्यनीतियों की जागरूकता स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की संपूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। दस करोड़ रुपए और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करने के उपाय भी इस लेखा-परीक्षा का विषय होते हैं।

डीएफ-3 : मात्रात्मक प्रकटीकरण

सामान्य प्रकटीकरण :		**राशि करोड़ रुपये में**	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
(ख) सकल ऋण जोखिम की कुल राशि	1737896.30	496900.73	2234797.03
(ग) जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
विदेशी	243767.95	34149.38	277917.33
देशीय	1494128.35	462751.35	1956879.70
(घ) राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण		कृपया तालिका 'क' देखे	
निधि आधारित /गैर-निधि आधारित अलग-अलग			
(ड.) आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण		कृपया तालिका 'ख' देखे	
(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) अर्थात (I से iv का योग)			74626.63
i. अवमानक			23611.17
ii. संदिग्ध 1			16657.96
iii संदिग्ध 2			26814.26
iv. संदिग्ध 3			4329.58
v. हानिप्रद			3213.66
(छ) निवल अनर्जक आस्तियां			37813.96
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			4.29%
ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			2.24%
(झ) अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (सकल)			
i) प्रारंभिक शेष			80641.81
ii) वृद्धि			45810.39
iii) कमी			51825.57
iv) अंतिम शेष			74626.63
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			38425.88
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			23581.83
iii) अपलेखन			25113.13
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			81.91
v) अंतिम शेष			36812.67
(ट) अनर्जक निवेशों की राशि			584.41
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			574.33

सामान्य प्रकटीकरण :		राशि करोड़ रुपये में	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
(ड) निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			1946.92
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			171.55
iii) जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			33.29
iv) अपलेखन			588.95
v) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			884.53
vi) अंतिम शेष			678.28

तालिका-क : डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2015 को एक्सपोजर का औद्योगिक वितरण

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक	कुल	
1	कोयला	3,776.83	406.38	4,183.21	2954.70
2	खदान	6,947.44	648.84	7,596.28	3629.59
3	लोह एवं इस्पात	122,160.37	6,846.85	129,007.22	31648.73
4	धातु उत्पाद	39,208.31	1,814.42	41,022.73	8713.47
5	सभी अभियांत्रिकी	38,354.11	3,156.20	41,510.31	72050.01
51	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	12,427.02	1,097.70	13,524.72	10831.81
6	बिजली	28,292.87	83.88	28,376.75	2012.58
7	सूती वस्त्र	37,236.49	2,667.18	39,927.06	4999.81
8	जूट वस्त्र	427.92	179.82	607.74	59.89
9	अन्य वस्त्र	21,625.68	2,087.67	23,713.35	2054.68
10	चीनी	9,163.14	307.05	9,470.19	694.21
11	चाय	761.38	29.62	791.00	58.32
12	खाद्य प्रसंस्करण	34,863.78	4,222.68	39,104.05	2381.03
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	7,787.00	1,474.39	9,253.29	5853.73
14	तम्बाकू/ तम्बाकू उत्पाद	698.65	10.83	594.33	292.33
15	कागज /कागज उत्पाद	5,703.05	1,346.58	6,984.05	949.68
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	7,180.37	312.41	7,426.61	1668.63
17	रसायन/ रंग/ रोगन आदि	78,263.34	4,185.67	82,487.23	47765.13
171	जिसमें उर्वरक	14,851.23	52.55	14,903.78	5352.27
172	जिसमें पेट्रोरसायन	41,061.02	719.75	41,757.38	32362.22
173	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	10,797.70	2,593.45	13,420.87	2038.23
18	सीमेंट	10,264.88	423.88	10,688.76	2546.25
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,696.29	99.16	2,795.45	422.37
20	रत्न एवं आभूषण	18,401.60	2,558.42	20,960.02	1990.37
21	निर्माण	12,769.57	153.71	12,907.14	3616.80
22	पेट्रोलियम	53,782.01	457.69	54,242.92	16519.63
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	12,692.08	95.61	12,796.28	5853.97
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,588.43	1,110.60	3,718.27	5963.43
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	249,417.80	9,007.16	258,574.06	74491.84
251	जिसमें बिजली	132,655.59	2,646.99	135,302.58	21966.08
252	जिसमें दूरसंचार	38,320.99	1,036.29	39,357.28	20210.96
253	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	30,618.05	2,636.63	33,254.68	13937.46
26	अन्य उद्योग	110,366.50	2,264.97	112,631.47	42422.39
27	एनबीएफसी एवं खरीद-फरोख्त	153,456.47	6,836.57	160,293.04	53461.29
28	शेष अग्रिम	594,395.10	21,838.39	616,233.49	101825.87
	योग	**1,663,269.67**	**74,626.63**	**1,737,896.30**	**496900.73**

तालिका - खडीएफ-3 (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

		1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	17572.50	0.27	0.92	0.96	8.21	9.44	0	0	17592.30
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	49542.65	1097.57	2955.35	3823.59	13940.17	18696.05	9723.81	26754.70	126533.89
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	23652.92	1854.19	6889.18	5106.09	9230.77	10723.70	4920.15	2010.92	64387.92
4	निवेश	10558.31	7722.86	23054.22	20503.62	30442.02	97501.37	105348.01	341627.76	636758.17
5	अग्रिम	127511.62	23122.78	101226.00	98494.40	123524.58	807432.64	163011.19	249952.76	1694275.98
6	अचल आस्तियां	0	0	0.01	2.49	0	2.31	32.45	12559.81	12597.07
7	अन्य आस्तियां	40057.26	4149.91	9101.45	7453.10	2495.85	11183.31	1688.93	12284.18	88413.99
	कुल	**268895.26**	**37947.58**	**143227.14**	**135384.25**	**179641.60**	**945548.83**	**284724.53**	**645190.13**	**2640559.32**

*बीमा संस्थाएँ, गैर-वित्तीय संस्थाएँ, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंतः-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत आने वाले संविभाग के लिए

- प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई

  (i) एक वर्ष या कम समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2015 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

ख) जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	100% से कम जोखिम भार : ₹	1394384.78
	100% जोखिम भार : ₹	519929.48
	100% से अधिक जोखिम भार : ₹	317243.03
	घटाई गई ₹	3239.74
	कुल ₹	**2234797.03**

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा निम्नलिखित सहित

- तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है

  तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ;

जहां बैंक,

क. को यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं

  बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

  इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

  इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) विदेशी रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(x) सामान्य दिशा-निर्देश

- बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा

  बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

  - नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
  - स्वर्ण
  - केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
  - ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी-या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3रेटिंग प्राप्त है

- मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता

  बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

  - सरकार, सरकारी संस्थाएं [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई) सहित], सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।
  - अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।

- जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी

  बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

  - ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
  - सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
  - प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात,) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,87,582.45
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरीवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	12,459.00

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क)	**प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा, जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है :**	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का लक्ष्य इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा निर्वहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा; @संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में निर्धारित सीमामें प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो # कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो	लागू नहीं लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन;	लागू नहीं
(ख)	**प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :**	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	**बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।**	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही	
(घ)	**बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि**	निरंक
(ङ)	**ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।**	निरंक
(च)	**एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि**	निरंक
(छ)	**(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि**	लागू नहीं

(ज)	**प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।**	निरंक
(झ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ञ)	**यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।**	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटन : क्रय-विक्रय वही	
(ट)	**बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।**	निरंक
(ठ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	**उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गई:**	
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
(ढ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
	टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 क्रय-विक्रय बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशीय बैंकिंग इकाइयां

(क) बाजार जोखिम की सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा, जिसमें मानकीकृत पद्धति द्वारा आवरित संविभाग सम्मिलित हैं

1) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना के अंतर्गत मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली बांड एवं शेयर की धारिता।
- 'व्यापार के लिए रखी गई' श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- समस्त डिरीवेटिव्स स्थितियाँ, उन डिरीवेटिव्स को छोड़कर जो बैंकिंग बहियों के बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार बचाव प्रभाविता परीक्षण पर खरे उतरते हैं।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) सीमा प्रबंधन संरचना एवं बाजार जोखिम निर्वहन क्षमता विवरण

ग) निवेश नीति

घ) ब्याज दर प्रतिभूति और इक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति

ङ) डेरीवेटिव्स व्यापार नीति

च) विदेशी मुद्रा व्यापार नीति

छ) जोखिम मूल्य नीति

ज) दबाव परीक्षण नीति

झ) मॉडल प्रमाणीकरण नीति

ञ) मूल्यांकन नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार जैसे आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	8363.48
इक्विटी स्थिति जोखिम	2594.80
विदेशी विनिमय जोखिम	158.03
कुल	**11116.31**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:

नीतियाँ एवं संरचना प्रलेख

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली
- आई एस नीति
- आई टी नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली नीति
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता संरचना (एसबीआई) प्रलेख
- परिवर्तन प्रबंधन संरचना प्रलेख
- पूंजी परिकलन संरचना प्रलेख

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ

अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं - आपदा पुनरुत्थान योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक)

उन्नत उपाय पद्धति

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बासेल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का एक भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित एक टेम्प्लेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंप्लेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। वर्ष के दौरान लगभग 1700 शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने आरसीएसए कवायद में हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- संपूर्ण व्यवसाय और समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों पर नजर रखती है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए बासेल II में निर्धारित उन्नत उपाय पद्धति (एएमए) के अंतर्गत आवश्यक आंतरिक प्रणालियाँ भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।
- एएमए पर माइग्रेट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन दे चुका है तथा सहयोगी बैंकों ने आशय पत्र दिए हैं।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- बैंक द्वारा "अनुदेशावलियाँ" (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।

- निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद हैं।

डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)	20%

बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण (स्टेट बैंक समूह) (मार्च 2015)

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	6882.34

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	4043.66
	2021.83

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे व्युत्पन्न लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कही जाती है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	112302.29	3595.76
ख) क्रॉस करेंसी विनिमय	19896.56	3049.10
ग) करेंसी विकल्प	9243.88	309.16
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	390183.51	12159.10
ङ) वायदा दर करार	Nil	Nil
च) अन्य (विदेशी विनिमय)	4.76	4.76
	1644.68	33.42
योग	**533275.68**	**19151.30**

(ग) जिन क्रेडिट डेरीवेटिव ट्रांजैक्शन के कारण सीसीआर (आनुमानिक मूल्य) में ऋण जोखिम उत्पन्न होता है, ऋण लेने वाली संस्थाओं और उनके मध्यवर्ती कार्यकलाप के उपयोग के लिए अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। उपयोग में लाए गए क्रेडिट डेरीवेटिव उत्पादों में विभाजित किया जाता है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के भीतर क्रय और विक्रय किए गए संरक्षण के बीच और विभाजित कर दिया जाता है।

कोई नहीं

डीएफ-11: पूंजी के घटक

	बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1): इंस्ट्रूमेंट और रिज़र्व			
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	42191.26		A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	106751.51		B1 + B2 + B6 (#) + B7
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)			
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)			
	1 जनवरी, 2018 तक छूट प्राप्त सरकारी क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण			
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3280.71		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	152223.48		
	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी			
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन			
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	567.13	378.09	D * 60%
9	अमूर्त बंधक की पूर्ति के अधिकार से इतर (संबंधित कर देयता घटाकर)	1867.85	124523.60	
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	566.49	377.66	C * 60%
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व			
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ			

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)			राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि			
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियाँ	7.94		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	26.38		
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	151.59	101.06	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	7.50		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	6.01		
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)			
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि			
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश			
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार			
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ			
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	808.62		
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	808.08	538.72	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश			
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है			
26घ	जिसमें : अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय	0.54	0	
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों के लिए साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों में से निकाली गई राशि (भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं)			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन			
28	साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4009.51		
29	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	148213.98		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : लिखत				
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	2970.00		
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)			

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)			राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	2970.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	3536.85		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	1622.80		
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं	1221.50		
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	8129.65		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	54.51	36.34	
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)			
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)			
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश			
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी			
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर अतिरिक्त टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	2287.95	4149.32	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें, जैसे - डीटीए]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन जिनके द्वारा टियर 1 में से 50% की कटौती की गई है]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन			
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	2342.46		
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	5787.19		
44 क	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) जिसे पूंजी पर्याप्तता में शामिल किया गया है	5787.19		
45	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44 क]	154001.17		
टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान				
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	2000.00		
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	22122.52		

	बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर 2 लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	7080.56		
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं			
50	प्रावधान	9849.25		
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी	41052.33		
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन				
52	स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	4.33	2.89	
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)			
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)			
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश			
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर 2 पूंजी में कमी			
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	269.36	1077.44	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन, जिनमें टियर 2 में से 50% की कटौती की गई है]			
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]				
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	273.69		
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	40778.64		
58क	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर 2 पूंजी	40778.64		
58ख	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसकी गणना टियर 2 पूंजी के रूप में की गई है	0		
58ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी [58क +58ख]	40778.64		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) [45 +58ग]	194779.81		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों से संबंधित जोखिम भारित आस्तियाँ			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
	जिसमें :			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)	1622574.33		
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1364460.13		
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	123514.61		
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	134599.59		
पूंजी अनुपात				
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.13%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.49%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.00%		

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)			राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	0%		
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%		
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%		
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%		
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)				
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00%		
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश			
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश			
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)			
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)			
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं				
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	9849.25		
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	17055.75		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0		
पूंजी लिखत जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)				
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है			
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)			
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं			
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)			
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)			

*बी 6 आय और अन्य रिज़र्व एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं0

डीएफ-12 : पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2015 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बासेल III के अनुसार

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	**प्रदत्त पूंजी**	746.57	746.57
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	160,640.97	156,346.70
	आधे से कम हित	5,497.12	4,229.47
	कुल पूंजी	**166,884.66**	**161,322.74**
ii	**जमाराशियाँ**	**2,052,960.79**	**2,053,955.13**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	19,099.84	19,099.84
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,033,860.95	2,034,855.29
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया उलेख करें)	-	-
iii	**उधार**	**244,663.46**	**244,786.20**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,798.75	5,798.75
	जिनमें : बैंकों से	113,320.42	113,320.09
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	69,755.81	69,748.00
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	55,788.48	55,919.36
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**235,601.11**	**163,682.60**
	कुल	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**144,287.55**	**144,102.28**
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	64,299.02	61,971.13
ii	**निवेश**	**695,691.75**	**624,746.95**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	525,491.74	501,796.43
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,538.46	22.33
	जिनमें : शेयर	27,464.02	5,023.47
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	72,532.97	58,790.25
	जिनमें : अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,359.20	1,955.52
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	64,305.36	57,158.95
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,692,211.33**	**1,692,209.56**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	51,013.20	51,013.20
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,641,198.13	1,641,196.36
iv	**अचल आस्तियाँ**	**12,379.30**	**12,004.54**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**90,295.85**	**87,766.99**
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	3,113.09	3,113.09
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	949.50	944.15
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-
	कुल आस्तियाँ	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**

चरण-2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ क्रमांक
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
क	**पूंजी और देयताएँ**			
i	**प्रदत्त पूंजी**	746.57	746.57	A
	जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	746.57	746.57	A1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	A2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	160,640.97	156,346.70	B
	जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	57,789.73	57,789.73	B1
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	2,816.00	2,814.40	B2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	41,444.69	41,444.69	B3
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	1,381.85	1,381.85	B4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	6,765.71	6,763.65	B5
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	47,827.11	45,454.91	B6
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	2,615.88	697.47	B7
	आधे से कम हिस्सेदारी	5,497.12	4,229.47	
	कुल पूंजी	**166,884.66**	**161,322.74**	
ii	**जमाराशियाँ**	**2,052,960.79**	**2,053,955.13**	
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	19,099.84	19,099.84	
	जिनमें : ग्राहक से जमाराशियाँ	2,033,860.95	2,034,855.29	
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया उलेख करे)	-	-	
iii	**उधार**	**244,663.46**	**244,786.20**	
	जिनमें : भारतीय रिजर्व बैंक से	5,798.75	5,798.75	
	जिनमें : बैंकों से	113,320.42	113,320.09	
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	69,755.81	69,748.00	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	55,788.48	55,919.36	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**235,601.11**	**163,682.60**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**144,287.55**	**144,102.28**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**64,299.02**	**61,971.13**	
ii	**निवेश**	**695,691.75**	**624,746.95**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	525,491.74	501,796.43	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,538.46	22.33	
	जिनमें : शेयर	27,464.02	5,023.47	
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	72,532.97	58,790.25	
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,359.20	1,955.52	
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	64,305.36	57,158.95	
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,692,211.33**	**1,692,209.56**	
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	51,013.20	51,013.20	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,641,198.13	1,641,196.36	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**12,379.30**	**12,004.54**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**90,295.85**	**87,766.99**	
	जिनमें : गुडविल	-	-	
	जिनमें : अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	3,113.09	3,113.09	
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	949.50	944.15	C
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**	D
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियाँ	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**	

चरण 3

(₹ करोड़ में)

साझा इक्विटि टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त साझा शेयर पूंजी (और गैर स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और संबंधित स्टॉक अधिशेष	42191.26	A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	106751.51	B1 + B2 + B6 (#) + B7
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य कोई भी रिज़र्व)	0	
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से हटने वाली है (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित साझा शेयर पूंजी (समूह की सीईटी 1 में अनुमत राशि)	3280.71	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	152223.48	
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	567.13	D * 60%

* बी6 : आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ - समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

समूह की कंपनियों के संबंध में*
(विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियाँ,
देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)

सामान्य विवरण

कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियाँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाती हैं / अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा*, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं :

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

बैंकिंग - देश में स्थित	बैंकिंग - विदेश स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस) लि.	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	भारतीय स्टेट बैंक (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तो (डीएफ-14) को बैंक वेबसाइट www.sbi.co.in/www.statebankofindia.com पर कारपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

मार्च 2015 की समाप्ति पर ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण हेतु संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण

क्र. सं	संकेतक	उप-संकेतक	राशि भारतीय रुपए में (बिलियन में)
1.	प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी गतिविधि	प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी दावे	3163.80
		प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी देयताएं	4110.40
2.	आकार	बासेल-3 लिवरेज अनुपात में उपयोग हेतु यथा परिभाषित कुल वित्तीय संबद्धता (जोखिम)	32687.77
3.	अंतर-सम्बद्धता	अंतरा वित्तीय प्रणाली आस्तियां	1229.61
		अंतरा वित्तीय प्रणाली देयताएं	202.49
		बकाया प्रतिभूतियां	1088.75
4.	सबस्टिट्यूबिलिटी/वित्तीय संस्था आधारिक संरचना	अभिरक्षा अधीन आस्तियां	1522.50
		भुगतान गतिविधि	94184.87
		ऋण एवं ईक्विटी बाजारों में कम मूल्य पर दिखाए गए लेनदेन	0.86
5.	जटिलता	ओटीसी डेरीवेटिव्स की काल्पनिक राशि	7123.47
		स्तर-3 की आस्तियां	111.78
		ट्रेडिंग और विक्रय हेतु उपलब्ध प्रतिभूतियां	416.51

भारतीय स्टेट बैंक
प्रॉक्सी फार्म

फालियो क्र. ______________________

डीपी/ग्राहक आई.डी. क्र.______________________

मैं/हम, ____

निवासी ____

बैंक के कारपोरेट केंद्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के ______________________

शेयर/ शेयरों का धारक हूँ/शेयरों के धारक हैं और एतददवारा ______________________

______________________ निवासी ______________________ को (या उसकी

अनुपस्थिति में ______________________ निवासी ______________________ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की ______________________ में दिनांक ______________________

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांकित______________________ के ______________________ दिवस को

15 पैसे रसीदी टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथास्थिति उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसके अंगूठे का निशान है, जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थनीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केंद्र या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन प्वॉइंट, मुंबई-400 021 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक
शेयरधारकों की वार्षिक महासभा उपस्थिति पर्ची

दिनांक : [ ]

फोलियो क्रः [ ]

डी.पी./ग्राहक आई.डी क्रः [ ]

शेयरधारक/प्रथम धारक का पूरा नामः ________________________________

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : ________________________________ पिन [ ]

कुल धारित शेयरों की संख्या : [ ]

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक (धारित शेयर कागजी रूप में होने पर) [ ] से [ ] तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम आर. 31* के अनुसार मत देने का अधिकार हैः हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या, जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र दवारा मतदान के मामले में):

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप में							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नामः

पदनामः

सील/मोहरः

नोटः

I. भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

II. यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारक है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टांप के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

III. वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

IV. शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभा स्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे-पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

*विनियम 31-मतदान के अधिकारों का निर्धारणः

I. अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधान के अध्यधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो महासभा की तारीख से तीन महीनों पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

II. प्रत्येक शेयरधारक जो केंद्र सरकार से भिन्न है और कंपनी नहीं है, जिसे उपर्युक्तानुसार मत देने का अधिकार है और जो व्यक्तिशः अथवा प्रॉक्सी अथवा कंपनी होने के कारण प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी दवारा उपस्थित है, को हाथ दिखाकर मत देने अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

III. केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ दिखाने पर एक मत अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

राष्ट्रपति भवन में खोले गए वित्तीय साक्षरता केंद्र का उद्घाटन
माननीय भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 11 दिसंबर 2014 को किया गया

शेयरधारकों की 3 जुलाई 2014 को संपन्न वार्षिक महासभा का एक दृश्य

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

स्टेट बैंक भवन
कारपोरेट केंद्र,
मादाम कामा मार्ग, मुंबई,
महाराष्ट्र - 400 021

Follow us on :

theofficialsbi

statebankofindiaofficial